खण्ड-433, अंक-9
शुक्रवार, 18 चैत्र, शक संवत् 1922
(7 अप्रैल, 2000 ई0)

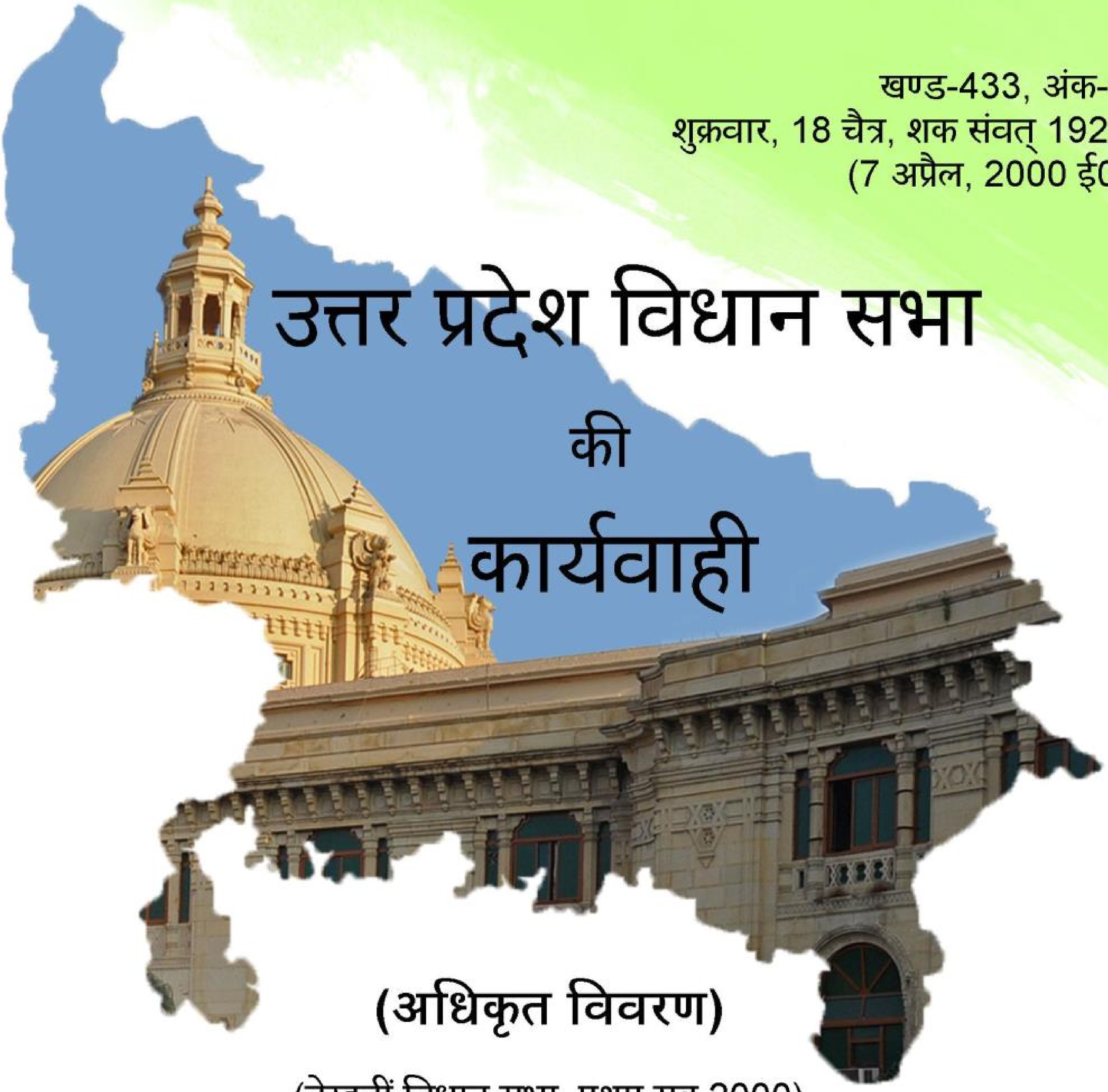

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

(अधिकृत विवरण)

(तेरहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र 2000)

खण्ड 433 में 10 अंक है

उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक:
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, लखनऊ, उत्तर प्रदेश (भारत)
2000

मूल्य : बिना महसूल रु0 16.75 पैसे, महसूल सहित रु0 21.00 पैसे |
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल रु0 586.25 पैसे, महसूल सहित रु0 724.25 पैसे |

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	क-ख
प्रश्नोत्तर	85
नियम 301 के अन्तर्गत सूचनाएं.....	85
जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पंप कैनाल स्थित पुराने ट्रान्सफार्मर की जगह नया 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रान्सफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
जनपद फतेहपुर के ग्राम नरेनी खण्ड विकास कार्यालय हसवा में फ्री बोरिंग योजनान्तर्गत निर्दोष लोगों की ऋण वसूली वापस कराने एवं दोषी जनों को आर0सी0 जारी कर ऋणों को वसूलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	85
राजकीय महाविद्यालय बिल्सी जनपद बदायूं के छात्र छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत हथौरा ड्रेन के कतिपय स्थानों पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	86
जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर निर्माणाधीन प्रेक्षागृह हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराकर निर्माण पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद उन्नाव में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
जनपद फिरोजाबाद के करोल नगरिया गाँव से एक-दो किलोमीटर नीचे यमुना नदी पर बैराज बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना	87
औचित्य के प्रश्न एवं सूचनाएं.....	88
विधायक निधि धनराशि बढ़ाकर एक करोड़ किए जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास..	90
जनपद संत रविदास नगर, भदोही के एम0ए0 रामद इण्टर कालेज का नाम परिवर्तित कर पुनः महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेण्ड्री स्कूल घोषित किए जाने विषयक श्री रामजतन मौर्य एवं अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका (उपस्थित की गई)	90
जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत दुर्गागंज में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रेखा निशंक व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका. ...(उपस्थित की गई)	91
जनपद संत रविदास नगर, भदोही में बनकट से कोछिया मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक दुबे व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका..... (उपस्थित की गई)	91
संत रविदास नगर, विकास खण्ड भदोही में दीपक कारपेट से सुल्तानपुर हरियांव मार्ग भदोही रजबहा नहर की पटरी लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री [illegible] लाल सरोज व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	91
जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर-दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा कराये जाने विषयक श्री [illegible] शुक्ल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	91

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बांदा में सिन्धनकला के पास पैलानी-लसड़ा मार्ग पर तुर्रा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम खिलावन व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	92
जनपद गोण्डा के अन्तर्गत स्थित नवाबगंज शुगर मिल कां चालू कराने तथा किसानों को बकाये धनराशि का भुगतान कराये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	92
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में नगर पंचायत मनकापुर मसकनवां, बमनान एवं वजीरगंज कस्बों में जल भराव को दूर कराये जाने विषयक श्री विद्यानिवास तिवारी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	92
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित टिकरी से रौजा सम्पर्क मार्ग को लेपन कराये जाने विषयक श्री दुधनाथ यादव व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	92
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ऊंटघाट, बघुलही, चिरैया, चौखट घाट तथा धारीघाट पर लकड़ी के बने पुलों को पक्का कराये जाने विषयक श्री बिन्द्रा प्रसाद शुक्ला व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.....(उपस्थित की गई)	92
जनपद लखनऊ विश्वविद्यालय, छात्र संघ के सम्बन्ध में व्यवस्था के प्रश्न के रुप में उठाने का प्रयास	93-94
मंत्रियो द्वारा विविध वक्तव्य	94
उत्तर प्रदेश आमोद ओर पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000..... (पुरः स्थापित)	94
उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियत्रंण (संशोधन) विधेयक, 2000..... (संशोधन अस्वीकृत, विधेयक पारित)	95-104
उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ.....(संकल्प अस्वीकृत, विधेयक पारित)	104-105
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव .....(जारी)	110-144
डा0 वसीम अहमद, सदस्य, विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव ..... (प्रस्तुत)	144
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (जारी)	144-149
श्री वसीम अहमद, सदस्य विधान सभा के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव (वापस लिया गया)	149
श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव ..... (स्वीकृत)	
विधान सभा में दिनांक 3-4-2000 को नियम 311 के अन्तर्गत श्री अम्बरीष कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री जगम्बिकापाल एवं श्री प्रमोद कुमार द्वारा दी गयी सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य.....	
जनपद फिरोजाबाद की कोतवाली टुण्डला अन्तर्गत निरन्तर बढ़ते अपराधों तथा कोतवाली द्वारा की जा रही अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री शिव सिंह चक द्वारा दी गयी सूचना (शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया)	149-150
	150-151

विषय	पृष्ठ संख्या
नियम 51 के अन्तर्गत सूचनाएं.....	151-152
सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर लखनऊ के शिक्षकों, अवकाश प्राप्त शिक्षकों, कर्मचारियों का जनवरी, 1997 के पश्चात् वेतन एवं पेन्शन पुनरीक्षण न किए जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार व अन्य द्वारा दी गई सूचना पर नियम 51 के अन्तर्गत संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य.....	152
मेरठ महानगर में छात्रों तथा वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किये जाने तथा पुलिस की निरंकुशता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मीकांत वाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य.....	152-154
प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण प्रक्रिया मनमाने तौर पर चलाये जाने तथा जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर के उप जिलाधिकारी व जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र यादव द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य.....	154156
जनपद मथुरा में गोवर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर, संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य.....	156
नत्थियाँ.....	157-161

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा

(तेरहवीं विधान सभा)

शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल , 2000

निम्नांकित सदस्यों के अतिरिक्त अन्य सभी सदस्य उपस्थित थे:-

1- अखिलेश कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
2- अजय कुमार पोइया, श्री — मथुरा
3- अजय राय, श्री — वाराणसी
4- अतीक अहमद, श्री — इलाहाबाद
5- अफजाल अहमद, श्री — जौनपुर
6- अफरोज अली खाँ, श्री — रामपुर
7- अब्दुल कलाम, श्री — वाराणसी
8- अशफाक अहमद, श्री — बरेली
9- अशोक कुमार सिंह, श्री — रायबरेली
10- आनन्द प्रकाश, श्री — पडरौना
11- उर्मिला देवी, श्रीमती — मैनपुरी
12- उबैदुर्रहमान, श्री — गोण्डा
13- ओइम्वेश, स्वामी — बिजनौर
14- ओमकार सिंह, श्री — बदायूँ
15- ओम प्रकाश गुप्त, श्री — सीतापुर
16- ओम प्रकाश सिंह, श्री — मिर्जापुर
17- कमला प्रसाद रावत, श्री — बाराबंकी
18- काजिम अली खाँ उर्फ नवेद मियां, श्री — रामपुर
19- काशिम हसन, श्री — फतेहपुर
20- काशीराम, श्री — रामपुर
21- कृष्ण पाल सिंह, श्री — कानपुर देहात
22- के0सी0 सिंह "बाबा" श्री — उधम सिंह नगर
23- गंगा बख्श सिंह, श्री — उन्नाव
24- जगत सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
25- जगदीश सिंह राणा, श्री — सहारनपुर
26- जमालुद्दीन सिद्दीकी, श्री — फरूखाबाद
27- जितेन्द्र कुमार जायसवाल उर्फ पप्पू भईया, श्री — गोरखपुर
28- ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महराजगंज
29- नरेन्द्र सिंह भाटी, श्री — बुलन्दशहर
30- नरेन्द्र सिंह यादव, श्री — फर्रूखाबाद
31- निर्भय पाल शर्मा, श्री — सहारनपुर
32- प्रदीप कुमार, श्री — सहारनपुर
33- प्रेम प्रकाश सिंह, श्री — देवरिया
34- बंश नारायण सिंह, श्री — भदोही
35- भगवान सिंह शाक्य, श्री — बदायूं
36- मंगल सिंह सैनी, श्री — मुरादाबाद
37- महेन्द्र नाथ पाण्डेय, डा0 — वाराणसी
38- मातबर सिंह कण्डारी, श्री, — टिहरी गढ़वाल
39- मानिक चन्द यादव, श्री — मैनपुरी
40- मुन्ना लाल मौर्य, श्री — फतेहपुर
41- मुस्ताक सोलंकी, श्री — कानपुर नगर
42- मोहन सिंह रावत गांववासी, श्री — गढ़वाल
43- यशवन्त, श्री — आजमगढ़
44- रघुराज प्रताप सिंह "राजा भईया" कुंवर — प्रतापगढ़
45- रतनजीत प्रताप नारायण सिंह, कुंवर — पडरौना
46- रवीन्द्र प्रताप चौधरी, श्री — सिद्धार्थनगर
47- राकेश त्यागी, श्री — बुलन्दशहर
48- राकेश धर त्रिपाठी, श्री — इलाहाबाद
49- राजपाल सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
50- राजा मजफ्फर अली खां, श्री — बिजनौर
51- राजा राम पाण्डेय, श्री — प्रतापगढ़
52- राजेन्द्र यादव, श्री — माजीपुर
53- राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री — फतेहपुर
54- राम खिलाड़ी, श्री — बदायूं
55- राम चन्द्र मौर्य, श्री — मिर्जापुर
56- राम नरेश रावत, श्री — माजियाबाद
57- राम नरेश यादव, श्री — आजमगढ़
58- रामपाल राजवंशी, श्री — सीतापुर
59- राम लखन, श्री — सुल्तानपुर

60- राम शंकर पाल, श्री — उन्नाव
61- राम स्वरूप शर्मा, श्री — मथूरा
62- राम हर्ष सिंह, श्री — सुल्तांनपुर
63- लालजी टण्डन, श्री — लखनऊ
64- लालमणि प्रसाद, श्री — बस्ती
65- लोकपति त्रिपाठी, श्री — मिर्जापुर
66- विजय सिंह, श्री — सोनभद्र
67- विनय कुमार पाण्डेय "बिन्नू", — गोण्डा
68- विनोद मणि, श्री — महराजगंज
69- विरेन्द्र सिंह, श्री — मुजफ्फरनगर
70- विवेक कुमार सिंह, श्री — बांदा
71- वेद प्रकाश, श्री — बस्ती
72- वेद प्रकाश सिंह,एम.एस.डा0 — बिजनौर
73- शरदवीर सिंह, श्री — शाहजहांपुर
74- शिवपाल सिंह यादव, श्री — इटावा
75- शिवपूजन राम, श्री — वाराणसी
76- श्रीराम पाल, श्री — ज़ालौन
77- संग्राम सिंह, श्री — बाराबंकी
78- संजय गर्ग, श्री — सहारनपुर
79- संदीप अग्रवाल, श्री — मुरादाबाद
80- सत्य प्रकाश सोनकर, श्री — वाराणसी
81- सर्वेश कुमार उर्फ राकेश कुमार, कुँवर — मुरादाबाद
82- सुधाकर सिंह, श्री — मऊ
83- सुमन लता सिंह, श्रीमती — बरेली
84- सुरेश चन्द्र आर्य, श्रीमती — उधम सिंह नगर
85- हरदेव सिंह, श्री — बाराबंकी
86- हरि प्रसाद ऊर्फ घमड़ी, श्री — सोनभद्र

उत्तर प्रदेश विधान सभा

शुक्रवार, दिनांक 7 अप्रैल, 2000

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डल लखनऊ में दिन के 11 बजे अध्यक्ष श्री केशरी नाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।

"प्रश्नोत्तर"

अल्प सूचित तारांकित प्रश्न

प्रदेश सरकार द्वारा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर अतिरिक्त खाद्य सामग्री के आवंटन की मांग

डॉ सरजीत सिंह डंग तथा डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

"1-क्या खाद्य तथा रसद मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या केन्द्र सरकार द्वारा प्रदेश सरकार को गेहू, चावल, चीनी, मिट्टी का तेल वर्ष 1991 की जनसंख्या के आधार पर आवंटित किया जा रहा है? यदि हां, तो वर्तमान जनसंख्या के आधार पर उक्त खाद्य सामग्री प्राप्त करने हेतु सरकार द्वारा क्या कोई प्रयास किया गया है? यदि नही, तो क्यों?

संसदीय कार्य, पंजीयन एवं मनोरंजन कर तथा स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकूम सिंह)-

जी हॉ।

जी हां, 1991 की तुलना में राशन कार्डो की संख्या में काफी बढ़ोत्तरी हुई है। अतःवर्तमान अनुमानित जनसंख्या को दृष्टिगत रखते हुए खाद्यान्न चीनी तथा मिट्टी के तेल की अतिरिक्त मांग भारत सरकार से की गई है। भारत सरकार से अभी तक कोई अतिरिक्त आवंटन प्राप्त नहीं हुआ है।

प्रश्न नही उठता।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मेरा प्रश्न था कि क्या प्रयास किये गये? उत्तर आया है कि भारत सरकार से मांग की गई है। मांग तो कर्मचारी करते है। 1991 से यह मांग चली आ रही है। मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि क्या-क्या प्रयास कब-कब किये गये? इन प्रयासों के असफल होने के कारण क्या है? प्रदेश के खाद्य मंत्रियों की केन्द्र सरकार के प्रति वर्ष बैठक बुलाती है। कितनी बार प्रदेश सरकार द्वारा चीनी, गेहूं, चावल, मिट्टी का तेल इत्यादि की मांग की और क्या दिये जाने का उल्लेख किया? क्या अन्य प्रदेश की सरकार को भारत सरकार द्वारा वर्तमान जनसंख्या के आधार पर खाद्य सामग्री का कोटा बढ़ाया है?

श्री हुकूम सिंह-

मान्यवर, किसी भी प्रदेश में वर्तमान जनसंख्या के आधार पर खाद्यान्न उपलब्ध नहीं है। जितनी केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध होता है बस उतना ही है। उपलब्धता लेवी के आधार पर है। हम इसके लिये मांग करते रहते है। जितनी मांग होती है, उस मानक से कम ही मिल पाता है। प्रयास करना, या मांग करना सिर्फ शब्दों का ही हेर-फेर है। चाहे प्रयास कर लें या मांग कह लें। खाद्यान्न की हमारे यहॉ कोई समस्या नहीं है। डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैंने जो प्रश्न किए है वह स्पष्ट है परन्तु एक का भी स्पष्ट उत्तर नहीं आया है।

श्री अध्यक्ष-

जो प्रयास किए है वह बतायें।

श्री हुकूम सिंह-

मान्यवर, मैं अपनी कठिनाई का उल्लेख करना चाहता हूं। मैं यहां आकर बैठा हूं और इस प्रश्न की जानकारी हुई है। यदि पांच मिनट पहले भी जानकारी होती तो मैं तैयारी कर लेता। मैं इस प्रश्न के साथ न्याय नही कर पा रहा हूं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

आप इसे स्थगित कर दें।

श्री अध्यक्ष-

हम इसको स्थगित कर देगें। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी, इधर मैंने देखा है कि प्राय: मंत्री परिषद् के कुछ माननीय मंत्रीगण जिनका प्रश्न विधान सभा में लगा रहता है, इस आधार पर प्रश्न को स्थगित करने का अनुरोध करते हैं कि उनका अन्य प्रश्न उसी दिन विधान परिषद् में भी लगा है। आपके मंत्री परिषद् में राज्य मंत्री भी हैं। आप कुछ इस प्रकार की व्यवस्था करा दें कि कोई एक मंत्री यहाँ पर रहे और दूसरा विधान परिषद् में रहे। यदि इस तरह से अनुपस्थित रहेंगे तो परेशानी होती है। इस प्रश्न को स्थगित कर देता हूँ।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, इस मंत्री परिषद् में एक ही विभाग के दो-दो, तीन-तीन मंत्री हैं फिर भी एक मंत्री यहाँ उपस्थित नहीं रहता है। मैं चाहता हूँ कि आप ऐसी व्यवस्था दें कि यह समस्या उत्पन्न ही न हो।

श्री अध्यक्ष-

मौर्य जी, मैंने व्यवस्था दे दी है। मैंने इस प्रश्न को स्थगित भी कर दिया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, यह तो सदन की अवमानना की बात है।

श्री अध्यक्ष-

संसदीय कार्य मंत्री जी ने उत्तर तो दिया परन्तु उन्होंने बड़े शुद्ध भाव में व्यक्त किया। उनकी कठिनाई का संज्ञान लेते हुए मैंने इस प्रश्न को स्थगित कर दिया।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, हो सकता है दूसरे प्रश्न की तैयारी करायी गयी हो कठिनरई को हम भी समझते हैं। ऐसे मंत्रीगण या सरकार सदन के प्रति जिम्मेदार हैं।

श्री अध्यक्ष-

बार आवंटन में भी यदि किसी को परिवर्तन करने की आवश्यकता हो तो उसके लिए अनुरोध कर लिया जाय परन्तु उपस्थित रहना चाहिए।

श्री हुकुम सिंह-

यह बात सही है कि अल्पसूचित तारांकित प्रश्न की पहले से ही जानकारी होती है। यदि कोई कठिनाई थी तो दूसरे मंत्री को बता सकते थे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आप इस बात का निर्देश दे दें कि अगर सौ की संख्या कम पड़ रही है तो उसे दो सौ कर दें।

श्री हुकुम सिंह-

अगर मौर्य जी और वर्मा जी इधर आ जायं तो इस पर विचार कर लिया जायेगा।

प्रदेश के सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की आर्थिक स्थिति का विवरण एवं उसके सुधार हेतु आयोग का गठन

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

**2-क्या सार्वजनिक उद्यम मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश के अधिकांश सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों की वित्तीय स्थिति खराब है? यदि हाँ, तो क्यों उसे सुधारने हेतु सरकार कोई उपाय कर रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि ऐसे उपक्रमों और निगमों द्वारा अपना वार्षिक संतुलन-पत्र प्रस्तुत किया जाता है? यदि हाँ, तो उसका विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

सार्वजनिक उद्यम, निर्यात प्रोत्साहन, अभाव सहायता एवं पुनर्वास मंत्री (श्री जय नारायन तिवारी)-

उत्तर प्रदेश में कुल 50 सार्वजनिक उपक्रम निगम हैं। इनमें से 27 लाभ में हैं तथा 18 हानि की स्थिति में हैं। शेष 5 के कार्यकलाप बन्द प्राय: हैं।

उ0 प्र0 शासन के द्वारा सार्वजनिक उपक्रमों निगमों में सुधार की नीति हाल ही में घोषित ही गयी है। सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा उद्यमों में सुधारु हेतु एक डाइवेस्टमेंट आयोग का गठन किया गया है, जो उद्यमों में डाइवेस्टमेंट, पुनसंरचना, निजीकरण एवं बन्द करने की कार्यवाही तथा कार्य-कलापों का निष्पक्ष मूल्यांकन कर सुविचारित सुझाव सरकार को देगा सरकार के द्वारा तदैवपरांत निगमों/उपक्रमों के सुधार आदि के विषय में प्रभावी कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सार्वजनिक उपक्रमों एवं निगमों के द्वारा अपना वार्षिक संतुलन पत्र तैयार करके सम्बन्धित निगम/उपक्रम के निदेशक मण्डल के समक्ष विधि अनुसार प्रस्तुत किया जाता है।

विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमों/निगमों के द्वारा कराये गये विवरण के अनुसार उनके लाभ-हानि की स्थिति अनुलग्नक-1 व 2 में दर्शायी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिये नत्थी क आगे पृष्ट---------- पर।)

श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया है कि उत्तर प्रदेश में कुल 50 सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम हैं जिनमें से 27 लाभ में हैं और 18 हानि की स्थिति में हैं और शेष 5 कार्यकलाप बन्द हैं।

इसके सुधार के लिए डाइवेस्टमेंट आयोग का गठन किया गया है जो एक नीति निर्धारित करेगी। मैं पूछना चाहता हूँ कि वह नीति क्या है और इस डाइवेस्टमेंट, पुनसंरचना आयोग का गठन कब हुआ?

श्री जय नारायण तिवारी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि मैं माननीय सदस्य का बड़ा ऋणी हूँ कि उन्होंने सदन में मुझे सुधार नीति को बताने का अवसर दिया। मान्यवर, यह 50 साल के अन्दर पहली सरकार है जो सार्वजनिक उपक्रम एवं निगम की बिगड़ती हुई स्थिति को देखकर एक सुधार नीति लाई है। बिगड़ती हुई निगमों की स्थिति को सुधारने के लिये अभी हाल ही में डाइवेस्टमेंट कमीशन का गठन किया गया है और अध्यक्ष तथा सदस्यों ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। इस आयोग के माध्यम से हम सार्वजनिक उपक्रम की जो अलाभकारी स्थिति में हैं उनको लाभकारी स्थिति में लाने का काम करेंगे जो निगम बन्द होने की स्थिति में हैं उनको बन्द होने से कैसे बचाया जाय। उपक्रमों में निजीकरण की पद्धति को कैसे लागू कर सकते हैं उन सबके लिये डाइवेस्टमेंट आयोग का गठन किया गया है यह आयोग अपना कार्यभार ग्रहण कर चुका है और अपना कार्य आरम्भ करने वाला है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने अपने जवाब में कहा है कि जो उद्योग बन्द होने के कगार पर हैं उनको सरकार चलाने का प्रयास करेगी। मान्यवर, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ज्ञानपुर की मेजा कताई मिल और रसड़ा कताई मिल बलिया इनको आपके विभाग के अधिकारी बेचना चाहते हैं जबकि बाजार से 35 करोड़ रुपये इकट्ठा किया है सरकार के ऊपर कोई व्यय भार नहीं है। इन मिलों को चलाने के लिये आई0 डी0 बी0 आई0 ने बी0 एफ0 आई0 आर0 की रिपोर्ट में कहा है कि इसको चलाया जा सकता है। क्या माननीय मंत्री जी आश्वस्त करेंगे कि यह दोनों मिलें बेची नहीं जायेंगी बल्कि चलाई जायेंगी?

श्री जय नारायन तिवारी-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय कुंवर जी से निवेदन करना चाहता हूं कि वे इस सदन के बहुत ही वरिष्ठ और अनुभवी सदस्य है। इनका प्रश्न हमारे मूल प्रश्न से संबधित नही है।

श्री अध्यक्ष-

यह आप नही कह सकते है

श्री जय नारायन तिवारी-

मान्यवर, आप मेरी बात तो सुनिये। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहता हूं कि बी0एफ0आई0आर0 की बात क्या। मैं सदन के सज्ञान में लाना चाहता हूं कि इसमें बी0एफ0आईआर0 5 नियम बताये है। शुगर कारपोरेशन, सीमेन्ट कारपोरेशन, टेक्सटाइल कारपोरेशन, इंडियन टरपाइन कारपोरेशन, और अपट्रान। इस सम्बन्ध में बी0एफ0आईआर0 अपनी कार्यवाही कर रहा है।

श्री अध्यक्ष-

अनुपूरक प्रश्न भजा और बलिया कताई मिल के बारे मे [illegible] से सम्बंधित है आपने जो अनुपूरक सामग्री दी है (संलग्नक एक और दो) उसमें दो में जिस एक विशेष निगम का उल्लेख है उसी के द्वारा यह कताई मिल चलाई जाती है। यह भेजा और रसड़ा कताई मिल कौन सा निगम चलाता है, बतायें?

श्री जय नारायन तिवारी-

यह मेरे विभाग से संबधित नही है। लेकिन इस सम्बन्ध में जैसा हम कह चुके है और हमारा प्रयास होगा कि कोई भी उपक्रम या निगम बन्द न होने पाये।

श्री अध्यक्ष-

मैंने पीठ की ओर से प्रश्न किया कि कौन सा निगम इन मिलों को चलाता है, वह घाटे में है कि लाभ में है?

श्री जय नारायन तिवारी-

यह सम्भवत: स्पिनिंग कारपोरेशन चलाता है। (कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित करने के लिये इससे उपयुक्त और कोई प्रश्न नही हो सकता है।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रश्न को मैं प्रश्न एवं सन्दर्भ समिति को सन्दर्भित कर रहा हूं।

[उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य-संचालन नियमावली, 1958 के नियम 294 (4) के अन्तर्गत प्राथमिकता प्राप्त तारांकित प्रश्न]

जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी का विशेष प्रस्ताव द्वारा पारित बजट तथा आयुक्त मण्डल बरेली का अनुमोदन

श्री भोला शंकर मौर्य-

1-क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद बदायूं की नगर पालिका परिषद् बिल्सी द्वारा वित्तीय वर्ष 1999-2000 का बजट बिना पारित कराये एवं आयुक्त मण्डल, बरेली के बिना अनुमोदन कराये वर्तमान वित्तीय वर्ष की धनराशि व्यय की जा रही है? यदि हाँ, तो क्या सरकार इसकी जाँच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं तो क्यों?

नगर विकास राज्य मंत्री (श्री सतीश महाना)-

जी नहीं।

नगर पालिका परिषद् बिल्सी का बजट वर्ष 1999-2000 पालिका बोर्ड की बैठक दिनांक 28-4-90 के विशेष प्रस्ताव सं0-1 द्वारा पारित किये जाने पर उसे पूर्व में आयुक्त, बरेली मण्डल, बरेली के आदेश दिनांक 12-8-99 द्वारा प्रतिषेध कर दिया गया था। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद् बिल्सी, जनपद बदायूँ के पुनर्विचार पत्र दिनांक 11-1-2000 के अनुक्रम में आयुक्त द्वारा अपने आदेश दिनांक 18-2-2000 से मात्र बोर्ड के बजट विषयक प्रस्ताव के अग्रेतर निष्पादन की अनुमति प्रदान कर दी गई है।

जी नहीं।

श्री माता शंकर मौर्य-

मान्यवर, इस बोर्ड की दो बैठकें हुई। एक 15-4-99 को हुई और एक 28-4-99 को हुई। दोनों बैठकों को आयुक्त ने अपने आदेश के द्वारा अमान्य कर दिया और यह आदेश दिया कि इन दोनों बैठकों की तथा पिछली दो-तीन बैठकों की समीक्षा की जाये, फिर बजट को पारित किया जाये। उसके बाद मान्यवर, 6 महीने के उपरांत आयुक्त ने अपने आदेशों को किन परिस्थितियों में बदल दिया इसका औचित्य इन्होंने नहीं दिया। यह गम्भीर प्रश्न है। 1999-2000 का बजट बगैर पास किये बहुत भारी मात्रा में नगर पालिका ने खर्चा किया है।

श्री सतीश महाना-

दो बैठकें माननीय सदस्य ने बतायी हैं जिनको आयुक्त बरेली मण्डल ने निष्पादित किया था। पुनर्विचार के लिये जिलाधिकारी ने उसकी जांच कराई नगरपालिका परिषद् के अध्यक्ष ने इस पर पुनर्विचार किया था बजट पास होना आवश्यक था। इसमें पुनर्विचार का अधिकार है। बोर्ड की मीटिंग में बजट के प्रस्ताव की संस्तुति दे दी। बाकी को बोर्ड ने पुन: रिफर कर दिया।

(इस समय 11 बजकर 18 मिनट पर अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान पीठासीन हुए)

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि 24-4-99 को और 15-4-99 को दो बैठक हुई और 12-8-99 को उसे आयुक्त महोदय ने प्रतिषेध कर दिया। इस संबंध में मान्यवर, माननीय विधायक जी ने 21-12-99 को प्रश्न पूछा कि इस तरह से जो बजट खर्चा कर लिया गया है और बिना आयुक्त की सहमति के खर्चा किया गया है तो इन्होंने इस बजट के बारे में सवाल पूछा,तो 11-1-2000 को इसको फिर भेजा गया है-माननीय विधायक जी ने जब विधान सभा में प्रश्न किया है तब इसको पुनर्विचार की आवश्यकता ही न पड़ती। 18-2-2000 को बाध्य होकर सहमति देनी पड़ती है इसमें मंत्री जी आप स्वयं देखें घपला नजर आ रहा है, क्या इस घपले की जो स्पष्ट रूप से नजर आ रहा है क्या इस घपले की जांच किसी उच्च स्तरीय समिति को बनाकर या उच्च स्तरीय जो कमिश्नर के ऊपर के अधिकारी हो, से जांच कराकर दोष व्यक्तियों को दंडित करने का काम करेंगे।

श्री सतीश महाना-

जहां तक खर्चे का प्रश्न है बजट पास न होने के कारण वेतन की मद में उससे भुगतान किया गया जिससे अन्य कार्य बाधित रहा। इसमें आयुक्त को निर्देशित कर दिया गया है। 15 दिन में जो दोषी होंगे उसमें जिम्मेदारी फिक्स करके कार्यवाही करेंगे।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बजट न पारित होने की दशा में वेतन का भुगतान हुआ तो मैं यह जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी एक्ट के अनुसार सह बताने की कृपा करेंगे कि अगर बजट भी पारित न होता, वेतन जलकर और सफाई का कार्य नहीं रूकेगा, वहां दूसरी तरफ स्वायत्त शासी संस्थाएं चुने जाने के बाद उसे अवैध कराकर दे सकती है, तो किस आधार पर बैठक की कार्यवाही को प्रतिषेध किया?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, यह बैठक अध्यक्ष के द्वारा बुलायी गयी थी फिर उसको स्थगित कर दिया। स्थगित करने के बाद फिर उस दिन उपाध्याय ने बैठक करके बजट का प्रस्ताव पारित कर दिया। चूँकि उस बैठक को स्थगित कर दिया था अत: फिर पुन: 28 तारिख को बैठक हुई। यह शिकायत मण्डलायुक्त के पास माननीय सदस्यों द्वारा पहुँचाई गयी। तो इसमें मण्डलायुक्त को अधिकार है कि वह उस बैठक को प्रतिषेध कर सकता है। इसमें अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष द्वारा अलग-अलग बैठक की गयी थी। लेकिन बाद में उसने पुनर्विचार कर बजट विषयक प्रस्ताव के अग्रेतर निष्पादन की अनुमति प्रदान कर दी गयी।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मण्डलायुक्त ने उस पर पुन: विचार करके लागू कर दिया तो इसमें उनका दायित्व बनता है कि नहीं। जब वह चाहें जिस बैठक को प्रतिषेध कर दे और जब चाहे उसको लागू कर दे। तो क्या उस कमिश्नर के खिलाफ उत्तरदायित्व निर्धारित करेंगे या नहीं?

श्री अधिष्ठाता-

माननीय पाल जी, उत्तर आ गया है कि मण्डलायुक्त को एक्ट में अधिकार प्राप्त है वह नगर पालिका या नगर परिषद् के किसी भी प्रस्ताव को, किसी बैठक को ब्लाक कर सकता है और उस पर पुनर्विचार कर सकता है। जब माननीय अध्यक्ष द्वारा दोबारा मामला संदर्भित किया गया तो उसने पुनर्विचार कर अनुमति दे दी।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बरेली मण्डलायुक्त ने 12-8-99 को इसे प्रतिषेध कर दिया था और पुन: आदेश देकर प्रारम्भ किया। इस बीच जो नगरपालिका का खर्चा था, जिस प्रकार से आय-व्यय हुआ, आमदनी हुई वह दोनों अवैधानिक रुप से अमान्य हैं। यह स्वायत्तशासी संस्थाएं एक अधिनियम के तहत चलती हैं। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी चाहता हूँ कि किन नियमों के तहत बरेली मण्डल के आयुक्त ने प्रतिषेध किया और उसकी धारा को मैं जानना चाहता हूँ?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, जो लोकल बाडीज है वह 102 धारा के प्रबंधों के अधीन रहती हैं। मान्यवर, जब मण्डलायुक्त के पाय दो प्रकार की शिकायत गयी तो उन्हें अधिकार था कि इन्हें देख लें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, अधिनियमों के अन्तर्गत चाहे नगरपालिका हो या नगर परिषद् उनके लिये प्राधिकारी नियुक्त हैं वह नियमों से बंधे हैं। तो किन नियमों के अन्तर्गत प्रतिषेध किया और फिर दोबारा लागू कर दिया?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, 102 का उल्लेख किया गया है। माननीय डंग साहब ने स्पष्ट प्रश्न किया है कि मण्डलायुक्त ने किस धारा के अन्तर्गत प्रतिषेध किया और किस के धारा के अन्तर्गत दोबारा लागू कर दिया।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, मण्डलायुक्त, बरेली ने नगरपालिका अधिनियम, 1916 की धारा 34 [1] में निर्दिष्ट विहित अधिकारों का प्रयोग करते हुए, विहित प्राधिकारी की हैसियत से कार्यवाही की।

डा0 सुरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, जो यह अपराध किया गया है, उसमें कार्यवाही क्यों नही की गयी अगर कार्यवाही की गयी तो वापस कैसे ली गयी?

श्री अधिष्ठाता-

आप वे सेक्शन, सब-सेक्शन बता दे जिसके तहत बोर्ड के किसी प्रस्ताव को पुन: संदर्भित कर सकते है या प्रस्ताव की वैधता की जांच कर सकते है।

श्री सतीश महाना

मान्यवर, धारा 34 में निर्दिष्ट शक्तियों का प्रयोग विहित प्राधिकारी की हैसियत से किया। मान्यवर, यह पूरा विवरण धारा मेरे पास इस समय नही है। मैं बाद में बता दूँगा।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, बिना किसी अधिसूचना जारी किये सरकार ने जो चुनाव हो रहे थे उस चुनाव को रोक दिया है इससे चुनाव आयुक्त ने डी0एम0 बदांयू का जवाब-तलब किया कि आपने यह अवैधानिक कार्य कैसे कर दिया? इसमें एक साल में कितनी बैठकें हुई, यह भी कृपया बताने का कष्ट करें।

श्री सतीश महाना-

मान्यवर, इसमें सूचना की आवश्यकता होगी, कितनी बैठकें हुई यह बता दिया जायेगा।

श्री अधिष्ठाता-

वर्ष भर में कितनी बैठकें हुई यह अलग प्रश्न है।

श्री भोला शंकर मौर्य-

मान्यवर, 1999-2000 मे बिना अनुमति के कितना धन नगरपालिका ने खर्च किया, बगैर बजट पास कराये हुए।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो अलग का प्रश्न है।

श्री बी0आर0 वर्मा-

मान्यवर, मूल प्रश्न देख लें।

श्री अधिष्ठाता-

मान्यवर, अनुबंध हुआ, 18-2-2000 को और बजट पास हुआ 24-4-99 को, इस प्रकार 24-4-99 से 18-2-99 के बीच में पैसे कैसे खर्च किया गया, वह जानने का अधिकार तो है?

श्री सतीश महाना-

मान्यवर,वेतन केवल उसमें से दिया गया इसके अलावा और कुछ नही किया गया।

प्रदेश में विद्युत संकट दूर करने के लिए सरकार की कार्य योजना

डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेयी-

'2-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान विद्युत संकट दूर करने के लिये सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो क्यों?

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

राज्य सरकार द्वारा राज्य सेक्टर, संयुक्त क्षेत्र एवं निजी क्षेत्र में विद्युत उत्पादन की नई परियोजना में लगवा कर विद्युत उत्पादन क्षमता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। इस संबंध में माह फरवरी, 2000 में राज्य सरकार द्वारा केन्द्र सरकार के साथ मेमोरेंडम आफ अण्डरस्टैंडिंग पर हस्ताक्षर भी किए गए है।

डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी जानना चाहता हूं, मेरा यह प्रश्न था कि क्या माननीय ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्तमान विद्युत संकट दूर करने के लिए सरकार कोई कार्य योजना बना रही है? यदि हां, तो क्या और नही तो क्यों? मान्यवर, मैं जानना चाहता हूं कि वर्तमान

में उत्तर प्रदेश में बिजली की आवश्यकता कितनी है, बिजली का उत्पादन कितना है और एन0 टी0 पी0 सी0 से खरीद कितनी है और बिजली की कमी कितनी है तथा एम0 ओ0 यू0 कितने का हस्ताक्षर किया गया उसमें काम कब तक शुरु हो जायेगा और उत्पादन कब तक शुरु हो जायेगा तथा उस समय बिजली की आवश्यकता कितनी होगी?

नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, हमारी इन्स्टाल्ड कैपेसिटी 5414 मेगावाट है और जनरेशन थर्मल हाइड्रो का, थर्मल 2500 मेगावाट और हाइड्रो 750 मेगावाट, 1700 मेगावाट खरीद रहे हैं, 6000 मेगावाट कंजम्पशन है, 5000 मेगावाट उत्पादन और इम्पोर्ट कर ले रहे हैं। जहां तक माननीय वाजपेई जी का दूसरा प्रश्न है उसमें भारत सरकार का जो दूसरा एम0 ओ0 यू0 साइन किया गया। मान्यवर, ओबरा, पनकी, हरदुआगंज, परीक्षा और आनपारा "ए" के लिए उनसे अनुबन्ध किया गया उसके नवीनीकरण के लिए 2000 करोड़ रूपये और इसी तरह से हाइड्रो के नवीनीकरण के लिए 300 करोड़ रूपये देने का प्रस्ताव है, ट्रांसमीशन के लिए 700 करोड़ रूपये मीटरिंग एण्ड सिस्टम अपग्रेडिंग के लिए 650 करोड़ रूपये रखा गया है। इसके अलावा ज्वाइन्ट वेन्चर में मनेरीभाली और लखवाड़ व्यासी 2 हाइड्रो परियोजनाएं है जिसको धनाभाव के कारण नही पूरा कर पा रहे है। मैंने टिहरी हाइड्रो कारपोरेशन के साथ ज्वाइन्ट वेन्चर पर साइन किया है साथ आनपारा "सी" में लगाने की बात है जिस पर 3500 करोड़ रुपये लगायेंगे। आर0 ई0 सी0 लोन बन्द कर दिया था जिसे रि-शिड्यूल किया गया भारत सरकार इस बात पर राजी हुई थी और यह तय हुआ कि अगर हम पैसा देंगे तो एडीशनल पावर उत्तर प्रदेश को देंगे।

डा0 लक्ष्मीकान्त वाजपेयी-

मान्यवर, मैंने जानकारी चाही थी कि जिसे एम0 ओ0 यू0 भारत सरकार के पास साइन हुए हैं, उनसे कितनी अतिरिक्त ऊर्जा प्राप्त होगी और जितना शार्टफाल है और जब यह ऊर्जा प्राप्त होने की संभावना है, तब तक कितनी अतिरिक्त मांग बिजली की बढ़ जायेगी?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, प्रतिवर्ष 12 से 15 प्रतिशत हमारी मांग बढ़ती है क्योंकि पिछले 6-7 साल से कोई नया पावर स्टेशन नहीं लगा है, इसलिए हम उसी लेबिल पर रह जाते हैं, यद्यपि इस समय हमारा पी0 एल0 एफ0 50 प्रतिशत पर चल गया है। भारत सरकार से जो मेमोरेन्डम साइन हुआ है, उसके अनुसार यदि ओबरा का रिनोवेशन हो जाय तो 700 मेगावाट अतिरिक्त बिजली मिलेगी क्योंकि अकेले ओबरा की 1500 मेगावाट की क्षमता है, परन्तु इस समय उत्पादन क्षमता से बहुत कम है। इसी प्रकार पनकी, हरदुआगंज, आनपारा ए, पारीक्षा आदि का रिनोवेशन हो सका तो और बिजली मिलेगी, इसके अलावा जो अन्य कार्य हम करेंगे, वह अतिरिक्त बिजली होगी।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय मंत्री जी ने संयुक्त क्षेत्र या राज्य सेक्टर की जो परियोजनाएं हैं, उनके सम्बन्ध में उत्तर दिया है, अपने उत्तर में यह भी कहा है कि विद्युत उत्पादन की जो नई परियोजनाएं हैं, वह राज्य सेक्टर, निजी क्षेत्र में भी लगाकर विद्युत उत्पादन बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। निजी क्षेत्र में तत्कालीन मुख्य मंत्री माननीय मुलायम सिंह यादव के जमाने में 7 इन्टर प्रेन्योर्स को 100-100 मेगावाट की योजनाओं के लाइसेंस दिये गये थे, उसकी अद्यतन स्थिति क्या है और वर्तमान समय में निजी क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में विद्युत उत्पादन की परियोजनाएं लगाने की दिशा में कौन-कौन सी परियोजनाएं प्रस्तावित हैं और इन परियोजनाओं को कब तक प्रारम्भ करने की समय सीमा निर्धारित की गयी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जहां तक पहला प्रश्न है, उसके सम्बन्ध में बताना चाहूँगा कि इसमें साहिबाबाद, रुड़की, लखनऊ, वाराणसी, गजरौला, चन्दौसी और कोसीकलां के एम0 ओ0 यू0 साइन किये गये थे। लेकिन पी0पी0ए0 साइन नहीं हुए थे क्योंकि तरल पदार्थों की कीमत बढ़ जाने के कारण विद्युत दर बहुत ज्यादा बैठ गयी। अभी इस सम्बन्ध में वार्ता चल रही है लेकिन पी0पी0ए0 साइन नहीं हुए हैं। इस समय रोजा तापीय शाहजहाँपुर, श्रीनगर (गढ़वाल) और विष्णु प्रयाग, चमोली फाइनल स्टेज पर आ गये हैं, जिन पर अन्तिम चरण का प्रयास हो रहा है और इस वर्ष में यह योजना लागू हो जायेगी।

श्री लालजी वर्मा-

मैं जानना चाहता हूँ निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाएं लगाने के लिए कोई अनुबन्ध हुआ है या कोई समझौता हुआ है, यदि हुआ है तो इन परियोजनाओं को लगाने की अनुमति प्रदान की गई है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

लगता है, माननीय वर्मा जी ने सुना नहीं है, यह थर्मल पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। हमने सबके बारे में बता दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

आप उत्तर दे चुके हैं, सम्पूर्ण विवरण के साथ।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं जानना चाहता हूँ कि निजी क्षेत्र में जल विद्युत परियोजनाओं के सम्बन्ध में कुछ निजी संस्थाओं द्वारा कोई समझौता हुआ है, यदि हुआ है तो उन परियोजनाओं को लगाने की अनुमति क्यों नहीं दी गई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्रीमन् हमने तो यह नहीं कहा कि अनुमति नहीं दी गई। जिनमें एम0 ओ0 यू0 साइन हुआ है, वह लगायें, हमारी तरफ से तो मना नहीं है। यदि हमने किसी को मना किया हो तो स्पेसिफक बता दें तो आसानी होगी।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं माननीय ऊर्जा मंत्री से जानना चाहता हूँ कि आनपारा-सी के लिए 3500 करोड़ रुपये मांगा है, यह कहां से मांगा है और कब तक मिलने की आशा है और इसको पूरा होने का लक्ष्य कब तक बनाया है और टिहरी परियोजना यदि पूरी बन जाये तो लगभग 400 मेगावाट बिजली पहले फेज में और दूसरे फेज में लगभग 2200-2400 मेगावाट बिजली मिलेगी और जो हमें तमाम कटौती करनी पड़ती है तो उसकी कमी पूरी हो जायेगी। कब तक इसे पूरा कर लेंगे? कहां से धन मिलेगा? भारत सरकार टिहरी के लिए जो धन दे रही है वह इतना कम मिल रहा है कि 15 साल से परियोजना चल रही है और अभी 15 साल लगेंगे। माननीय मंत्री जी बता दें।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पहला प्रश्न आनपारा-सी के बारे में पूछा गया है और इसके लिए जो धन लेने की बात है, इसको उत्पादन निगम से लेने की बात है। वे कहाँ से लायेंगे, वह जानें। एम0 ओ0 यू0 पिछले इसी 25 तारीख को हस्ताक्षर हुए हैं। जहाँ तक कुँवर साहब ने प्रश्न किया है टिहरी परियोजना के बारे में, मैं बताना चाहता हूँ, पहले फेज में एक हजार मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है और इसको 2002 तक पूरा करने की बात है, इनमें कुछ विस्थापितों को हटाने की बात है। धन की कोई कमी नहीं है।

कुँवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, प्रथम फेज कब तक चालू हो जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल

मान्यवर, 2002 तक पहला फेज चालू हो जायेगा।

श्री लक्ष्मी कान्त वाजपेयी-

मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि आज प्रदेश में उत्तरांचल में 41.89 प्रतिशत परिवारों में बिजली के कनेक्शन हैं, मध्य उत्तर प्रदेश मे 19.95 प्रतिशत परिवारों में बिजली के केनेक्शन हैं, पूर्वी उत्तर प्रदेश में 17.04 प्रतिशत परिवारों में विद्युत कनेक्शन हैं, अर्थात् उत्तर प्रदेश मे 24.46 प्रतिशत परिवारों में बिजली के कनेक्शन हैं। अब कितनी मांग बढ़ने का अनुमान है, बता दें?

श्री अधिष्ठाता-

यह मूल प्रश्न से सीधा जुड़ा हुआ नहीं है।

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धारित रोस्टरिंग के आधार पर विद्युत आपूर्ति करने का पूर्ण प्रयास

श्री जगदम्बिका पाल-

'3-क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के लिये राज्य विद्युत परिषद् द्वारा रोस्टरिंग निर्धारित है? यदि हां,तो क्या उसके अनुरूप विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों मे प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति घंटों का लक्ष्य निर्धारित है और विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के आधार पर इन क्षेत्रों में यथासंभव निर्धारित विद्युत आपूर्ति करने के पूर्ण प्रयास किये जाते है तथा आवश्यकतानुसार आकस्मिक विद्युत कटौती पूरे ग्रिड प्रणाली को बचाने हेतु करनी पड़ती है।

निर्धारित घंटों के लक्ष्य के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के यथासम्भव प्रयास किये जाते है।

प्रश्न नही उठता।

श्री जगदम्बिका पाल-

श्रीमन्, जिस प्रश्न का उत्तर माननीय मंत्री जी ने दिया है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति के घण्टों का लक्ष्य निर्धारित है। श्रीमन्, आप निर्देश दें कि यह उत्तर संलग्नक के साथ आना चाहिए संलग्नक के बिना उसकी जानकारी नही हो सकती। 84 जनपदों के प्रश्न पूछने की आप अनुमति नही देंगे। इस पर व्यवस्था देने की कृपा को और दूसरा माननीय मंत्री जी का जवाब है कि निर्धारित घंटों के लक्ष्य के अनुरूप विद्युत आपूर्ति करने के यथासंभव प्रयास किया जा रहे है और आवश्यकतानुसार आकस्मिक विद्युत कटौती पूरे ग्रिड प्रणाली को बचाने हेतु करनी पड़ती है। मान्यवर, इस समय पूरे प्रदेश में बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है और पूरे प्रदेश में छात्र-छात्राओं को बिजली की आवश्यकता है और प्रदेश में रबी की कटाई के लिए, गेहूं की मंड़ाई के लिए बिजली की आपश्यकता है और इसी सदन में ऊर्जा मंत्री ने घोषणा की है कि जिस समय मंड़ाई हेतु बिजली की आवश्यकता होती है तो उद्योगों से बिजली की कटौती करके आपूर्ति करते है। हम जानना चाहते हैं कि प्रदेश के किसानो के लिए, मंड़ाई के सीजन को देखते हुए परीक्षाओं को देखते हुए रात में ग्रामीण क्षेत्रों में शाम 6.00 बजे से सुबह 6.00 बजे तक विद्युत करने के निर्देश देंगे।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

हमारा रोस्टिंग का कोई शेडयूल नही होता है। गांवों में हमारा देने का शेडयूल है वह 10 घंटे का है और केवल टाउन्स का 24 घंटे का है लेकिन जितनी बिजली उपलब्ध होती है उसके अनुसार बिजली देते हैं। माननीय पाल जी ने ग्रामीण अंचलों के बारे में कहा है तो वहां पर प्रातः 8 बजे तक और रात 10 बजे से प्रातः 8 बजे तक के हिसाब से हम बिजली दे रहे हैं।

श्री नरेन्द्र सिंह-

ग्रामीण क्षेत्रों में किसान और विद्युत परिषद् के बीच एग्रीमेन्ट 24 घंटे के लिये है या 10 घंटे के लिये है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय पाल जी ने विद्युत आपूर्ति का जो प्रश्न उठाया है तो मेरी निजी जानकारी है कि आज न तो शहरों को बिजली मिल रही है और न गांवों को मिल रही है। शहरों में इंजीनियरों से पूछते हैं तो कहते हैं कि गांव को दे रहे हैं और गांव के लोग पूछते हैं तो कहा जाता है कि बिजली शहरों को दी जा रही है। गांव में 10 घंटे बिजली देने की बात सत्य से परे है और वहां पर 3-4 दिन बिजली नहीं दी जाती है।

श्री अधिष्ठाता-

आप भाषण न दें, प्रश्न पूछिये।

श्री अवधेश प्रसाद-

ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली नहीं आ रही है जिसका नतीजा है कि हाईस्कूल और इंटरमीडिएट छात्रों को परीक्षा की तैयारी के लिए बिजली नहीं मिल पा रही है और उनके भविष्य का सवाल पैदा हो गया है। तो मेरा निवेदन है कि पीठ से स्पष्ट निर्देश दिया जाय कि ब्लाक स्तर और मण्डल स्तर और जिला मुख्यालय स्तर पर रोस्टरिंग की सूची रहनी चाहिए। यह सरकार लोगों को ठगने का काम कर रही है।

(उत्तर के लिये माननीय मंत्री जी को पुकारा नहीं गया।)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, बिजली की समस्या जनजीवन से जुड़ी है। मैं अपने क्षेत्र के सम्बन्ध में कहना चाहता हूँ कि हमारे सुल्तानगंज में एक महीने से विद्युत आपूर्ति नहीं हो रही है। माननीय मंत्री जी क्या इसकी जांच करायेंगे कि आपूर्ति क्यों नहीं हो रही है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय सदस्य ने आज सूचना दी है, हम निश्चित रूप से जांच करा लेंगे। माननीय शाक्य जी अगर हमारे साथ चलें तो मैं पूछकर बता दूँगा और जो बिजली की कमी है उसे निश्चित रूप से उसको पूरा करा दूँगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया है कि प्रदेश के शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रतिदिन विद्युत आपूर्ति के घंटों का लक्ष्य निर्धारित है और विद्युत की मांग एवं उपलब्धता के आधार इन क्षेत्रों में यथासम्भव निर्धारित विद्युत आपूर्ति करने के पूर्ण प्रयास किये जाते हैं। तो जानना चाहता हूँ कि माननीय मंत्री जी ने विद्युत उपलब्धता के बारे में संलग्नक देने की जरुरत नहीं समझी। शहरी क्षेत्रों में ए, बी, सी, डी, श्रेणियां बनायी गयी हैं। इन श्रेणियों के हिसाब से कितनी बिजली देने की व्यवस्था की गयी है?

मान्यवर, मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि जिन ग्रामीण क्षेत्रों में 10 घंटे बिजली की आपूर्ति नहीं हो रही है क्या वहां पर जो लोगों से पैसा लिया जा रहा है उसे क्या कम करने पर विचार करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, पहले प्रश्न के उत्तर मे बताना चाहता हूँ कि कुछ मानक निर्धारित हैं जैसे-टाउन, कबाल टाउन, डिविजनल, हेड क्वाटर, तहसील आदि के हिसाब से श्रेणी बनायी गयी है जिसमें यदि फ्रीक्वेंसी ला होती है तो नीचे से कटौती शुरु करते हैं और जितने घंटे बिजली नहीं देंगे तो सब्सिडी रेट पर हम गॉवो में बिजली दे रहे हैं।

श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

मान्यवर, मैं सदन को बताना चाहता हूँ कि उत्तरांचल क्षेत्र के लिए शासनादेश है कि बिजली में कटौती नहीं होगी लेकिन फिर भी वहॉ 6-11 बजे तक बिजली की कटौती हो रही है। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि शासनादेश के बावजूद भी जो कटौती होती है तो उसे आप कैसे रोकेंगे? क्या मंत्री जी निर्देश देंगे कि जो बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं तो 6-11 बजे तक बिजली आपूर्ति निश्चित रुप से देंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, उत्तरांचल की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए उसे विद्युत कटौती से मुक्त रखाथा लेकिन वहॉ के प्रतिनिधियों से बात हुई तो दिन में दो घंटे कटौती की जा रही है और इस प्रकार वहॉ 22 घंटे बिजली की आपूर्ति हम कर रहे हैं।

प्रयास करेंगे कि वहॉ कटौती न की जाय।

श्री अब्दुल कलाम-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बताया है कि गॉवों में हम 10 घंटे बिजली आपूर्ति करेंगे। इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बुनकरों की रोजी-रोटी बिजली है इसलिए उनके लिए क्या सही बिजली की व्यवस्था करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, यह मूल प्रश्न तो किसानों से सम्बन्धित है। लेकिन बुनकरों के लिए जो टाउन लेबल पर रहते हैं उनको बिजली दी जा रही है ऐसा नहीं है कि उनके साथ कोई अलग बर्ताव हम कर रहे हैं।

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री राम तेज एडवोकेट-

मान्यवर मुझे प्रश्न पूछ लेने दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग शांत रहें। आप नियमों में लिखकर भेज दें तो मैं उसका परीक्षण करा लूँगा। इसलिए आप लोग बैठ जांय।

(घोर व्यवधान के मध्य)

श्री राम तेज जी आपसे अनुरोध कर रहा हूँ कि आप सुसंगत नियमों में लिखकर दे दें हम चर्चा करा लेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं काफी देर से आपकी अनुज्ञा चाहता हूँ। थोड़ा समय हमें भी दे दें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, कृपया हमारी बात तो सुन लीजिए।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

इतनी देर में तो पॉच प्रश्न हो जाते और मंत्री जी उत्तर भी आ जाता। आप जिद खा गये हैं। हमारे क्षेत्र में कटिया कनेक्शन लगा हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया आप लोग शांत हो जांय, अपना स्थान ग्रहण करें। इस प्रश्न पर लगभग आधा घंटा चर्चा हो चुकी है। दूसरे भी प्रश्न हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

आप सबको समय देंगे हमको नहीं।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी कृपया बैठ जांय।

श्री लाल जी वर्मा-

मैं नहीं बैठूँगा।

(घोर व्यवधान जारी)

श्री राम विशुन आजाद-

गाँवों में बिजली नहीं आ रही है।

श्री अधिष्ठाता-

श्री राम तेज जी, श्री वर्मा जी, श्री रामजग जी, यह प्रश्न डा0 लक्ष्मी कान्त वाजपेयी और श्री जगदम्बिका पाल जी का प्रश्न है। हम मानते हैं कि यह प्रश्न अत्यन्त महत्वपूर्ण है। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। आप सभी सदस्य सुसंगत नियमों में लिख कर दें हम इस विषय पर अलग से चर्चा करा देंगे।

(बहुजन समाज पार्टी के सदस्यों तथा श्री राम जग के एक साथ खड़े होकर बोलने पर घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अधिष्ठाता-

आप गलत परम्परा डालने की कोशिश न करें। प्रश्नकाल में बड़े दल तथा उसके नेता जैसी कोई बात नहीं है। प्रश्नकाल में प्रत्येक माननीय सदस्य का अधिकार है। जबरदस्ती करके प्रश्न पूछेंगे, इसके लिए मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। जो कुछ कहा जा रहा है, वह लिखा नहीं जायेगा।

श्री लाल जी वर्मा-

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

श्री वर्मा जी, गलत परम्परा न कायम करें। दल के आधार पर प्रश्न काल का समय निर्धारित नहीं किया गया है। मैं गलत परम्परा की अनुमति नहीं दूँगा।

श्री लाल जी वर्मा

[x x x]

श्री अधिष्ठाता-

आप पीठ पर दबाव नहीं डाल सकते। मैं दबाव की अनुमति नहीं दे पाऊँगा। मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूँ। माननीय श्री वर्मा जी तथा श्री मौर्या जी, मैंने सिर्फ इतना ही अनुरोध किया कि प्रश्न महत्वपूर्ण है और प्रश्नकाल को, दल की सदस्य संख्या के आधार पर, उसकी समय सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती है।

श्री लाल जी वर्मा-

यह संसदीय परंपरा है।

नोट:- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं, प्रश्नकाल में ऐसी कोई परम्परा नहीं है। आप सुन लें। लेकिन यह दृष्टांत नहीं बनेगा मैं स्पष्ट कर रहा हूं कि यह कोई दृष्टांत नहीं बनेगा कि दल की संख्या के आधार पर कोई प्रश्नकाल में समय आवंटन किया जायेगा। क्योंकि यह प्रश्न महत्वपूर्ण है और व्यापक भी है श्री स्वामी प्रसाद मौर्य जी काफी देर से अनुरोध कर रहे थे, प्रश्न पूछना चाहते थे इसलिए मेरा उनसे अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं और दूसरे माननीय सदस्यों के भी प्रश्न हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपकी आज्ञा से माननीय ऊर्जा मंत्री से एक बहुत छोटा प्रश्न पूछना चाहता हूं कि क्या माननीय ऊर्जा मंत्री बताने का कष्ट करेंगे कि शहरी क्षेत्र में कितनी मेगावाट और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मेगावाट विद्युत की आपूर्ति की जाती है? दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं कि कृषि की प्रधानता को देखते हुए कि उत्तर प्रदेश में इस समय रबि की फसल की मड़ाई चल रही है और बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं इसको ध्यान में रखते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में और अधिक विद्युत की आपूर्ति करने का कष्ट करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जहां तक इन्होंने पूछा है कि शहरी क्षेत्र में कितनी और ग्रामीण क्षेत्र में कितनी मेगावाट विद्युत की आपूर्ति कर रहे हैं वह तो सम्भव नहीं है। दूसरे प्रश्न पर हम विचार कर रहे हैं। पिछले दिन जब सदन में चर्चा हो रही थी तो मैंने कहा था कि शासन इस पर विचार कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में मड़ाई के कार्य को देखते हुए ज्यादा विद्युत देने पर विचार कर रहे हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, वर्तमान में रबी की मड़ाई का कार्य चल रहा है और बोर्ड की परीक्षाएं भी चल रही हैं लेकिन यह विद्युत की आपूर्ति सही तरीके से नहीं कर रहे हैं इससे लगता है कि यह सरकार किसान विरोधी और छात्र विरोधी है। हम इसका विरोध करते हैं और इसके विरोध में मैं और मेरे दल के सदस्य सदन का बहिष्कार करते हैं।

(विरोध स्वरूप श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया।)

श्री राम जग-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय ऊर्जा मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि पूरे प्रदेश में क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता का मूल उत्पादन खेती है। आज रबी की फसल की मड़ाई चल रही है.....

श्री अधिष्ठाता-

आप भाषण न करें। संक्षेप में अपना प्रश्न पूछें।

श्री रामजग-

मान्यवर, मड़ाई का कार्य चल रहा है। यह वी0 आई0 पी0 एरिया में 24 घंटे बिजली दे रहे हैं लेकिन जो प्रदेश का मुख्य उत्पादन है खेती, उसके लिये सिंचाई,मड़ाई आदि के कार्य लिये विद्युत आपूर्ति नहीं कर रहे हैं। आज विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं बोर्ड की परीक्षाएं चल रही है। किसानों को मड़ाई के लिये बिजली की आवश्यकता है। दूसरा प्रश्न...

श्री अधिष्ठाता-

आपका प्रश्न आ गया।

श्री रामजग-

हरदोई जिले में 24 घंटे बिजली आ रही है और प्रदेश के दूसरे अंचलों में 10 घंटे भी विद्युत नहीं करा रहे है। ऐसा भेद भाव क्यों किया जा रहा है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

बंगाल में जितनी बिजली दी जाती है उससे ज्यादा यहाँ उत्तर प्रदेश में किसानों को बिजली दे रहे हैं और देते रहेंगे। दूसरा ऐसा नहीं है कि एक क्षेत्र को ज्यादा और दूसरे को कम। हम कोई ऐसा अन्तर नहीं रखते हैं।

(नत्थी (ग) का प्रश्न सं0-1 पुकारे जाने पर)

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

श्री राम जग-

मान्यवर, यह सरकार किसान विरोधी है, छात्र विरोधी है। मैं और मेरे यहां के सदस्य इसके विरोध में सदन का बाहेष्कार करते हैं।

(श्री राम जग ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

राम विशुन आजाद-

मान्यवर, आज प्रदेश में विद्युत व्यवस्था चरमरा गई है.....

श्री अधिष्ठाता

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूँ। आप कृपया बैठ जायं।

राम विशुन आजाद-

मान्यवर, हरदोई जनपद में और मंत्रियों के जनपदों में जो वी0 आई0 पी0 क्षेत्र हैं वहाँ 24 घंटे विद्युत की आपूर्ति हो रही है लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में जहां आवश्यकता है उसकी आपूर्ति नहीं हो पा रही है।

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बैठ जायं मैंने आपको अनुमति नहीं दी है। मैंने अगला प्रश्न पुकार लिया है।

(व्यवधान)

राम विशुन आजाद-

ग्रामीण अंचलों में बिजली नहीं मिल रही है छात्रों के एग्जाम चल रहे है। इस तरह नहीं चलेगा।

(श्री रामविशुन आजाद, श्री वसीम अहमद एवं श्री अब्दुल कलाम सदन के फ्लोर पर आ जाने पर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री अधिष्ठाता-

कृपया अपना स्थान ग्रहण करें।

श्री रामविशुन आजाद (फ्लोर से)

जब तक ऊर्जा मंत्री घोषणा नहीं करते है तब तक नहीं जायेंगे। किसान हम लोगों का घराव कर रहे है बिजली नहीं मिल रही है।

(घोर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता

मैं सदन की कार्यवाही 10 मिनट के लिए स्थगित करता हूं।

12 बजकर 14 मिनट पर अधिष्ठाता ने सदन की कार्यवाही 12 बजकर 24 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी

नत्थी ख के प्रश्न सं0 3 के उपरान्त प्रश्नोत्तर काल नहीं हुआ।

तारांकित प्रश्न

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों एवं नगरी क्षेत्रों में हैण्ड पम्पों के अधिष्ठापन हेतु शासन की नीति

*1-श्री राजेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया **बतायेंगे कि प्रदेश में हैण्ड** पम्पों के अधिष्ठापन हेतु स्थल चयन के संबंध में शासन की वर्तमान नीति क्या **है? क्या वर्तमान नीति** शहरी लोगों पर लागू है? यदि नही, तो क्यो? क्या उक्त नीति के अन्तर्गत प्रतापगढ़ के शहरी क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 के अनुसार व्यवस्था लागू की गयी है? यदि नही, तो क्यों?

आवास एवं नगर विकास मंत्री (श्री लाल जी टण्डन)-

प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के हैण्डपम्पों के स्थल चयन हेतु पूर्ण ग्राम पंचायतों के स्तर पर गठित जल प्रबन्धन समिति को शासनादेश सं0-3211/38-5-99656-98, दिनांक 6-8-99 द्वारा दिया गया है।

2-शासनादेश सं0 1772/5-9-98, दिनांक 19-6-98 द्वारा नगरीय क्षेत्रों में हैण्डपम्पों के स्थल चयन हेतु यह व्यवस्था की गयी है कि ऐसे नगर निगमों जहां जल संस्थान नही है वहां नगर प्रमुख तथा नगर पालिका परिषद नगर पंचायत के संबंध में अध्यक्ष नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत द्वारा स्थल का चयन कर सूची जिलाधिकरी को उपलब्ध करायी जायेगी।

जी हां।

उपरोक्त पैरा-2 के अनुसार

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

*2-श्री राजधारी-

[मंत्रि परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया।]

प्रदेश में विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु प्रस्तावित योजनाओं का विवरण

*3-डा0 सरजीत सिंह डंग-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे विद्युत उत्पादन बढ़ाने हेतु पिछले एक वर्ष में कोई परियोजनायें स्थापित की गयी है? यदि हां, तो कौन कौन? यदि नहीं, तो क्या सरकार विद्युत उत्पादन हेतु कोई योजना बनाने पर विचार कर रही है? यदि नही,तो क्यों?

श्री नरेश अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। विद्युत उत्पादन हेतु प्रस्तावित योजनायें निम्नवत है:-

संख्या	परियोजना का नाम	क्षमता (मे0 वा0)
	राज्य क्षेत्र/संयुक्त क्षेत्र	
	1-मनेरी भाली चरण-द्वितीय	304
	2-लखवार व्यासी	420
	3-टेहरी-1	1000
	4-राजघाट	45
	5-कोटेश्वर	400
	6-टेहरी स्टेज-2	1000
	7-अलकनन्दा "ब"	1000

निजी क्षेत्र

1-श्रीनगर	330
2-विष्णु प्रयाग	400
3-राजा	567
4-जवाहरपुर	800
5-परतवपुर	2000
6-नेप्था पर आधारित कोसी कला परियोजना	355
7-तरल ईंधन पर आधारित सात विभिन्न स्थानों पर	700
8-लघु जल विद्युत परियोजनाएं इक्तीस विभिन्न स्थानों पर	163.50
9-को-जैनरेशन/कैप्टिव आदि परियोजनाएं नौ विभिन्न स्थानों पर	44.33

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् द्वारा विधान मण्डल सदस्यों के निर्मित आवास/ भूखण्ड उपलब्ध कराये जाने की योजना

*4-श्री राम औतार शाक्य-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि लखनऊ राजधानी मे माननीय सदस्य, विधान सभा को प्राथमिकता पर आवास/भूखण्ड आवंटित कराने की कोई कार्य योजना सरकार बना रही है? यदि हाँ, तो विवरण क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टंण्डन-

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद द्वारा सदस्य, विधान सभा एवं सदस्य विधान परिषद् के लिए लखनऊ में निर्मित आवास एवं भूखण्ड उपलब्ध कराने की योजना बनाई गयी है तथा पंजीकरण आमंत्रित किये गये हैं। प्रस्तावित आवास दो बेडरुम अथवा तीन बेडरुम के हैं तथा अनुमानित लागत क्रमश: रु0-6.35 लाख से रु0-7.50 लाख तथा रु0-6.85 से रु0-7.30 लाख है। 200 वर्ग मीटर से 288 वर्ग मीटर के अर्द्धविकसित भूखण्ड समिति के माध्यम से मा0 विधायकों को उपलब्ध कराये जायेंगे। जिनका मूल्य [अर्द्धविकसित] रु0-1250 प्रति वर्ग मीटर अनुमानित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद सन्त रविदास नगर क्षेत्र ज्ञानपुर के सभी ग्रामों में वर्तमान नियमों के अन्तर्गत विद्युत आपूर्ति

*5-श्री गोरखनाथ पाण्डेय-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जनपद संत रविदास नगर मे ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत आपूर्ति मानक के अनुसार की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र तथा जनपद के सभी ग्रामों को विद्युत आपूर्ति नियमित रूप से उपलब्ध करायेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

ज्ञानपुर विधान सभा क्षेत्र तथा जनपद संत रविदास नगर के सभी ग्रामीण क्षेत्रों की विद्युत आपूर्ति वर्तमान नियमों के अन्तर्गत की जा रही हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में बिजली आपूर्ति बढ़ाने के लिए बन्द पड़ी/निर्माणधीन नवीन योजना के कार्यान्वयन की जानकारी

*6. डा0 धर्मेश मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में बिजली की आपूर्ति बढ़ाने के लिए वर्षों से बन्द पड़ी कितनी निर्माणधीन परियोजनाओं पर कार्य प्रारम्भ किया गया है कितनी नवीन बड़ी योजनाओं की स्थापना का प्रस्ताव है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रदेश में निम्नलिखित वृहद जल परियोजनाओं का निर्माण कार्य वर्षों से धनाभाव के कारण बन्द पड़ा है जिसे प्रारम्भ किये जाने के प्रयास किये जा रहे हैं:-

राज्य क्षेत्र

(1) मनेरीभाली द्वितीय चरण

(2) लखवार व्यासी

निजी क्षेत्र

(1) विष्णु प्रयाग

(2) श्रीनगर

निम्नलिखित नवीन परियोजनायें स्थापित किये जाने का भी प्रस्ताव है:-

(1) भानपारा "सी" तापीय परियोजना

(2) टहरी स्टेज (1) जल विद्युत परियोजना

(3) टहरी स्टेज (2) जल विद्युत परियोजना

(4) कोटेश्वर जल विद्युत परियोजना

(5) रोजा तापीय विद्युत परियोजना

(6) जवाहरपुर तापीय विद्युत परियोजना

(7) नेपथा पर आधारित कोसीकला एवं

(8) तरल ईंधन पर आधारित 100 मेगावाट की सात परियोजनायें।

*7-श्री राम ललित चौधरी-

(5वें बुधवार के ता0 प्र0 सं0-5 के अन्तर्गत स्थानान्तरित।)

केन्द्र सरकार के श्रम विभाग के निर्देशों के अनुसार प्रदेश में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन देने की कार्यवाही

8-श्री संजय गर्ग-

क्या सरकार को जानकारी है कि केन्द्र सरकार के श्रम विभाग के निर्देशों के बावजूद प्रदेश में श्रमिकों को न्यूनतम वेतन नहीं दिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार श्रम कानूनों का उल्लंघन करने वालों को दण्डित करने एवं श्रमिकों का शोषण रोकने हेतु कोई योजना बना रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्रम मंत्री (श्री धर्मपाल सिंह)-

जी नहीं।

केन्द्र सरकार के सामान्य दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रदेश में कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

प्रश्न ही उत्पन्न नहीं होता।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

लखनऊ में गिर रहे भूगर्भ जल स्तर को रोकने एवं वर्तमान जल स्तर को बनाये रखने हेतु पेयजल की दीर्घकालिक योजना व रूपरेखा

*9-श्री गजेन्द्र कुमार मुन्ना-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजधानी लखनऊ में गिरते जा रहे भूगर्भ जल स्तर को रोकने एवं वर्तमान जल स्तर को बनाये रखने की दृष्टि से राजधानी के नागरिकों को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु क्या कोई कार्य योजना बनाई गई है? यदि हॉ, तो उसकी रूपरेखा क्या है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हॉ।

लखनऊ नगर की पेयजल समस्या के दीर्घ कालीन समाधान हेतु वर्ष 2003 की आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए एक प्री फिजिबिल्टी रिपोर्ट (अनुमानित लागत 396.00 करोड़ रु0 है) तैयार कराई गई है जिसकी रूपरेखा निम्न प्रकार है:-

(1) ऐशबाग जलकर का सुधार कार्य

(2) द्वितीय जलकल बालागंज का विस्तार

(3) तृतीय जलकल का निर्माण

(4) ट्रांस गोमती क्षेत्र के लिए चतुर्थ जलकल का निर्माण

(5) आलमबाग के लिए पंचम जलकल

(6) नलकूपों का निर्माण

(7) वितरण प्रणाली का पुनर्गठन

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के तापीय विद्युत उत्पादन ईकाइयों से रखरखाव की दृष्टि से कुछ समय के लिए बन्द किए जाने का प्राविधान तथा उनके उत्पादन का विवरण

*10-कुँवर रेवती रमण सिंह तथा श्री अम्बरीष कुमार-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या प्रदेश के तापीय विद्युत उत्पादन गृहों के रखरखाव हेतु उन्हें कुछ अवधि तक बन्द किया जाता है? यदि हॉ, तो कितनी अवधि तक? प्रदेश के कौन-कौन तापीय विद्युत उत्पादन गृह ऐसे हैं जो पिछले 3 वर्षों से रखरखाव हेतु बन्द नहीं किए गये? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि वह विद्युत गृह अधिष्ठापित क्षमता का कितने प्रतिशत बिजली का उत्पादन कर रहे हैं?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हॉ।

विद्युत उत्पादन ईकाइयों को निम्नवत बन्द किया जाता है:-

1- वर्ष में एक बार वार्षिक अनुरक्षण हेतु लगभग 30 से 60 दिन के लिए।

2- प्रत्येक तीन वर्ष बाद वृहद अनुरक्षण हेतु लगभग 45 से 75 दिनों के लिए।

ओबरा तापीय विद्युत गृह की 13वां इकाई को दिनांक 22 नवम्बर, 1996 के पश्चात् रख-रखाव हेतु बन्द नहीं किया गया।

चालू वर्ष में तापीय विद्युत गृह क्षमता का 49.69 प्रतिशत उत्पादन कर रहे हैं।

विद्युत गृहवार पी0 एल0 एफ0 का विवरण निम्न है:-

विद्युत गृह	पी0एल0एफ0 प्रतिशत वर्ष 1999-2000 का संचई 31-12-99 तक
ओबरा	37.02
हरदुआगंज	17.92
टाण्डा	22.02 (अब एन0टी0पी0सी0 को हस्तांतरित)
पनकी	40.03
पारीछा	32.12
तापीय योग	49. 69

प्रदेश के मध्यांचल विकास हेतु मध्यांचल विकास निधि की स्थापना की मांग

*11-डा0 कौशल किशोर-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पूर्वांचल विकास निधि, पश्चिमांचल विकास निधि व उत्तरांचल विकास निधि की भांति मध्यांचल क्षेत्र के विकास के लिए मध्यांचल विकास निधि की स्थापना की कोई योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो कब तक मध्यांचल विकास निधि की स्थापना कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

नियोजन राज्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

जी नहीं।

प्रदेश के मध्यांचल में कतिपय चयनित विकास कार्यो के लिए एक पैकेज शासन के विचाराधीन है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् पर एन0 टी0 पी0 सी0 का बकाया धनराशि एवं उसके भुगतान में टांडा तापीय परियोजना का हस्तान्तरण

*12-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या सरकार बताने की कृपा करेगी कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् पर एन0 टी0 पी0 सी0 का 31 अक्टूबर, 1999 तक कुल कितना ऋण बकाया है? क्या सरकार उक्त ऋण के भुगतान हेतु राज्य विद्युत परिषद् के कतिपय बिजली घर एन0 टी0 पी0 सी0 को बेचने पर विचार कर रही है? यदि हां, तो वह विद्युत गृह कौन-कौन है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् पर एन0 टी0 पी0 सी0 का कोई ऋण बकाया नहीं था अपितु आयातित विद्युत का भुगतान हेतु 1692.11 करोड़ रुपया का बकाया था। दि0 15-1-2000 को टाण्डा तापीय परियोजना एन0 टी0 पी0 सी0 को हस्तांतरित की गई। इस हस्तान्तरण से एन0 टी0 पी0 सी0 को लम्बित भुगतान में से 1050 करोड़ रु0 का समायोजन किया गया।

लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा विद्युत भार बढ़ाने का अभियान तथा विद्युत दरों की निर्गत सूची

*13-श्री अक्षयवर लाल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विद्युत प्रदेय उपक्रम द्वारा विद्युत भार बढ़ाने हेतु वर्तमान वर्ष 1999 में अभियान चलाकर कुछ उपभोक्ताओं के एक किलोवाट के कनेक्शन को बढ़ाकर दो किलोवाट किया गया है? क्या यह सही है कि उन उपभोक्ताओं में कतिपय उपभोक्ता ऐसे हैं जिसका विद्युत

व्यय भार दो किलोवाट से बहुत कम है और उनसे दो किलोवाट भार का निर्धारित विद्युत किराया लिया जा रहा है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उन उपभोक्ताओं द्वारा खर्च की गई बिजली का ही किराया वसूल किये जाने हेतु आदेश देगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

लेखा प्रबन्धक द्वारा अप्रैल 99 से अगस्त 99 तक विद्युत भार बढ़ाने का अभियान चलाया गया।

जी नहीं। भार बढ़ाने वाले सभी उपभोक्ताओं ने स्वैच्छिक से लिखित प्रार्थना पत्र देकर भार बढ़वाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपभोक्ताओं द्वारा उपभोग की गयी विद्युत बिल सम्बन्धित दर-सूची के प्राविधान के अनुसार निर्गत किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में लघु कृषकों को निजी नलकूप लगाने हेतु मोटर लगाने की अनुमति

*14-डा0 पूर्णमासी पंकज-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि प्रदेश में लघु कृषकों को निजी नलकूप लगाने हेतु कनेक्शन लेने में 3 हार्सपावर मोटर लगाने की अनुमति नहीं दी जा रही है जिससे लघु कृषकों का सिंचाई कार्य बाधित हो रहा है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त प्रतिबन्ध को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

कोई प्रतिबन्ध नहीं है।

प्रदेश में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं ट्राइवल प्लान हेतु वार्षिक योजना में प्रतिशत का निर्धारण तथा उसके परिव्यय का प्राविधान

*15-श्री बी0 आर0 वर्मा-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष योजना 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान एवं सब ट्राइवल प्लान हेतु कुल वार्षिक योजना का कितने प्रतिशत धन निर्धारित किया गया था और कितने प्रतिशत धन उक्त प्लान हेतु खर्च किया गया? उपरोक्त योजनाओं हेतु वार्षिक योजना का कितने प्रतिशत धन निर्धारित करने हेतु शासन ने निर्णय लिया है? क्या उक्त निर्णय का अनुपालन उपरोक्त वर्षों में किया गया? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

वित्तीय वर्ष 1997-98, 1998-99 एवं 1999-2000 में स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ट्राइवल सब प्लान हेतु कुल वार्षिक योजना परिव्यय का क्रमशः 20.7, 21.5 एवं 21.4 प्रतिशत परिव्यय निर्धारित किया गया। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान/ ट्राइवल सब प्लान में वित्तीय वर्ष 1997-98 एवं 1998-99 में कुल योजना व्यय का क्रमशः 19.7 एवं 21.4 प्रतिशत व्यय अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 1999-2000 में व्यय की स्थिति कुछ समय के बाद स्पस्ट होगी।

कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुपात में इन उप योजनाओं हेतु कुल आयोजनागत परिव्यय को निर्धारित किये जाने का प्राविधान है।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के शिक्षित बेरोजगारों की संख्या एवं बेरोजगारी समाप्त करने की विशेष कार्य योजना

*16-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने शिक्षित बेरोजगार पंजीकृत हैं ? उनमें अनुसूचित जाति एवं जनजाति के बेरोजगार की संख्या क्या है? क्या सरकार बेरोजगारी दूर करने के लिए कोई विशेष कार्य योजना बना रही है? यदि हाँ, तो क्या? यदि नहीं, तो क्यों?

अम्बेडकर ग्राम विकास एवं सेवायोजन मंत्री (श्री राधे श्याम कोरी)-

प्रदेश के सेवायोजन कार्यालयों की सक्रिय पंजिका पर दिनांक 31-12-99 तक कुल 19,12,267 शिक्षित बेरोजगार पंजिकृत थे जिनमें अनुसूचित बेरोजगारों की संख्या 3,41,804 तथा जनजाति के बेरोजगारों की कुल संख्या 8,107 थी।

श्रम विभाग द्वारा बेरोजगारी दूर करने के लिए अपनी कोई योजना नहीं चलायी जाती है अपितु प्रदेश के ग्रामीण बेरोजगारों को रोजगार देने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 1998/99 में रोजगार संकल्प (छतरी योजना) के नाम से एक कार्ययोजना दिनांक 12 अक्टूबर 1998 से आरम्भ की गयी है, जिसके अन्तर्गत विभिन्न विभागों द्वारा संचालित परियोजनाओं में 10 लाख लोगों को स्वत: रोजगार देने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिसका क्रियान्वयन शासन के विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास, हथकरघा एवं वस्त्र उद्योग, समाज कल्याण, अल्प संख्यक कल्याण, दुग्ध विकास, विकलांग कल्याण, नगर विकास, पिछड़ा वर्ग कल्याण एवं उद्योग विभाग द्वारा किया जाता है। इस योजना का नोडल विभाग ग्राम्य विकास विभाग है।

*17-श्री अम्बिका चौधरी-

(3 मंगलवार में ता0 प्र0 सं0-20 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियन्ता के रिक्त पदों के भरे जाने की कार्यवाही

*18-श्री अमित अग्रवाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियन्ताओं के अधिकांश पद रिक्त हैं? यदि हाँ, तो शासन द्वारा इन पदों को भरने हेतु क्या कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

मुख्य अभियन्ता स्तर-1 के 4 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही दिनांक 29-1-2000 को तथा मुख्य अभियन्ता स्तर-2 के 8 रिक्त पदों पर चयन की कार्यवाही दिनांक 21-1-2000 को की जा चुकी है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश जल निगम में मुख्य अभियन्ता स्तर-1 का एक पद तथा मुख्य अभियन्ता स्तर-2के 03 पद रिक्त हैं।

रिक्त पदों को भरने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

अतारांकित प्रश्न

लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना के अन्तर्गत सेक्टर डी0 स्थित भवनों के सामने पानी भरने की शिकायत का निस्तारण

1-श्री उदयराज यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण कानपुर रोड योजना अन्तर्गत सेक्टर डी-1 स्थित ट्यूबेल नं0-4 से निकलने वाली मेन लाइन से भवन सं0-एम0एम0 311 से 314 के सामने लगातार पानी बहते रहने के सम्बन्ध में वहां के निवासियों का हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 21 जून, 1999 जो उपाध्यक्ष लखनऊ विकास प्राधिकरण को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो क्या पत्र में उल्लिखित बिन्दु का निस्तारण कर दिया गया? यदि नहीं, तो इसका निस्तारण कब तक कर दिया जायेगा?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी हाँ। समस्या का निस्तारण कर दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ राजाजीपुरम डी0 ब्लाक स्थित खराब ट्यूबवेल अविलम्ब ठीक कराने की मांग

2-अक्षयवर लाल-

क्या नगर विकास मंत्री को ज्ञात है कि राजाजीपुरम लखनऊ के डी0 ब्लाक स्थित ट्यूबवेल संख्या-11 विगत एक वर्ष से खराब है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त ट्यूबवेल को अविलम्ब ठीक कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

राजाजीपुरम लखनऊ के सी0 ब्लाक में ट्यूबवेल संख्या-11 स्थापित नहीं है।

राजाजीपुरम लखनऊ के सी0 ब्लाक में ट्यूबवेल संख्या-11 स्थित है, जिससे संतोषजनक पेयजल की आपूर्ति की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ राजाजीपुरम कालोनी में नलकूपों, जलाशय तथा हैण्डपम्पों द्वारा जलापूर्ति की व्यवस्था

3-श्री अक्षयवर लाल-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि राजाजीपुरम कालोनी डी0 ब्लाक, लखनऊ स्थित पानी टंकी से मकान नम्बर डी 384 से डी 474 को विगत एक वर्ष से एक बूँद भी पानी की सप्लाई नहीं की गयी है? यदि हाँ, तो क्यों? क्या सरकार उक्त कालोनी के पेयजल संकट को दूर कराकर पानी की आपूर्ति सुनिश्चित करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार पानी सप्लाई न देने के लिए दोषी अधिकारियों एवं कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं। राजाजीपुरम कालोनी के डी-ब्लाक में स्थित पार्क में अधिष्ठापित एक नग नये नलकूप से सीधे जलापूर्ति की जा रही है और डी ब्लाक में पेयजल की कोई समस्या नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

राजाजीपुरम कालोनी को 4 नलकूपों, एक अवर जलाशय तथा प्रश्नगत क्षेत्र में अधिष्ठापित इण्डिया मार्क-II हैण्डपम्पों के माध्यम से जलापूर्ति की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला चम्पावत में "लधिया घाटी" जलागम परियोजना की जानकारी

4-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेगे कि वर्ष 1993-1994 एवं वर्ष 1997 की अतिवृष्टि के कारण हुई तबाही की भरपाई हेतु "लधिया घाटी" जलागम परियोजना विकास खण्ड पाटी, जि0 चम्पावत के निर्माण का प्रस्ताव शासन के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो लधिया घाटी जलागम परियोजना कब से प्रारम्भ कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

उत्तरांचल विकास राज्य मंत्री, (स्वतंत्र प्रभार) (श्री मातवर सिंह कण्डारी)-

लधिया घाटी जिला चम्पावत में कोई जलागम परियोजना चलाये जाने का प्रस्ताव वर्तमात में शासन के विचाराधीन नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित केवल मुख्य अम्बेडकर ग्रामों का विद्युतीकरण

5-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के -91मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम मझिया जाफरपुर के मजरा जमलापुर प तरहेटिया, भुलभुलिया खेड़ा का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार इन मजरों का विद्युतीकरण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

वर्ष 1997-98 चयनित अम्बेडकर ग्रामों एवं उनके मजरों के विद्युतीकरण हेतु तीन करोड़ पन्द्रह लाख रुपये की कार्य योजना के सापेक्ष्य मात्र से दो करोड़ रुपये इस मद में उपलब्ध कराया गया है, जिससे केवल मुख्य अम्बेडकर ग्राम व उसकी अनुसूचित जाति/जनजाति बस्ती का ही विद्युतीकरण हो पाया है। सम्प्रति कोई धन अवशेष नहीं होने के कारण संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण कराना संभव नहीं है।

जी नहीं।

चयनित अम्बेडकर ग्रामों के सभी मजरों का विद्युतीकरण इस मद से कोई धनराशि अवशेष न होने के कारण कराना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम पसनामऊ के मजरा कोसिया पन्नापुरवा में विद्युतीकरण कराने की माँग

6-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम पसनामऊ के मजरा कोसिया पन्नापुरवा का विद्युतीकरण कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या सरकार शासन के पत्रांक-2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार इन मजरों का विद्युतीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकण द्वारा संस्तुत 05 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम कुतुबापुर के मजरा सेमरी पुरवा चकपुरवा व कलेनापुर में विद्युतीकरण कराने की मांग

7-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया जनपद हरदोई के 91 मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम कुतुबापुर के मजरा सेमरीपुरवा, चकपुरवा व कलेनापुर का विद्युतीकरण करवा दिया गया है? क्या सरकार शासन के पत्रांक-2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार इन ग्रामों का विद्युतीकरण करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 5 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम बाबर मऊ का विद्युतीकरण

8-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में घोषित अम्बेडकर ग्राम बाबटमऊ का विद्युतीकरण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार अम्बेडकर ग्राम बाबरमऊ का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम शहव्दा के विद्युतीकरण की माँग

9-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1998-99 में घोषित अम्बेडकर ग्राम शहव्दा का विद्युतीकरण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार अम्बेडकर ग्राम शहव्दा का कब तक विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 05 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है

उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ में दायर याचिका संख्या-1925/99 एवं स्पेशल अपील संख्या-198/99 के निर्णयानुसार कर्मचारियों के वेतन भुगतान की माँग

10-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय लखनऊ खण्ड पीठ में दायर याचिका सं0-1925/99 दिनांक 3-5-99 एवं स्पेशल अपील सं0-198/99 निर्णय दिनांक 25-5-99 के अनुपालन में कर्मचारियों को दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 का वेतन दे दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या इस सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, भूतपूर्व सांसद का पत्र दिनांक 25-7-99

जो सचिव, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका संख्या-1925/99 एवं स्पेशल अपील संख्या-198/99 के निर्णय क्रमशः दिनांक 3-5-99 एंवं 25-5-99 में कर्मचारियों को दिनांक 1-3-99 से 23-6-99 का वेतन सम्बन्धी कोई निर्देश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डुलिपिक के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में मा0 उच्च न्यायालय के आदेश पर मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा स्थगन आदेश दिनांक 24-8-99 निरस्त हो जाने के फलस्वरूप श्री जायसवाल के स्थानान्तरण आदेश पुनः प्रभावी हो गये है। प्रकरण मा0 न्यायालय के विचाराधीन है। ऐसी स्थिति में उनके वेतन आहरण एवं वितरण पर कोई कार्यवाही करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर का विद्युतीकरण

11-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर का विद्युतीकरण करवा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार उक्त अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम ठठिया नरायनमऊ के विद्युतीकरण की माँग

12-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम ठठिया नरायनमऊ का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक अम्बेडकर ग्राम ठठिया नरायनमऊ का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत ग्राम अम्बेडकर ग्राम घोषित नहीं है। वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 5 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम मझिया जाफ़रपुर का विद्युतीकरण

13-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम मझिया जाफरपुर का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक अम्बेडकर ग्राम मझिया जाफरपुर का विद्युतीकरण

करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम खन्धेरिया खंजहाँनपुर एवं उनके मजरा खन्धेरिया एवं पटियन पुरवा में विद्युतीकरण करानें की माँग

14-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम खन्धेरिया खंजहाँनपुर एवं उसके मजरा खन्धेरिया एवं पटियन पुरवा का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक अम्बेडकर ग्राम खंजहाँनपुर खन्धेरिया व उसके मजरा पटियनपुरवा का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

धनराशि प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 5 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम तेखा कुल्ली एवं उसके मजरा इशरापुर चपरतला, तेरवा सुल्ता पुरवा, छोट्टा पुरवा, देवी पुरवा, गुलाब पुरवा में विद्युतीकरण कराने की माँग

15-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम तेरवा कुल्ली उसके मजरा इशरापुर, चपरतला, तेरवा सुल्ता पुरवा, छोट्टा पुरवा, देवी पुरवा, गुलाब पुरवा का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक उक्त ग्राम का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

धनराशि प्राप्त न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

जी नहीं।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 05 गाँवों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

लखनऊ के संजय गाँधी पुरम् में मकान नं0 4 जी श्री शाही मकान के सामने से श्री मुख्तार अहमद के मकान तक की सड़क बनाने के सम्बन्ध में पत्र तथा कृत कार्यवाही

16-श्री भारत सिंह रावत-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के संजय गाँधी पुरम् में मकान नं0-04 जी, श्री शाही के मकान के सामने से श्री मुख्तार अहमद के मकान तक लगभग 150 मीटर सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में वहाँ के निवासियों द्वारा प्रार्थना पत्र राज्य मंत्री आवास एवं नगर विकास को दिया गया था? क्या यह सही है कि उन्होंने अपने पत्र संख्या-784 बी0 आइ0 पी0/97 दिनांक 21-6-97 द्वारा मुख्य नगर

अधिकारी, नगर निगम, लखनऊ को सड़क बनाये जाने हेतु आदेशित किया था? यदि हाँ, तो क्या उक्त सड़क का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि नहीं, तो कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

जी हाँ।

जी नहीं।

स्थल का सर्वे कर व्ययानुमान तैयार करा दिया गया है। वरीयताक्रम में धन की उपलब्धता के आधार पर नगर निगम की मा0 कार्यकारिणी समिति/सदन की स्वीकृति के उपरान्त कार्य कराये जायेंगे।

श्री हरदेव सिंह-

(न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

18-श्री हरदेव सिंह-

[दिनांक 31-3-2000 को अता0 प्र0 सं0 154 द्वारा उत्तरित]

उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध उ0 प्र0 मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष श्री नन्दलाल जायसवाल के विरुद्ध लगाये गये आरोप की जाँच

19-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भारतीय मजदूर संघ से सम्बद्ध उ0 प्र0 मजदूर संघ के प्रदेश कोषाध्यक्ष, श्री नन्द लाल जायसवाल के विरुद्ध जनवरी, 1998 से 1999 तक श्री परशुराम सिंह सचिव, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 के आदेश से कितनी जाँच कब-कब प्रारम्भ की गयी तथा कौन-कौन सी जाँच पूर्ण हो गयी है? क्या जाँच में श्री नन्द लाल जायसवाल के विरुद्ध लगाये आरोप सही पाये गये हैं? यदि नहीं, तो क्या इसके लिए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तत्कालीन उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के तत्कालित सचिव द्वारा मात्र एक जाँच के आदेश किये गये। उक्त जाँच अभी पूर्ण नहीं हुई है।

प्रकरण शासन के विचाराधीन है।

मामले में अन्तिम निर्णय होने पर यथोचित कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरयावां में घोषित बगौछा अम्बेडकर ग्राम की सड़क निर्माण कार्य की प्रगति

20-श्रीमती माया प्रसाद-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जनपद हरदोई के विकास खण्ड हरयावां में बगौछा ग्राम को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है? यदि हाँ, तो क्या इस ग्राम की सड़क का डामरीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हाँ।

जी हाँ, कार्य प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

21-श्री तेज भान सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

22-श्री राजधारी-

[मंत्रि-परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया]

मेरठ नगर में सड़क दुर्घटना रोकने हेतु डिवाइडर एवं मार्ग प्रकाश की व्यवस्था

23-डा0 लक्ष्मीकांत बाजपेयी-

क्या सरकार मेरठ नगर की सड़कों पर रोड डिवाइडर बनाने तथा मार्ग प्रकाश के खम्भे डिवाइडर पर लगवाकर प्रतिवर्ष होने वाली दुर्घटनाओं को रोकने की कार्यवाही करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

नगर निगम, मेरठ में अतिक्रमण हटाकर डिवाइडर बनाकर मार्ग-प्रकाश की व्यवस्था की गई है किन्तु जहाँ पर सड़कें छोटी हैं, वहाँ पर सुगम यातायात में अवरोध उत्पन्न न हो, यह दृष्टिगत रखते हुए डिवाइडर बनाया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है। बेगम पुल चौराहे से दिल्ली रोड पर शारदा पैलेस तक तथा गढ़ रोड पर बेगम पुल चौराहे से हापुड़ बस स्टैण्ड तक मेरठ विकास प्राधिकरण, मेरठ द्वारा सेन्ट्रल वर्ज बनाते हुए रेलिंग लगाने का कार्य प्रारम्भ किया गया है। सेन्ट्रल वर्ज पर मार्ग-प्रकाश व्यवस्था का कार्य धन की अनुपलब्धता के कारण नगर निगम, मेरठ द्वारा अभी किया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

सेन्ट्रल वर्ज का कार्य 3 माह में पूर्ण कर लिया जायेगा। शेष उपरोक्तानुसार प्रश्न नहीं उठता।

24-श्री हरदेव सिंह-

(4थे शुक्रवार के लिए स्थगित।)

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् गोरखपुर स्थित विच्छेदित आर्क/इण्डक्शन फर्नेस इकाइयों के विरु डाउन लोडिंग रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) गोरखपुर का पत्र

25-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के गोरखपुर स्थित विच्छेदित आर्क/इण्डक्शन फर्नेश इकाईयों के विरुद्ध डाउन लोडिंग रिपोर्ट के अनुसार कार्यवाही करने सम्बन्धी मुख्य अभियन्ता (वितरण क्षेत्र) गोरखपुर का पत्र दिनांक 5-8-98 पर दोषी अधिकारियों के विरुद्ध कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सत्य है कि चोरी कराने वाले अधिकारियों को प्राईज पोस्ट पर नियुक्त कर दी गई है? यदि हाँ, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संदर्भित पत्र में किसी अधिकारी को दोषारोपित नहीं किया गया है। अतः किसी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही करने का प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में सृजित पदों का रेटिफिकेशन हेतु परिषद् के समक्ष रखे गये प्रस्ताव की जानकारी

26-श्री हरदेव सिंह-

विधान सभा के द्वितीय सत्र, 1997 के चौथे मंगलवार के लिए निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या 207 के उत्तर के क्रम में क्या ऊर्जा मंत्री, अध्यक्ष तथा प्रबन्ध समिति के अनुमोदन से सृजित पदों के रेटिफिकेशन हेतु परिषद् के समक्ष रखे गये प्रस्ताव की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे यदि नहीं तो

क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

रेटिफिकेशन का प्रस्ताव तत्कालीन परिषद् के समक्ष प्रस्तुत किया गया था। अब संशोधित प्रस्ताव परिषद् के पुनर्गठन के पश्चात नवसृजित निगमों के निदेशक मण्डलों के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा तथा निदेशक मण्डलों के निर्णय से अवगत कराया जायेगा।

27-श्री हरदेव सिंह-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त]

28-हरदेव सिंह-

(4थे शुक्रवार के लिए स्थगित।)

प्रदेश में विगत तीन वर्षों से विद्युत उत्पादन की स्थिति तथा उसके उत्पादन में गिरावट आने पर उनके विरुद्ध कार्यवाही का प्राविधान

29-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या उर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उत्पादन में गिरावट के लिए उत्तरदायी अभियन्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही करके उत्पादन में बढ़ोत्तरी हेतु कोई ठोस योजना सरकार के विचाराधीन है? यदि हाँ, तो सरकार उक्त कार्यवाही कब तक सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विगत तीन वर्षों में प्राप्त सूचनानुसार विद्युत उत्पादन में कोई गिरावट परिलक्षित नहीं हुई है।

इस सम्बन्ध में कोई अभियन्ता विशेष उत्तरदाई नहीं है। तापीय इकाइयों के पी0 एल0 एफ0 में और अधिक सुधार हेतु आवश्यक संसाधनों के अभाव को दृष्टिगत करते हुए ओबरा ताप विद्युत गृह की इकाइयों का नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण करने हेतु पी0 एफ0 सी0 द्वारा स्वीकृत एवं वित्त पोषित 126 करोड़ रुपये की स्कीम कार्यान्वित की जा रही है। इसी प्रकार अनपरा एवं परीछा ताप विद्युत गृह परियोजनाओं हेतु क्रमशः 24.44 एवं 37.27 करोड़ रुपये लागत की स्कीम पी0 एफ0 सी0 द्वारा वित्त पोषण हेतु स्वीकृत की गई है। उपरोक्त के पूरा होने पर अगले दो वर्षों में पी0 एल0 एफ0 बढ़कर 55/ होने की आशा की जाती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त ओबरा तापीय विद्युत गृह में सभी उत्पादन इकाइयों के रिफर्बिशमेन्ट हेतु रु0 1600 करोड़ योजना के वित्त पोषण हेतु प्रयास किये जा रहे हैं।

विद्युत उत्पादन में गिरावट अथवा कर्तव्य निर्वाह में लापरवाही बरतने के सम्बन्ध में दोषी पाये जाने पर सम्बन्धित अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही करने की व्यवस्था उपलब्ध है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां के अन्तर्गत प्राइमरी पाठशाला राजेपुर में अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति देने की जानकारी

30-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या अल्पसंख्य कल्याण एवं वक्फ मंत्री को जानकारी है कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत प्रा0 पा0 राजेपुर ब्लाक मल्लावां में पिछले दो वर्षों से अल्पसंख्यक छात्रों को छात्रवृत्ति दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? उपरोक्त विद्यालय में छात्रों को छात्रवृत्ति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

अल्पसंख्यक कल्याण मुस्लिम वक्फ एवं हज मंत्री (राजा गजनफर अली खाँ)

जी हाँ, वर्ष 97-98 एवं 98-99 में मांग पत्र के अनुसार पाठशाला के पाँच-पाँच छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

31-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[दि0 3-1-2000 को अता0 प्र0 सं0 द्वारा स्थगित।]

श्रीमती कालिन्दी देवी पत्नी स्व0 श्री धमेन्द्र लाल अवर अभियन्ता, विद्युत प्रेषण मण्डल कानपुर के प्रार्थना पत्र पर जाँच कार्यवाही

32-तेजभान सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के प्रश्नकर्ता के अता0 प्रश्न सं0 65 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या जाँच कार्यवाही पूर्ण कर ली गयी है? यदि हाँ, तो क्या मंत्री जी जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखने की कृपा करेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

विस्तृत जाँच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे मा0 सदस्य द्वारा किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिवालय कर्मियों के लम्बित वाद का प्रकरण

33-हरदेव सिंह-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1994 के तीसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित आतारांकित प्रश्न सं0 102 के उत्तर के संदर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री उपश्रमायुक्त के आदेश एवं रुपये 387283.30 धनराशि की वसूली को एक माह तक स्थगित रखने एवं माननीय उच्च न्यायालय के स्थगनादेश की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो अपर जिलाधिकारी (राजस्व) के स्थगनादेश के विरुद्ध तहसीलदार, लखनऊ द्वारा गलत तरीके से उक्त धनराशि एवं अतिरिक्त 10 प्रतिशत अवमुक्त कराने के विरुद्ध विद्युत प्रशासन ने किन-किन अधिकारियों को पत्र लिखा? क्या पत्र की प्रतिलिपियां भी सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

संगत अभिलेख मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।

जिलाधिकारी, लखनऊ को दिनांक 27-6-92 को तत्कालीन परिषद् द्वारा पत्र लिखा गया था।

जिलाधिकारी, लखनऊ को लिखे गये पत्र दिनांक 27-6-92 की प्रति मेरे कार्यालय कक्ष में किसी भी कार्यालय दिवस में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी धनराशि का विवरण एवं वृहद एवं भारी उद्योगों पर इलेक्ट्रानिक मीटर का प्रावधान तथा विद्युत चोरी पर यथोचित कार्यवाही

34-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद के अन्तर्गत सरकारी एवं गैर सरकारी विभागों पर मार्च, 1999 तक कितना बकाया है? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि 100 के0 वी0 ए0 एवं उसके ऊपर के वाणिज्य उपभोक्ताओं के यहाँ इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगा दिये गये है? यदि हाँ, तो इसकी मानिटरिंग किस प्रकार की जा रही है तथा विद्युत चोरी कराने वाले अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की जा रही है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माह मार्च, 1999 के अन्त में सरकारी एवं गैर सरकारी श्रेणी के उपभोक्ताओं पर क्रमशः रु0 212411.00 लाख एवं रु0 261877.00 लाख का बकाया था।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार प्रथम चरण में वृहद एवं भारी उद्योगों एवं जल-संस्था-

के कनेक्शनों पर इलेक्ट्रानिक मीटर लगाये जा रहे हैं।

उपभोक्ताओं के परिसर पर इलेक्ट्रानिक्स मीटर लगाने का अनुश्रवण क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा किया जा रहा है।

विद्युत चोरी में अधिकारियों/कर्मचारियों की लिप्तता सिद्ध होने पर उनके विरुद्ध यथोचित अनुशासनिक कार्यवाही की जाती है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत परिषद् के आवासों में हो रहे अनधिकृत कब्जे को रोकने की नीति तथा उ0 प्र0 विद्युत मजदूर संघ के पत्र पर जाँच

35-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत परिषद् के वन आवासों में हो रहे अनाधिकृत कब्जे को देखते हुए उसको रोकने हेतु कोई नीति का निर्धारण किया गया है? यदि हां, तो वह क्या हैं? क्या इस संबंध में उ0 प्र0 विद्युत मजदुर संघ का पत्र दिनांक 10-5-99 जो कि सदस्य पारेषण को सम्बोधित था प्राप्त हुआ हैं? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही हुई?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां ।

तत्कालीन परिषदीय आवासों में अनाधिकृत कब्जा करने वाले परिषदीय वर्तमान में उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 कार्मिको को निम्नानुसार दण्डित करने की नीति बनाई हैं:-

(1) अनधिकृत कब्जा करने वाले अधिकारी/कर्मचारी को तुरन्त निलम्बित करके उसके विरुद्ध विभागीय/अनुशासनात्मक कार्यवाही का प्रारम्भ किया जाना।

(2) सम्बन्धित कार्मिक से अनाधिकृत कब्जा करने की तिथि से दाण्डिक किराया (पेनल रेण्ट) वसुलने की कार्यवाही संबंधित आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा तत्काल प्रारंभ किया जाना।

(3) उक्त कृत्य फलस्वरूप "निन्दा" का दण्ड दिया जाना तथा उसकी एक प्रति तथा कृत्य का विवरण चरित्र पंजिका में रखा जाना।

जी हाँ।

इस प्रकरण में अधीक्षण अभियन्ता विद्युत, विद्युत वितरण मण्डल, सुल्तानपुर से जाँच आख्या मांगी गयी हैं जो अभी प्रतीक्षित हैं। उसके प्राप्त होने पर नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् में स्थान्तरण नीति के विरुद्ध अधिशासी अभियन्ताओं के हुए स्थानान्तरण के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जाँच

36-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत भ्रष्टाचार में लिप्त अधिशासी अभियन्ताओं का स्थानान्तरण नीति के विपरीत स्थानान्तरण करने सम्बन्धी श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान संसद सदस्य का पत्र दिनांक 31-5-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है। प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार सम्बन्धी शिकायती पत्र पर जाँच

17-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के सचिव के विरुद्ध प्रशासनिक अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के कितने मामले दिनांक 31-5-99 तक लम्बित हैं? क्या मंत्री जी उसका विवरण सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उक्त अवैध परिसम्पत्तियों की सी0 बी0 सी0 आई0 डी0 जाँच हेतु श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान सांसद का पत्र दिनांक 6-6-99 जो कि अध्यक्ष, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

श्री परशुराम सिंह, पूर्व सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के विरुद्ध श्री राम औतार मिश्रा पूर्व विधायक शाहजहाँपुर का एक शिकायती-पत्र दिनांक 17-2-96 प्राप्त हुआ जिसमें श्री सिंह के विरुद्ध भ्रष्टाचार एवं प्रशासनिक अनियमितता सम्बन्धी 11 आरोप लगाये गये थे। शिकायत की जाँच परिषदीय सतर्कता इकाई द्वारा की गयी तथा सभी आरोप अप्रमाणित पाये गये।

शिकायती-पत्र में परिषदीय सतर्कता इकाई की विस्तृत जाँच आख्या मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है जिसे माननीय सदस्य द्वारा किसी कार्य दिवस में कार्यालय समय में देखा जा सकता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

प्रकरण की परिषदीय सतर्कता इकाई से जाँच कराई जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां के घोषित अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर पट्टी के मजरा कबीर पुरवा व सोतहइया में विद्युतीकरण की माँग

18-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 1997-98 में घोषित अम्बेडकर ग्राम तेजीपुर पट्टी के मजरा कबीर पुरवा व सोतहइया का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 के अनुसार इन ग्रामों का विद्युतीकरण कराया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

धन की अनुपलब्धता के कारण विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में मा0 विधायकगण की संस्तुति पर पाँच गाँव का विद्युतीकरण कराया जा रहा है।

19-हरदेव सिंह-

[पुनरावृत्ति के आधार पर निरस्त]

सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को टावर पेंटिंग का फर्जी अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में दिये गये शिकायती-पत्र एवं उस पर कार्यवाही

20-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि सचिव, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 9-4-99 जो कि संयुक्त सचिव के पत्र दिनांक 4-3-99 एवं निदेशक कार्मिक के पत्र दिनांक 17-2-99 जो टावर पेंटिंग का फर्जी अनुमोदन किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

45 मीटर से अधिक ऊँचाई वाली टावरों पर सफेद तथा नारंगी रंग की मोटी पट्टियों से पेन्टिंग किया जाना उड्डयन के लिये एक वैधानिक आवश्यकता है ताकि दिन के समय वायुयान चालक को यह टावरें दूर से की दिखाई दे सकें। यह प्रैक्टिस अन्य सभी राज्य विद्युत परिषदों, रेलवे, दूरदर्शन, दूरसंचार आदि विभागों में प्रचलित हैं। इस प्रकार की पेंटिंग को "डे-मार्किंग" कहा जाता है। इसी आधार पर इस कार्य हेतु निविदाओं का अनुमोदन मुख्य अभियन्ता (सामग्री प्रबन्ध) की समिति द्वारा किया गया था।

इस निविदाओं को कार्य आरम्भ होने के पूर्व ही निरस्त कर दिया गया था टेण्डर के सम्बन्ध में कोई कार्य नहीं हुआ।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जाँच के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

41-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय कर्मचारियों/अधिकारियों के विरुद्ध प्राप्त परिवादों की जाँच हेतु प्रमुख (ऊर्जा) का अर्धशासकीय पत्र सं0 362 संअ/99, दिनांक 10-2-99 अध्यक्ष, उ0 प्र0 रा0 वि0 प0 को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

श्री नन्दलाल जायसवाल, कनिष्ठ पाण्डु लिपिक को जल विद्युत परियोजनायें, देहरादून में स्थानान्तरित कर दिया गया तथा प्रकरण की जांच सम्बन्धी उ0 प्र0 पारक कारपोरेशन लि0 का प्रस्ताव दिनांक 14-3-2000 शासन के विचाराधीन है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव (ऊर्जा) के अर्धशासकीय पत्र के अन्तर्गत कृत कार्यवाही का विवरण

42-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत सचिव, ऊर्जा का अर्धशासकीय पत्र सं0-41 सी0 एस0 पी0-2/99/24-19 (ए क्यू) ई/98, ऊर्जा अनुभाग-2 दिनांक 7-5-99 जो मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान संसद सदस्य को सम्बोधित था पर दिनांक 1-6-99 तक पत्र में उल्लिखित बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, निवर्तमान संसद सदस्य को सम्बोधित सचिव (ऊर्जा) के अर्धशासकीय पत्र दिनांक 7-5-99 में उल्लिखित पत्र व उन पर कृत कार्यवाही निम्नवत्:-

1- शासन के पत्र दिनांक 21-4-99 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 22-3-99/1-4-99 व 24-3-99 तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् के पत्र संख्या 1308 दिनांक 13-5-99 द्वारा मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) को पत्रों में उल्लिखित बिन्दुओं पर आख्या प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

2- शासन के पत्र दिनांक 24-4-99 द्वारा प्रेषित पत्र दिनांक 14/15-4-99 व 22-3-99 उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् शासन, ऊर्जा विभाग द्वारा पुलिस महानिरीक्षक, उत्तर प्रदेश को सौंपी गयी सतर्कता जांच में संदर्भित कर दिये गये।

3- शासन के पत्र अध्यक्ष, तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् द्वारा उक्त पत्र आवश्यक कार्यवाही हेतु सदस्य (परिषद्) को भेज़ दिया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता से सम्बन्धित फर्जी बैंक गारंटी एवं फर्जी माफी विषयक सतर्कता जाँच सम्बन्धी पत्र पर कृत कार्यवाही

43-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मा0 भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद के अधीक्षण अभियन्ता/अधिशासी अभियन्ता से सम्बन्धित फर्जी बैंक गारन्टी एवं फर्जी माफी विषयक सतर्कता जांच के बारे में पत्र दिनांक 20-4-99 जो मा0 मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? क्या प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने में दर्ज करा दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्न में उल्लिखित 132 केवी सबस्टेशन, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य में फर्जी बैंक गारन्टी, फर्जी माफी एवं घटिया कार्य सम्बन्धी मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध कार्यवाही की जा रही है।

अधिशासी अभियन्ता, विद्युत जनपद निर्माण खण्ड, गोरखपुर द्वारा दिनांक 1-6-98 को थानाध्यक्ष, थाना कैन्ट, गोरखपुर तथा दिनांक 20-6-98 को पुलिस अधीक्षक, गोरखपुर को सूचना दे कर सम्बन्धित ठेकेदार के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु अनुरोध किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर स्थित काशीनगर मोहल्ले में अनुपम नर्सिंग होम से प्रश्नकर्त्ता विधायक के निवास को जाने वाली सड़क की मरम्मत एवं लेपन स्तर तक कार्य कराने की माँग

44-श्रीमती माया प्रसाद-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद लखीमपुर स्थित काशीनगर मोहल्ले में अनुपम नर्सिंग होम से प्रश्नकर्त्ता विधायक के निवास को जाने वाली सड़क पर नाली तथा खड़ंजा टूट जाने के कारण जल भराव हो जाता है? यदि हाँ, तो क्या सरकार उक्त सड़क की मरम्मत और लेपन करायेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

काशी नगर मोहल्ले का प्रश्नगत क्षेत्र निचला होने के कारण अधिक वर्षा होने पर यहाँ कुछ समय के लिए पानी का ठहराव हो जाता है, जो 2-3 घंटे में स्वत: निकल जाता है

प्रश्नगत सड़क की मरम्मत एवं लेपन का कार्य नगरपालिका परिषद् लखीमपुर द्वारा आर्थिक संसाधनों की उपलब्धतानुसार कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना के ग्राम बस्तौली की भूमि अर्जन की विज्ञप्ति एवं सर्वेक्षण के समय खसरा प्लाट संख्या-129 तथा उससे मिले खसरा प्लाट नम्बरों में बने भू-स्वामियों के भवनों का विवरण

45-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना ग्राम बस्तौली की भूमि अर्जन के विज्ञप्ति एवं सर्वेक्षण के समय खसरा प्लाट नं0-129 तथा उससे मिले खसरा प्लाट नम्बरों में किन-किन भू-स्वामियों के भवन/भूखण्ड निर्मित थे? भूमि अर्जन के पश्चात् उपरोक्त प्लाट नम्बर पर कितने और किन-किन व्यक्तियों के नेजी मकान बन चुके हैं?

श्री लाल जी टण्डन-

राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना लखनऊ के ग्राम बस्तौली की भूमि अर्जन की विज्ञप्ति एवं अधिग्रहण के समय खसरा प्लाट सं0- तथा उसमें मिले खसरा प्लाट नम्बरों में निम्न भू-स्वामियों के भवन/भूखण्ड निर्मित थे:-

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0- 44 में

1-श्री ओम प्रकाश विज 2-श्री ओम प्रकाश गोयल 3-श्रीमती लक्ष्मी देवी 4 श्रीमती रुक्मणी देवी 5-श्री स्वराज कुमार 6-श्रीमती कमला देवी 7-श्री चन्द्र भान सिंह

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0- 130 में

1-चिनहट ब्लाक आफिस

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0- 129 में

1-श्री त्रिलोकी नाथ शुक्ला 2-श्री सूर्य नारायन 3-श्री देवी प्रसाद 4 श्री माया राम

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0- 133 में

1-श्री दुर्जन प्रभु 2-श्री पन्त जी 3-श्री किशोरी लाल

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0-151 में

श्री सुरेश चन्द्र श्रीवास्तव।

ग्राम बस्तौली, खसरा नं0- 160 में

श्रीमती लक्ष्मी देवी।

भूमि अर्जन के पश्चात् उपरोक्त खसरा नम्बर 129 ग्राम बस्तौली की भूमि पर चार नग निजी भवन निम्नलिखित व्यक्तियों के बन चुके हैं:-

1-श्री देवी प्रसाद चौधरी
2-श्री त्रिलोकी नाथ गुप्ता
3-श्री सूर्य नारायन सिंह
4-श्री गणेश राम चौरसिया.

लखनऊ स्थित राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना का उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा 28 के अन्तर्गत प्रकाशन तथा अध्यापित समस्त भू-स्वामियों की भूमि अर्जन की सूचना देने की जानकारी

46-श्री कमलेश कुमार सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने का कृपा करेंगे कि राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना 1979 में ग्राम बस्तौली, परगना तहसील, जिला लखनऊ के किन-किन खसरा प्लाट नम्बरों को अध्यापित किया गया है? क्या भूमि अर्जन के लिए अध्यापित समस्त भू-स्वामियों को भूमि अर्जन की सूचना दी गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

राम सागर मिश्र नगर विस्तार योजना लखनऊ का उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् अधिनियम की धारा-28 के अन्तर्गत प्रकाशन उ0 प्र0 राजकीय गजट में दिनांक-17-3-79 को किया गया जिसमें ग्राम बस्तौली परगना तहसील व जिला लखनऊ के खसरा संख्या-1, 96, 97, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 133, 136, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, की भूमि को अध्यापित किया गया।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम गौरा के मजरा बिहार के विद्युतीकरण की माँग

47-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम गौरा के मजरा बिहार का क्या विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक-2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0/10-4-97 के अनुसार कब तक इसका विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मा0 विधायकगण की संस्तुति पर पाँच गाँव का विद्युतीकरण कराया जा रहा है।

लखनऊ स्थित मोहल्ला मायानगर, निरालानगर में स्ट्रीट लाइट व बल्बों की व्यवस्था का विवरण

48-श्री भरत सिंह-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मोहल्ला-मायानगर, निरालानगर, लखनऊ में स्ट्रीट लाइट के ट्यूब लाइट व बल्ब के कितने-कितने प्वाइंट हैं? वर्तमान में कितने प्वाइंट कार्य कर रहे हैं? क्या यह सही कि उन प्वाइंट का कनेक्शन स्ट्रीट लाइट से न होकर सीधे जुड़ा होने के कारण दिन-रात ट्यूब लाइट व बल्ब जलते रहते हैं? यदि हाँ, तो क्या सरकार स्ट्रीट लाइट की मरम्मत कराकर लाइन में स्वीच का प्रयोग कर ऊर्जा की बचत करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

मोहल्ला- मायानगर में निम्न प्रकाश विन्दु हैं-

40 वाट ट्यूब लाइट = 17 नं0

70 वाट सोडियम = 01 नं0

100 वाट बल्ब = 10 नं0

वर्तमान समय में उपरोक्त सभी प्रकाश विन्दु जल रहे हैं माया नगर में 11स्पेन तार कटने के कारण प्रकाश विन्दु दिन-रात जल रहे थे जिन पर स्ट्रीट लाइट वायर खिंचवाकर उन्हें मेन स्विच से सम्बद्ध कर दिया गया है।

प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं को निर्धारित की गई विद्युत दरों के अन्तर्गत मीटर उपभोग के आधार पर जारी विद्युत बिल

49-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विद्युत उपभोक्ताओं से न्यूनतम यूनिट प्रति किलोवाट से वसूली करने का प्राविधान है? क्या उक्त प्राविधान विद्युत आपूर्ति न किये जाने पर भी लागू हैं? यदि हाँ, तो उसका क्या आधार है? क्या सरकार उपभोग की गयी यूनिट के आधार पर भुगतान प्राप्त किये जाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

यह व्यवस्था पूर्व से ही है कि पावर कारपोरेशन द्वारा विभिन्न श्रेणी के उपभोक्ताओं के लिए निर्धारित की गई विद्युत दरों में जहाँ मीटर्ड उपभोग के आधार पर विद्युत बिल जारी किये जाने का प्राविधान है इन सभी मामलों में तदनुसार बिल जारी किए जाते हैं। अपितु विद्युत दर में निर्धारित मिनिमम कन्जम्पशन गारन्टी से कम बिल पर मिनिमम कन्जम्पशन गारन्टी के समकक्ष बिल जारी किए जाते हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ अलीगंज क्षेत्र में शेखपुरा कालोनी की सीवर लाइनों की सफाई कराने की माँग

50-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकाय मंत्री को जानकारी है कि वर्ष 1998-99 में अलीगंज (लखनऊ क्षेत्र) में सीवर सफाई हेतु अभियान चलाया गया था? यदि हाँ, तो क्या उसके अन्तर्गत शेखपुरा कालोनी अलीगंज, लखनऊ की सीवर लाइनों की सफाई की गयी थी? यदि नहीं, तो क्या मंत्री जी उक्त कालोनी की सीवर लाइनों की सफाई कराये जाने हेतु आदेशित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

सीवर लाइन अवरुद्ध होने की शिकायत प्राप्त होने की दशा में सीवर की सफाई कराई गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम करवा और उसके मजरा दुर्गा पुरवा लोनार भढ़िया के ग्रामों में विद्युतीकरण कराने की माँग

51-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम करवा और मजरा दुर्गा पुरवा, लोनार भढ़िया का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कब तक इसका विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

जी नहीं।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मा0 विधायकगण की संस्तुति पर पाँच गाँव का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम सोनहरा और उसके मजरा महुआ पुरवा में विद्युतीकरण कराने की माँग

52-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम सोनहार और उसके मजरा महुआ पुरवा का क्या विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक 2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार इनका विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा ?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां के घोषित अम्बेडकर ग्राम तेरियां भवानीपुर में विद्युतीकरण कराने की माँग

53-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम तेरिया भवानीपुर का क्या विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक 2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार अम्बेडकर ग्राम तेरिया भवानीपुर का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मा0 विधायकगण की संस्तुति पर पाँच-पाँच गाँव का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम नेवादा परस व उसके मजरा दीना खेड़ा का विद्युतीकरण कराने की माँग

54-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम नेवादा परस व उसके मजरा दीनाखेड़ा का विद्युतीकरण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? शासन के पत्रांक रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार अम्बेडकर ग्राम नेवादा परस व उसके मजरा दीनाखेड़ा का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

55-श्री हरदेव सिंह-

[न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ओ0 ई0 सी0 एफ0 जापान के वित्त पोषण से 800 के0 वी0 अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन में विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा विदेशी ठेकेदार से मिलकर किया गया घोटाला सम्बन्धित शिकायती पत्र पर जाँच

56-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अनपरा उन्नाव ट्रान्समीशन लाइन में विद्युत परिषद् के अधिकारियों द्वारा विदेशी ठेकेदार से मिलकर कई अरबों रुपये का घोटाला किए जाने के सम्बन्ध में मा0 भानु प्रताप वर्मा, सांसद सहित 10 सांसदों एवं चार विधायकों के हस्ताक्षरित पत्र दिनांक 30-11-98 जो कि मुख्य मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

सन्दर्भित पत्र में उल्लिखित प्रकरण की जांच उ0 प्र0 सतर्कता अधिष्ठान द्वारा की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन अवमुक्त न करने एवं सेक्शन 3 की नोटिस भेजने विषयक मुख्य अभियन्ता (वाणिज्यिक) पत्र पर जाँच रिपोर्ट

57-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत कनेक्शन अवमुक्त न करने एवं सेक्शन 3 की नोटिस भेजने विषयक श्री ओ0 एन0 मिश्र, मुख्य अभियन्ता (वाणिज्य) के पत्र दिनांक 7-11-98 जो कि पूर्व विधायक श्री रविन्द्र प्रताप मल्ल को सम्बोधित था, के सम्बन्ध में जाँच अधिकारी की रिपोर्ट प्राप्त हो गयी है? यदि हाँ, तो क्या सरकार जाँच रिपोर्ट सदन के पटल पर रखेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

विस्तृत जाँच रिपोर्ट मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध है। मा0 सदस्य द्वारा किसी कार्य दिवस में मेरे कार्यालय कक्ष में देखी जा सकती है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत महाप्रबन्धक (लेसा) लखनऊ के अधीन खण्डों के बकायेदारों की सूची एवं उनके विरुद्ध कार्यवाही

58-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (लेसा) महाप्रबन्धक, लेसा, लखनऊ के अधीन खण्डों में दस हजार से अधिक के बकायेदार 10 दिसम्बर, 1998 तक कितने हैं? क्या उनके विरुद्ध सेक्शन 3 एवं सेक्शन 5 की नोटिसें भेजी गयी हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

महाप्रबन्धक (लेसा) लखनऊ के अन्तर्गत 10 हजार से अधिक के बकायेदारों की 10 दिसम्बर, 1998 तक की खण्डवार सूची संलग्न है (संलग्नक-I)

ऐसे बकायेदारों के विरुद्ध धारा-5 की नोटिस (खण्ड III) भेजने की स्थिति की सूचना संलग्न है (संलग्न-II) बकायेदारों के विरुद्ध धारा-3 एवं धारा-5 की नोटिस भेजने की कार्यवाही एक निरन्तर प्रक्रिया है।

प्रश्न नहीं उठता।

(देखिए नत्थी "ख" आगे पृष्ठ ---------- पर।)

नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की बैठक में तहसील ब्लाक एवं नगर के आंचलिक पत्रकारों को न बुलाने का औचित्य

59-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नगरपालिका परिषदों एवं नगर पंचायतों की बैठकों में तहसील ब्लाक नगर के आंचलिक पत्रकारों को बुलाया जाता है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

इस हेतु उत्तर प्रदेश नगरपालिका अधिनियम 1916 में प्राविधान नहीं है।

जनपद रायबरेली, तहसील महराजगंज, थाना शिवगढ़ के ग्राम बेडारु में विद्युत आपूर्ति एवं नियमानुसार जारी बीजक

60-श्री भरत सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि ग्राम व पो0-बेडारु, तहसील-महराजगंज, थाना-शिवगढ़, जिला रायबरेली में सन् 1992 में दो बिजली के खम्भे गिर जाने के कारण उपभोक्ताओं को विद्युत आपूर्ति नहीं की [illegible] है? यदि हाँ, तो उपभोक्ता ऐसे हैं जिन्होंने विद्युत आपूर्ति न होने के कारण अपने कनेक्शन कट[illegible] प्रार्थना-पत्र दिया है? क्या यह सही है कि सन् 1992 से 1999 तक विद्युत आपूर्ति न किए जाने [illegible] ग्रामीणों से न्यूनतम बिजली बिल की बकाया धनराशि दर्शायी गयी है? यदि हाँ, तो उसका [illegible]ार क्या [illegible]? क्या सरकार उनके बकाया धनराशि को समाप्त करने पर विचार करेगी? यदि हाँ, तो कब तक? [illegible] नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

कोई खम्भा नहीं गिरा हुआ है वर्ष 1992 से विद्युत आपूर्ति यथावत की जा रही है।

इस आशय का उपभोक्ता का कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त हुआ है।

विद्युत आपूर्ति 1992 से चालू है व बिजली के बीजक परिषदीय नियमानुसार निर्गत किए जा रहे

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ, राजाजीपुरम्, जलालपुर में पानी निकासी हेतु कथित रुप में स्वीकृत धन

61-श्री हरी शंकर माहौर-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मोहल्ला-जलालपुर, पो0-राजाजीपुरम्, जनपद-लखनऊ में पानी की निकासी हेतु कितनी धनराशि वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में स्वीकृत की गयी है? उक्त धनराशि किस-किस मद में व्यय की गयी? क्या सरकार सम्पूर्ण विवरण सदन के पटल पर रखने की कृपा करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

मोहल्ला जलालपुर पो0 राजाजीपुरम् जनपद लखनऊ में पानी की निकासी हेतु कोई धनराशि वित्तीय वर्ष 1997-98 तथा 1998-99 में स्वीकृत नहीं की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

जी नहीं।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ के राजाजीपुरम्, जलालपुर में नाले के दोनों किनारों पर किये गये अतिक्रमण से पानी निकासी की समस्या तथा अवैध निर्माणकर्ताओं के विरुद्ध कार्यवाही

62-श्री हरी शंकर माहौर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि मोहल्ला-जलालपुर, राजाजीपुरम्, लखनऊ में श्री गंगा सिंह, श्री यदुनाथ सिंह, एस0 पी0 सिंह तथा रामनरायन, डोरी, सलीम आदि अनेक व्यक्तियों ने नाले के दोनों ओर अवैध निर्माण कराकर पानी की निकासी बन्द कर दी है जिससे मोहल्ले में जल भराव रहता है? यदि [illegible] तो क्या सरकार नाले के दोनों ओर के निर्माण को हटवाने की व्यवस्था करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

सन्दर्भित व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा किए जाने से नाला सकरा हो गया है किन्तु जल-भराव नहीं रहता है।

जी हाँ।

सन्दर्भित व्यक्तियों में से श्री एस0 पी0 सिंह एवं श्री सलीम तथा अन्य चार व्यक्तियों के विरुद्ध उ0 प्र0 नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 की धारा-26(क) के अन्तर्गत थाना-तालकटोरा में दिनांक 03-04-99 को प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई जा चुकी है और शेष अन्य व्यक्तियों के विरुद्ध भी उपरोक्तानुसार कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

63-श्री तेजभान सिंह-

[आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।]

लखनऊ नगर निगम में इंजीनियरिंग विभाग की समाप्त पत्रावलियों का नियमों के अन्तर्गत रख रखाव

64-श्री हरदेव सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि लखनऊ नगर निगम में इंजीनियरिंग विभाग की समस्त पत्रावलियां ठेकेदारों के पास रहती हैं? यदि हाँ, तो इसका क्या कारण है? क्या इस सम्बन्ध में श्री विनोद कृष्ण सिंघल, सभासद का पत्र दिनांक 20-10-98 जो नगर प्रमुख नगर अधिकारी नगर निगम, लखनऊ को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हाँ।

नगर निगम में सभी पत्रावलियां विभिन्न स्तरों पर रहती हैं और नियमों के अन्तर्गत कार्यवाही होती है। अत: सन्दर्भित पत्र पर कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण प्रणाली में हुए घोटाले में पंजीकृत रिपोर्ट पर जारी विवेचना

65-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अनपरा तापीय परियोजना के राख निस्तारण प्रणाली में करोंड़ों रूपये के घोटाले प्रकरण पर सर्तकता इकाई द्वारा वर्ष 1996 में कितने अधिकारियों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट थाने मे दर्ज करायी गयी ? क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि इस संबन्ध में मई, 1999 तक की प्रगति रिपोर्ट क्या हैं ?

श्री. नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तत्कालीन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् की सतर्कता इकाई द्वारा अनपरा तापीय परियोजना के 19 अधिकारियों के विरूद्ध राख निस्तारण घोटाले के संबंन्ध में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13 (डी)के अन्तर्गत अभियोग पंजीकृत कराया गया है। दर्ज प्राथमिकी पर विवेचना सी0 बी0 सी0 आई डी0 द्वारा की जा रही है जो वर्तमान में प्रचलित है।

उत्तर प्रदेश में नागर स्थानीय निकाय के पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के बढ़े हुए वेतन के एरियर भुगतान की मांग

66 डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अंतर्गत निकायों के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन के एरियर का भुगतान कब तक कर लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

उत्तर प्रदेश में 684 नागर स्थानीय निकाय हैं जिनमें 195 नगरीय निकायों द्वारा पांचवे वेतन आयोग की संस्तुतियों के अन्तर्गत निकायों के कर्मचारियों के बढ़े हुए वेतन के एरियर के भुगतान की सूचना उपलब्ध कराई है जिसके अनुसार 195 नगरीय निकायों में 1/1/96 से 30/6/98 तक की अवधि के नये वेतनमान के एरियर की धनराशि रुपये 63.26 करोड़ है। 73 निकायों ने रु0 7.65 करोड़ की धनराशि का भुगतान किया है। शेष निकायों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है।

अवशेष निकायों द्वारा आर्थिक दृष्टि से सक्षम होने पर भुगतान कर देने की सूचना उपलब्ध करायी गयी है।

67-श्री हरदेव सिंह-

(चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित)

गढ़वाल जल संस्थान द्वारा पेयजल योजनाओं के रख रखाव तथा नियमित जलापूर्ति में की जा रही शिथिलता एवं अनियमितता के सम्बन्ध में पत्र पर कृत कार्यवाही

68-श्री भारत सिंह रावत-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पेयजल योजनाओं के रख-रखाव तथा नियमित जलापूर्ति के प्रति गढ़वाल जल संस्थान द्वारा बरती जा रही शिथिलता, उदासीनता एवं लापरवाही तथा योजनाओं की मरम्मत में हो रही अनियमितताओं के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत कोट (गढ़वाल) के सदस्यों द्वारा प्रेषित आयुक्त, गढ़वाल मण्डल का पृष्ठांकन 419 दिनांक 20-11-98 द्वारा प्राप्त प्रत्यावेदन को जिलाधिकारी गढ़वाल के पत्रांक मेमो/33 प्रा0 लि0 (98-99), दिनांक 15-12-98 द्वारा अधिशासी अभियन्ता गढ़वाल जल संस्थान पौड़ी को बिन्दुओं की जांच एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु अग्रसारित किया गया है? यदि हाँ, तो उस पर की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण क्या है?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

पेयजल योजनाओं के रख रखाव एवं नियमित जलापूर्ति बनाये रखने को गढ़वाल जल संस्थान द्वारा पूर्ण प्रयास किया जा रहा है। प्राप्त प्रत्यावेदन पर गढ़वाल जल संस्थान द्वारा दी गयी सूचना के अनुसार की गयी कार्यवाही का बिन्दुवार विवरण निम्नवत है:-

1- पेयजल योजनाओं का रख रखाव एवं नियमित जलापूर्ति बनाये रखने का पूर्ण प्रयास किया जा रहा है।

2- क्षेत्रीय अभियन्ताओं द्वारा जन प्रतिनिधियों के साथ सदैव ही सम्मान जनक व्यवहार किया जाता है।

3- पेयजल योजनाओं की मरम्मत पर शत-प्रतिशत व्यय किया है तथा प्राप्त धनराशि के सम्बन्ध में क्षेत्र पंचायत सदस्यों, प्रधानों से सम्पर्क कर अवगत कराया जाता है।

4- मरम्मत कराई गई वर्णित पेयजल योजनाओं की स्थिति निम्नानुसार है।

(1) सिमला सिल्स, पेयजल:- इस योजना के अन्तर्गत 3 ग्राम सिमला सिल्स एवं कोटा सम्मिलित है। योजना में पानी चल रहा था किन्तु लोक निर्माण विभाग द्वारा सड़क निर्माण के कारण योजना क्षतिग्रस्त होने से ग्राम सिल्स एवं कोटा में पानी बन्द है।

(2) बड़कोट चोपड़ी पे0 यो0:- इस योजना में वर्तमान में सुचारु रूप से जलापूर्ति की जा रही है।

(3) पेड़ल ग्राम समूह पेयजल योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में समस्त ग्रामों में सुचारु रुप में जलापूर्ति की जा रही है।

(4) चिन्डवाडा वामी पेयजल योजना:- इस योजना के अन्तर्गत वर्तमान में सुचारु रुप से जलापूर्ति की जा रही है।

(5) फल्दा कोट पेयजल योजना:- इस योजना की मरम्मत जीर्णोद्धार हेतु सुनिश्चित रोजगार योजना के अन्तर्गत रु0 2.00 लाख की स्वीकृति प्राप्त हुई थी तथा इस स्वीकृत धनराशि के विरुद्ध रु0 0.40 लाख की धनराशि प्राप्त हुई है। शेष धनराशि आवंटित करने हेतु अनुरोध किया गया है जिससे योजना के मरम्मत का कार्य पूर्ण किया जा सके।

5- विकास क्षेत्र कोट के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 एवं 1997-98 में मरम्मत कराई गई योजनाओं की सूची ब्लाक प्रमुख कोट को क्षेत्रीय अवर अभियन्ता द्वारा उपलब्ध करा दी गई है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन लखनऊ के सेक्शन 5-द में हुई वित्तीय अनियमितता के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जाँच

69-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत शक्ति भवन, लखनऊ के सेक्शन 5-द में अरबों रुपयों की वित्तीय अनियमितता की फाइल वसूली हेतु लम्बित मामले में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद (निवर्तमान) का पत्र दिनांक 19-7-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद के पत्र दिनांक 19-7-99 में उल्लिखित मामले की जांच करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) के साथ हुए दुर्व्यवहार के सम्बन्ध में अनुशासनिक कार्यवाही

70-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री जे0 सी0 गुप्ता, तत्कालीन अध्यक्ष एवं श्री ए0 एम0 रावल, अधीक्षण अभियन्ता (मुख्यालय) के साथ श्री पी0 एन0 तिवारी, अतिरिक्त महामंत्री, विद्युत कार्यालय कार्मिक संघ उ0 प्र0 द्वारा किये गये दुर्व्यवहार के कारण वर्ष 1995 में अनुशासनिक कार्यवाही हेतु आदेश दिये गये थे? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

आरोप पत्र तामील कराने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल की बनेलस्यू क0 डवालस्यू और मनियारस्यू की अधिकांश पेयजल योजनाओं के असफल होने पर पेयजल की वैकल्पिक व्यवस्था पर विचार

71-श्री भारत सिंह रावत-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद पौड़ी गढ़वाल की बनेलस्यू क0 डवालस्यू और मनियारस्यू की अधिकांश पेयजल योजनाओं के जल स्रोत धीरे-धीरे सूखते जा रहे हैं, जिससे इस सम्पूर्ण क्षेत्र में भयंकर पेयजल संकट उत्पन्न हो गया है? क्या यह भी सत्य है कि उपरोक्त क्षेत्रों में जल निगम द्वारा वैकल्पिक पेयजल व्यवस्था हेतु डांडानाग राजा क्षेत्र पम्पिंग पेयजल योजना का निर्माण करने का प्रस्ताव अधीक्षण अभियन्ता पौड़ी निर्माण मण्डल उत्तर प्रदेश जल निगम पौड़ी के पत्रांक 69/वि0 क्षेत्रकोट/2दिनांक 20-11-98 तथा अधिशासी अभियन्ता प्रकल्प शाखा उत्तर प्रदेश जल निगम पौड़ी के पत्रांक-475/ग्रा0-1/13, दिनांक 3-3-98 द्वारा महाप्रबन्धक गढ़वाल जल संस्थान, देहरादून को प्रेषित किया गया है? यदि हाँ, तो इस प्रस्ताव पर की गयी कार्यवाही का विवरण क्या है?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हाँ।

जी हाँ।

वर्णित क्षेत्रों में पेयजल व्यवस्था हेतु उ0 प्र0 जल निगम पौड़ी द्वारा डांडा नागराजा पम्पिंग पेयजल योजना निर्मित किये जाने का प्रस्ताव लिया गया है, जिस पर गढ़वाल जल संस्थान बोर्ड की दिनांक 10-2-2000 की बैठक में स्वीकृति प्रदान कर दी गई है। इस योजना का सर्वेक्षण, प्राक्कलन विरचन का कार्य अब उ0 प्र0 जल निगम द्वारा किया जा रहा है।

जनपद सुल्तानपुर ग्राम सभा अफोड़या, ब्लाक शाहगढ़, तहसील गौरीगंज में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराने की कार्यवाही

72-श्री भाई लाल-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999, के प्रथम शुक्रवार हेतु निर्धारित अता0 प्र0 सं0-81 के उत्तर के सन्दर्भ में क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि सम्बन्धित ग्रामवासियों द्वारा विद्युत कनेक्शन लेने हेतु फार्म जमा करने के लिए सम्बन्धित अवर अभियन्ता के कार्यालय में जाने पर उन्हें यह कह कर फार्म नहीं जमा किया जाता है कि उक्त ग्राम सभा में विद्युत लाइन चालू नहीं है? क्या सरकार विशेष तौर पर उक्त ग्राम सभा में कैम्प लगवाकर विद्युत कनेक्शन के फार्म जमा करवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जी हाँ, उक्त ग्राम हेतु दो माह के अन्दर विशेष तौर पर कैम्प लगाकर विद्युत कनेक्शन के फार्म जमा करवाये जायेंगे।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यावसायिक काम्पलेक्स के चारों ओर प्राधिकरण की सड़कों पर होटल, फलों की दुकानों का अवैध कब्जा हटवाने की मांग

73-श्री भाई लाल-

क्या सरकार को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यावसायिक काम्पलेक्स के चारों ओर प्राधिकरण की सड़कों पर अवैध रूप से होटल, फलों की दुकानें आदि लगाकर कब्जा कर लिया गया है? यदि हाँ, तो क्या सरकार बाजार के चारों ओर के अवैध कब्जे को हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

कानपुर रोड योजना के सेक्टर-बी में स्थित व्यावसायिक काम्पलेक्स के चारों ओर बनी प्राधिकरण की सड़क व लोक निर्माण विभाग की सड़क पर शाम के समय ठेके वाले सब्जी, फल व अन्य सामग्री का व्यवसाय करते हैं? इन पटरी दुकानदारों को समय-समय पर प्राधिकरण द्वारा हटाया गया है। उनके द्वारा कहीं पर भी स्थायी रूप से कब्जा नहीं किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् परिकल्प खण्ड-3 नीलगिरि काम्पलेक्स इन्दिरा नगर लखनऊ के कर्मियों का समायोजन एवं स्थानान्तरण

74-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि परिक्रमा खण्ड-3 उ0प्र0 आवास विकास परिषद् नीलगिरी काम्पलेक्स इन्दिरा नगर, लखनऊ के विगत वर्ष 36 लोगों के स्थानान्तरण लखनऊ मुख्यालय से गाजियाबाद किये गये? यदि हां, तो क्या उक्त सभी ने कार्यभार ग्रहण कर लिया? यदि नहीं, तो क्यों? क्या शासन इस प्रकरण की जांच करायेगा? यदि हां, तो जांच में दोषी पाये गये अधिकारियों के विरुद्ध कोई कार्यवाही की जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लालजी टण्डन-

उ0 प्र0 आवास एवं विकास परिषद् में परिक्रमा खण्ड-3 नाम का कोई खण्ड नही है, बल्कि परिकल्पना खण्ड-3 के नाम का खण्ड है, जिसके 36 कर्मचारियों का स्थानान्तरण लखनऊ मुख्यालय से गाजियाबाद नही किया था, अपितु परिकल्पना खण्ड-3 लखनऊ के कार्यालय को दिनांक 27-5-98 के आदेश द्वारा मय साज-सज्जा एवं स्टाफ सहित लखनऊ से गाजियाबाद स्थानान्तरित किया गया था।

परिकल्पना खण्ड-3 लखनऊ में तत्सम 39 अधिकारी/कर्मचारी कार्यरत थे जिनमें से 29 अधिकारियों/कर्मचारियों को अन्यत्र समायोजित। स्थानान्तरित किए जाने के फलस्वरूप शेष 10 कर्मचारियों, को अधिशासी अभियन्ता, परिकल्पना खण्ड-3 लखनऊ के आदेश दिनांक 24-6-98 द्वारा परिकल्पना खण्ड-3, गाजियाबाद में कार्यभार ग्रहण करने हेतु कार्यमुक्त किया गया। गाजियाबाद हेतु कार्यमुक्ति किये गये 10 कर्मचारियों में से 6 कर्मचारियों को निजी अनुरोध आदि के आधारों पर लखनऊ स्थित अन्य कार्यालयों में समायोजित/स्थानान्तरित कर दिया गया शेष 4 कर्मचारियों द्वारा परिकल्पना खण्ड-3 गाजियाबाद में कार्यभार ग्रहण किया गया।

उपरोक्तानुसार।

जी नही।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में प्रथम दृष्टया, जांच कराये जाने का कोई बिन्दु निहित नही है अत: जांच कराये जाने का कोई औचित्य नहीं बनता है।

तत्कालीन अधीक्षण अभियन्ता विद्युत पारेषण मण्डल, इलाहाबाद द्वारा अवैध सम्पत्ति अर्जित किये जाने के विरूद्ध शिकायती पत्र पर जांच की कार्यवाही

75-श्री कोविद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत डा0 छोटे लाल वर्मा, विधायक का पत्र दिनांक 23-4-97 जो तत्कालीन मुख्य मंत्री को सम्बोधित था और जो अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत पारेषण मण्डल, इलाहाबाद को अन्यत्र स्थानान्तरित कर उनकी परिसम्पत्तियों की जांच कराये जाने के संबंध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर जांच कराई गई? यदि हां, तो जांच रिपोर्ट क्या है? यदि जांच नही हुई तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

मुख्य अभियन्ता (पारेषण पूर्व) द्वारा जांच करायी जा रही है। स्थानान्तरण सम्बन्धी कार्यवाही जांच आख्या प्राप्त होने के पश्चात् की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

सुल्तानपुर में विकास खण्ड जगदीशपुर के श्री जगत नारायण शुक्ल ग्राम-पहाड़गंज का अन्तिम विच्छेदन हेतु दिया गया पत्र एवं उस पर की गई कार्यवाही

76-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि अधिशासी अभियन्ता, विद्युत वितरण खण्ड, जगदीशपुर, सुल्तानपुर द्वारा उपखण्ड अधिकारी III गौरीगंज, सुल्तानपुर को लिखा गया पत्र दिनांक 12-3-96 जिसमें उपभोक्ता श्री जगत नारायण शुक्ल ग्राम-पहाड़गंज का अन्तिम विच्छेदन हेतु दिये गये प्रार्थना-पत्र की जांच कर रिपोर्ट प्रेषित किये जाने के सम्बन्ध में था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इस प्रकरण की मौके पर जाँच किस अधिकारी द्वारा की गयी? जाँच रिपोर्ट क्या है? यदि जाँच नहीं हुई, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

मौके पर जाँच श्री के0 पी0 सिंह उपखण्ड अधिकारी प्रथम एवं श्री महेश चन्द्र अवर अभियन्ता द्वारा की गयी।

परिसर विच्छेदित पाया गया तथा अन्तिम विच्छेदन रिपोर्ट के आधार पर अन्तिम रुप से रुपया 870.00 मात्र पर निस्तारित किया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत अवर अभियन्ता द्वारा एडवाइस आदि भेजकर परिषद् को क्षति पहुँचाने सम्बन्धी मा0 सदस्य का शिकायती-पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

77-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री सुरेश चन्द्र तिवारी, विधायक का पत्र दिनांक 6-10-98 जो ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित था और जिसमें अवर अभियन्ता द्वारा फर्जी एडवाइस आदि भेज कर परिषद् को क्षति पहुँचाने का उल्लेख था, उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

सम्बन्धित अवर अभियन्ता का लखनऊ से अन्यत्र स्थानान्तरण कर दिया गया है। अधीक्षण अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण मण्डल-1, लेसा, लखनऊ से प्राप्त जाँच आख्या में की गयी संस्तुतियों को संज्ञान में लेते हुए राजस्व से सम्बन्धित अनियमितताओं की जाँच मुख्य अभियन्ता (वितरण), मध्यांचल, लखनऊ एवं अकूल सम्पत्ति अर्जित करने सम्बन्धी शिकायत की जाँच परिषद् की सतर्कता शाखा को सौंप दी गयी है। जाँच आख्यायें प्रतीक्षित हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

78-श्री अजय भट्ट-

विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम फुलई व उसके मजरा बन्दरहिया का विद्युतीकरण कराने की माँग

79-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम फुलई व उसके मजरा बन्दरहिया का विद्युतीकरण कराया गया है? यदि नहीं, तो क्या शासन के पत्रांक 2240 रेस्पो/ग्रा0 वि0/10-4-97 के अनुसार अम्बेडकर ग्राम फुलई और उसके मजरा बन्दरहिया का विद्युतीकरण कराया जायेगा? यदि हाँ, तो कब तक, यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

वर्तमान में निर्धारित नीति के अनुसार मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत पाँच गाँव का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

प्रदेश में श्रम विभाग में वर्तमान समय में कार्य कर रही समितियों की संख्या एवं संघो की सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व

80-श्री हरदेव सिंह-

क्या श्रम मंत्री कृपया बतायेंगे कि श्रम विभाग में वर्तमान समय में प्रदेश में कितनी श्रम समितियां कार्य कर रही हैं? क्या समितियों में श्रम संघों की सदस्यता के आधार पर प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री धर्मपाल सिंह-

श्रम विभाग में वर्तमान समय में 4 श्रम समितियां कार्य कर रही हैं।

जी हाँ।

प्रश्न नहीं उठता है।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ताज ट्रैपीजियम परियोजना के अन्तर्गत 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों की संख्या तथा निर्माण में व्यय धनराशि तथा उपकेन्द्रों के परिचालन में प्रस्तावित कर्मचारियों की संख्या की जानकारी

81-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत ताज ट्रैपीजियम परियोजना के अन्तर्गत कुल कितने 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कराया जा रहा है तथा उन पर कितना धन व्यय होगा? उक्त उपकेन्द्रों के परिचालन हेतु कितने कर्मचारियों को तैनात किया जायेगा? उनके लिए विभिन्न श्रेणी के कुल कितने आवास बनाये जायेंगे?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ताज ट्रैपीजियम क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था के सुधार हेतु दो स्वीकृत योजनाओं के अन्तर्गत कुल 34 नये 33 के0 वी0 उपकेन्द्रों का निर्माण कराये जाने की योजना है। इन उपकेन्द्रों तथा सम्बन्धित लाइनों के निर्माण हेतु 2390.96 लाख रुपये की योजना है।

प्रश्नगत उपकेन्द्रों के परिचालन हेतु विभिन्न पदों पर 612 कर्मचारियों की तैनाती करना प्रस्तावित है।

भूमि तथा संसाधन की उपलब्धता के अनुसार आवासों का प्रबन्ध किया जायेगा।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत कोल्ड स्टोरेज में अधिकारियों द्वारा कराई जा रही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में प्राप्त शिकायती-पत्र एवं उस पर कार्यवाही

82-श्री नरेश सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, पूर्व सांसद का पत्र दिनांक 22-2-1999 कोल्ड स्टोरेज में अधिकारियों द्वारा कराई जा रही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में था, मा0 मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव तथा प्रमुख सचिव (ऊर्जा) को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

सम्बन्धित पत्र के प्रथम विन्दु के तारतम्य में कटे हुए सहकारी, कोल्ड स्टोरेजों को जोड़े जाने के सम्बन्ध में दिनांक 30-1-99 को निर्देश दे दिये गये थे। निजी कोल्ड स्टोरेजों के प्रत्यावेदनों के प्राप्त होने पर उनके गुण-दोष के आधार पर कार्यवाही सम्पादित की गई। जांच में पाया गया कि माननीय पूर्व सांसद के उक्त पत्र में कोल्ड स्टोरेजों में कथित रुप से की जा रही विद्युत चोरी के सम्बन्ध में उल्लेख नहीं किया गया था। तथा श्री नन्द लाल जयसवाल के पत्र में भी विद्युत चोरी के सम्बन्ध में कोई विशिष्ट तथ्य प्रस्तुत नहीं किया गया था। अत: इस सम्बन्ध में कोई कार्यवाही किये जाने का प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 विद्युत् परिषद् के अन्तर्गत 132 के0 वी0 सब स्टेशन डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य में फर्जी बैंक गारंटी फर्जी मापी एवं घटिया कार्य के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

83-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत 132 के0 वी0 सब स्टेशन, डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य में फर्जी बैंक गारंटी, फर्जी मापी एवं घटिया कार्य के सम्बन्ध में माननीय भानु प्रताप सिंह वर्मा, सांसद का पत्र दिनांक 20-4-99 जो कि मुख्य मंत्री एवं मुख्य सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

प्रश्न में उल्लिखित 132 के0 वी0 सब-स्टेशन डुमरियागंज, सिद्धार्थनगर के निर्माण कार्य में फर्जी मापी एवं घटिया कार्य सम्बन्धी मामले में प्रथम दृष्टया दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही की जा रही है। कतिपय अन्य अधिकारियों के विरुद्ध मामला परिक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता समिति द्वारा निविदाओं को स्वीकृत करने में मनमाने ढंग से धन लेने विषयक मा0 सदस्य का शिकायती-पत्र पर जाँच

84-महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता क्रय समिति द्वारा निविदाओं को स्वीकृत करने में मनमाने ढंग से धन लेने सम्बन्धी श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया विधायक का पत्र दिनांक 15-9-98 जो कि मा0 मुख्य मंत्री एवं अध्यक्ष, उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

प्रश्नगत मामले में यू0 पी0 पावर कारपोरेशन स्तर पर कार्यवाही की गयी और संदर्भित पत्र में उठाये गये बिन्दु निराधार पाये गये।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार वर्मा अधिशासी अभियन्ता विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम गाजियाबाद द्वारा करोड़ों की क्षति पहुँचाने सम्बन्धी कथित शिकायती-पत्र

85-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत श्री अरुण कुमार वर्मा, अधिशासी अभियन्ता, विद्युत नगरीय वितरण खण्ड प्रथम, गाजियाबाद द्वारा परिषद् को करोड़ों रुपये की क्षति पहुँचाने सम्बन्धी श्री ओम पाल सिंह चौहान, प्रान्तीय मंत्री, विद्युत मजदूर संगठन उ0 प्र0 (इण्टक) का पत्र दिनांक 15-7-98 जो कि अध्यक्ष उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् मुख्य मंत्री , मुख्य सचिव एवं ऊर्जा मंत्री को सम्बोधित था, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद प्रतापगढ़ में 33 के0 वी0 नवनिर्मित लाईन सिराथू से धाता एवं कालाकाकर से मानिकपुर तक बनी लाइन की फर्जी मापी में परिषद् को हुई क्षति के सम्बन्ध में शिकायती पत्र पर जाँच

86-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में 33 के0 वी0 नवनिर्मित लाइन सिराथू से धाता एवं कालाकाकर से मानिकपुर तक बने लाइन की फर्जी मापी में परिषद् को हुई क्षति के सम्बन्ध में मा0 हरदेव सिंह, विधायक का पत्र दिनांक 4-5-99 जो कि मा0 मुख्य मंत्री, मुख्य सचिव को सम्बोधित है, प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

इस मामले में मुख्य अभियन्ता (जाँच) द्वारा जाँच की जा रही है। रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् अग्रिम कार्यवाही की जायेगी।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) में 10 वर्षों से अधिक समय से एक ही स्थान पर कार्यरत कर्मचारियों का स्थानान्तरण

87-हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत) परिसर में ऐसे कितने कर्मचारी हैं जो 10 वर्षो से अधिक समय से उसी परिसर के अनुभागों में स्थानान्तरित होते रहते हैं? क्या मंत्री जी स्थानान्तरण नीति के तहत 10 वर्षों से अधिक समय से कार्यरत कर्मचारियों को स्थानान्तरित करेंगे? यदि हाँ, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऐसे 92 कर्मचारी हैं।

जी हाँ।

तत्कालीन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् (अब उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0) के हित में आवश्यकतानुसार स्थानान्तरण पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में सी ब्लाक में भूतल पर रहने वाले सात आवंटियों को शासन की नीति के अनुसार भवनों की विक्रय हेतु कार्यवाही

88-श्री मुरलीधर-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-66 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर निगम की रिवर बैंक कालोनी में सी ब्लाक में भूतल में रहने वाले जिन 7 (सात) आवंटित को अवैध करवाने हेतु नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-26ए (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी करने के उपरान्त उनके विरूद्ध क्या कार्यवाही की गयी? उनके अवैध निर्माण को कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

प्रश्नगत कालोनी के भूतल में रहने वाले 7 आवंटियों के विरूद्ध संदर्भित अधिनियम के अन्तर्गत नोटिस जारी कर दिये जाने पर उनके द्वारा दिये गये उत्तर में शासन की नीति के अनुसार भवन को विक्रय करने का अनुरोध किया गया है।

शासन की नीति के अनुसार भवनों के विक्रय हेतु मूल्यांकन आदि की कार्यवाही प्रगति पर है जिसके पूर्ण होने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नही उठता।

श्री मुरलीधर-

विधान सभा के तृतीय सत्र, 1998 के प्रथम शुक्रवार के लिये निर्धारित अतारांकित प्रश्न संख्या-162 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि रिवर बैंक कालोनी लखनऊ स्थित नगर निगम कालोनी के बी0सी0 एवं ब्लाक के आवंटियों को अवैध निर्माण के कारण नगर निगम नियोजन एवं विकास अधिनियम की धारा-26ए (5) के अन्तर्गत नोटिस जारी किये गये थे? यदि हां, तो अवैध निर्माण गिरवाने के संबंध में अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

शासन की नीति के अनुसार भवनों का विक्रय किये जाने हेतु मूल्यांकन आदि की कार्यवाही प्रगति पर है।

प्रश्न नहीं उठता।

एटा जिले के कासगंज आवास विकास परिषद् हेतु अधिग्रहीत की गयी जमीन तथा भूमि मालिको की नियमानुसार मुआवजा

90-श्री नेतराम सिंह-

क्या आवास एवं विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि एटा जिले के कासगंज आवास विकास परिषद् हेतु कितनी भूमि अधिग्रहीत की गयी थी? अधिग्रहीत भूमि का कितना मुआवजा भूमि मालिको को दिया गया था? कितना मुआवजा देना अभी भी शेष है? क्या प्रश्नकर्ता का पत्र माह जून, 1999 आयुक्त आवास विकास परिषद् लखनऊ को मुआवजा भुगतान हेतु प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो मुआवजे का अब तक भुगतान न होने के क्या कारण है? अवशेष मुआवजे का कब तक भुगतान कर दिया जायेगा।

श्री लाल जी टण्डन-

एटा जिले के कासगंज नगर में आवास विकास परिषद् द्वारा आवायीस योजना चलाये जाने हेतु 106-34 एकड़ भूमि के अधिग्रहीत की कार्यवाही की गयी थी जिसके विरूद्ध 105.72 एकड़ भूमि का कब्जा विभिन्न तिथियों में आवास विकास परिषद् को प्राप्त हुआ।

अधिग्रहीत भूमि का मुआवजा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना के अनुसार उक्त योजना के भूमि मालिकों का रू0 49,47,391.18 पैसे का मुआवजा वितरित किया जा चुका है।

उक्त योजना हेतु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा द्वारा जीन एवार्ड रू0 51,06;353.33 पैसे के घोषित किए गये थे जिसके विरूद्ध आवास विकास परिषद् द्वारा रू0 54,40,800.00 पैसे का भुगतान किया जा चुका है। इस आधार पर परिषद् स्तर से कोई धनराशि देय शेष नही था, परन्तु विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा द्वारा रू0 29,06,835.00 पैसे की मांग की गयी। इस धनराशि के विवरण में विभिन्न तिथियों में पूर्व में भुगतान की गयी धनराशि का स्पष्ट उल्लेख उनके द्वारा नहीं किया गया था, साथ ही सोलेशियम व अतिरिक्त धनराशि पर भी ब्याज की गणना कर दी गयी थी जबकि मा0 उच्चतम न्यायालय के निर्णयानुसार सोलेशियम व अतिरिक्त धनराशि पर ब्याज देय नही है।

आवास विकास परिषद् में उक्त के विषय में गणना की जांच करने पर यह भी पाया गया कि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी द्वारा मांगी गयी उक्त धनराशि बहुत ही अधिक है अत: इस विषय में विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा से पूर्ण सूचना मांगी गयी। सूचना उपलब्ध न होने के कारण देयता की स्थिति स्पष्ट नही है।

जी हां।

प्रश्नकर्ता मा0 सदस्य द्वारा 25 काश्तकारों/भू-स्वामियों को देय प्रतिकर की धनराशि का भुगतान किए जाने के संबंध में प्राप्त हुआ था, जिसपर उक्त 25 काश्तकारों/भूस्वामियों को देय प्रतिकर की धनराशि की गणना परिषद् द्वारा की गयी जिसके अनुसार उक्त भू-स्वामियों को रू0 1,20,101.59 पैसे की देयता आती है। जिसका भुगतान किए जाने के आदेश आवास विकास परिषद् द्वारा विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा को दे दिये गये है तथा प्रतिकर की वास्तविक देयता की स्थिति मिलान की कार्यवाही पूर्ण न होने के कारण सम्भव नही हो सकी।

आवास विकास परिषद् स्तर पर की गयी गणना के अनुसार प्रश्न से संबंधित भू-स्वामियों को देय प्रतिकर को धनराशि विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी, आगरा को उपलब्ध कराये जाने के आदेश जारी कर दिये गये है जिसका भुगतान विशेष भूमि अध्याप्ति अधिकारी आगरा द्वारा नियमानुसार किया जायेगा।

आगरा नगर में पूर्व में बने 2 पावर हाउसों के अन्तर्गत निष्प्रयोज्य पड़ी भूमि के स्वामित्व का न्यायालय में विचाराधीन प्रकरण

91-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत आगरा नगर में बने 2 पावर हाऊसों के अन्तर्गत कुल कितनी भूमि कब से निष्प्रयोज्य पड़ी है? क्या विद्युत परिषद् के पास उक्त भूमि के स्वामित्व के अभिलेख उपलब्ध है? यदि हां, तो क्या मंत्री जी यह भी बतायेंगे कि निष्प्रयोज्य भूमि को निस्तारित किये जाने की कोई योजना बनायी गयी है? यदि हां, तो वह क्या है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन (पूर्व उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्) के अन्तर्गत आगरा क्षेत्र, आगरा में पूर्व में बने 2 पावर हाउसों के अन्तर्गत आगरा फोर्ड पावर हाउस पर लगभग 28,000 वर्गमीटर भूमि खाली है तथा यमुना बैंक पावर हाउस पर लगभग 40,000 वर्गमीटर भूमि खाली है।

जी नही। आगरा फोर्ड पावर हाउस की खाली भूमि पर कैन्टोमेन्ट बोर्ड का स्वामित्व है तथा यमुना बैंक पावर हाउस की 40,000 वर्ग मीटर भूमि का स्वामित्व माननीय उच्च न्यायालय में विचाराधीन याचिका संख्या-11731/82 आगरा इलेक्ट्रीक सप्लाई कम्पनी बनाम उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद्, आगरा व अन्य एवं मा0 कलकत्ता उच्च न्यायालय में विचाराधीन बाद सं0-235/88 एवं 1233/82 में विवाद ग्रस्त है।

जी नहीं। चूँकि भूमि के स्वामित्व का मामला मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित है अत: इसका निस्तारण मा0 न्यायालयों के निर्णय के पश्चात् ही किया जाना सम्भव है।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं0 764/93 में दिये गये निर्णयानुसार विभिन्न संवर्गों में प्रशिक्षुओं की नियुक्ति हेतु अग्रिम कार्यवाही

92-डा0 धर्मज्ञ सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं0-764/93 में दिये गये निर्णय दिनांक 12-1-95 के अनुपालन में विभिन्न संवर्गों में कार्य कर चुके प्रशिक्षुओं को नियुक्त हेतु अधिकतम आयु सीमा 50 वर्ष निर्धारित करने पर क्या सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्नगत याचिका में दिये गये निर्णय में यह आदेशित किया है कि प्रशिक्षु के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त अभ्यर्थियों को यथा आवश्यक अधिकतम आयु सीमा से प्रशिक्षण अवधि की छूट प्रदान की जाय। इन आदेशों का अनुपालन तत्कालीन परिषद् अब उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन द्वारा किया जा रहा है।

लखनऊ में अहिवरनपुर सब स्टेशन के अन्तर्गत मोहल्ला भरत नगर में 11000 बोल्ट की मकानों से होकर गुजरती विद्युत लाइन हटाने की माँग

93-श्री तेजभान सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अहिबरनपुर सब-स्टेशन के अन्तर्गत मोहल्ला भरत नगर, लखनऊ में जो 11000 बोल्ट की विद्युत लाइन कई मकानों के ऊपर से बस्ती के बीच से होकर गुजरती है, निष्प्रयोज्य घोषित की जा चुकी है? यदि हाँ, तो इसे कब तक हटा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्न ही नहीं उठता।

यह लाइन निष्प्रयोज्य नहीं है।

नगर निगम लखनऊ के मोहल्ला आलोक नगर में सफाई की व्यवस्था का विवरण

94-श्री अब्दुल मन्नान-

विधान सभा के प्रथम सत्र, 1999 के दूसरे शुक्रवार के लिए निर्धारित अता0 प्र0 सं0-61 के उत्तर के संदर्भ में क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मुहल्ला आलोक नगर में नियुक्त सफाई कर्मचारी कौन है? क्या यह सही है कि उक्त सफाई कर्मचारी उक्त मुहल्ले में सफाई का कार्य नहीं करता है जिसके कारण मुहल्ले में गन्दगी व्याप्त है? क्या मंत्री जी इसकी जाँच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

कोई नहीं।

प्रश्नगत मोहल्ले में नियमित सफाई कर्मचारी नियुक्त नहीं हैं फिर भी आस-पास के क्षेत्र में नियुक्त सफाई कर्मचारी द्वारा समय-समय पर सफाई व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाती है और आवश्यकतानुसार संविदा श्रमिक भी लगाकर सफाई व्यवस्था कराई जाती है। उक्त क्षेत्र में गन्दगी व्याप्त नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय कर्मियों को वाहन भत्ता दिये जाने का औचित्य

95-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत परिषदीय सचिवालय कर्मियों को वाहन भत्ता दिया जा रहा है? यदि हां, तो वाहन भत्ता दिया जाना नियमानुसार सही है? यदि नहीं तो क्या इसके लिये दोषीजनों के विरूद्ध कार्यवाही की जयेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

क्योंकि दि इलेक्ट्री सिटी (सप्लाई) एक्ट-1948 की धारा-79 (सी) में निहित प्राविधानानुसार तत्कालीन राज्य विद्युत परिषद् अपने सेवकों के वेतन एवं भत्तों के संबंध में निर्णय लेने हेतु स्वयं सक्षम थे।

अत: सार्वजनिक उद्यम ब्यूरो की अनुरूपता में परिषद् ने अपने सचिवालय कार्मिकों को परिषद् के अनुमोदनोपरान्त ही वाहन भत्ता अनुमन्य किया था।

उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में मीटर रीडरों की प्रोन्नति

96-श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में जुलाई, 1996 में कितने मीटर रीडर को एस0 एस0 ओ0 बनाया गया था तथा इसके लिये परिषदीय आदेश क्या था? क्या यह सही है कि माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद एवं लखनऊ बेन्च कार्य परिवर्तन पर रोक लगा दी थी? यदि हां, तो परिषदीय आदेश के अनुपालन न करने वाले अधिकारियों के विरूद्ध 29-9-99 तक क्या कार्यवाही की गई? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

तत्कालीन उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के आदेश दिनांक 30 मई, 1996 में निहित आदेशानुसार विद्युत वितरण खण्ड देवरिया में जुलाई, 1996 में 10 अदद तकनीशियन ग्रेड-II (विद्युत) जो मीटर रीडर का कार्य कर रहे थे, कार्य परिवर्तन कर उन्हें एस0 एस0 ओ0 का कार्य आवंटित किया गया।

जी हां।

परिषदीय आदेश के अनुपालन न किये जाने का कोई प्रकरण प्रकाश में नही आया।

प्रश्न नही उठता।

97-श्री हरदेव सिंह-

(चौथे शुक्रवार के लिए स्थगित।)

उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्डपीठ लखनऊ में दायर रिट याचिका से 1925/99 तथा विशेष रिट याचिका 190/99 के निर्णय तथा दोनों रिटों में व्यय धनराशि

98- श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद खण्ड पीठ के समक्ष प्रस्तुत रिट याचिका सं0-1925/99 एवं विशेष अपील याचिका सं0-198/99 में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिये गये निर्णय की प्रतिलिपि सदन के पटल पर रखेंगे? यदि नहीं, तो क्यों? क्या सरकार कृपया यह भी बतायेगी कि इन दोनों रिट याचिकाओं में परिषद् द्वारा अलग-अलग कितना धन व्यय किया गया?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 3-5-99 तथा निर्णय दिनांक 25-5-99 की प्रतिलिपियां मेरे कार्यालय कक्ष में उपलब्ध हैं, जिन्हें माननीय सदस्य द्वारा किसी कार्य दिवस में कार्यालय में देखा जा सकता है।

प्रश्न नही उठता।

याचिका संख्या 1925/99 में रुपये 1532.50 तथा विशेष याचिका संख्या 198/99 में रुपये 250.00 अधिवक्ता की फीस तथा विविध व्यय के रुप में अब तक व्यय किया गया।

शक्ति भवन लखनऊ के सेक्शन-डी में श्री प्रभुनाथ राय द्वारा गुण्डागर्दी करने फर्जी प्रोन्नति लेने तथा फाइल गायब करने के विरुद्ध शिकायती-पत्र

99-श्री कोविद कुमार, श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया तथा श्री हरदेव सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के अन्तर्गत मा0 महेन्द्र कुमार बाल्मीकि, विधायक का पत्र दिनांक 15-7-99 जो कि जांच अधिकारी एवं निदेशक (कार्मिक), शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ को सम्बोधित था, जिसमें 5 डी सेक्शन बिना किसी पास के श्री प्रभुनाथ राय द्वारा गुण्डागर्दी करने, फर्जी प्रोन्नति लेने तथा फाइल गायब करने सम्बन्धी था प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो पत्र में उठाये गये बिन्दुओं पर क्या कार्यवाही की गई? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हाँ।

जाँच चल रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

100-श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकि-

न्यायालय के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम परचल रसूलपुर के मजरा मैलापुरवा, दुधेला हुलास पुरवा, ससेड़ा, पविपानी, झण्डीपुरवा में विद्युतीकरण कराने की माँग

101-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में घोषित अम्बेडकर ग्राम परचल रसूलपुर के मजरा मैलापुरवां, दुधेला हुलास पुरवा, ससेड़ा, पविपानी, झण्डीपुरवा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

आदेश संख्या 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 वर्ष 1996-97 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व मजरों पर लागू नहीं होता है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित रखना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर गाँव नूरपुर हथौरा के ग्राम सिन्धारा, मौसमपुर, मढ़िया, अन्टवा, भिखरियापुर, टेड़वा, दुर्जनपुरवा का विद्युतीकरण कराने की माँग

102-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 में घोषित अम्बेडकर ग्राम नूरपुर हथौरा, के ग्राम सिन्धारा, मौसमापुर, मढ़िया, अन्टवा, भिखरियापुर, टेड़वा, दुर्जनपुर का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कराया गया है? यदि नहीं? तो क्यों? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

आदेश संख्या-2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 वर्ष 1996-97 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर गाँव डाभा के मजरा कोढ़ई में विद्युतीकरण कराने की माँग

103-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1996-97 मे घोषित अम्बेडकर ग्राम डाभा के मजरा कोढ़ई में विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

आदेश संख्या-2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर गाँव अटवारा चक्कोला व उसके मजरा नेवादा में विद्युतीकरण कराने की माँग

104-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में घोषित अम्बेडकर ग्राम अटवारा चक्कोला व उसके मजरा नेवादा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर गाँव रुदामऊ के मजरा छेदापुरवा व भूड़पुरवा व कोरनियां में विद्युतीकरण कराने की माँग

105-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद-हरदोई 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में घोषित अम्बेडकर ग्राम रुदामऊ के मजरा छेदापुरवा व भूड़पुरवा व कोरनियां का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु धनराशि उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सका है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित करना सम्भव नहीं है।

जनपद पौड़ी के अन्तर्गत नयार नदी पर मंगोली झूला पुल का निर्माण कराने की माँग

106-श्री मोहन सिंह रावत गाँववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या पौड़ी जनपद के अन्तर्गत नयार नदी पर मंगोली झूला पुल के पुनरीक्षित आगणन की शासन द्वारा स्वीकृति दे दी गयी है? यदि हाँ, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों? क्या यह सही है कि मंगोली के पास स्वीकृत उक्त झूला पुल के निर्माण न होने के कारण अनेक दुर्घटनाएं हो रही हैं? क्या सरकार उक्त झूला पुल का निर्माण शीघ्र करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्राप्त पुनरीक्षित आगणन को परीक्षणोपरांत पाया गया कि प्रश्नगत कार्य नया कार्य है, जिसके लिए मुख्य अभियन्ता लो0 नि0 वि0 गढ़वा क्षेत्र से अद्यतन दरों पर आगणन अपेक्षित है।

इस सम्बन्ध में सूचना अप्राप्त।

शासन की अर्थोपाय नीति एवं सीमित संसाधनों को देखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं।

उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड के अन्तर्गत मा0 उच्चतम न्यायालय की याचिका संख्या 764/93 में दिये गये निर्णयानुसार विभिन्न संवर्गों के प्रशिक्षुओं के चयन में वरियता की कार्यवाही

107-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका संख्या-764/93 में दिये गये निर्णय दिनांक 12-1-95 के अनुपालन में विभिन्न संवर्गों में कार्य कर चुके प्रशिक्षुओं को नियमित सेवा/समायोजन करने पर सरकार विचार कर रही है? यदि हाँ, तो सरकार द्वारा आदेश कब तक निर्गत कर दिये जायेंगे? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा याचिका सं0 764/1993 में दिये गये निर्णय दिनांक 12-1-95 में प्रशिक्षुओं को नियमित सेवा में समायोजन के निर्देश नहीं थे अपितु यह आदेशित किया गया था कि अन्य बातों के समान रहते हुए सीधी भर्ती के अन्य अभ्यर्थियों की अपेक्षा प्रशिक्षुओं को चयन में वरियता प्रदान की जाय। उक्त आदेशों का अनुपालन उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा किया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बदायूँ में बिना नालों की सफाई किये धन हड़पने के सम्बन्ध में शिकायती-पत्र पर जाँच

108-श्री भोलाशंकर मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि प्रश्नकर्ता का पत्र संख्या-ख-2381131 माह अगस्त, 1999 को जिलाधिकारी बदायूँ को प्राप्त हुआ है? जिसमें राज वित्त आयोग द्वारा प्राप्त 65,000 रु0 की धनराशि नगरपालिका प्रशासन, बिल्सी जनपद बदायूँ द्वारा बिना नालों की सफाई किए हड़पने का आरोप है, जिलाधिकारी बदायूँ को प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो इसकी जाँच किस अधिकारी द्वारा कराई गयी? जाँच परिणाम क्या है? जांचोपरान्त दोषी के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गयी?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हाँ।

मा0 विधायक का प्रश्न में संदर्भित पत्र, जिसमें 65,000 रु0 से कराये जाने वाले सफाई कार्यों की जांच कराने तथा दोषी अधिकारी/कर्मचारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने का उल्लेख है, जिलाधिकारी,बदायूं को प्राप्त हुआ है।

उल्लिखित शिकायतों की जांच उप जिलाधिकारी, बिल्सी, जनपद बदायूं से करायी गयी।

पालिका कोष से रू0 20,000 व्यय करके नालों की आंशिक सफाई का कार्य कराया गया है। शासकीय अनुदान से इस हेतु कोई धनराशि आहरित नही की गई है?

नगर पालिका परिषद् बिल्सी के अधिशासी अधिकारी से स्पष्टीकरण तथा अभिलेख मांगे गये है जिनके प्राप्त होने पर समुचित कार्यवाही की जा सकेगी।

प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय उ0 प्र0 लखनऊ द्वारा समिति के अनुमोदन पर वरिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति के आदेश

109-श्री बाबूलाल-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि प्रशिक्षण एवं सेवायोजन निदेशालय, उ0 प्र0 लखनऊ के पत्रांक 737/ई-1-0903/174स्टा:पै0/ब0स0/97 दिनांक 29 अप्रैल, 1997 द्वारा वरिष्ठ लिपिक से वरिष्ठ सहायक पद पर पदोन्नति हेतु 51 कर्मचारियों की सूची प्रकाशित की गई थी? क्या यह सही है कि कुछ वरिष्ठ कर्मचारियों के नाम उक्त सूची में प्रकाशित नही किये गये है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार उन वरिष्ठ कर्मचारियों को वरिष्ठता के आधार पर उसी तिथि से पदोन्नति करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हां।

जी नही।

विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 26-3-97 द्वारा अनुमोदत सभी पात्र व्यक्तियों के नाम प्रकाशित किए गए।

जी नही।

विभागीय समिति द्वारा प्रोन्नति हेतु पात्र पाये जाने पर इन्हें कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से सामान्यतया पदोन्नति दी जाती है।

पौड़ी गढ़वाल के एकेश्वर स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

110- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि अत्यधिक सघन घनत्वपूर्ण आवादी का केन्द्रस्थ स्थान एकेश्वर (पौड़ी गढ़वाल) में शासन ने अतिरिक्त प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र स्थापित करने की स्वीकृति दे दी है? यदि नही, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कन्डारी-

जी नहीं।

एकेश्वर में राजकीय आयुर्वेदिक चिकित्सालय स्थापित है।

श्रीनगर गढ़वाल राजकीय कन्या इण्टर कालेज में इण्टर विज्ञान में गणित विषय की मान्यता देने पर विचार

111- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कपया बतायेंगे कि राजकीय कन्या इण्टर कालेज, श्रीनगर, गढ़वाल में इण्टर विज्ञान में गणित विषय की मान्यता दिये जाने पर सरकार विचार कर रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ स्थित जगदीश चन्द्र बोस वार्ड माता हींगलाज देवी मार्ग जोन-1 में कराये गये कथित अवैध निर्माण को हटवाने की मांग

112- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जगदीश चन्द्र बोस वार्ड माता हींगलाज देवी मार्ग जोन-1 लखनऊ में कराये गये अवैध निर्माण कार्य से जनता को आवागमन में कठिनाई हो रही है? यदि हां, तो क्या सरकार जनहित में उक्त अवैध निर्माण को हटायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

उपरोक्तानुसार।

-तदैव-

गाजीपुर नगरपालिका परिषद् के अकेन्द्रियत सेवा के पेंशन भोगी एवं मृत कर्मचारियों के देय बीमा, जी0पी0एफ0 का भुगतान

113- श्री रांजेन्द्र यादव-

क्या नगर विकास मंत्री बजाने की कृपा करेंगे कि नगरपरलिका परिषद् के अकेन्द्रियत सेवा कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू है? यदि हां, तो कब से? यदि नही, तो क्यों? नगर पालिका परिषद गाजीपुर के अकेन्द्रियत सेवा के कितने ऐसे कर्मचारी है जो पेंशन योजना लागू होने की तिथि से अब तक सेवा निवृत्त हुए या मृत हुए? क्या उन्हें पेंशन उपादान, राशिकृत, बीमा, जी0पी0एफ0 का भुगतान कर दिया गया है? यदि नही, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

नगर पालिका परिषद् के अकेन्द्रियत सेवा के कर्मचारियों पर पेंशन योजना 01 अक्टूबर, 1984 से लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

नगर पालिका परिषद्, गाजीपुर में अकेन्द्रियत सेवा के कर्मचारियों पर पेंशन योजना लागू होने की तिथि से अबतक 96 कर्मचारी सेवानिवृत्त तथा 10 कर्मचारी मृत हुए है।

इन उपरोक्त कर्मचारियों में से 18 कर्मचारी अनिवार्य रूप से सेवानिवृत्त हो गए है, जिनका प्रकरण मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित होने के कारण पेंशन उपादान का भुगतान बाधित है। 15 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की सेवा अवधि कम होने के कारण पेंशन अनुमन्य नही है। 14 कर्मचारियों के पेंशन प्रकरण सहायक निदेशक, स्थानीय निधि के यहां परीक्षण हेतू लम्बित है। 6 कर्मचारियों द्वारा वारिस प्रमाण-पत्र प्रस्तुत न किए जाने के कारण पेंशन प्रकरण लम्बित है। 19 कर्मचारियों को पेंशन भुगतान किया जा रहा है। 04 कर्मचारियों की पेंशन स्वीकृत होकर प्राप्त हुयी है, जिसके भुगतान की कार्यवाही की जा रही है। शेष 24 सेवानिवृत्त कर्मचारियों की मृत्यु हो चुकी है, जिन्हें पेंशन भुगतान किया जाता था।

प्रश्न नही उठता।

जनपद मथुरा में गोवर्धन क्षेत्र की ग्राम पंचायतों के विद्युतीकरण कराने विषयक विधायक कोष्ठक में दिये गये पत्र पर कृत कार्यवाही की जानकारी

114- श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मथुरा जनपद के गोवर्धन क्षेत्र की विधान सभाओं का विद्युतीकरण कराये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-23578/मथुरा/99 अध्यक्ष उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

राधाकुण्ड से बसौती की लाइन को राधाकुण्ड से मुखराई जाने वाली लाइन से नही जोड़ी जा सकती क्योंकि बसौती को ग्रामीण स्तर प्राप्त है तथा राधाकुण्ड को धार्मिक स्थान होने के कारण अनवरत विद्युत आपूर्ति की जाती है।

मौजा बसौती के नगला कतलपुर का विद्युतीकरण इस वर्ष में किसी भी मा0 विधायक/सांसद संस्तुत नही किया गया है अतः यह कार्य इस वर्ष के कार्यक्रम मे शामिल नही है।

जनपद पौड़ी के हिवल, नयार एवं मछलाड नदियों पर झूला पूलों के निर्माण की मांग

115- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी जनपद के अन्तर्गत हिवल नदी पर ग्राम बिजौली व विरमोली के बीच, वडेथ-रिड़ण के पास, नयार नदी पर डलकसैण बटान्डू में, मछलाड नदी के गवाणातल्ला दनगल में मछलाड नदी के बोरगांव-वस्यूर वनडताक पर, गजर सैण के पास तथा पश्चिमी नयार पर कोला-पणिया के नीचे झूला पुलों के निर्माण हेतु क्या शासन द्वारा स्वीकृति प्रदान की गई है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

वर्तमान वित्तीय वर्ष में सीमित वित्तीय संसाधनों के कारण स्वीकृति दिया जाना सम्भव नही है

मण्डन मुख्यालय पौड़ी में रोंसी खेलकूद स्टेडियम के विस्तार हेतु प्राक्लन शासन के विचाराधीन

116- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि मण्डल मुख्यालय पौड़ी में रोंसी खेलकूद स्टेडियम के विस्तार किये जाने हेतु प्राक्लन शासन की स्वीकृति हेतु लम्बित है? यदि हां, तो उसको स्वीकृत पर निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ कर दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

धनराशि की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नही उठता।

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय क्राण्डी विकास क्षेत्र दूवारीखाल पौड़ी गढ़वाल के आवासीय/अनावासीय भवनों के भूकम्प से क्षतिग्रस्त होने की जानकारी तथा उनको पुननिर्माण कराने की मांग

117- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकाय मंत्री को जानकारी है कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, काण्डी वि0क्षे0 दूवारिखाल पौड़ी के आवासी तथा अनावासीय भवन भूकम्प से क्षतिग्रस्त हो गये है? क्या यह सही है कि उनके पुननिर्मण कराये जाने हेतु प्रारम्भिक आगणन स्वीकृति हेतु शासन में लम्बित है? यदि हां, तो उसकी स्वीकृति कब तक प्रदान कर दी जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी नहीं।

धन की उपलब्धता पर तिर्भर है।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद हरदोई क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम बसहर कतुलूपुर के मजरा पुरवा सियाराम यादव टोला के विद्युतीकरण की मांग

118- श्री धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बतायेंगे कि जनपद-हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में स्वीकृत अम्बेडकर ग्राम बसहर कतुलूपुर के मजरा पुरवा सियाराम यादव टोला का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0वि0/दिनांक 10-4-97 के अनुसार करा दिया गया है? यदि नहीं, तो सरकार इन ग्रामों का विद्युतीकरण कब तक करायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

आदेश सं0-2240-रेस्पो-ग्रा0वि0 दिनांक 10-4-97 वर्ष 1995-96 में चयनित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है। समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

वर्तमान में शासन द्वारा निर्धारित नीति के अनुसार मा0 विधायकगण की संस्तुति पर पांच गांव का विद्युतीकरण कराया जा रहा है।

माल एवेन्यु लखनऊ स्थित अन्जुमन इस्लामियां कब्रिस्तान वक्फ नं0 83 की भूमि पर से मो0 फसाहत हसन के अवैध कब्जा को हटाने की मांग

119- श्री राजपाल सिंह-

क्या अल्प संख्यक कल्याण एवं वक्फ मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि माल एवेन्यु लखनऊ स्थित अन्जुमन इस्लामियां कब्रिस्तान वक्फ नं0-83 की भूमि पर से मो0 फसाहत हसन के अवैध कब्जों को हटाने सम्बन्धी अन्जुमन इस्लामियां कब्रिस्तान के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित प्रार्थना पत्र दिनांक 11-8-98 व 17-8-98 दिया गया था, प्राप्त हुआ है। यदि हां, तो उक्त कब्रिस्तान की सुरक्षा एवं रख रखाव हेतु सरकार द्वारा नया कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

राजा गजनफर अली खॉ-

प्रश्नगत विषय में प्रार्थना पत्र दिनांक 17-8-98 प्राप्त हुआ है। दिनांक11-8-98 को कोई प्रार्थना पत्र प्राप्त नही हुआ।

माल एवेन्यु स्थित अन्जुमन इस्लामिया कब्रिस्तान वक्फ नं0-83 की भूमि से मोहम्मद फसाहत हसन का अवैध कब्जा हटाने के लिये बोर्ड द्वारा वक्फ एक्ट 1960 की धारा 57-ए के तहत अर्धन्यायिक प्रक्रिया पूर्ण करने के उपरान्त दिनांक 14-7-88 को जिलाधिकारी, लखनऊ को अधियाचन भेजने का आदेश दिया गया था तथा अधियाचन दिनांक 23-7-88 को आदेश जारी कर दिये गये, जिस पर श्री फसाहत हसन ने मा0 उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या-6082/88 दायर करके स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया।

मा0 उच्च न्यायालय ने आदेश दिनांक 2-12-99 के द्वारा उक्त रिट याचिका का निस्तारण करते हुए सुन्नी वक्फ बोर्ड द्वारा भेजे गये अधियाचन को क्रियान्वित करने का आदेश दिया। जिलाधिकारी लखनऊ द्वारा दिनांक 28-1-2000को तहसीलदार सदर लखनऊ को अधियाचन के क्रियान्वयन हेतु आदेश दिया गया। जिलाधिकरी के उक्त आदेश के विरूद्ध श्री फसाहत हसन ने मा0 उच्च न्यायालय में पुन: रिट यचिका दायर कर स्थगन आदेश प्राप्त कर लिया, जो अभी भी प्रभावी है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्रीनगर स्थित ऐतिहासिक धरोहर सिद्धपीठ धारी देवी को डूबने से बचाने के लिए उसी स्थान पर ऊंचाई से ऊपर उठकर मन्दिर स्थापित करने की मांग

120- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि श्रीनगर जल विद्युत परियोजना पौड़ी गढ़वाल के बन जाने के कारण वहां स्थित सिद्धपीठ धारी देवी कलिया सौंड पौड़ी गढ़वाल डूब क्षेत्र के अन्तर्गत आ गया है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सांस्कृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक धरोहर सिद्धपीठ धारी देवी को डूबने से बचाने के लिये उसी स्थान पर डूब ऊंचाई से ऊपर उठा कर मन्दिर स्थापित करने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी हां

प्रश्न नही उठता।

यू0पी0 डेस्को लखनऊ में समूह 'ग' के शोध सहायक के पदों में नियुक्ति प्रकरण में की गयी कथित अनियमितता

121- श्री राम नक्षत्र-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि "यू0पी0 डेस्को-लखनऊ" में समूह-"ग" के शोध-सहायक के पदों में भर्ती/नियुक्ति प्रकरण में अनियमितता बरते जाने विषयक "अनुसूचित जाति/जनजाति कर्मचारी कल्याण संघ" के प्रान्तीय महामंत्री श्री हरपाल सिंह का पत्रांक:53/99-2000 दिनांक 9-8-99 उन्हें प्राप्त हुआ है? यदि हाँ, तो उस पर क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यो?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हाँ।

श्री राम कुमार भारतीय यू0पी0 डेस्को में दिनांक 26-7-88 से दिनांक 17-7-97 तक के अवधि में समय-समय में उपलब्ध एसाइन्मेंट के आधार पर संहत वेतन पर कार्यरत रहे। इन्हें नियमित चयन प्रक्रिया के अन्तर्गत नियुक्त नहीं किया गया था। तत्कालीन प्रबन्ध निदेशक द्वारा निगम में कार्यरत पांच शोध सहायकों

को मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद की लखनऊ खण्डपीठ के निर्णय दिनांके 21-3-97 के अनुपालन में उन्हें नियमित वेतनमान रु0 1600-2600 दिनांक 21-4-97 से प्रदान किया गया। तत्पश्चात् निवर्तमान प्रबन्ध निदेशक द्वारा एक कमेटी गठित कर इन सभी पांच शोध सहायकों को नियमित नियुक्ति प्रदान की गयी। श्री भारतीय को अनुसूचित जाति हेतु आरक्षित पद के विरुद्ध नियमित किये जाने सम्बन्धी मामला निदेशक मण्डल की दिनांक 31-7-99 को हुई 74वीं बैठक में प्रस्तुत किया गया जिसमें यह निर्णय लिया गया कि श्री राम कुमार भारतीय के विषय में मा0 न्यायालय के आदेश न होने तथा निगम में शोध सहायक का पद उपलब्ध न होने के कारण इनकी नियुक्ति/नियमितीकरण करना सम्भव नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बस्ती के ग्राम कोयलापुरा पो0 कटया घोषित अम्बेडकर गांव के पिछड़ी जाति/अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को पात्रता के अनुसार मकान आदि की सुविधा

122-श्री समर पाल सिंह-

क्या अम्बेडकर ग्राम विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि क्या ग्राम कोयलपुरा, पोस्ट-कटया, जिला बस्ती को अम्बेडकर ग्राम घोषित किया गया है? क्या पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को सरकार द्वारा आवासीय सुविधा प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कितने पिछड़ी जाति तथा अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को यह सुविधा प्रदान की गयी है? क्या अनुसूचित जाति के ऐसे व्यक्तियों को आवासीय सुविधाओं से वंचित कर दिया गया है जो पात्रता की श्रेणी में आते थे? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कार्यवाही करते हुए पात्र अनुसूचित जाति के व्यक्तियों को आवास उपलब्ध करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री राधेश्याम कोरी-

जी हां।

जी हां।

10 (दस) पिछड़ी जाति एवं 16 (सोलह) अनुसूचित जाति।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल में राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल में विज्ञान की कक्षाएं संचालित करने की मान्यता तथा अध्यापकों के पद सृजित करने की मांग

123-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल (पौड़ी गढ़वाल) को विज्ञान वर्ग की कक्षाएं संचालित करने हेतु मान्यता दे दी गई है? क्या छात्रों के शिक्षण हेतु अध्यापकों के पद सृजित कर दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी नहीं।

शैक्षणिक पदों के सृजन से पूर्व नियमानुसार विज्ञान संकाय के 5 विषयों को अस्थाई सम्बद्धता हेतु महाविद्यालय के विज्ञान संकाय की पैनेल निरीक्षक रिपोर्ट एवं विश्वविद्यालय कार्य परिषद् का अनुमोदन अभी प्राप्त नहीं हुआ है।

राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल (पौड़ी गढ़वाल) में भवन बनाये जाने का विचाराधीन प्रकरण

124-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि राजकीय महाविद्यालय चौबट्टाखाल (पौड़ी गढ़वाल) का भवन निर्माण कराये जाने का मामला शासन के विचाराधीन है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता है।

श्रीनगर (गढ़वाल) नगर पालिका परिषद् के कंस मर्दिनी मार्ग पर रह रहे कथित बाल्मीकि परिवारों को मकान आवंटित किये जाने की मांग

125-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका परिषद् श्रीनगर गढ़वाल के बाल्मीकि बस्ती के कंस मर्दिनी मार्ग पर नजूल की भूमि पर वर्ष 1998 से बाल्मीकि परिवार रहते हैं? यदि हां, तो क्या उक्त नजूल भूमि को बाल्मीकि परिवारों को आवंटित किया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

नगर पालिका परिषद् श्रीनगर (गढ़वाल) की कस मर्दिनी मार्ग में नजूल की भूमि पर कोई बाल्मीकि बस्ती पालिका कर्मचारियों की नहीं है, इस स्थान पर कुछ बाल्मीकि परिवार अपने निजी/क्रय की गयी भूमि पर निवास करते हैं। इस कारण नजूल भूमि के आवंटन का प्रश्न नहीं उठता है।

यू0पी0 एस्वेस्ट्स सीमेंट फैक्ट्री मोहनलालगंज लखनऊ के बिना नोटिस दिये निकाले गये कर्मचारियों को उप श्रमायुक्त द्वारा रखे जाने के आदेश का अनुपालन

126-श्री उदय राज यादव-

क्या श्रम मंत्री को जानकारी है कि यू0पी0 एस्वेस्टस सीमेंट फैक्ट्री मोहनलालगंज, लखनऊ के कर्मचारियों को बिना किसी नोटिस के ड्यूटी न करने देने के सम्बन्ध में उपश्रमायुक्त लखनऊ के पत्र संख्या 8147/9 एल0 आर0 आई0 आर0 दिनांक 12-6-98 के द्वारा उन्हें ड्यूटी पर उपस्थित होने का आदेश दिया गया था?, यदि हां, तो क्या उन्हें ड्यूटी पर लेने के पश्चात् बिना कारण ड्यूटी न करने देने के दिनों का भुगतान फैक्ट्री प्रबन्धक द्वारा कर दिया गया है? यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं? उपरोक्त भुगतान कब तक सुनिश्चित कर दिया जायेगा?

श्री धर्मपाल सिंह-

जी हां।

जी नहीं।

जांच के समय सेवायोजकों द्वारा अवगत कराया गया कि सम्बन्धित कर्मचारी स्वयं कार्य से अनुपस्थित थे। अतः कार्य नहीं तो वेतन नहीं के सिद्धान्त पर अनुपस्थित दिनों का भुगतान नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

प्रदेश में ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन के पश्चात् नयी नियुक्तियों की घोषित नीति एवं चयन का प्राविधान

127-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि उ0 प्र0 शासन की घोषित नीति के अनुसार क्या उत्तरांचल में पर्वतीय उप संवर्ग के आधार पर विद्युत सेवा आयोग लखनऊ तृतीय श्रेणी एवं श्रमिक के रिक्त पदों पर उत्तरांचल के बेरोजगार विद्युत अप्रेन्टिस की वरिष्ठता के आधार पर 1992 तक की सूची के अनुसार आयु

सीमा में छूट देते हुए नियुक्तियां की जा रही हैं? क्या उत्तरांचल क्षेत्र में पर्वतीय उप संवर्ग के आधार पर मुख्य अभियन्ता (उत्तरांचल) उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् के द्वारा समस्त रिक्त पदों के सापेक्ष तृतीय श्रेणी पर नियुक्तियां होने के पश्चात् शेष बचे विद्युत अप्रेन्टिस अभ्यर्थियों की श्रमिक के 674 पदों पर भी नियुक्तियां दी जायेंगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ऊर्जा क्षेत्र के पुनर्गठन फलस्वरूप सम्प्रति उ0 प्र0 राज्य विद्युत परिषद् अस्तित्व विहीन हो गया है तथा तीन नये निगम उ0 प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, उ0 प्र0 जल विद्युत निगम लि0 एवं उ0 प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 क्रियाशील हो गये हैं। निगमों में नये पद सृजन तथा पर्वतीय उप संवर्ग लागू होने पर नई नियुक्तियों के समय शासन की घोषित नीति के अनुसार विद्युत अप्रेन्टिसों को आयु सीमा में नियमानुसार छूट प्रदान करते हुए चयन में वरीयता प्रदान किया जाना संभव होगा।

उन समस्त पदों जिन पर सीधी भर्ती की जाती है पर चयन विद्युत सेवा आयोग के माध्यम से ही किये जाने का प्राविधान है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी कानपुर रोड योजना सेक्टर डी में पाइप लाइन का कथित रिसाव

128-श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के मकान-नं0-एम0एम0 309 से 324 तक के मध्य पानी की पाइप लाइन ऊपर ही डाल दी गयी है जिसके कारण कोई भी गाड़ी आने जाने पर पाइप जगह-जगह टूट जाती है? यदि हां, तो क्या उक्त समस्या के समाधान के लिए पाइप लाइन नीचे की जायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

पानी की पाइप लाइन 75 सेमी0 गहराई पर डाली गयी है। वर्तमान में पानी की पाइप लाइन में कोई लीकेज नहीं है।

पाइप लाइन में कोई लीकेज नहीं है। अतएव इसे नीचे करने का कोई औचित्य नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर डी0 के सामने निरन्तर पानी भरे रहने के कारण, कूड़ा आदि डालने के कारण पार्क की सफाई/सौन्दर्यीकरण की मांग

129-श्री ज्वाला प्रसाद यादव-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि लखनऊ विकास प्राधिकरण की आवासीय कालोनी कानपुर रोड योजना के सेक्टर-डी-1 के मकान-नं0-एम0एम0 309 से 319 के सामने स्थित पार्क में पानी का जमाव निरन्तर बने रहने एवं लोगों द्वारा घर का कूड़ा फेकने के कारण काफी गन्दगी बनी रहती है? यदि हां, तो क्या उक्त पार्क का सफाई एवं सौन्दर्यीकरण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

उपलब्ध संसाधनों के सापेक्ष सन्दर्भगत कार्य यथाशीघ्र किया जा सकेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद एटा के विकास खण्ड, अलीगंज के ग्राम विथरा में 33/11 के0वी0ए0 के विद्युत सब स्टेशन का कथित निर्माण

130-श्री शिशुपाल सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद एटा के विकास खण्ड-अलीगंज के ग्राम विथरा में एक 33/11 क0वी0ए0 का विद्युत सब स्टेशन लगभग 10 वर्ष पूर्व बनाया गया था? यदि हां, तो क्या उससे विद्युत आपूर्ति की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त सब स्टशन कब तक कार्य करना प्रारम्भ कर देगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

सन्दर्भगत ग्राम विथरा में 33/11 के0 बी0 ए0 उपकेन्द्र का निर्माण नही हुआ है।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद एटा के विकास खण्ड सकीट के अन्तर्गत ग्राम रिजोर में 33/11 के0 बी0 ए0 विद्युत सब स्टेशन न बनने के कारण विद्युत आपूर्ति की समस्या निदान की मांग

131- श्री शिशु पाल सिंह यादव-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद-एटा के विकास खण्ड-सकीट के अन्तर्गत ग्राम-रिजोर में एक 33/11 के0बी0ए0 विद्युत सब स्टेशन का वर्ष 1988-89 में निर्माण कार्य प्रारम्भ किया गया था? क्या यह सही है कि उक्त सब स्टेशन का कार्य पूर्ण न होने के कारण विद्युत आपूर्ति नही हो पा रही है? यदि हां, तो अवशेष कार्य का निर्माण कराकर विद्युत आपूर्ति कब तक सुनिश्चित कर दी जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता तथा आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत उपकेन्द्र का निर्माण कार्य पूर्ण कराने पर विचार किया जायेगा।

प्रश्न नही उठता।

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद में चयनित 5 ग्रामों के पूर्ण विद्युतीकरण की मांग

132- श्री गणेश राजभर-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद, गाजीपुर में विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष चयनित 5 गांवों मे से अभी तक चार गांवों का विद्युतीकरण नही किया गया है? क्या ग्राम सिपाह में अधूरा कार्य कराया गया है? क्या चयनित गांवों की पूर्ण आबादी में विद्युतीकरण कार्य पूर्ण कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद गाजीपुर में विद्युतीकरण हेतु गत वर्ष चयनित पॉचों गांवों में विद्युतीकरण किया जा चुका है, जिसकी स्थिति निम्नवत् है :-

ग्राम का नाम	विद्युतीकरण की तिथि
1- कैलही	15-06-1992
2- इन्दौर	18-1.-1999
3- सिपाह	29-06-1999
4- दरियापुर	31-01-2000
5- मखदूमपुर	15-02-2000

अधूरे कार्य का प्रश्न ही नहीं है। कारपोरेशन के निर्धारित मापदण्ड रू0 5.00 लाख की सीमा के अन्तर्गत प्राक्कलन के अनुसार पूर्ण आवादी में विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण किया गया है।

पौड़ी गढ़वाल कांसखेत-घड़ियाल-बाघाट मोटर मार्ग को चौड़ा करके पक्का डामरीकृत करने की कार्यवाही

133- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी कांसखेत-घड़ियाल-बाघाट मोटर मार्ग (पौड़ी गढ़वाल) को पक्का डामरीकरण करने का प्रस्ताव व प्राकलन स्वीकृति हेतु शासन के विचाराधीन है? क्या पौड़ी गढ़वाल का 45 वर्ष पुराने उक्त मोटर मार्ग को मक्का डामरीकरण करने की सरकार स्वीकृति देगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां, प्रश्नगत मार्ग 46.00 किमी0 लम्बा है जिसमें से 18.50 कि0मी0 लम्बाई में डामरीकरण किया जा चुका है तथा 9.50 कि0मी0 लम्बाई में डामरीकाण कार्य प्रगति पर है।

शेष 18.00 कि0मी0 लम्बाई में डामरीकरण हेतु धनराशि की उपलब्धता के आधार पर स्वीकृति देने पर विचार किया जायेगा।

पौड़ी उत्तराखण्ड-इतिहास पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी हेतु स्वीकृति धन तथा निर्माण की मांग

134- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि उत्तराखण्ड-इतिहास-पुरातत्व एवं लोक संस्कृति संग्रहालय पौड़ी-पौड़ी गढ़वाल को शासन के द्वारा स्वीकृत होने पर प्राक्कलनों व प्रारूप-प्रस्ताव के अनुसार धन स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो उक्त का निर्माण कार्य कब तक प्रारम्भ किया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी नही।

संसाधनों की उपलब्धता के अनुसार यथा समय विचार किया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी चोपड़ा-राई जिला विद्यालय निरीक्षक के रिक्त आवास पर चलाने का औचित्य

135- श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय चोपड़ा-राई नगर पालिका परिषद् पौड़ी भवनविहीन होने के कारण चोपड़ा-राई के क्षेत्र के विपरीत अन्य स्थान पर चल रहा है? यदि हां, तो क्या रा0क0उ0मा0वि0 चोपड़ा राई पौड़ी के भवन बनाने हेतु शीघ्र ही शासन धन स्वीकृत करेगा? यदि हा, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

राजकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय पौड़ी चोपड़ा-राई में किराये के भवन में चल रहा था। भवन स्वामी द्वारा भवन खाली करा लिए जाने के कारण वर्तमान में यह विद्यालय जिला विद्यालय निरीक्षक के लिए रिक्त पड़े आवास, पौड़ी में चल रहा है।

भूमि एवं वित्तीय संसाधन की उपलब्धता पर निर्भर है।

समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ सुभाष चन्द्र बोस वार्ड जोन-1 माता हींगलाज देवी मार्ग में निर्मित बहुमंजिली इमारतों में निर्माण कर्ता द्वारा अवैध निर्माण शमनित करने हेतु दिया गया आवेदन पत्र

136-श्री होरी राम सिंह-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि सुभाषचन्द्र बोस वार्ड जोन-1 माता हींगलाज देवी मार्ग, लखनऊ में कितनी बहुमंजिली इमारतों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है? क्या यह निर्माण अवैध है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध निर्माणाधीन भवनों के अतिक्रमण को हटवायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

प्रश्नगत स्थल पर एक निर्माण कार्य काफी पूर्व में प्रारम्भ किया गया था जो वर्तमान समय में बन्द है।

जी हां।

निर्माणकर्ता द्वारा स्वैच्छिक शमन योजना-98 के अन्तर्गत अवैध निर्माण को शामिल कराने हेतु प्राधिकरण में अग्रिम शमन शुल्क के रुप में 10,000/ रु0 जमा किया गया है। शमन हेतु आवेदन अभी विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

यू0पी0 एस्वेस्ट्स सीट्स सीमेन्ट फैक्ट्री मोहन लाल गंज लखनऊ के अनियमित संचालन हेतु दिया गया बिन्दुवार शिकायती-पत्र तथा जांच

137-श्री उदयराज यादव-

क्या श्रम मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि विधायक कोष्ठक के पत्र सं0-सी0एम0/बी0को0/एम-1/21444/गोण्डा/99, दिनांक 19-8-99 के क्रम में यू0पी0 एस्वेस्ट्स सीट्स फैक्ट्री मोहन लाल गंज, लखनऊ के अनियमित संचालन हेतु 21 बिन्दुओं पर क्या कोई उच्च स्तरीय जांच कराई गयी थी? यदि हां, तो जांच का परिणाम क्या है?

श्री धर्मपाल सिंह-

विधायक कोष्ठक का पत्र दिनांक 19-8-99 नहीं वरन् 19-3-99 प्राप्त हुआ है जिस पर जांच कराई गई।

जांच के बिन्दु संख्या-4,11,12,14 एवं 17 में जांच आख्या के आधार पर कार्यवाही की जा चुकी है। बिन्दु संख्या-1,2,3,10,16,21 श्रम विभाग से सम्बन्धित नहीं है। बिंन्दु संख्या-5,6,7,9,13,14 तथा 15 में जांचोपरान्त कोई अनियमितता नहीं पायी गयी। शेष बिन्दु 8,18,19,20 पर जांच की जा रही है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र सण्डीला में विधायक कोटे के चयनित ग्रामों का विद्युतीकरण

138-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रश्नकर्ता के निर्वाचन क्षेत्र सण्डीला जनपद हरदोई के अन्तर्गत वर्ष 1999-2000 में विद्युतीकरण हेतु विधायक कोटे के चयनित ग्राम पिंजरावा, हुसैनपुर पलिया, नैरा भगवन्तापुर, कोदौरी के विद्युतीकरण का कार्य क्या प्रारम्भ कर दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूरा करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1999-2000 के विधायक कोटे के 5 ग्रामों का कार्य प्रगति पर है तथा सितम्बर, 2000 तक पूर्ण होने की सम्भावना है। संदर्भित 5 ग्राम उपरोक्त के अतिरिक्त है अत: विद्युतीकरण का कोई कार्यक्रम नहीं है।

139-श्री अब्दुल मन्नान-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि वित्तीय वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 में जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के अन्तर्गत चयनित अम्बेडकर ग्रामों के कितने ग्राम ऐसे हैं जिनका विद्युतीकरण किया जाना शेष है? विलम्ब के कारण क्या हैं? क्या यह सही है कि ग्राम खेरबा तथा गौरी फखुरदन मे अभी तक विद्युतीकरण नहीं किया गया है? यदि हां, तो क्यों? शेष ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य क्या वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूरा करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1996-97, 1997-98, 1998-99 तथा 1999-2000 तक जनपद हरदोई के विधान सभा क्षेत्र सण्डीला के कुल चयनित ग्रामों में से 10 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जाना अवशेष है।

उक्त ग्रामों मे से चार ग्रामों का विद्युतीकरण कार्य चल रहा है शेष 6 ग्रामों के विद्युतीकरण के लिए वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण नहीं कराया जा सकता है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

चार ग्रामों का विद्युतीकरण का कार्य वित्तीय वर्ष 1999-2000 में पूरा करा लिया जायेगा। शेष छः ग्रामों के लिए विद्युतीकरण कराना सम्भव नहीं है।

वित्तीय संसाधन उपलब्ध न होने के कारण।

जनपद पौड़ी में विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु सतपुली में 132/33 के0 वी0 ए0 उपकेन्द्र स्थापित किये जाने की मांग

140-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी जनपद को विद्युत आपूर्ति की समस्या के समाधान हेतु सतपुली में 132/33 के0बी0 उपकेन्द्र स्थापित करने हेतु प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उक्त प्रस्ताव पर कब तक निर्णय ले लिया जायेगा? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने की मांग

141-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने का कोई प्रकरण शासन के विचाराधीन लम्बित है? यदि हां, तो उस पर निर्णय कब तक ले लिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत सतपुली में राजकीय महाविद्यालय स्थापित करने के प्रकरण पर सम्यक विचारोपरान्त निर्धारित मानकों के परिपेक्ष्य में इसका कोई औचित्य नही पाया गया।

प्रश्न नहीं उठता।

142-श्री राजधारी-

मंत्री परिषद् में शामिल होने के कारण हटाया गया।

जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी के मोहल्ला बरेली एवं आस पास तथा निकट मण्डी में जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग

143-श्री सतीश जतारिया-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद नैनीताल स्थित हल्द्वानी के मोहल्ला बरेली एवं आसपास तथा निकट मण्डी में जलापूर्ति नियमित रूप से नहीं की जा रही है? यदि हां, तो क्या सरकार उपरोक्त स्थानों पर नियमित जलापूर्ति की व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी हां।

बरेली रोड पर हल्द्वानी नगर के निचले क्षेत्रों की पेयजल समस्या के निराकरण हेतु एक नल कूप निर्माणाधीन है। उक्त नलकूप के चालू होने के उपरान्त बरेली रोड तल्ली हल्द्वानी क्षेत्र में पेयजल की नियमित जलापूर्ति हो जायेगी।

आंशिक सुधार हेतु कुमायूं जल संस्थान द्वारा वाईपास पाइप लाइन बिछाये जाने का कार्य पूर्ण करा दिया गया है, जिससे क्षेत्र की पेयजल व्यवस्था में आंशिक सुधार हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

अल्मोड़ा राजकीय आनन्द सिंह बालिका इण्टर कालेज में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में कामर्स (वाणिज्य) विषय की शिक्षा प्रारम्भ करने की मांग

144-श्री सतीश जतारिया-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि राजकीय आनन्द सिंह बालिका इण्टर कालेज, अल्मोड़ा में हाईस्कूल एवं इण्टामीडिएट में कामर्स (वाणिज्य) विषय की मान्यता प्राप्त नहीं है? क्या वहां की छात्रायें उक्त विषय की शिक्षा से वंचित है? यदि हॉ, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय में हाईस्कूल एवं इण्टरमीडिएट में कामर्स का विषय पढ़ाये जाने की व्यवस्था करेगी? यदि हो, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातवर सिंह कण्डारी-

जी हां।

कामर्स (वाणिज्य) विषय पढ़ाये जाने/खोले जाने की न तो कोई मांग है और न ही कोई प्रस्ताव शासन को प्राप्त हुआ है।

यदि शासन को कोई प्रस्ताव प्राप्त होता है तो सेसाधनों की उपलब्धता के आधार पर विचार किया जायेगा।

145-श्री राम औतार शाक्य-

(दिनांक 31-3-2000 को अता0 प्र0 सं0-63 द्वारा उत्तरित।)

मथुरा जनपद के ब्लाक गोवर्धन के ग्राम अडींग में विद्युत ट्रांसफार्मर लगाने सम्बन्धी पत्र पर कार्यवाही

146-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम अडींग,ब्लाक गोवर्धन, जिला मथुरा में विद्युत ट्रान्सफार्मर लगाये जाने की स्वीकृति के सम्बन्ध में विधायक कोष्ठक का पत्रांक-सी0एम0/वि0को0/एम-/21970/मथुरा/99,दिनांक 3-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है? क्या सरकार उक्त ट्रान्सफार्मर को तत्काल लगाये जाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

सामग्री प्राप्त कर ट्रान्सफार्मर 25.12.1999 को लगा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में अवैध कटिया कनेक्शन से नियमित करने की संख्या की जानकारी

147-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश की प्रगति के सम्बन्ध में दिये गये "एक वर्ष का संदेश" में "कटिया हटाओ कनेक्शन लगवाओ" अभियान में निर्धन लोगों को केवल एक तिहाई धन जमा करने पर कनेक्शन की रियायती सुविधा, 7 लाख से अधिक अवैध कनेक्शन नियमित करने, 5034 ग्रामों का विद्युतीकरण तथा 19746 निजी नलकूपों के उर्जीकरण के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91 मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के कितने व्यक्ति लाभान्वित हुए है?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में 2137 व्यक्तियों को अवैध कनेक्शन नियमित किये गये है।

विभिन्न योजनाओं में 11 ग्रामों का विद्युतीकरण किया गया है। कृषकों को 09 निजी नलकूप कनेक्शन दिये गये है।

झांसी जनपद क्षेत्र बबीना में अवर अभियन्ता द्वारा दैनिक वेतन कर्मचारियों से मीटर रीडिंग, बिल भुगतान आदि कार्य लेने में की जा रही कथित अनियमितता

148-श्री सतीश जतारिया-

क्या सरकार को जानकरी है कि झांसी जनपद के विधान सभा क्षेत्र बबीना में अवर अभियन्ताओं द्वारा दैनिक वेतन पर कर्मचारी रखकर उपभोक्ताओं के बिजली के मीटर रीडिंग करायी जाती है तथा बिलों का वितरण कराया जाता है? क्या यह सही है कि उक्त कार्य में उक्त दैनिक मजदूर तथा अवर अभियन्ता मिल कर बिलों में हेरा-फेरी कर उपभोक्ताओं से पैसा वसूली करते है और कम रीडिंग दिखाकर विद्युत विभाग का हानि पहुंचा रहे है? क्या सरकार इसकी उच्च स्तरीय जांच कराकर दोषी व्यक्तियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

जनपद लखनऊ, पवनपुरी आलमबाग में श्री इन्द्रमणि शुक्ला व लक्ष्मी देवी प्रसाद का प्लाट के मध्य रास्ते को लेकर विवाद का मामला

149-श्री छोटे लाल गंगवार-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री इन्द्रमणि शुक्ला का शिकायती-पत्र मुख्य मंत्री कार्यालय के पत्रांक लखनऊ 5504/लो0शि0-2/99, दिनांक 12-6-99 द्वारा जिलाधिकारी, लखनऊ को भेजा गया था, जो अवैध कब्जा हटाये जाने विषयक था, प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। शिकायती-पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, लखनऊ में जांच करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार यह पाया गया कि आवेदक श्री इन्द्रमणि शुक्ल, निवासी पवनपुरी, आलमबाग व लक्ष्मी देवी प्रसाद के मध्य में एक प्लाट में रास्ते को लेकर विवाद है। श्रीमती लक्ष्मी देवी इस

प्लाट में सार्वजनिक मार्ग होना बताती हैं जबकि इन्द्रमणि शुक्ल द्वारा इसमें सार्वजनिक मार्ग न होकर अपना नीजि प्लाट होना बताया जाता है। इसी बात को लेकर दोनों पक्षों में तनाव बना रहता है। उभय पक्षों के तनाव को दृष्टिगत रखते हुए दिनांक 10-6-99 को धारा-107/116 की कार्यवाही करके 116(3) में पाबन्द कराया गया है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा इस सम्बन्ध में प्रभारी निरीक्षक आलमबाग एवं वीटो उप निरीक्षक को सतर्क दृष्टि रखने के निर्देश दिये हैं। दोनों पक्षों को सुझाव दिये गये हैं कि रास्ते की भूमि को लेकर विवाद न करें बल्कि न्यायालय में प्रतिवेदन कर मामले को निस्तारण करायें।

आयुक्त बरेली के आदेश पर अध्यक्ष, नगरपालिका परिषद् बिल्सी द्वारा उप जिलाधिकारी की उपस्थिति में आहूत बैठक के स्थगन का औचित्य

150-श्री भोलाशंकर मौर्य-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि आयुक्त बरेली मण्डल बरेली के आदेश संख्या 2245-47/तेईस-128(98-99) दिनांक 12-8-99 द्वारा जिलाधिकारी बदायूं को आदेश दिया गया था कि अध्यक्ष नगर पालिका परिषद् बिल्सी द्वारा एक बैठक उप जिलाधिकारी बिल्सी की उपस्थिति में सार्वजनिक स्थान पर आहूत कर ली जाय? यदि हां, तो क्या बैठक आहूत कर कार्यवाही की गयी? यदि हां, तो क्या? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद्, बिल्सी द्वारा दिनांक 30-11-99 के लिए आहूत बैठक उप जिलाधिकारी, बिल्सी के मुख्यालय से बाहर रहने के कारण स्थगित हो गयी थी। दिनांक 12-1-2000 को आयोजित बैठक अध्यक्ष के आदेश दिनांक 10-1-2000 द्वारा स्थगित कर दी गयी। पुन: दिनांक 29-3-2000 को बैठक बुलाई गयी थी जिसे मा0 विधायक के पत्र दिनांक 26-3-2000 में किये गये अनुरोध को ध्यान में रखते हुए स्थगित कर दिया गया। शासन/जिलाधिकारी, बदायूं के स्तर से पालिका की बैठक शीघ्र आहूत करने हेतु अध्यक्ष को निर्देशित कर दिया गया है।

बैठक स्थगित हो जाने के कारण कोई कार्यवाही नहीं हो सकी है।

उपरोक्तानुसार।

151-श्री भोला शंकर मौर्य-

(विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त।)

जनपद चित्रकूट के बालापुर खालसा के विद्युतीकरण में तार, खम्भे, ट्रांसफार्मर आदि मानक के आधार पर होने की जानकारी

152-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 1997-98 में जनपद चित्रकूट के बालापुर खालसा का विद्युतीकरण बुन्देल खण्ड विकास निधि के धन से किया गया है? यदि हां, तो क्या उक्त गांव हेतु नया ट्रांसफार्मर 63 के0वी0ए0 कास्टीमेट स्वीकृत किया गया है? यदि हां, तो क्या यह सही है कि नये के बदले मरम्मत किया गया पुराना, ट्रांसफार्मर उक्त गांव में भेजा गया है, जो जला हुआ है? क्या मानक एवं आगणन के अनुसार तार व खम्भे लगाये गये हैं? क्या सम्पूर्ण गांव का विद्युतीकरण किया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उपरोक्त प्रकरणों की जांच कराई जायेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

स्टीमेट में केवल ट्रांसफार्मर का प्राविधान किया जाता है गुणवत्ता एवं क्षमता की दृष्टि से नये अथवा मरम्मत किये हुए ट्रांसफार्मर में कोई अन्तर नहीं होता है अत: इसका उल्लेख इस्टीमेट में नहीं होता है।

जी नहीं।

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि भौरी से हरदौली मार्ग का निर्माण

153-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या नियोजन मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि राज्यांश से भौरी से हरदौली मार्ग के निर्माण हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जी हां। 1.5 कि0मी0 सड़क के निर्माण की स्वीकृति दिनांक 31-3-2000 को दी गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

154-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[दिनांक 29-3-2000 को अता0 प्र0 सं0 131 द्वारा उत्तरित]

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में कनेक्शन देने की सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत दिये गये विद्युत कनेक्शनों की जानकारी

155-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बिजली के नये कनेक्शन देने के लिए प्रक्रिया के सरलीकरण अभियान के अन्तर्गत जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में अब तक कितने व्यक्तियों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जनपद हरदोई के 91- मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में कनेक्शन देने की सरलीकरण प्रक्रिया के अन्तर्गत 2137 व्यक्तियों को बिजली के कनेक्शन दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ आलमनगर रेलवे क्रासिंग से मोहान रोड बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प तक रोड पर स्ट्रीट लाइट के खम्भे लगवाने की मांग

156-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ में आलमनगर रेलवे क्रासिंग से मोहान रोड पर बुद्धेश्वर पेट्रोल पम्प तक रोड़ पर स्ट्रीट हेतू खम्भे लगाये गये है? यदि हां, तो क्या सरकार नगर सीमा के अन्तर्गत आने वाले काकोरी मोड़ तक रोड के किनारे स्ट्रीट लाइट लगवाने पर विचार करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

नगर निगम स्तर पर कार्य योजना बनाने का कार्य प्रगति पर है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

चयनित अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत गांवों में विद्युतीकरण कराये जाने की मांग

157-श्री राम ललित चौधरी-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि 1997-99 तथा 1999-2000 के अन्तर्गत जिन ग्रामों का चयन अम्बेडकर योजना के अन्तर्गत किया गया था क्या उन सभी का विद्युतीकरण हो गया है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या उनके शीघ्र विद्युतीकरण के लिये सरकार धन उपलब्ध करायेगी।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

शासन द्वारा उपलब्ध करायी गई धनराशि के लक्ष्य के विरूद्ध अवशिष बचे चयनित अम्बेडकर ग्रामों के विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है जिसे शीघ्रातिशीघ्र पूर्ण कराने का हर सम्भव प्रयास किया जा रहा है।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 5 गांवों के विद्युतीकरण का कार्य किया जा रहा है। अत: अम्बेडकर गांवों हेतु अतिरिक्त धनराशि उपलब्ध कराना संभव नही है।

जनपद लखीमपुर में नगर की बन्द फीडरों एवं स्ट्रीट लाइट को ठीक कराने की मांग

158-डा0 कौशन किशोर-

क्या नगा विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर पालिका लखीमपुर जनपद-लखीमपुर में नगर की स्ट्रीट लाइटें विगत एक वर्ष से नही जल रही है? यदि हां, तो क्या नगर में पुन: रोड लाइट चालू करने की सरकार की कोई योजना है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

नगर पालिका परिषद् लखीमपुर का कुल 8 फीडरों की 350 स्ट्रीट लाइटें बंद थी जिन्हे उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद् द्वारा चालू किया जाना था। अब तक एक फीडर की 50 स्ट्रीट लाइटें चालू कर दी गयी है शेष सात फीडरों की 300 स्ट्रीट लाइटों को शीघ्र चालू करने हेतु प्रयास किया जा रहा है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद लखीमपुर ब्लाक लखीमपुर ग्राम सरैया माफी में विद्युतीकरण तथा विद्युत आपूर्ति की व्यवस्था की जानकारी

159-डा0 कौशल किशोर-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सरैया माफी ब्लाक लखीमपुर जनपद लखीमपुर का विद्युतीकरण कब हुआ था और इस ग्राम में ग्रामवासियों को अब तक कितने बिजली के कनेशन दिये गये है? क्या यह सही है कि इस ग्राम का विद्युतीकरण करने के बाद से अब तक बिजली सप्लाई ही नही दी गयी है? यदि हां, तो क्यों? क्या सरकार अब तक उक्त ग्राम हेतु विद्युत आपूर्ति पर विचार कर रही है? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

ग्राम सरैया माफी ब्लाक लखीमपुर जनपद का विद्युतीकरण वर्ष 1996 में हुआ था।

ग्रामवासियों द्वारा अभी तक कोई विद्युत कनेक्शन नही लिये गये है।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

जी नहीं।

ग्राम विद्युतीकृत करने के समय विद्युत आपूर्ति दी गयी थी बाद में 11 केवी लाइन का तार चोरी हो जाने के कारण विद्युत आपूर्ति बाधित हो गयी। समुचित मात्रा में विद्युत कनेक्शन की मांग आने पर विद्युत आपूर्ति पुन: चालू किये जाने का पर विचार किया जाना सम्भव होगा।

जनपद आजमगढ़ के लालगंज नगरीय क्षेत्र में स्थित 132 के0वी0 सब स्टेशन पर विद्युत वितरण व्यवस्था का विवरण

160-श्री नरेन्द्र सिंह-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि आजमगढ़ के लालगंज स्थित 132 के0वी0 सब स्टेशन से 1 जून, 1999 से 28 जून, 1999 तक बिजली प्रतिदिन रात्रि में 2 बजे के बाद वितरित की गयी है? यदि नही, तो क्या सरकार तिथिवार 1 जुन 1999 से 28 जून, 1999 तक 132 के0वी0 लालगंज जनपद आजमगढ़ में रात्रि में विद्युत के आने का समय बतायेंगी? क्या सरकार आजमगढ़ जनपद के लालगंज नगरीय क्षेत्र (नगर पंचायत) में स्थित 132 के0वी0 सब स्टेशन पर प्रतिदिन विलम्बतम् रात्रि में नौ बजे से विद्युत वितरण व्यवस्था सुनिश्चित करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नही।

1जून, 1999 से 28 जून 1999 तक का विद्युत आपूर्ति का तिथिवार विवरण संलग्न है।

विद्युत उपलब्धता के अनुरूप ही विद्युत आपूर्ति किया जाना सम्भव होगा।

प्रश्न नहीं उठता है।

(देखिये नत्थी "ग" आगे पृष्ठ ----------पर।)

जनपद झांसी की परीक्षण तापीय परियोजना के कार्यालय में क्रय की जाने वाली साज-सज्जा एवं स्टेशनरी आदि की दरों में कथित अनियमितता

161-श्री सतीश जतारिया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि झांसी जनपद की परीक्षा तापीय परियोजना के कार्यालय की क्रय की जाने वाली साज सज्जा एवं स्टेशनरी आदि की दरें बाजार भाव में दस गुनी ज्यादा होती है? क्या सरकार 1999-2000 में अब तक क्रय की गई उपरोक्त सामग्री का भौतिक सत्यापन कराकर क्रय की गई सामग्री में अनियमितता पाये जाने पर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

1999-2000 में क्रय की गई सामग्री का भौतिक सत्यापन कराया गया है। चूंकि जांच में अनियमितताएं नही पाई गई। अत: किसी के विरूद्ध कार्यवाही का प्रश्न नही है।

प्रश्न नही उठता।

जनपद झांसी में जल निगम द्वारा झांसी-बबीना तक बिछाई गयी पाइप लाइन में लीकेज की मरम्मत हेतु स्वीकृत धन का सदुपयोग

162-श्री सतीश जतारिया-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि जनपद झांसी में जल निगम द्वारा झांसी-बबीना तक बिछायी गयी पाइप लाइन में लीकेज की मरम्मत हेतु वर्ष 1997-1998 व 1998-99 में कितनी धनराशि स्वीकृत की गयी? क्या यह सही है कि स्वीकृत धनराशि में मरम्मत का कार्य न कराकर धन का दुरूपयोग किया गया है? यदि हां, तो क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। पाइप लाइन की लीकेज मरम्मत हेतु वर्ष 1997-98 में रू0 7.62 लाख तथा वर्ष 1998-99 में रू0 8.094 लाख स्वीकृत किये गये है।

जी नही। पाइप लाइन की मरम्मत करायी गयी है। धन का दुरूपयोग नही किया गया है।

चूंकि धन का दुरूपयोग नही किया गया है। अत: जांच का प्रश्न नही उठता।

प्रश्न नही उठता।

जनपद झांसी के बबीना क्षेत्र में भारी विद्युत मूल्य बकाया बिलों के उपभोक्ताओं का नाम लेजर से कथित रूप में हटाने का मामला

163- श्री सतीश जतारिया-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि झांसी जनपद के बबीना विधान सभा क्षेत्र में भारी विद्युत मूल्य बकाया बिलों के उपभोक्ताओं का नाम लेजर से हटा दिया जाता है? क्या सरकार इन लेजर को वर्ष 1997-98 व 1998-99 की जांच कराकर दोषी पाये गये अधिकारियों/कर्मचारियों के विरूद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

जी नही।

प्रश्न नही उठता।

164-श्री गोपाल कृष्ण-

(आश्वासन समिति के विचाराधीन होने के कारण निरस्त।)

जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण करने हेतु स्वीकृत गांव तथा उनकी धनराशियों का विवरण

165-श्री आर0के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में बुन्देलखण्ड विकास निधि से वित्तीय वर्ष 1997-98 में विद्युतीकरण करने हेतु कौन-कौन गांव स्वीकृत किये गये थे? किन-किन गांव के लिए कितनी-कितनी धनराशि स्वीकृत की गई? क्या यह सही है कि ग्राम शिवरामपुर की अनु0 बस्ती पिपरोदल एवं बालापुर खालसा का विद्युतीकरण मानक के अनुसार नही किया गया है? क्या उपरोक्त की जांच करायी जायेगी? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

वर्ष 1997-98 में बुन्देलखण्ड विकास निधि से विद्युतीकरण हेतु निम्न ग्राम स्वीकृत किये गये थे।

(अ) कंजनपुरवा

(ब) बालापुर

(स) शिवरामपुर

(द) बरगदीपुरवा

(क) औदहा

(ख) मेनहाई

(ग) परवात रौहा

(घ) पिपरोंदर

ग्रात्म स्वीकृत की गयी धनराशि (लाख में) निम्न है:-

(अ) कंजनपुरवा	1,00000
(स) शिवरामपुर	1,84693
(ब) बालापुर	1,70779
(द) बरगदीपुरवा	1,00000
(क) औदहा	0,47190
(ख) मेनहाई	0,94293
(ग) परवात रौहा	0,60000
(घ) पिपरौंदर	6,44800

उपरोक्त सभी कार्य मानक व आंकलन के प्राविधान के अनुसार किये गये है।

जांच आख्या के अनुसार ग्राम शिवरामपुर की अनुसूचित जाति बस्ती पिपरौंधा एवं बालापुर खालसा का विद्युतीकरण मानक के अनुसार किये गये पाये गये।

प्रश्न नही उठता।

जनपद चित्रकूट में विधायक कोटे के अन्तर्गत स्वीकृत 5 गांवों का विद्युतीकरण

166-श्री आर0 के0 सिंह पटेल-

क्या ऊर्जा मंत्री को जानकारी है कि जनपद चित्रकूट में विधायक कोटे के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में विद्युतीकरण हेतु खमरिया सोमखारा बूढ़ा, चिल्ला, माफी, दरियाव पुरवा तथा छिपनी 5 ग्राम स्वीकृत हुए थे? यदि नही, तो क्यों? क्या ग्राम चिल्लामाफी में अनु0 जाति की बस्ती का विद्युतीकरण छोड़ दिया गया है? यदि हां, तो क्यों? क्या ग्राम चिल्लामाफी में विद्युतीकरण में की गई अनियमितताओं की जांच करवाकर दोषी को दण्डित किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नही, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हां।

उक्त पांचों/ग्रामों का विद्युतीकरण करा दिया गया है।

प्रश्न नही उठता।

नहीं। नियमानुसार एक ग्राम के विद्युतीकरण के साथ एक हरिजन बस्ती के विद्युतीकरण का प्राविधान है तदनुसार ग्राम चिल्ला माफी में अनु0 जाति बस्ती के विद्युतीकरण कार्य करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बांदा के मा0 सदस्य दद्दू प्रसाद द्वारा दिये गये पांच गांवों के विद्युतीकरण के स्वीकृत प्रस्ताव का कार्य

167-श्री दद्दू प्रसाद-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि पांच ग्रामों का विद्युतीकरण विषयक प्रश्नकर्ता का पत्र दिनांक 16-7-99 उनको प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो क्या प्रश्नकर्ता द्वारा प्रस्तावित पांच ग्रामों का विद्युतीकरण की स्वीकृति प्रदान कर दी गयी है? यदि नहीं, तो क्यों? क्या वर्ष 1998-99 के प्रस्तावित पांच ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य पूर्ण करा दिया गया है? यदि नहीं, तो उन ग्रामों के विद्युतीकरण का कार्य कब तक पूर्ण करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी हा।

जी हा।

प्रश्न नहीं उठता।

जी हां। दिनांक 3-7-99 को कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता है।

जनपद फतेहपुर में मानक एवं गुणवत्ता के अनुसार अधिष्ठापित इण्डिया मार्का हैण्ड पम्पों की स्थापना

168-श्री मुरलीधर-

क्या सरकार कृपया बतायेगी कि जनपद फतेहपुर में जल निगम द्वारा वर्ष 1997 एवं 1998 में कितने इण्डिया मार्का हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं? उनमें से कितने हैण्ड पम्प स्थापित होना शेष है? क्या यह सही है कि हैण्ड पम्पों के स्थापना में मानक के अनुरुप कार्य न होने के कारण पानी निकलना बन्द हो गया है? क्या सरकार इसकी जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्यवाही करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जनपद फतेहपुर में वर्ष 1996-97 में 1563 एवं वर्ष 1997-98 में 1612 नग इण्डिया मार्का-11हैण्ड पम्प स्वीकृत किये गये हैं।

कोई हैण्डपम्प अधिष्ठापित होना शेष नहीं है।

जी नहीं। हैण्डपम्पों का अधिष्ठापन कार्य मानक के अनुसार कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला लखीमपुर में गांधी विद्यालय का चौराहा अस्पताल रोड, गुड़ मण्डी स्टेशन रोड कोतवाली तक होम्योपैथिक अस्पताल से जेल रोड तथा कोतवाली सदर चौराहे से संकटा देवी मन्दिर की क्षतिग्रस्त सड़क के निर्माण की मांग

169-डा0 कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि शहर लखीमपुर नगर पालिका के सदर स्कूल के सामने गांधी विद्यालय का चौराहा अस्पताल रोड, गुड़ मंडी से स्टेशन, कोतवाली तक होम्योपैथिक अस्पताल से जेल रोड तथा कोतवाली सदर चौराहे से संकटा देवी मंदिर रोड की सड़कें क्षतिग्रस्त हैं? यदि हां, तो क्या मंत्री जी उपरोक्त सड़कों को ठीक करायेंगे? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां।

जी हां।

नगर क्षेत्र में स्थित नगरीय निकाय के क्षतिग्रस्त मार्गों का पुनर्निर्माण/सुधार करने का दायित्व सम्बन्धित नगरीय निकाय का है। प्रश्नगत मार्गों के सुधार से सम्बन्धित कार्य नगर पालिका परिषद् द्वारा अपने वित्तिय साधनों से धन की उपलब्धतानुसार प्राथमिकता निर्धारित करते हुए कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखीमपुर खीरी में कचेहरी के निकट पी0 डब्लू0 डी0 गेस्ट हाउस व सदर स्कूल के बीच वाली सड़क पर गन्दा पानी भरे रहने की समस्या के निदान की मांग

170-डा0 कौशल किशोर-

क्या नगर विकास मंत्री को जानकारी है कि नगर लखीमपुर जनपद खीरी में कचेहरी के निकट पी0 डब्लू0 डी0 गेस्ट हाउस व सदर स्कूल के बीच वाली सड़क पर नाली का गन्दा पानी हर समय भरा रहता है? क्या इस सड़क के दोनों ओर की नालियां कभी साफ नहीं की जाती हैं? क्या सड़क के पश्चिम सदर स्कूल के पूर्वी व उत्तरी कोने पर भवन एवं चबुतरा बनाने के कारण नाली साफ करना सम्भव नहीं है? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवरोध को हटवाकर तथा नालियां साफ करवा कर सड़क को पुन: बनवाने पर विचार करेगी? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री लाल जी टण्डन--

जी हां, प्रश्नगत सड़क धंस जाने के कारण कभी-कभी सड़क के किनारे की नालियों के ओवर फ्लो होने पर पानी भर जाता है। इस पानी को पालिका द्वारा समय-समय पर तत्काल निकलवा दिया जाता है।

सड़क के केवल एक ओर नाली है। इस नाली की समय-समय पर सफाई कराई जाती है।

सड़क के पश्चिम सदर स्कूल के पूर्वी व उत्तरी कोने पर जिला कांग्रेस कमेटी का कार्यालय स्वीकृत मानचित्र के पश्चात् बन जाने के कारण नाली साफ किये जाने में कोई बाधा नहीं है वरन् यह नाली उत्तर की ओर जाने पर लगभग 200 मी0 लम्बाई में कच्ची है जिससे भारी यातायात के कारण मिट्टी गिरने से नाली अवरुद्ध हो जाती हैं इस कारण नाली भरने पर नाली की सफाई व्यवस्था तुरन्त सुनिश्चित की जाती है। कच्ची नाली को पक्का करने व सड़क के पुनर्निर्माण हेतु कार्यवाही आर्थिक संसाधनों की उपलब्धतानुसार सुनिश्चित की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र के अन्तर्गत घोषित अम्बेडकर ग्राम दौलतयारपुर के मजरा लालपुर, मिलपुरवा तथा नटपुरवा रोइया रोड में विद्युतीकरण कराने की मांग

171-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम दौलतयारपुर के मजरा लालपुर, मिलपुरवा (जिसमें अनुसूचित जनजाति के लोग रहते हैं) और नटपुरवा जो रोइया रोड पर बसा है, का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/ दिनांक 10-4-97 के क्रम में कराया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण कराया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं किया गया है। आदेश संख्या-2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0, 1995-96 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के क्षेत्र मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम राजेपुर के मजरा रोड शाहबुद्दीनपुर, दिलदारपुरवा तथा मटिखोरिया में विद्युतीकरण की मांग

172-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम राजेपुर के मजरा शहाबुद्दीनपुर, दिलदारपुरवा तथा मटिखोरिया का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक- 2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? उक्त मजरों का विद्युतीकरण कब तक कराया जायेगा?

श्री नरश चन्द अग्रवाल-

जी नहीं।

संदर्भित आदेश संख्या-2240-रेस्पो/ग्रा0 वि0 दिनांक 10-4-97 वर्ष 1995-96 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है। संसाधनों की अनुपलब्धता के कारण प्रश्नगत मजरों का वर्तमान में विद्युतीकरण कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद हरदोई के मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम रणेना हबीब नगर के मजरा अहमदापुर में विद्युतीकरण की मांग

173-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम रणेना हबीबनगर के मजरा अहमदापुर, हबीबनगर का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक 2240/रेस्पो0 ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त मजरों का विद्युतीकरण कराया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

आदेश संख्या-2240/रेस्पो0/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 वर्ष 1995-96 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है।

संसाधनों की अनुपलब्धता को दृष्टिगत रखते हुए समय सीमा निर्धारित किया जाना संभव नहीं है

जनपद हरदोई के मल्लावां में घोषित अम्बेडकर ग्राम गुरौली के मजरा पुसेड़ा के विद्युतीकरण की मांग

174-डा0 धर्मज्ञ मिश्र

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र में वर्ष 1995-96 में अम्बेडकर ग्राम गुरौली के मजरा पुसेड़ा का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक2240/रेस्पो0/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त मजरे का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नहीं।

संदर्भित मजरों का विद्युतीकरण नहीं कराया गया है।

आदेश संख्या-2240/रेस्पो0/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 वर्ष 1995-96 में घोषित अम्बेडकर ग्रामों व उनके मजरों पर लागू नहीं होता है।

समय सीमा निर्धारित करना समव नही है।

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्र में घोषित अम्बेडकर ग्राम पुरवावां के मजरा रौता के विद्युतीकरण की मांग

175-डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

क्या ऊर्जा मंत्री कृपया बतायेंगे कि जनपद हरदोई के 91-मल्लावां निर्वाचन क्षेत्र के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में अम्बेडकर ग्राम पुरवावां के मजरा रौता का विद्युतीकरण शासन के पत्रांक-2240/रेस्पो0/ग्रा0 वि0/दिनांक 10-4-97 के क्रम में करा दिया गया है? यदि नहीं, तो क्यों? कब तक उक्त मजरे का विद्युतीकरण करा दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

जी नही।

कार्ययोजना के सापेक्ष्य कोई धनराशि प्राप्त न होने के कारण समय सीमा निर्धारित करना संभव नहीं है।

वर्तमान में मा0 विधायकगण द्वारा संस्तुत 5 ग्रामों का विद्युतीकरण किया जा रहा है।

प्रदेश में आश्रय योजना के अन्तर्गत आश्रम हेतु आवंटित भूमि पर भवन निर्माण का लक्ष्य एवं आवंटन की नीति

176-श्री राम औतार शाक्य-

क्या आवास एवं नगर विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि आश्रय योजना प्रदेश के किन-किन शहरों/नगरों में लागू की गई हे? वित्तीय वर्ष 1998-1999 में कितने आवास/भूखण्ड उपलब्ध कराये गये और कितने वित्तीय वर्ष 1999-2000 तक उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य रखा गया है? सरकार द्वारा इस योजना में आवंटन की क्या नीति निर्धारित की गई है?

श्री लाल जी टण्डन-

आश्रय योजना प्रदेश के सभी विकास प्राधिकरण एवं उ0 प्र0 आवास विकास परिषद् द्वारा लागू की गई है।

आश्रय योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-1999 में उक्त योजनान्तर्गत 17,874 आश्रय उपलब्ध कराये गये तथा वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 40,000 आश्रय उपलब्ध कराये जाने का लक्ष्य निर्धारित है।

आश्रय योजना के अन्तर्गत निर्मित आश्रयों के आवंटन में 25 प्रतिशत आश्रय हर समय उन व्यक्तियों को, जो सार्वजनिक भूमि पर कब्जा कर रहने लगे हैं और उस सार्वजनिक भूमि की आवश्यकता सार्वजनिक प्रयोजन हेतु अपरिहार्य है, के लिए उपलब्ध कराये जाते है। अवशेष भवन अन्य पात्र व्यक्तियों के मध्य निर्धारित नियमों एवं प्रक्रिया के अनुसार पूर्ण पारदर्शिता रखते हेए आवंटित किये जाते है।

पौड़ी नगर को पर्यटन क्षेत्र घोषित तथा इस के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही

177-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी नगर को पर्यटक क्षेत्र की घोषणा वर्ष 1991-92 में शासन द्वारा की गयी थी? यदि हां, तो उस सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की जा रही है? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

पौड़ी के पर्यटन विकास हेतु पैदल मार्गों/नगर के सड़कों का निर्माण एवं सुधार, रामलीला मैदान का पुर्ननिर्माण, विस्तार सुलभ शौचालयों का निर्माण एवं कण्डोलीया में पार्क का निर्माण की योजनाएं कार्यान्वित की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

178-श्री विशन सिंह चुफाल-

(2रे मंगल में अता0 प्र0 सं0-93 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत धैखान-मेंटी मुण्डश्वेबर मोटर मार्ग में उपयोग में लायी गयी भूमि के भूमिधारकों को मुआवजा

179-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौडी गढ़वाल के अन्तर्गत धैखान-मेंटी मुण्डश्वेबर मोटर मार्ग में उपयोग में लायी गयी भूमि के भूमिधारकों का समुचित मुआवजा दिया गया हे? क्या जिन भूमि धारकों को भी अभी तक मुआवजा नहीं दिया गया तथा उनकी सूची सदन के पटल पर रखी जायेगी? शेष का भुगतान कब तक कर दिया जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

प्रश्न नही उठता।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गुममास खिसोनी पट्टी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि के भूमि धारकों को मुआवजा देने की मांग

180-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत गुममास खिसोनी मोहन पट्टी मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी गयी भूमि का भूमि धारकों को मुआवजा दिया गया है? क्या मुआवजा से वंचित भूमि धारकों को मुआवजा शीघ्र दिया जायेगा? यदि नहीं, तो क्यों?

मार्ग निर्माण हेतु अधिग्रहीत की गयी भूमि के प्रतिकर का आंशिक रूप से रू0 4.14 लाख का भुगतान किया गया है।

शेष भूमिधारकों को अवशेष प्रतिकर रू0 15.00 लाख के भुगतान की कार्यवाही कार्य के पुनरीक्षित लागत की स्वीकृति के पश्चात शघ्रि की जायेगी।

जिला टिहरी गढ़वाल की बूढ़ाकेदार-अयांरखाल-कमद एवं बूढ़ाकेदार घड़ियाल संड मोटर मार्ग के निर्माण निर्मित मार्ग पर यातायात की सुविधा देने की मांग

181-श्री लाखीराम जोशी -

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि जिला टिहरी गढ़वाल की बूढ़ाकेदार- बेवक, बूढ़ाकेदार-अयांरखाल-कमद एवं बूढ़ाकेदार घड़ियाल संड मोटर मार्गो का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है? यदि हां, तो कब? यदि नहीं, तो क्या उक्त मोटर मार्गों के निर्मित भाग में यातायात सुलभ कराया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी नहीं।

प्रश्न नही उठता।

(1) बूढ़ाकेदार-बेलक हल्का वाहन मार्ग की निर्मित लम्बाई 6.75 कि0मी0 पर प्रारम्भ में निर्माणाधीन सेतु पर भूमि/भवनों के प्रतिकर सम्बन्धी विवाद के कारण सेतु कार्य पूर्ण न होने के कारण निर्मित भाग पर यातायात सुलभ नहीं कराया जा सका।

(2) बूढ़ाकेदार-अयांरखाल ह0वा0 मार्ग के प्रारम्भ में पड़ने वाले सेतु का 90 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है, मार्ग पर पूर्व में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा रोक लगा दी गयी थी जिस पर 11/99 में कार्य प्रारम्भ किये जाने की अनुमति प्राप्त हो चुकी है। मार्ग का निर्माण कार्य पुत: प्रारम्भ किया जा चुका है।

(3) थाती कोट घड़ियाल सैंड़ तितुर्णा ह0वा0 मार्ग पर 9.50 कि0मी0 लम्बाई में कि0मी0 4 में सेतु कार्य निर्माणाधीन है जिसे पूर्ण कर इस वित्तीय वर्ष में निर्मित लम्बाई 9.50 कि0मी0 तक यातायात हेतु सुलभ कराया जायेगा।

जनपद पिथौरागढ़ प्रस्तावित टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग के निर्माण कार्य को पूरा करने की मांग

182-श्री कृष्ण चन्द्र पुनेठा-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रस्तावित टनकपुर-जौलजीवी मोटर मार्ग जनपद पिथौरागढ़ जिसकी लम्बाई मात्र 109 कि0मी0 है, का निर्माण कार्य शुरु कर दिया गया है? यदि हां, तो उक्त मोटर मार्ग के निर्माण की अनुमानित लागत क्या है तथा उसका निर्माण कार्य कब तक पूरा हो जायेगा?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

अनुमानित लागत रु0 14.00 लाख है, इसका निर्माण कार्य केन्द्रीय जल आयोग भारत सरकार से काली नदी के ऊपर पंचेश्वर नामक स्थान पर बांध निर्माण के निर्णय, वन भूमि हस्तांतरण के आदेश तथा संसाधनों की प्राप्ति पर पूरा हो जायेगा।

जनपद पौड़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में शव विच्छेदन की सुविधा हेतु शव विच्छेद गृह स्थापित करने की मांग

183-श्री भारत सिंह रावत-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पौढ़ी गढ़वाल के कोटद्वार नगर में शव विच्छेदन की सुविधा उपलब्ध है? यदि नहीं, तो क्या सरकार कोटद्वार नगर में शव विच्छेद गृह स्थापित करेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

जी नहीं।

धन की उपलब्धता पर निर्भर है।

---तदैव---

प्रश्न ही नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर के भवन उपकेन्द्र तथा आवासीय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत धनराशि तथा कार्य में हुई अनियमितता की जानकारी

184-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय, बसन्तपुर पौड़ी गढ़वाल में चिकित्सालय भवनों के निर्माण हेतु स्वीकृत रु0 4,69,200,00 के अन्तर्गत किन-किन और कितने-कितने आवासीय तथा अनावासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है तथा इन भवनों के निर्माण हेतु शासन द्वारा निर्माण एजेन्सी को स्वीकृत आगणन के विपरीत कब कितनी धनराशि उपलब्ध करायी गयी है? अब तक इन भवनों के निर्माण कार्य की प्रगति क्या है तथा कब तक इन भवनों का निर्माण कार्य पूरा हो जायेगा4 क्या यह सही है कि चिकित्सालय में स्वीकृति के विपरीत अधिक आवासीय भवनों का निर्माण प्रस्तावित है यदि हां, तो अतिरिक्त आवासों के निर्माण का औचित्य है?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

राजकीय एलोपैथिक चिकित्सालय बसन्तपुर पौड़ी गढ़वाल के भवन, उपकेन्द्र तथा सात आवासीय भवनों के निर्माण हेतु निर्माण इकाई, जल निगम में प्राप्त आगणन रुपये 48.01 लाख सापेक्ष परीक्षणोपरांत रु0 46,97,000/-की धनराशि एक मुश्त दिनांक 27-9-97 को स्वीकृत की गयी।

एलोपैथिक चिकित्सालय एवं उपकेन्द्र का मुख्य भवन लगभग निर्मित हो चुका है। इसमें फर्श एवं दरवाजे लगाने का कार्य अवशेष है। मुख्य भवन के अतिरिक्त आवासीय यूनिट्स का निर्माण अभी प्रारम्भ नहीं हुआ है। निर्माण इकाई द्वारा कार्य के पुनरीक्षित आगणन उपलब्ध कराये गये हैं। पुनरीक्षित आगणनों में अप्रत्याशित वृद्धि के दृष्टिगत निर्माण कार्य की जांच कराई जा रही है व निर्माण कार्य अग्रिम आदेशों तक रोक दिया गया है।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रा0 उ0 माध्यमिक विद्यालय राजबाद विकास क्षेत्र द्वारिखाल के भवन निर्माण की मांग

185-श्री मोहन सिंह रावत गांववासी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री को जानकारी है कि पौड़ी गढ़वाल के अन्तर्गत रा0 उ0 मा0 वि0 राजबाद विकास क्षेत्र-द्वारिखाल का भवन क्षतिग्रस्त हो गया है? क्या सरकार उक्त विद्यालय के भवन का निर्माण करायेगी? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

जी हां।

वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला टिहरी गढ़वाल के चम्पा नगर में स्थित पर्यटन आवास गृह के विस्तार की मांग

186-श्री लाखीराम जोशी-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री कृपया बतायेंगे कि क्या जिला टिहरी गढ़वाल के चम्पा नगर में स्थित पर्यटन आवास गृह का विस्तार किया जायेगा? यदि हां, तो कब तक? यदि नहीं, तो क्यों?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जी हां।

गंगोत्री-यमुनोत्री यात्रा मार्ग पर यात्रियों को आधारभूत सुविधाएं सुलभ कराने की योजनान्तर्गत वर्ष 2003-2004 तक उक्त कार्य किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

उ0 प्र0 पालिका (केन्द्रीय) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों में फूड सैम्पलिंग के प्रशिक्षण की व्यवस्था

187-श्री अजय कुमार पोइया-

क्या नगर विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उ0 प्र पालिका (केनद्रीयित) सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवा के अन्तर्गत लोक सेवा आयोग उ0 प्र0 में सीधी भर्ती द्वारा चयनित सफाई एवं खाद्य निरीक्षक के पद पर नियुक्ति प्रदान किये जाने विषयक विधायक कोष्ठक का पत्रांक सी0एम0/वि0को0/एम-1/2/2/1964/मथुरा/99, दिनांक 2-4-99 मंत्री जी को प्राप्त हुआ है? यदि हां, तो उस पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है?

श्री लाल जी टण्डन-

जी हां। उल्लिखित पत्र प्राप्त हुआ है, किन्तु उक्त पत्र सफाई एवं खाद्य निरीक्षक की नियुक्ति के सम्बन्ध में नहीं हैं, अपितु उन्हें फूड सैम्पलिंग का प्रशिक्षण प्रदान किये जाने के संबंध में है।

स्थानीय निकायों में नवनियुक्त सफाई एवं खाद्य निरीक्षकों को फूड सैम्पलिंग का प्रशिक्षण दिलाये जाने हेतु राजकीय जन विश्लेषक उ0प्र0, लखनऊ को निर्देश दिये गये हैं।

जनपद पिथौरागढ़ की प्राइमरी पाठशालाओं के निर्माण हेतु स्वीकृत धन एवं निर्माण की मांग

188-श्री विशुन सिंह चुफाल-

क्या उत्तरांचल विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद पिथौरागढ़ की 99 प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण हेतु वर्ष 1997-98 में स्वीकृत की गई धनराशि से अब तक कितने भवनों का निर्माण किया जा चुका है तथा कितने शेष हैं?

श्री मातबर सिंह कण्डारी-

जनपद पिथौरागढ़ में 99 प्राइमरी पाठशालाओं के भवनों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष 1996-97 में स्वीकृत धनराशि का आहरण न होने के कारण किसी विद्यालय भवन का निर्माण नहीं हुआ।

(12बजकर 24 मिनट पर सदन की कार्यवाही अधिष्ठाता श्री मुन्ना चौहान के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई)

नियम 301 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 07 अप्रैल, 2000 को सदन के संज्ञान में लाने हेतु नियम 301 के अन्तर्गत कुल 24 सूचनाएं प्राप्त हुई। प्राप्त सूचनाओं में से शलाका के आधार पर अग्राह्य को छोड़ते हुए निम्नलिखित 7 सूचनाएं स्वीकार की गई। श्री रुप चौधरी के अनुपस्थित होने पर प्रतीक्षा सूची से प्रथम सूचना श्री रघुबर दयाल वर्मा जी की ली गयी। शेष सूचनाएं अस्वीकृत की गयी।

(सदन की सहमति से संलग्न सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयी)

जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भुपौली पम्प कैनाल स्थित पुराने ट्रांसफार्मर की जगह नया 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगाये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभुनारायण सिंह यादव-

[मान्यवर, मैं आपका ध्यान जनपद चन्दौली के अन्तर्गत भूपौली पम्प कैनाल स्थित विद्युत आपूर्ति के लिए 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर जो लगा है पुराना हो गया है और स्थिति जर्जर है आये दिन खराब रहता है, की तरफ दिलाना चाहता हूँ। उक्त ट्रांसफार्मर खराब होने से किसानों की फसलों की सिंचाई नहीं हो पाती है और इससे काफी परेशानी होती है। आये दिन एक नया ट्रांसफार्मर लगाने की मांग चल रही है। लोग आन्दोलित हैं।

अत: मैं आदरणीय सदन के माध्यम से उपरोक्त स्थान पर एक नया 5 एम0 बी0 ए0 का ट्रांसफार्मर लगाने की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के ग्राम नरैनी खण्ड विकास कार्यालय हसवा में फ्री बोरिंग योजनान्तर्गत निर्दोष लोगों की ऋण वसूली वापस कराने एवं दोषी जनों को आर0 सी0 जारी कर ऋणों को वसूलने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

*श्री मुरलीधर-

[मान्यवर, मैं आपकी सहानुभूति अनुमति से 301 के अन्तर्गत आप के संज्ञान में लाने हेतु सम्मानित सदन में एक जनहित की महत्वपूर्ण सूचना प्रस्तुत करना चाहता हूँ।

मान्यवर मेरी विधान सभा 282 किशुनपुर जनपद फतेहपुर के ग्राम नरैनी खण्ड विकास कार्यालस हसवां फी बोरिंग योजना अन्तर्गत अनुसूचित जाति के गरीब लोगों के नाम फर्जी लोन निकाल लिया गया है। जिसकी जानकारी मुझे होने पर मैंने जांच कराकर दोषी कर्मचारियों/अधिकारियों को दण्डित करने की मांग किया था सम्मानित विधान सभा के प्रथम सत्र 2000 के दूसरे बुध के लिए निर्धारित मेरे द्वारा पूछे गए अतारांकित प्रश्न संख्या 94 के उत्तर में अवर अभियंता श्री जगदीश पगसाद बोरिंग टेक्नीशिसन श्री सुंशील कुमार मिश्रा एवं श्री अरूण कुमार गुप्ता को दोषी पाया गया एवं निलम्बित कर अनुशासनिक कार्यवाही प्रारम्भ की गयी है। लेकित अभी श्री खुद्दी पुत्र बदल, सितारे पुत्र बदलू, राम दास पुत्र झल्लर, दुलारे पुत्र भरोसा परसादी पुत्र भदई, राम खेलावन पुत्र सुखराज, राम.भजन पुत्र झब्बू इत्यादि गरीब लोगों से आर0सी0 जारी कर जबरन ऋण वसूली के लिए परेशान किया जा रहा है जो उचित नही है।

मान्यवर, जिस ऋण को उक्त गरीब लोगो ने लिया ही नही उसे जबरन वसूल किया जाना न्यायोचित नहीं है। जिन लोगों ने फर्जी ऋण बैंक से निकाला है यह ऋण वसूली उन्ही लोगों से करायी जाय। जो वैधानिक एवं उचित होगा।

---

*-वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु मैं आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूं कि जिला अधिकारी फतेहपुर को निर्देशित करने का कष्ट करें कि उक्त गरीब लोगों की ऋण वसूली आर0सी0 वापस कराने एवं दोषी जनों से आर0सी0 जारी कर ऋण वसूली करें जिससे जनता के साथ न्याय हो सके।

राजकीय महाविद्यालय बिल्सी जनपद बदायूं के छात्र-छात्राओं के बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री भोला शकर मौर्य-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र बिल्सी, जनपद बदायूं में एक राजकीय महाविद्यालय 1995 में स्थापित किया गया और इसका भवन एवं अन्य निर्माण कार्य भी पूर्ण हो चुके है किन्तु शासन की उदाशीनता एवं उपेक्षा के कारण उक्त महाविद्यालय के अवगत फर्नीचर एवं स्टाफ की पूरी नियुक्ति होने के कारण छात्र/छात्राओं को बैठने की समुचित व्यवस्था न होने के कारण अफरा-तफरी का माहौल बना रहता है और उक्त महाविद्यालय में पढ़ने वाले विद्यार्थियों में गहरा रोष एवं व्याप्त है, आये दिन विद्यार्थी आन्दोलित होते रहते है। किसी क्षण भी कानून व्यवस्था की स्थिति उत्तपन्न हो सकती है।

अतएव इस महत्वपूर्ण विषस को सदन के संज्ञान में लाकर मांग करता हूं कि राजकीय महाविद्यालय बिल्सी जनपद बदायूं के छात्र-छात्राओं को बैठने हेतु फर्नीचर की व्यवस्था तत्काल कराने हेतु शासन को निर्देश प्रदान करायें।]

जनपद हरदोई के मल्लावां क्षेत्रान्तर्गत हथौरा ड्रेन के कतिपय स्थानों पर पुलिया बनवाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

डा0 धर्मज्ञ मिश्र-

[मान्यवर, आपको अवगत कराना है कि हरदोई के मल्लावां विधान सभा क्षेत्रान्तर्गत हथौरा ड्रेन जो 44 कि0मी0 लम्बी है उक्त ड्रेन उ0प्र0 भूमि सुधार निगम द्वारा साफ व आधुनिकीकृत होना सरकार द्वारा स्वीकृत।

उक्त ड्रेन में निम्नलिखित गांवो के सामने पुलिया बनाना जनहित में अति आवश्यक है, जिसका विवरण निम्न है:-

1. ग्राम हथौरा व अधूरा रूधौली के बीच में।
2. गडरिया पुरवा मजरा बढनवा के सामने पगडंडी पर पुलिया,
3. ग्राम रायसिंह पुरवा भगतपूरवा के सामने हथौरा ड्रेन पर
4. ग्राम गौरा एवं बघियारी के बीच निर्मित पुलिया का जीर्णोद्धार
5. शाहपुर व हरैया व ग्राम महसोमामऊ के सामने पुल का निर्माण,
6. ग्राम इसरापुर के मजरा गुलाब पुरवा के सामने पुलिया का निर्माण तथा ग्राम रूदामऊ व इसके मजरा छेदा पुरवा के सामने ड्रेन पर बनी सलामी पर पुलिया का निर्माण।

उपरोक्त ड्रेन की सफाई व खुदाई के साथ उक्त स्थानों पर पुलिया का निर्माण न होने तक 44 कि0मी0 क्षेत्र के जनमानस को बहुत कठिनाई हो रही है। किसानों का जल भराव होने से आर्थिक क्षति उठानी पड़ रही है। सभी को आने जाने में कठिनाई हो रही है। उक्त पुलों का निर्माण जनहित में कराया जाना अति आवश्यक है। क्योंकि यह जनहित से जुड़ा अविलम्बनीय प्रश्न है। जिस पर तत्काल कार्यवाही आवश्यक है जिससे जनता की कठिनाईयों का निराकरण सुनिश्चित हो सके।]

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर निर्माणाधीन प्रेक्षागृह हेतु आवश्यक धन उपलब्ध कराकर निर्माण पूरा कराने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जगदीश नारायण राय-

[महोदय, जनपद जौनपुर के कलेक्ट्रेट मुख्यालय पर एक भव्य प्रेक्षागृह का निर्माण हो रहा है। डी0आर0डी0ए0 द्वारा पदत्त धन के आधार पर उस पर काफी धन खर्च हो चुका है। काफी समय से कार्य बंद है जिससे उसकी निर्माण हुई दीवाले आदि क्षतिग्रस्त हो रही है।

अत: इस लोक महत्व के प्रश्न पर माननीय ग्राम्य विकास मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट करते हुए उसको शीघ्र ही आवश्यक धन उपलब्ध कराकर पूर्ण कराने की मांग करता हूँ]

जनपद उन्नाव में स्थापित औद्योगिक इकाइयों के प्रदूषित जल निकासी की समुचित व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम कुमार एडवोकेट एवं श्री उदय राज यादव-

[मान्यवर उन्नाव की फैक्टरी एरिया दही चौकी शेखपुर, अकरमपुर, मगरवारा,, सहजनी में स्थापित छोटे बड़े करीब दो सौ कल कारखाने से प्रतिदिन निकलने वाला हजारों लीटर रसायन युक्त प्रदूषित जल लोनी ड्रेन व शराब मिल शेखपुर जेल सिटी नाला से होकर शेखपुर, मसवासी, गलगलहा, मगरवारा, घोघी, महदिनवां,रौतापुर, खंजोखेड़ा, गहिरा, वन्थर, निहालखेड़ा, पोनी, हैवतपुर, फतेहपुर, बाबाखेड़ा सहित दर्जनों गांव में भरा रहता है। जिससे सैकड़ों एकड़ भूमि जोतने बोने से वंचित रह जाती है। जो थाड़ी बहुत फसल होती भी है वह विषाक्त होती है भूगर्भीय जल प्रदूषित होने से इस क्षेत्र में पेयजल का भीषण संकट है तथा विषायम जल की वजह से इन गांवों के लोग चटरी-मटरी नामक रोग से लुंज पुंज होकर अपंगता के शिकार हो रहे है जिससे यहां का किसान वर्षात में गंगा बाढ़ फिर विषाक्त जल के कारण तबाह हो रहा है जिससे पूरे क्षेत्र में व्यापक असंतोष व रोष व्याप्त है।

अत: इस अविलम्बनीय लोक महत्व के प्रश्न पर कार्यवाही रोककर चर्चा कराये जाने की मांग करता है।]

जनपद फिरोजाबाद के फरोल नगरिया गांव से एक-दो किलोमीटर नीचे यमुना नदी पर बैराज (बांध) बनाकर लिफ्ट सिंचाई योजना आरम्भ करने के सम्बन्ध में नियम 301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रघुबर दयाल वर्मा-

[मान्यवर, माननीय सदन का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व की सूचना पर आकृष्ट करना चाहता हूं कि जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड फिरोजाबाद में सिंचाई की नहर, रजबहा और माइनर के आखिरी छोर पर पानी नहीं पहुंचने के कारण खेती चौपट हो गई, सिंचाई विभाग के नलकूप पानी देना बंद हो गये, जल स्तर की भयानक गिरावट से किसानों में हड़कम्प है। निजी नलकूप भी जल स्तर की गिरावट और बिजली की आंख मिचौली की स्थिति से बर्बाद हो गये है। फिरोजाबाद माइनर खारिज कर दी गयी है और अन्य रजबहों को पानी छोर पर नहीं पहुंचने के कारण नहर सूखी है। खेती को चौपट होने से बचाने के लिए आवश्यक है कि फरोल नगरिया गांव से एक दो किलोमीटर नीचे यमुना नदी पर बैराज (बांध) बनाकर लिफ्ट सिंचाई की योजना आरम्भ की जायें। इस स्थान से एक किलामीटर ऊपर उटंगन नदी जमुना नदी में गिरती है इस कारण पानी का कोई संकट नही रहेगा।

मान्यवर, यमुना नदी लिफ्ट कैनाल सिंचाई परियोजना ही फिरोजाबाद क्षेत्र तथा अन्य क्षेत्रों के लिए लाभदायक हो पावेगी, इतना ही नहीं जल स्तर भी बढ़ेगा। यह कार्य सिंचाई विभाग को प्राथमिकता पर करना चाहिए।

नोट:- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अस्तु अनुरोध है कि माननीय सदन इस परियोजना के सर्वेक्षण का सरकार को निर्देश दे तथा कार्य आरम्भ कराने को विशेष धन की व्यवस्था की जायें।]

श्रीमती गौरी देवी-

मान्यवर, मेरी सूचना को आपने अस्वीकृत कर दिया यह बड़े अफसोस की बात है।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो शलाका से निकलती है। आप दोबारा सूचना दे दीजियेगा। इसमें वैसे भी भाषण नहं होता है। आप दोबारा दे दें, शलाका में आ जायेगी तो ले ली जायेगी।

औचित्य के प्रश्न की सूचनायें

श्री अधिष्ठाता-

आज दिनांक 7-4-2000 को नियम 300 के अन्तर्गत निम्नलिखित 6 सूचनाएं प्राप्त हुई। इसमें पहली सूचना श्री दद्दू प्रसाद जी की जनपद चित्रकूट के थाना मऊ की पुलिस द्वारा संभावित गिफ्तारी के संबंध में है। इसे विधायक समस्या के अन्तर्गत सुना जायेगा। दूसरी सूचना डा0 धर्मज्ञ मिश्र की विधायकों द्वारा प्रस्तावित निर्माण कार्यो का शिलान्यास, उद्घाटन क्षेत्रीय विधायकों से न कराये जाने के संबंध में है, इसे अस्वीकृत किया जाता है। तीसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की मध्यांचल के लिए पैकेज की घोषणा के बाद उस पर अमल न किये जाने के संबंध में है, इसे भी अस्वीकार किया जाता है। चौथी सूचना सर्वश्री जगदम्बिका पाल, कोकब हमीद, प्रमोद कुमार, सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव व समर पाल सिंह जी की विधायक निधि की धनराशि बढ़ाकर एक करोड़ किये जाने के संबंध में है, यह सूचना नियम 300 के अन्तर्गत नहीं आती है। आप नियमावली उठाकर देखें कि इससे कहां से सदन की कार्यवाही बाधित होती है।

विधायक निधि की धनराशि बढ़ाकर एक करोड़ किये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न उठाये जाने का प्रयास

*श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, प्रक्रिया नियमावली के नियम-300 के अन्तर्गत अनुरोध कर रहा हूं। पूरे प्रदेश में इस सदन की गरिमर है, और इसके अंतर्गत जनता के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि अपने दायित्वों का निर्वहन करते हैं। मान्यवर, संबंधित जनप्रतिनिधियों से विधान सभा क्षेत्र के विकास की अपेक्षाएं होती है और उसका विकास इनके माध्यम से होता है। इस सदन में दस लाख कूप योजना की बात कही गयी, जवाहरलाल रोजगार योजना के अंतर्गत भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गयी थी। आज दस लाख कूप योजना के अंतर्गत कोई सुझाव नहीं लिया जा रहा है। जवाहर रोजगार योजना मान्यवर, पंचायत क्षेत्र को दे दी गयी है। मान्यवर, जो जिला योजना की बैठक होती थी जिसमें कुछ न कुछ बजट क्षेत्र के विकास के लिए जाता था आज उसमें कटौती हो रही है....

श्रीमन्, आप हमारे अभिभावक हैं। आप हमारे अधिकारों की रक्षा नहीं करेंगे तो बड़े दुख के साथ कहेंगे कि हम उत्तरदायित्व का निर्वहन नहीं कर पायेंगे। माननीय सांसद लोगों के 2-2 करोड़ हो गये हैं, 4 करोड़ रू0 का प्रस्ताव है।

श्री अधिष्ठाता-

आप इस विषय को किसी अन्य सुसंगत नियम में ले आये नियम 300 का इससे दूर-दूर से कोई संबंध नही है।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आज सारी जनता की अपेक्षायें विधायक से है, सांसद अक्सर लोगों को मिलते नहीं है, सांसद के बजट का जिस तरह से उपयोग होना चाहिए वह हम नही कर पाते है। आप कृपया माननीय मुख्यमंत्री जी को सदन में बुलवा लें विधायकों के लिए निधि में एक करोड़ की घोषणा करा दें।

(श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव के खड़े होने पर)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया बैठ जायें इसमें सुनने की भी आवश्यकता नहीं है।

पंजीयन, मनोरंजन कर एवं स्टाम्प तथा न्यायालय शुल्क

संसदीय कार्य मंत्री श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर,इतना आग्रह करना चाहूंगा कि आज महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर माननीय सदस्यों को चर्चा में भाग लेना है, माननीय नेता सदन को भी बोलना है नेता प्रतिपक्ष को भी जवाब देना है हालांकि बाहर की बातों का संज्ञान नही लिया जाता, कल कार्य-मंत्रणा समिति में या जो कल शाम को माननीय नेतागणों की बैठक हुई उसमें यह तय हुआ कि 12-25 बजे चर्चा शुरू हो जायेगी निसमें 300 की सूचना नहीं ली जायेगी। जो बात हम तय करते हैं उसका कुछ हद तक हमें पालन करना चाहिये।

* श्री बी0 आर0 वर्मा-

जो निर्णय हो उसका पालन होना चाहिए, अब जो विषय लिया है उसे संक्षेप में खत्म करवा लीजिये।

श्री अधिष्ठाता-

आपसी सहमति के आधार पर, सभी दलों के माननीय नेताओं से विचार विमर्श करने के उपरान्त यह राय बनी थी कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर समय से चर्चा प्रारम्भ हो जाये। महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण परचर्चा उसमें अपने आप में बड़ा स्कोप हे आप इस विषय को उठा सकते हैं।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

केवल संक्षेप में कहकर अपनी बात समाप्त कर दूंगा।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मुझे आपत्ति है, मैं आपत्ति कर रहा हूं फिर आपके निर्णय का कोई मतलब नहीं रह जायेगा अगर आप लोग निर्णय लेंगे और फिर उसका पालन नहीं करेंगे। ये भी एक दल के नेता है और इसको भी पालन करना चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय, सुबाष जी, मैंने जगदम्बिका पाल जी से अनुरोध किया था कि नियम 301 में सह सूचना नही आती है। मैं इसको अस्वीकृत कर रहा हूं। यह आप लोगों की संयुक्त हस्ताक्षर से नोटिस है बावजूद इसके मैंने माननीय जगदम्बिका पाल जी को ग्राह्यता के जो प्रारंभिक बिन्दु हैं उसमें सुन लिया।

* श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, यह बात कल तय हुई है कि इसको न लिया जाय जो बात कही जा रही है वक एक अत्यन्त महत्वपूर्ण बात है। बिहार में एक करोड़ कर दिया है, सांसद का 3 करोड़ हो रहा है। आप कृपापूर्वक इसको सोमवार या मंगलवार को ले लें इसको प्रश्न प्रहर के बाद ले लें इसके लिए एक तारीख तय कर दें।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

श्री अधिष्ठाता-

इस पर सदन की सुविधानुसार अगले कार्य दिवस पर विचार किया जायेगा जब सुसंगत नियमों में इसकी दुबारा नोटिस दीजिएगा। इसको स्थगित रख पाना सम्भव नही है।

(व्यवधान)

इसी क्रम में पांचवी सूचना श्री माननीय राम विशुन आजाद की यह भी अस्वीकृत हुई, छठी सूचना माननीय डा0 अशोक वाजपेयी की और कुंवर रेवती रमण जी की इस विषय पर मा0 लाल जी वर्मा ने नियम 103 के अन्तर्गत दिया है एक प्रस्ताव जो शासन के विचार हेतु पहले ही स्वीकृत हो चुका है। जिस मामले मे पहले ही कार्य-मंत्रणा समिति द्वारा प्रस्ताव स्वीकृति किया जा चुका है उस पर किसी दूसरे नोटिस के माध्यम से चर्चा नही कराई जा सकती। जब इस प्रस्ताव पर चर्चा होगी तो निश्चित रूप से जो आपके भाव होंगे, जो आपका मंतव्य होगा उस पर चर्चा हो जायेगी।

*श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है। जब यह तय हो गया कि यह सूचना नहीं लेंगे तो उसके बाद यह नहीं ली जानी चाहिए।

श्री अधिष्ठाता-

मैंने माननीय सदस्यों की नोटिस की सूचना पढ़ दी इसमें कोई व्यवस्था का प्रश्न नही बनता है।

* कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, मेरा आपसे आग्रह है कि यह विषय अत्यन्त महत्वपूर्ण विषय है और पूरे सदन की गरिमा से जुड़ा हुआ है।

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न माननीय वर्मा जी ने उठाया था और ठीक ही उन्होंने कहा कि सदन का निर्णय हो चुका आपका निर्णय हो चुका तो इसे आगे जारी रखने की कौन सी बात है?

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, इसको सोमवार को ले लें।

श्री अधिष्ठाता-

यह तो आपकी सुविधा पर है, आप दुबारा नोटिस देंगे सुसंगत नियमों में तो नियमानुसार विचार होगा ही। अब मैं अगली मद ले रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या-3 में कोई सूचना नहीं है।

जनपद संत रविदास नगर भदोही के एम0 ए0 समद इण्टर कालेज का नाम परिवर्तित कर पुन: महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेन्ड्री स्कूल घोषित किये जाने विषयक श्री राम जतन मौर्य व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका.

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, भदोही के एम0 ए0 समय इण्टर कालेज का नाम परिवर्तित कर पुन: महाराजा आदित्य नारायण हायर सेकेन्ड्री स्कूल घोषित किये जाने विषयक श्री राम जतन मौर्य तथा श्री राम फुलार प्रजापति, निवासीगण, जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

जनपद सत्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियावां के अन्तर्गत दुर्गागंज में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रेखा निशंक व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खंड सुरियावां के अर्न्तगत दुर्गागंज में पशु चिकित्सालय भवन का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम रेखा निशंक तथा श्री अवधेश कुमार पाण्डेय, निवासीगण जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर भदोही में बनकट से कोछिया मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक दुबे व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर,मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, भदोही में बनकट से कोछिया मार्ग का लेपन स्तर तक निर्माण कराये जाने विषयक श्री अशोक दुबे तथा श्री जनार्दन दुबे, निवासीगण, जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर भदोही के विकास खण्ड सुरियांवा के ग्राम बीसीपुर घाट पर वरूणा नदी पर पुल बनाये जाने विषयक श्री हीरामणि तिवारी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, भदोही के विकास खंड सुरियावां के ग्राम बीसांपुर घाट पर वरूणा नदी पर पुल बनवाये जाने विषयक श्री हीरामणि तिवारी तथा श्री कंकण उपाध्याय, निवासीगण, जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद सन्त रविदास नगर विकास खण्ड भदोही में दीपक कारपेट से सुल्तानपुर हरियांव तक भदोही रजबहा नहर की पटरी लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री नन्हें लाल सरोज व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, विकास खंड भदोही में दीपक कारपेट से सुल्तानपुर हरियांव तथा भदोही रजबहा नहर की पटरी लेपन स्तर तक निर्मित कराये जाने विषयक श्री नन्हें लाल सरोज तथा श्री राम फुलार प्रजापति, निवासी गण, जनपद संत रविदास नगर, भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद संत रविदास नगर में ज्ञानपुर-दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा कराये जाने विषयक श्री दिवाकर शुक्ल व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री पूर्णमासी पंकज-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद संत रविदास नगर, में ज्ञानपुर-दुर्गागंज मार्ग को चौड़ा कराये जाने विषयक श्री दिवाकर शुक्ल तथा श्री राम रेखा निशंक, निवासीगण, जनपद संत रविदास नगर भदोही द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

---

* छापी नहीं गयी।

जनपद बांदा में सिन्धन कला के पास पैलानी लखड़ा मार्ग पर तुर्रा नाले के पास पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम खिलावन व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद-

*******मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद बादा में सिन्धनकला के पास पैलानी-लखड़ा मार्ग पर तुर्रा नाले पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री राम खिलावन तथा श्री शिवभूषण निषाद, निवासीगण, जनपद बांदा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के अन्तर्गत स्थित नवाबगंज शुगर मिल को चालू कराने तथा किसानों को बकाये धनराशि का भुगतान कराये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार सिंह व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के अन्तर्गत स्थित नवाबगंज शुगर मिल को चालू कराने तथा किसानों को बकाया धनराशि का भुगतान कराये जाने विषयक श्री प्रमोद कुमार सिंह तथा श्री प्रेम कुमार सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में नगर पंचायत मनकापुर, मसकनवां, बभनान एवं वजीरगंज कस्बों में जल भराव को दूर कराये जाने विषयक श्री विद्या निवास तिवारी व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में नगर पंचायत मनकापुर मसकनवां, बभनान एवं वजीरगंज कस्बों में जल भराव को दूर कराये जाने विषयक श्री विद्यानिवास तिवारी तथा श्री राकेश कुमार गुप्ता, निवासीगण, जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित टिकरी से रौजा सम्पर्क मार्ग को लेपन कराये जाने विषयक श्री दूधनाथ यादव व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में स्थित टिकरी से रौजा सम्पर्क मार्ग को लेपन कराये जाने विषयक श्री दूधनाथ यादव तथा श्री अतिउल्ला व अन्य निवासीगण, जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ऊंट घाट, बघुलही, चिरैया चौखट घाट तथा धारी घाट पर बने लकड़ी के पुल को पक्का कराये जाने विषयक श्री बिन्द्रा प्रसाद शुक्ला व अन्य द्वारा हस्ताक्षरित याचिका †

श्री राम विशुन आजाद-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से, जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र मनकापुर में ऊंटघाट, बघुलही, चिरैया, चौखट घाट तथा धारीघाट पर लकड़ी के बने पुलों को पक्का कराये जाने विषयक श्री बिन्द्रा प्रसाद शुक्ला तथा श्री किशन लाल यादव व अन्य निवासीगण, जनपद गोण्डा द्वारा हस्ताक्षरित याचिका उपस्थित करता हूं।

नोटः- छापी नहीं गयी।

लखनऊ विश्वविद्यालय छात्र संघ के अध्यक्ष के सम्बन्ध में व्यवस्था का प्रश्न के रूप में उठाने का प्रयास

* श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है।

हमारे उत्तर प्रदेश में विधान मंडल की जो स्थिति है, उसमें बाई कैमरन सिस्टम है। अपर हाउस में कल ही लखनऊ विश्वविद्यालय के छात्रसंघ अध्यक्ष के रूप में ब्रह्मा बख्श सिंह गोपाल को, उच्च न्यायालय का जो फैसला था, को सदन ने मान्यता दी है और उच्च सदन की मान्यता के बावजूद आज जब उच्च न्यायालय के फैसले के अनुसार.....

श्री अधिष्ठाता

यह कोई व्यवस्था का प्रश्न नही है।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x x]

श्री अधिष्ठाता-

विधान परिषद मे उठाये गये किसी मामले को हम संज्ञान में नही लेंगे।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x x]

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

इसकी अनुमति नहीं है। कृपया मेरा अनुरोध तो सुन लें। नम्बर एक विधान परिषद में उठाये गये किसी मामले में संज्ञान नही लिया जायेगा, दूसरा....माननीय अम्बिका जी, यह अनुचित है, यह लिखा नहीं जायेगा। आप मेरा अनुरोध तो सुन लें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपका अधिकार है, लेकिन मेरा आपसे अनुरोध है...

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया स्थान ग्रहण करें, आप मेरा अनुरोध तो सुन लें।

(श्री अम्बिका चौधरी, राम तेज यादव एडवोकेट, डा0 धर्मज्ञ मिश्र आदि के खड़े होकर जोर-जोर से बोलने पर व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप मेरा अनुरोध तो सुन ले, आप कृपया स्थान ग्रहण करें। माननीय अम्बिका चौधरी, मा0 रामतेज यादव एडवोकेट, राम विशुन आजाद... विधान परिषद की किसी कार्यवाही का हम यहां संज्ञान नहीं लेंगे।

(विपक्ष के कई सदस्यों द्वारा एक साथ जोर-जोर बोलते रहने से सदन में व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x x]

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया स्थान ग्रहण करें, आप बैठें। मैं अनुमति नही दूंगा। माननीय मिश्र जी आप कृपया बैठें,माननीय राम तेज यादव जी आप कृपया बैठें। अम्बिका जी, यह तो अनुचित है, हम इसमें अनुमति नही देंगे। आप पीठ का तो सम्मान करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

[x x x x]

(शोर)

श्री अधिष्ठाता-

आप कृपया स्थान ग्रहण करिये। माननीय चौधरी जी और माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आपसे अनुरोध है और अन्य मंत्रिगण से अनुरोध है कि अपने पद की गरिमा के अनुरूप आचरण करें। माननीय चौधरी जी आप सुसंगत नियमों के अंतर्गत अपने मामले को उठा सकते है। विधान परिषद में उठाये गये किसी मामले का संज्ञान यहां पर लेने की परंपरा नहीं है। आपको दूसरी मद के बीच में अपना प्रश्न उठाने की अनुमति मैं नहीं दे रहा हूं दूसरे कार्य दिवस पर इस विषय को सुसंगत नियमों में आप उठा सकते हैं। मेरा दोनों पक्षों के माननीय सदस्यों से अनुरोध है कि सदन के कार्य संचालन में अपना सहयोग प्रदान करें। आप शून्य प्रहर में या अन्य सुसंगत नियमों के अंतर्गत नोटिस देंगे तो निश्चित रूप से अनुमति मिलेगी लेकिन इस समय उठाने की अनुमति नहीं है। विधान परिषद में कौन सी कार्यवाही की गयी है उसका संज्ञान हम यहां पर नहीं ले सकते। मेरा अनुरोध है कि सदन की कार्यवाही चलने दें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, अगर आपकी राय मेरे बारे में व्यवधान पैदा करने की है तो जितने प्रश्न उठाये जाते है अधिकांश में पीठ की राय होती है कि यह व्यवस्था का प्रश्न नहीं है तो क्या वह व्यवधान माना जायेगा। लखनऊ की राजधानी में इतनी बड़ी घटना हो गयी है।

श्री रामतेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, व्यवस्था का प्रश्न है।

श्री अधिष्ठाता-

मद संख्या 7 एवं 8 में कोई सूचना नहीं है।

मंत्रियों द्वारा विविध वक्तव्य

संसदीय कार्य पंजीयन एवं मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, अभी वक्तव्य तैयार होकर नहीं आया है, मैं आपकी बाद में अनुज्ञा ले लूंगा, आज ही यह हो जायेगा।

उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000

संसदीय कार्य पंजीयन मनोरंजन कर स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से मैं उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मॉगता हूँ।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश आमोद और पणकर (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 2000 को पुर:स्थापित करता हूं।

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर.मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अननुमोदन करता है।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (सशोधन) विधेयक, 2000 को इस सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय जो अपना प्रतिवेदन तीन माह के अन्दर सदन में प्रस्तुत करें।

(माननीय आबकारी मंत्री जी के सदन में उपस्थित न होने पर माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी खड़े हुए)

(श्री राम तेज यादव एडवोकेट ने अपनी सीट से बैठे हुए कहा कि यह [x x x] हैं माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि बीच में बोलना ठीक है लेकिन इस प्रकार की टिप्पणी उचित नहीं है तथा इनमें यह भी नैतिकता नहीं है कि इसके लिए माफी मांग लेंगे)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, आज एक महत्वपूर्ण विधेयक पारित होना है और सम्बन्धित मंत्री उपलब्ध नही है। सामूहिक उत्तरदायित्व के नाते माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी विधेयक प्रस्तुत कर देंगे लेकिन सही तथ्य की जानकारी निश्चित रूप से माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी को नहीं है।

(इसी बीच आबकारी मंत्री सदन में उपस्थित हुए)

आबकारी मंत्री श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं आपकी अनुमति से प्रस्ताव करता हूं कि शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय।

श्रीमन्, यह बहुत साधारण संशोधन है और इसके माध्यम से शीरा नीति में परिवर्तन करने का विचार करते हुए सरकार अध्यादेश लायी और अब विधेयक के रूप में हमने प्रस्तुत कर दिया है।

उदारीकरण की व्यवस्था को ध्यान में रखते हुये 80 फीसदी शीरे को नियंत्रण से मुक्त कर दिया है जिसके कारण शीरे का अच्छा दाम मिले और अच्छा दाम मिलने के कारण गन्ना किसानों को अच्छा भुगतान मिल सकेगा। मान्यवर, इसके साथ ही साथ पहले शीरा आवंटन की व्यवस्था आबकारी आयुक्त के माध्यम से होती थी यह प्रक्रिया अब समाप्त हो जायेगी और एक तरह से सरलीकृत हो जायेगी और गन्ना किसानों को गन्ने का बेहतर मूल्य दिलाने में सहायक होगी। इस आशय ये यह प्रस्तुत किया गया है।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, शीरा नियंत्रण मुक्त करने की जो मंशा सरकार की थी उसके विपरीत कार्य हो रहा है। अपेक्षा यह की गयी थी कि इसके नियंत्रण मुक्त करने से मिल मालिकों को लाभ होगा और उस लाभ के कारण किसानों को ज्यादा मूल्य दे पायेंगे। लेकिन नियंत्रण मुक्त करने से शीरे का दाम घट गया और उसको कोई पूछने वाला नहीं रहा। मिल मालिकों को लाभ की जगह हानि होने लगी। दूसरी तरफ अगर हम उसे अल्कोहल बनाने का काम करते तो उससे बेरोजगार लोगों को रोजगार मिलता और अल्कोहल निर्यात करते तो ज्यादा फायदा होता।.....

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

.....नियंत्रण मुक्त करने से बेरोजगारी की भी समस्या होगी इसलिए कोई लाभ नहीं हो रहा है बल्कि इससे हानि हो रही है जिस कारण इस विधेयक का कोई औचित्य नही रह गया है। इसलिए मैं चाहूंगा कि या तो इसको वापस ले लें अगर ऐसा न सम्भव हो तो जैसा शाक्य जी ने प्रस्ताव किया है इसको प्रवर समिति के सुपुर्द कर दें। वह अपने प्रतिवदेन में एक महीने में जिस तरह की रिपोर्ट देगी उसके आधार पर इसको पास किया जायेगा। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री राम औतार शाक्य-

अधिष्ठाता जी कोई भी कानून बनाया जाता है तो उसमें सबसे पहले जनता का हित देखा जाता है। जैसा कि लाल जी वर्मा ने कहा है यह जो नया कानून बनाया जा रहा है उसमें जनता का कितना हित होगा? इसमें गन्ना उत्पादकों को कोई फायदा नही हुआ है। मैं अपने को वर्मा जी के विचारों से सम्बद्ध करते हुए आपसे यह अनुरोध करना चाहता हूं कि वर्तमान सरकार ने जब यह विधेयक लाने का विचार किया तो यह नही सोचा कि इससे गन्ना किसानों को कितना फायदा होगा । इससे उपका नुकसान हुआ है। इसलिए गुण दोष के आधार पर मैं अपेक्षा करता हूं कि इस विधेयक को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए। यह तीन महीने में अध्ययन करने के बाद सदन में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दें उसके बाद यह विधेयक लाया जाए।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने इस विषय पर बोलने का अवसर दिया। उत्तर प्रदेश में आप जगह-जगह देखें बोर्ड पर मुख्यमंत्री जी के चित्र के साथ एक नारा देखने को मिलता है उत्तर प्रदेश उद्योग प्रदेश बनेगा। उत्तर प्रदेश में दो तरह के उद्योग हमें देखने को खास तौर से मिलते हैं एक तो एग्रो बेस इण्डस्ट्री दूसरी मोलासिस बेस इण्डस्ट्री जो शीरा नियंत्रण से मुक्त किया गया उसके ऊपर नियंत्रण समाप्त किया गया उसमें जो शीरे पर आधारित उद्योग थे चाहे वह अल्कोहल बनाने वाले उद्योग हों, चाहे ग्लाइकाल बनाने वाले उद्योग हों, चाहे आर्गनिक एसिड बनाने वाले उद्योग हों, चाहे मोलासिस के उद्योग हो उन पर बुरा असर पड़ा है। अगर मंत्री जी सदन में यह कह देंगे कि उनके ऊपर इस डिकंट्रोल का बुरा असर नहीं पड़ा है तो अपने साथियों से कहूंगा कि वह अपना प्रस्ताव वापस ले लें। इसका असर यह हुआ कि उत्तर प्रदेश में मोलासिस बेस जितनी इण्डस्ट्री थी, वह बन्द होने के कगार पर पहुंच गई है। दूसरा असर यह हुआ है सरकार के राजस्व प्राप्ति में कमी आई है, बढ़ोत्तरी हुई है क्योंकि शीरे से हम अल्कोहल बनाते, अल्कोहल चाहे शराब में प्रयुक्त होता या दवाइयों में यूज करने के लिए तो उसके लिए बाटलिंग का काम होता उससे लोगों को रोजगार मिलता एवं सरकार को राजस्व की प्राप्ति होती, दवाइयां यहां बनती तो उन दवाइयों पर ड्यूटी मिलती, आर्गनिक एसिड बनता उससे राजस्व प्राप्त होता यह सारे के सारे उद्योग चौपट हो गए हैं। इसको डिकंट्रोल करके गन्ना किसानों को कोई फायदा नही किया गया।

कितना पैसा सीधे गन्ना किसानों के पास पहुंचने लगा। इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि यह गन्ना किसानों के हितों में नहीं है बल्कि सरकार ने मिल मालिकों के दबाव में आकर यह काम किया है और उन्हें आप संरक्षण देने का काम कर रहे है जिससे पूरे प्रदेश के तमाम लोगों को जिन्हें रोजगार मिलता ये रोजगार से बंचित होंगे और प्रदेश को जो इक्साइज ड्यूटी प्राप्त होती उससे आपने बंचित किया। मान्यवर, यह अध्यादेश लागू करने से आपका प्रदेश जो उद्योग प्रदेश बनने जा रहा है यह नहीं बनेगा। बल्कि जितनी मुलैशिस बेस इंडस्ट्री है वे सारी बंद हो जायेगी और उद्योग शून्य प्रदेश हो जायेगा। इसलिए सरकार को उसमें गम्भीरता से विचार करना चाहिए और निर्णय लेना चाहिए कि शीरे का कंट्रोल करें और डिकंट्रोल न करें ताकि प्रदेश में मुलैशिस बेस इंडस्ट्री बढ़ सके।

मान्यवर, शीरे का जो डिकंट्रोल किया तो आपने लक्ष्य रखा था कि शीरे का उत्पादन बढ़ेगा लेकिन शीरे को रखने के लिए स्टील टैंकर का आपने कोई प्रबन्ध नहीं किया। यदि शीरे का उत्पादन अधिक हो जाता है तो रखने की उचित व्यवस्था न होने से बरसात में वह बहेगा जिससे बड़े पैमाने पर प्रदूषण पैदा होगा। इसलिए मैं चाहूँगा कि जैसा श्री लाल ली वर्मा जी ने जो अनुमोदन का प्रस्ताव रखा है और श्री राम औतार शाक्य जी ने जो प्रस्ताव रखा है कि इसे सदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय तो उस पर आप विचार करें और समग्र विचार करने के उपरान्त ही यह विधेयक लाये तथा आज आप इसे वापस ले लें। मान्यवर, मैं बताना चाहूंगा कि पहले जब शीरे कर अधिक उत्पादन हुआ था तो उसे ईट के भट्ठों में फेंका गया था इसलिए आप वैसी स्थिति न पैदा करें। मान्यवर, इस विधेयक से गन्ना किसानों का हित नहीं होगा और मुलैशिस बेस इंडस्ट्री बन्द हो जायेंगी। इसलिए मेरा निवेदन है कि मंत्री जी इसे वापस ले लें।

* श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

मान्यवर, मंत्री जी ने एक बहाना लेकर सदन में बताया कि प्रस्तुत विधेयक से गन्ना किसानों का फायदा होगा और सरकार किसानों की शुभचिन्तक है। लेकिन मै कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसानों की हित चिन्तक नहीं है क्योंकि जब प्रदेश में गन्ने का उत्पादन शुरू हुआ था और जब फैक्ट्री चली थी तो उसी समय यह अध्यादेश सरकार को लाना चाहिए था लेकिन उस समय न लाकर आज जब चीनी मिलें किसानों का गन्ना नहीं ले रही है और किसानों की दुर्दशा हो रही है तो यह संशोधन लाये है और कह रहे है कि इससे गन्ना किसानों को फायदा होगा, तो यह सही नहीं है। मान्यवर, यदि यही व्यवस्था शुरू में जब फैक्ट्री चलने वाली थी उस समय करते और गन्ने का रेट बढ़ाते तो किसानों को एक संदेश जाता कि सरकार हमारे हितों की चिन्तक है।

..गन्ना किसानों को यह सरकार उचित मूल्य नही दे पा रही है। जब शीरा अधिक हो जाता है तो आपको राजस्व मिलता है। आपको फायदा होता है। लेकिन इस शीरा को जब ज्यादा हो जाता है तो उसके रखरखाव की समुचित व्यवस्था यह सरकार नहीं कर पाती है। शीरा मिट्टी में डाला जाता है, तालाबों में फेका जाता है और तो और मान्यवर, ईटे के भट्ठों में डाला जाता है। इसके स्टोर के समुचित उपाय किए जाने चाहिए माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा है कि यह किसानों के हित में होगा। तो मान्यवर, मैं कहना चाहता हूं कि यह सरकार किसान विरोधी है। आज मंहगाई, भ्रष्टाचार के ऊपर पर्दा डालने के लिए यह प्रस्ताव लाया गया है। माननीय मंत्री जी अपनी होशियारी से बड़ी खुबसूरती से अपनी बात कह गये। उनके पास शीरे के रखरखाव की कोई समुचित व्यवस्था नहीं है। जैसे गन्ने का खोया, छीलने इत्यादि का सदयुपयोग कर उसका भण्डारण कर उसको कृषि के काम में लाया जाता है वैसी ही व्यवस्था शीरे के मामले में होनी चाहिए। इस सरकार ने कभी गन्ना किसान और आलू किसानों का भला नही चाहा है और ना यह कभी भला कर सकती है। मैं चाहता हूं कि राम औतरा शाक्स जी और वर्मा जी ने जो प्रवर समिति के सुपुर्द करने की बात कही है मैं उस पर बल देता हूं।

* श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी ने बहुत ही खूबसूरती से शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक प्रस्तुत कर दिया है। इससे हमारे प्रदेश के उद्योगों को बड़ा धक्का लगा है। यदि ऐसा होता है तो उद्योग दवाइयां बनाते है, जो अल्कोहल की फैक्ट्रियां है वह बन्द हो जायेंगी। यह सरकार अपने आप को गन्ना किसानों की हितैषी बताती है तो मान्यवर आज जो 900 करोड़ रूपये गन्ना किसानों के ऊपर बकाया है, जो चीनी मालिकों पर बकाया है वह क्यों नहीं अदा करती?

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

हरियाणा मान्यवर, जो हमारा पड़ोसी प्रदेश है वहां किसानों को गन्ने का मूल्य 110 रूपये प्रति कुण्टल मिल रहा है और हमारे प्रदेश में गन्ने का मूल्य किसानों को मात्र 85 रूपये दिया जा रहा है। क्यों नहीं उन्हें 110 रूपये दिलवाने का प्रयास किया जाय? उधर किसानों को पैसा नही मिल रहा है और उधर माननीय मंत्री जी शीरा नियंत्रण विधेयक कर समर्थन कर रहे है। किसानों के सम्बन्ध में सरकार की तरफ से गलत बयानी की जा रही है। दूसरे प्रदेशों से हमारे प्रदेश में गन्ना किसानों को 26 रूपये कम मूल्य मिल रहा है। यह सरकार किसान विरोधी है।

....किसान विरोधी सरकार है। केवन चीनी मिल मालिकों को नाजायज फायदा पहुंचाने के लिये यह विधेयक लाया गया है। जो ये होर्डिंग्स लगाई गई है कि उत्तर प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाया जायेगा, इस विधेयक के आने से उद्योग प्रदेश बनाने का वह सपना भी चकनाचूर हो जायेगा। आज प्रदेश के अन्दर के अन्दर जो एक अल्कोहल बेसड् इण्डस्ट्रीज है, वह भागने का काम करेंगी और उनको भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिसे श्री वर्मा जी ने जो अपनी बात कही है, उससे मैं अपने को सम्बद्ध करता हूं और मांग करता हूँ कि इसे प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। इस पर बल देता हूं।

* श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, माननीय मंत्री जी जो यह शीरा विधेयक लाये है, उससे सरकार की नीयत पर प्रश्न चिन्ह लग जाता है। इससे बिचौलियों को प्रदेश को ठगने का मौका मिल गया है। आज इस प्रदेश का शीरा दूसरे प्रदेशों में जा रहा है, जिसके कारण हमारे प्रदेश में जो कारखाने लगे है, उन पर विपरीत प्रभाव पड़ रहा है। इस विधेयक के माध्यम से माननीय मंत्री जी ने जो यह कहा कि इससे किसानों को फायदा पहुंचेगे, यह बात सत्य से परे है, इससे किसानों को कोई फायदा नहीं है, इसलिये इस विधेयक का विरोध करता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, आपने इस विधेयक पर मुझे अपने विचार रखने की अनुमति दी। माननीय श्री शाक्य जी ने अपने सुझाव दिये और कहा कि इस शीरा नियंत्रण विधेयक, 2000 को प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाय। यह इसलिये कहा जा रहा है, किसी विधेयक को पारित करने अथवा न करने की हमारी मंशा नहीं है, हम सभी माननीय सदस्य जो यहां सदन में है, सभी का यह दृष्टिकोण होता है कि उत्तर प्रदेश की 16 करोड़ जनता के हितों को देखकर कानून अथवा लोक कल्याणकारी कार्यक्रमों पर हम अपनी सहमति दें। अगर शासन की नीयत साफ है और उत्तर प्रदेश के किसानों को इससे लाभ होगा और उत्तर प्रदेश की जो 80 प्रतिशत जनता गांवों में रहती है और आजादी के बाद भी इतने वर्ष तक जो कैश क्राप है वह है गन्ना। कुछ और कैश क्राप बनाये जांय जिससे प्रदेश के किसानों की कुछ वैकल्पिक आय का श्रोत बन सके। जैसे आलू कैश क्राप में हो गया, सूरजमुखी आदि कुछ फसलों को कैश क्राप में प्रमोट करने की कोशिश की गई। आज भी आप देखते होंगे कि पूरे प्रदेश में गन्ना की खेती ऐसी है-मेरठ से लेकर सहारनपुर तक और देवरिया तक प्रदेश के एक छोर से दूसरे छोर तक गांवों में लोग गन्ना की खेती पर ही मुन्नसर है। कदाचित सदन इस बात का साक्षी रहा है कि इस सदन ने हमेशा किसानों के हितों की रक्षा की है। किसानों की दुहाई देकर, किसानों का नाम लेकर, किसानों के हितों के सम्बर्द्धन और संरक्षण की बात करके अप्रत्यक्षरूप से उत्तर प्रदेश के जो चीनी उद्योग के मालिक हैं, उनको लाभ पहुंचाने वाला यह विधेयक है।.....

अगर उत्तर प्रदेश के उस चीनी उद्योग के सम्बर्धन की इच्छा होती, किसानों को लाभ पहुचाने की इच्छा होती तो यह आपका सामूहिक उत्तरदायित्व है। प्रदेश की चीनी निगम की 11 मिलें बन्द हो गई है। प्रदेश के जिस जनपद से माननीय मंत्री जी आते है लखनऊ से प्रारम्भ होकर पूर्वांचल की मुण्डेरवा, घुघली, कठपुइया, गौरीबाजार, आनन्द नगर मिलें है आज किसानों को गन्ना मूल्य नहीं मिल पा रहा है। पूर्वांचल के

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

किसानों की बेटियों की शादी होती है तो उसी गन्ने की पर्ची से, कोई किसान अपने बेटे की तालीम के लिये पैसे का इन्तजाम करता है तो उसी गन्ने की पर्ची से, उसी गन्ने के पर्ची से बेटा बूढ़े बाप की तिमारदारी के लिए इन्तजाम करता है। आज भी किसानों के पास उनकी आय का एकमात्र साधन यह गन्ना ही है।

मान्यवर, अभी जैसा कहा गया कि आप इसको नियंत्रित करने जा रहे है चीनी उद्योग को। आप इसके लिसे विधेयक प्रस्तुत कर रहे हैं कि 40 प्रतिशत रासायनिक उद्योगों को बेचने या सम्भरित करने के लिसे अधिरोपित निबन्धन को हटाने की व्यवस्था करने के लिए उत्तर प्रदेश शीरा अधिनियम 1964 को संशोधित किया जाय। आप इसके द्वारा चीनी उद्योग को शीरे के नियंत्रण से मुक्त करना चाहते हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की 8 चीनी मिलों को जो यह सरकार लाभ पहुंचाना चाहती है, उस पर अंकुश लगाने का क्या प्रयास है। सदन में लगातार चिन्ता व्यक्त की जाती है कि कैसे इन मिलों को लाभ पहुंचाया जाय। आप यह विधेयक लाकर इनको लाभ पहुंचाने का प्रयास कर रहे है बहुत अच्छी बात है। शुगर मिल्स के लिये कोई वायविलिटी नहीं होती है कोई राहत दी जाय इसके लिये तो हमको कोई ऐतराज नहीं है। एक तरफ राहत दे रहे है विधेयक लाकर उन चीनी मिलों को जो अत्यन्त जर्जर हालत में हैं उनकी स्थिति सुधरे, उनकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो सके जिससे किसानों को वे गन्ने का मूल्य सामयिक रूप से कर सके। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि कहीं ऐसा न हो इस विधेयक के पास होने के बाद हम फिर पुनः सदन में बैठकर चिन्ता व्यक्त करें कि इस विधेयक के बाद किसानों की स्थिति जहां की तहां है। उसे गन्ने का मूल्य नहीं मिल पा रहा है और वह ट्रेड यूनियन के कार्यालय में चक्कर लगा रहा है और रामकोला में जिस तरह का मामला हुआ था पुलिस प्रशासन की गोली चली थी किसानों के ऊपर इस तरह की घटना फिर न हो।

आज यह विधेयक पारित करके सरकार किसानों को राहत देने की बात कह रही है। क्या माननीय मंत्री जी इस बात को सुनिश्चित करायेंगे कि किसानों को गन्ना मूल्य का भुगतान 15 दिन के अन्दर होगा कोई दिक्कत नही आयेगी यदि कोई चीनी मिल किसान को गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं करती है तो इंडियन शुगर कन्ट्रोल एक्ट के हिसाब से 10 प्रतिशत उन गन्ना किसानों को ब्याज के साथ उपलब्ध करायेगी तब तो है कि इस विधेयक के पारित कराकर किसानों को लाभ पहुंचाया जायेगा। सरकार इस बात को स्पष्ट तौर से सुनिश्चित करने का प्रयास करने की इस विधेयक के पारित होने के बाद करोड़ों रूपया चीनी मिल मालिकों के पास नहीं पहुंचेगा उनकी तिजोरियों में नही जायेगा उस का लाभ किसान के बटुए को होगा। अभी पिछले वर्ष का ही गन्ना मूल्य किसानों को नहीं मिल पाया है, क्या उसको भी दिलाने का प्रयास सरकार करेगी। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि आज प्रदेश में कई चीनी मिलों ने पिछले तीन सालों से किसानों के गन्ना मूल्य को नहीं दिया है क्या वह गन्ना मूल्य का भुगतान यह सरकार करवायेगी। इसी वर्ष का 947 करोड़ रूपये का भुगतान अभी तक नहीं हुआ है। कोई मुख्यमंत्री आता है तो एक नया नारा देता है। नये मंत्री जी आये है और इन्होंने नारा दिया कि हम प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनायेंगे। कल्याण सिंह जी ने उत्तम प्रदेश बनाने का नारा दिया था और उत्तम प्रदेश बनाते बनाते वे स्वयं चले गये। हम कामना करते है कि.....

श्री अधिष्ठाता-

आप अब संक्षेप करें।

श्री जबदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं सारगर्भित, विषय से जुड़े हुए ज्वलन्त प्रश्नों को उठा रहा हूं। हम सदन में बैठकर मूल्यांकन नहीं कर सकते हैं। आज किसानों को कितनी दिक्कत हो रही है। उद्योग बन्द हो रहे हैं, स्पिनिंग मिल हो, शुगर कारपोरेशन हो, सीमेन्ट कारपोरेशन हो, एग्रो हो, हार्टिको हो, आज तमाम कारपोरेशन बन्द

होते चले जा रहे है।

.....इनके मुख्यमंत्री ने भी कल्याण सिंह की बात कही, वही कहावत हो गई बोतल वही शराब और इनके मुख्यमंत्री कहते है कि इस प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बनायेंगे। बजट सत्र चल रहा है मैं जानता हूं इससे ज्यादा मुफीद जगह और कोई नहीं हो सकती है। संसदीय कार्यमंत्री जी स्थाई हो गए है वह मुख्य मंत्री जी का भी जबाब देते हैं और बाकी जवाब भी देते हैं। वह अपनी कला-कौशल से विधेयक को पारित कराने आफिशियन बिजलेस को पारित कराने में पारंगत हो चुके हैं। संसदीय कार्य मंत्री पारंगत होकर विधेयक पारित करा लें लेकिन प्रदेश की करोड़ों जनता देख रही है इस सदन से उसे अपेक्षायें है जब सदन चलता है तो प्रदेश की जनता रेडियो, टी0 बी0 में देखती है किसानों के हित में, विद्यार्थियों के हित में क्या निर्णय लिये गये है? महिलाओं, बुनकरों के हित में क्या निर्णय लिए गए है प्रदेश के बेरोजगार नौजवानों के लिए क्या निर्णय लिया गया है? मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं आप इस विधेयक को तो पारित करा सकते है, लेकिन इसको पारित करने से चीनी उद्योग को तो आप लाभ पहुंचाने जा रहे है लेकिन उस पर क्या अंकुश भी लगाने जा रहे हैं किसानों के भुगतान के लिए, मान्यवर, पहले चीनी मिलें सड़के और रेलवे लाइन बनाती थी, वह गन्ने की वैगन उठाने के लिए व्यवस्था करती थी।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

आप इनको निरंकुश न करें। विधेयक को पारित न करें।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं संक्षेप में अपनी बात कहना चाहूंगा, माननीय राम औतार शाक्य जी ने, श्री बरखू राम जी ने, श्री समरपाल जी ने.....

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, गन्ना मंत्री जी कुछ तथ्य कहना चाहते है वह अपनी बात रख लें उसके बाद वर्मा जी बोल लें।

गन्ना विकास मंत्री (डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर)-

मान्यवर गन्ना किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान कराने के लिए इन्होंने चिन्ता व्यक्त की है मैं अवगत कराना चाहूंगा कि इस वर्ष शीरा 80 परसेन्ट डिकन्ट्रोल किया गया। इसलिए किया गया कि गन्ना मूल्य का भूगतान हो सके। मान्यवर 6 अप्रैल तक की भुगतान की स्थिति से अवगत कराना चाहता हूं। कारपोरेशन सेक्टर में 393.17 करोड़ का भुगतान करना था जिसमें 272.11 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है। जो 69.21 प्रतिशत था कोआपरेटिव परिषद का 671.28 करोड़ का भुगतान होना था जिसमें 510.500 करोड़ का भुगतान किया जा चुका है यह 76.06 करोड़ प्रतिशम है। पिछले वर्ष की तुलना में प्राइवेट सेक्टर में 410 करोड़ का भुगतान होना था जिसमें 1901.20 करोड़ भुगतान किया गया जो 79.0 परसेन्ट अधिक है। माननीय सदस्यों की चिन्ता के बारे में कहना चाहता हूं कि चीनी मिलों के भुगतान का प्रतिशत अच्छा है कुछ का भुगतान खराब है, इसको देखेंगे।

माननीय सदस्यों ने चिन्ता व्यक्त की कि विछले वर्ष का गन्ना मूल्य बकाया है। तो मैं यह कहना चाहता हूं कि कुल 3260 करोड़ रूपये का भुगतान था अभी एक महीने पूर्व 3245 करोड़ रूपये का भुगतान किया जा चुका है।

(व्यवधान)

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, हम यह जानना चाहते है कि जब से यह अध्यादेश आया है तब से इसकी पेमेन्ट की क्या स्थिति रही है?

डा0 नरेन्द्र कुमार सिंह गौर-

मान्यवर, मैंने 6 अप्रैल तक के भुगतान की स्थिति बतायी है। जो 15 करोड़ रूपया शेष था उसमें से 3 करोड़ 68 लाख रूपया जो 6 चीनी मिल बन्द थी उनका था, शेष और का था। जो 6 सरकारी चीनी मिलें बन्द थी शासन से स्पष्ट निर्देश दिया है कि इनका तीन स्टालमेन्ट में पेमेंट हो जाना चाहिए। पहला मार्च में होना है एक तिहाई अप्रैल में हो जायेगा।

(व्यवधान)

प्राइवेट चीनी मिल का 98-99 का बकाया है, कोर्ट के आदेश है। गन्ना मूल्य का भुगतान शीघ्र हो इसके लिए मैं आपको आश्वस्त करना चाहूंगा। हरियाणा की बात कही गयी कि हरियाणा की तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य कम है तो वह बात सही है। मान्यवर, मैं यह कहना चाहूंगा कि दो प्रदेशों को छोड़कर जितने अन्य प्रदेश है उन सबकी तुलना में उत्तर प्रदेश में गन्ना मूल्य सर्वाधिक है। यहां पर 85.90 रूपया प्रति क्विंटल दिया जा रहा है। हमने पांच रूपया बढ़ाया भी है और भुगतान भी सुनिश्चित कराया है। मान्यवर, हरियाणा एक छोटा प्रदेश है। यहा पर 11 चीनी मिले है जिसमें से 8 चीनी मिलें सरकारी है तथा तीन चीनी मिलें प्राइवेट है। गत वर्ष वहां की सरकार को पच्चास-साठ करोड़ रूपया वहन करना पड़ा था उसकी तुलना में उत्तरा प्रदेश बहुत बड़ा है। यहां पर 107 चीनी मिले है। मान्यवर, प्राइवेट चीनी मिल का भुगतान कम है। 18 तारीख को मिल ओनर्स की मिटिंग बुलायी है उनसे डिस्कस करेंगे। अगर वह इसमें अड़े रहते है तो और गन्ना मूल्य का भुगतान नहीं होता तो कठोरतम कार्यवाही करेंगे.....

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। इस विषय पर बोलने के लिए आधे घंटे का समय निर्धारित था। एक घंटे से ज्यादा का समय व्यतीत हो गया है और अभी एक विधेयक पर विचार होना है और उसके पश्चात महामहिम श्री राज्यपाल जी का अभिभाषण पर चर्चा होनी है। आपसे अनुरोध है कि आप कृपया सहयोग करेंगे।

श्री समर पाल सिंह-

मान्यवर, जो चीनी मिल मालिकों पर 700 करोड़ रू0 बकाया है लेकिन जिन किसानों की आमदनी 1000 रू0 2000 रू0 है उनके लिये यह रकम बहुत हो जाती है आपने बताया कि 98-99 का भुगतान नहीं हुआ अब यह आगे कब करा पायेंगे। जो शीरा डिकंट्रोल कर दिया उसमें मेरी जानकारी के अनुसार चीनी मिल मालिकों को 12 रू0 क्विंटल का फायदा हुआ और किसानों को 5 रू0 क्विंटल का फायदा हुआ है, 5 रू0 प्रति क्विंटल भाव बढ़ाये गये। यह सरकार किसान विरोधी है, किसानों का शोषण हो रहा है, यह चीनी मिल मालिकों को फायदा पहुचाने का काम कर रही है।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, प्रदेश की 95 गन्ना समितियों ने गन्ना किसानों के 2-3 करोड़ रू0 खाये है, तनख्वाह, टी0ए0डी0ए0 के नाम पर 30 करोड़ रू0 का भुगतान रोक रखा है उसका हिसाब किताब कहां रखेंगे?

श्री हुकुम सिंह-

मान्यवर, इस विधेयक की चर्चा में माननीय मंत्री जी ने जो भारसाधक मंत्री है, इन्टरविन किया है, यह कोई वक्तव्य नहीं आया है, स्पष्टीकरण पूछने का अधिकार कहां से हो गया? बिल आबकारी मंत्री जी

ने रखा है?

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, यह जो शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक लेकर आये है उससे प्रदेश के इन चीनी मिल मालिकों को कितना फायदा पहुंचेगा? यह जो बकाया रकम 785 करोड़ रू0 है इस पर कोई राइडर लगाने का प्राविधान करेंगे मिल मालिकों पर। चीनी निगम की 11 मिलें बंद है, अभी तक बी0 आर0 एफ0 में तय नहीं हुआ हो, तो क्या जो कैजुवल या सीजनल कर्मचारी है उनको आप वेतन देते रहेंगे?

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, माननीय सदस्यों ने जिन्होंने मेरे इस अनुमोदन के प्रस्ताव पर बोलने का काम किया माननीय राम औतार शाक्य जी, माननीय बी0 आर0 वर्मा जी, माननीय समरपाल जी, माननीय जगदम्बिका पाल जी और श्री नरेन्द्र कुमार सिंह गौर मंत्री जी, माननीय राम ललित चौधरी जी, मैं इन सभी माननीय सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूं और धन्यवाद देता हूं। इन सभी लोगों ने जो मैंने प्रस्ताव रखा उस पर बल देने का काम किया। निश्चित रूप से मैं इन सभी लोगों को अपनी तरफ से आभार व्यक्त करता हूं।

मान्यवर, यह शीरा नियंत्रण मुक्त किये जाने से जो प्रदेश की शीरा बेस्ड फैक्ट्रियां थीं वह बन्द होने की कगार पर है। मैं आपके माध्यम से माननीय आबकारी मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि जब वह अपना भाषण देंगे इस विधेयक के ऊपर तो वह बताने का कष्ट करेंगे कि जो शीरा वेस्ट फैक्ट्रियां थी उसमें से कितनी बंद हो गयी और कितनी चल रही है। अगर यह सरकार वास्तव में किसानों को लाभ देना चाहती है शीरा मुक्त करके तो निश्चित रूप से वह निर्णय लेना होगा कि हम अल्कोहल को गाड़ियों में प्रयोग करने की व्यवस्था करें। जैसे ब्राजील एक देश है जिसमें अल्कोहल से गाड़ियां चलती है जिसके कारण पेट्रोल में बचत होती है। अगर हम अल्कोहल से गाड़ियों को चलाने की इजाजत दे दें तो निश्चित रूप से प्रदेश का बड़ा लाभ होगा। अभी प्रदेश सरकार ने 10 प्रतिशत की इजाजत दी है। शीरा नियंत्रण मुक्त होने से हमारा जो शीरा दुसरे प्रदेशों में जा रहा है जिसके कारण इसके बेस्ड उद्योग ठप्प होने की स्थिति में है इसलिये मैं अपने इस अनुमोदन के प्रस्ताव पर बल देते हुए मंत्री जी से चाहता हूं कि वह अपने विधेयक को वापस लेने का कष्ट करें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर,हमने इस विधेयक पर संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया। मान्यवर, यह उत्तर प्रदेश सरकार ने यह शीरे के नियंत्र को हटाने के लिए एक तीर से 2 शिकार करने का काम किया है। दो शिकार इस मायने में एक तो बड़े पूंजीपतियों से लाभ अर्जित किया कुत्सित उद्देश्य की आपूर्ति के लिए और दूसरी जो फैक्ट्रियां शीरे पर आधारित थी वह जब बंद हो जायेंगी तो कटोरा लेकर भीख मांगेगें। तो वे इनसे गिड़गिड़ायेंगे और ये मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए दुबारा अध्यादेश लायेंगे, यह पूरी आशंका है। इनकी नीति और नीयत ठीक नहीं है। इससे गड़बड़ियां बढ़ी है इसलिए मैं अपने संशोधन पर बल देता हूं।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, जितने माननीस सदस्यों ने इसमें भाग लिया है माननीय लाल जी वर्मा, माननीय राम औतार शाक्य, माननीय बी0 आर0 वर्मा, माननीय समरपाल सिंह, माननीय जगदम्बिका पाल और माननीय अवधेश प्रसाद जी इन सब के प्रति मैं आभारी हूं और मुझे इस बात का पूरा विश्वास है कि सरकार का पक्ष

सुनने के उपरान्त वे अपने संशोधन के प्रस्ताव को भी वापस ले लेंगे।

मान्यवर, 1996-97 में जब बी0 आर0 वर्मा जी से वरासत में यह सरकार हमें प्राप्त हुई थी उस समय सितम्बर के महीने में 500 करोड़ रूपये से अधिक का बकाया था जबकि पेराई सत्र समाप्त हो चुका था और ये कहते हैं कि किसानों के संरक्षक है। अभी माननीय गन्ना मंत्री जी ने बताया कि जितने गन्ने की पेराई हुई है उससे 77 फीसदी से अधिक गन्ने का भुगतान कर दिया गया है जबकि पेराई सत्र चालू है। हमारा यह प्रयास है कि 1998-99 और 1999-2000 के पेराई सत्र का गन्ना मूल्य का भुगतान सुनिश्चित करा दिया जाय और समय रहते गन्ना मूल्य का भुगतान हो जाय इसको ध्यान में रखते हुए कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति में सुधार हो ताकि गन्ने मूल्य का समय से भुगतान हो सके इसलिये यह शीरा नियंत्रण अधिनियम लाया गया और इसके द्वारा शीरे से 80% वितरण नियंत्रक और मूल्य नियंत्रण समाप्त कर दिया गया।

.....उसके पहले स्थिति क्या थी। 1996-97 तक स्थिति यह थी उत्तर प्रदेश में 60 फीसदी जो उत्पादित शीरा था, उस पर मूल्य नियंत्रण की स्थिति थी, उसके वितरण पर भी नियंत्रण था और परमिट के आधार पर शीरा के उपभोग की अनुमति होती थी, जिससे व्यापक भ्रष्टाचार हुआ करता था। इसका दूसरा परिणाम यह भी हुआ कि चीनी मिलों की आर्थिक स्थिति नाजुक हो गई। उस समय जो नियंत्रित मूल्य था वह ए ग्रेड शीरे का 40 रू0, बी0 ग्रेड का 32 रूपये और सी ग्रेड का 26 रूपये क्विंटल था। जब नियंत्रण मुक्त कर दिया गया तो वही शीरा 100 रूपये से 125 रूपये पहुंच गया और मार्केट अब स्वयं इसे कन्ट्रोल कर रही है। इसी का परिणाम यह है कि हम 77 फीसदी गन्ना मूल्य का भुगतान करने में सक्षम हुए है। माननीय बरखूराम वर्मा जी, 1996-97 में जब आप की सरकार थी 14 लाख क्विंटल शीरा उत्तर प्रदेश से बाहर लाया गया था और 5 रूपये क्विंटल के आधार पर वसूली हुई थी, इसी भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिये हमारा संकल्प था कि हम इसे नियंत्रण मुक्त करेंगे। परमिट को समाप्त करेंगे। इसी व्यवस्था के तहत अब 80 फीसदी शीरा नियंत्रण मुक्त कर दिया गया है, उसका परिणाम यह है कि गन्ना मिलों की आर्थिक स्थिति सुधर रही है और जो इतने दिनों का गैप था, उसको भी भरते जा रहे है। साथ ही गन्ने का क्षेत्र भी बढ़ा जा रहा है। पिछले 3 वर्षो में हमने 5-5 रूपये करके 15 रूपये प्रति क्विंटल गन्ने का मूल्य भी बढ़ाया है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति सुधरी है। इस सरकार ने काफी विचारोपरान्त, भ्रष्टाचार को खत्म करने के लिये और गन्ना मिलों की आर्थिक स्थिति मजबूत करने के लिये यह निर्णय किया है।

श्री जगदम्बिका पाल-

आपने कहा 15 रूपये गन्ना मूल्य बढ़ाया है। आपने 40 प्रतिशत बिजली की दर बढ़ा दी, खाद के दामों में वृद्धि कर दी। यह बता दें कि इस समय गन्ने की उत्पादन लागत क्या है?

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मान्यवर, मैं समझता हूं कि श्री बी0 आर0 वर्मा, श्री राम औतार शाक्य और श्री जगदम्बिका पाल जी हमारे विचारों से सहमत होते हुए अपने संशोधन को वापस ले लेंगे और उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों के हित में इसे पास होने देंगे, यह मेरा विश्वास है।

शीरा पर आधारित जो उद्योग थे, डिस्टलरी, आरगेनिक एसिड के, उस पर क्या प्रभाव पड़ा है, कितने बंद हो चुके है। आप उद्योग प्रदेश बनाने जा रहे है, यह भी बता दें।

श्री सूर्य प्रताप शाही-

मैंने पहले ही बताया था कि 96-97 में 14 लाख क्विंटल शीरा प्रदेश से बाहर गया था और इस समय जो पेराई सत्र चल रहा है, उसमें मात्र अभी तक 5 लाख क्विंटल बाहर गया है और 15 रूपये निर्यात शुल्क वसूल कर रहे हैं। केवल जयश्री केमिकल, मथुरा बंद हुई थी और वह आज भी बंद है, इसके अलावा

कोई उद्योग बंद नहीं हुआ है।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय वर्मा जी, माननीय शाक्य जी, अपना प्रस्ताव वापस ले रहे हैं?

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अनुमोदन करता हूं।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अधिष्ठाता-

अब मैं प्रश्न उपस्थित करता हूं।

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 को इस यदन की एक प्रवर समिति के सुपुर्द कर दिया जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक, खण्ड-1 प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक, 2000

उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 का अग्रतर संशोधन के लिए

विधेयक

भारत गणराज्य के इकानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है:

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अधिनियम 2000 कहा जायेगा।

(2) यह 25 जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24 सन् 1964 की धारा-8 का संशोधन धारा-10 को निकाला जाना

2--उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण अधिनियम, 1964 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा-8 में, उपधारा (1-क) निकाल दी जायेगी।

3- मूल अधिनियम की धारा- 10 निकाल दी जायेगी।

निरसन और अपवाद

उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या-2 सन् 2000

4--(1) उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथा संशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही समझी जायगी, मानों इस अधिनियम के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 तक, खण्ड-1,प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री सूर्य प्रताप शाही (आबकारी मंत्री)-

मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण संशोधन विधेयक, 2000 पारित किया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश शीरा नियंत्रण (संशोधन) विधेयक 2000 पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 के अनुमोदन का संकल्प तथा उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 (जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ)

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव पारित करता हूं कि यह सदन उत्तर् प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 का अनुमोदन करता है।

मान्यवर, यह जो अध्यादेश लाया गया है जो सहकारी समितियों के चुनाव न कराने के सम्बन्ध में है। उन समितियों में जहां पर शासन नियुक्त है, उनके कार्यकाल को बढ़ाने की दृष्टि से यह प्रस्ताव लाया गया है। निश्चित रूप से लोकतंत्र में किसी तरह से मनोनयन की कोई व्यवस्था नहीं होनी चाहिए और इस विधेयक के माध्यम से कुछ चन्द लोगों को बैठाये रखने के लिये यह प्रस्ताव लाया गया है। इसकी आवश्यकता नहीं थी। मैंने देखा है, इस तरह के बार-बार प्रस्ताव आते है, सरकार चुनाव से हिचकिचाती रहती है। लोकतंत्र व्यवस्था कायम रहे इसलिए मैंने यह प्रस्ताव रखा है। मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों से अनुरोध करूंगा कि वह मेरे इस संकल्प को पास कराने का काम करें।

श्री राम औतार शाक्य-

मान्यवर, जैसा कि श्री वर्मा जी ने कहा कि लोकतंत्रीय व्यवस्था को खत्म करने के लिए यह बार-बार विधेयक, संशोधन प्रस्तुत किए जा रहे है। आप विज्ञ है, यह भारतीय जनता पार्टी की यह सरकार प्रजातंत्रिक मूल्यों में कोई विश्वास नही रखती। मैं आपके समक्ष हिटलर का उदाहरण देता हूं वह एक ऐसा तानाशाह था जिसने पहले थोड़ा-थोड़ा प्रजातांत्रिक तरीके से काम किया और जब शक्तिशाली हो गया, शक्ति प्राप्त कर ली तो दुनिया का सबसे बड़ा तानाशाह हो गया। इसलिए यह फासिस्टवादी सरकार, तानाशाही तरीके से चाहे पंचायत चुनाव का मामला हो, चाहे उत्तर प्रदेश सहकारिता अधिनियम का मामला हो, इसका दिसम्बर, 99 से कार्यकाल समाप्त हो गया था और बार-बार संशोधन करके जो प्रजातांत्रिक व्यवस्थाएं है, उन व्यवस्थाओं को खत्म करके वह फासिस्टवादी और तानाशाही रवैये को अख्तियार करना चाहते हैं।

इसलिये मेरा अरोप है कि यह सरकार चुनाव की व्यवस्था को खत्म करके तानाशाही व्यवस्था लागू करना चाहती है। इसलिये मैं अपने संकल्प को प्रस्तुत करता हूं।

सहकारिता मंत्री (श्री राम कुमार वर्मा)-

मान्यवर, मैं आपकी आज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय।

मान्यवर, माननीय सदस्य ने अपनी आपत्ति जताते हुए यह कहा कि समय बढ़ाया जा रहा है। और सरकार तानाशाही रवैया अख्तियार कर रही है तो मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह पहली सरकार है जिसने लोकतांत्रिक परंमराओं को बरकरार रखते हुये सही समय पर चुनाव कराये। सहकारिता जगत में एक निर्धारित तिथि पर चुनाव हुये है। यह जो स्थिति आयी जिसके कारण यह विधेयक लाना पड़ा उसका उद्देश्य कुछ विशेष है। इसका कारण अलग से स्पष्ट किया है। यह सामान्य रूप से वह समितियां जो गन्ने से जुड़ी है। पेराई सत्र प्रारम्भ हो जाने के कारण, इसी समय सट्टे का अनुबंध करना है, पर्चियों का वितरण होना था इसके अतिरिक्त गन्ना पर्यवेक्षक जो गन्ने का काम देखते थे उनकी नियुक्ति बहुउद्देशीय कर्मियों के रूप में होने के कारण समय पर चुनाव कराने में दिक्कते थीं इसीलिये समय बढ़ाने की अनुज्ञा मांगी गयी है। हमारी नीयत नही है कि बार-बार चुनाव बढ़ाये जायं, निश्चित समय पर चुनाव होंगे। अप्रैल में पेराई सत्र पूरा हो जायगा और चुनाव समय पर होंगे। हमारी सरकार की मंशा है कि लोकतांत्रिक परंपराये कायम रहें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मंत्री जी जितने मासूम है उतनी ही मासूमियत से उन्होंने अपना वक्तव्य दिया है।

श्री राम औतार शाक्य-

आपने मंत्री जी को मासूम कहा है, उन्होंने मूंछे बढ़ा रखी है।

श्री जगदम्बिका पाल-

हो सकता है कि कठोर दिखने के लिये उन्होंने मूंछे बढ़ा रखी हों।

मान्यवर, माननीय वर्मा जी और माननीय राम ललित जी ने जैसा कहा है तो आज पूरे प्रदेश में जो केन यूनियंस है या सोसायटीज है वहां पर निर्वाचित प्रतिनिधि न होने के कारण एक अराजकता की स्थिति है। पुरे प्रदेश में प्रशासक लोगों का वर्चस्व है जिसके कारण उन पर नियंत्रण नहीं रह गया है। जो केन यूनियंस है वह किसानों को गन्ना मूल्य न देकर उस पैसे को इस्टेब्लिशमंट पर खर्च कर रही हैं। उस पैसे से केन यूनियंन कर्मचारियों को वेतन दिया जा रहा है, स्टेशनरी खरीदी जा रही है जिससे केन सूनियन करोड़ों रूपये के घाटे पर है। केन यूनियन का घाटा निरंतर बढ़ता जा रहा है इससे सबसे ज्यादा नुकसान प्रदेश के गन्ना कियानों को हो रहा है। उत्तर प्रदेश का गन्ना किसान आज सबसे दयनीय और निरीह हालत में है। गन्ना निरीक्षकों को बहुउअ्देशीय कर्मी बना दिया गया है। यह राम प्रकाश गुप्त जी माननीय कल्याण जी का पाप ढो रहे हैं। माननीय कल्याण सिंह ने 12 विभागों के कर्मचारियों को बहुउद्देशीय बना दिया और केड्रर को डाइंग कैडर घोषित कर दिया। जब गन्ना पर्यवेक्षकों को बहुदेद्देशीय कर्मी बनाया गया तो उनके स्थान पर नयी नियुक्तियां करनी चाहिये। 12 विभागो के लोग जो 3 लाख हैं वह आने वाले दिनों में रिटायर हो जायेंगे तो जो गन्ना पर्यवेक्षक सर्वे का काम करते थें, गन्ना सोसायटीज का काम करते थे भविष्य में वह काम नहीं होगा और गन्ना किसानों के हितों का नुकसान होगा।

आज पड़ताल का काम नहीं हुआ। जो गन्ने के पड़ताल का काम प्रदेश को केन सोसाइटियां करती थी वहां राजस्व विभाग के कर्मियों को लगाया गया कि वह पड़ताल करें। गन्ना मंत्री जी भी इसे सुनने की कृपा करें। माननीय मुख्यमंत्री जी भी सुन लें हर विषय के बारे में सदन में बैठकर सुनन चाहिए। जो केन सुपरवाइजर थे उनको आपने बहुउद्देशीय कर्मी बना दिया।

श्री अधिष्ठाता-

कुछ गन्ना विभाग के बजट के लिए भी रखें।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, सोसाइटियों का चुनाव न कराकर उसे निर्वाचित प्रतिनिधियों के हाथ में न देकर अधिकारियों/कर्मचारियों के हाथ में दिया जा रहा है। जो सोसाइटी किसानों की सबसे बड़ी मित्र सोसाइटी है, केन सोसाइटियों के चुनाव नहीं हुए। सरकार कहती है कि वह सबसे बड़े प्रजातंत्रिक मूल्यों में विश्वास करती है। आप देख रहे है कि 3 दिन से पूरा प्रदेश ऊहापोह की स्थिति में है। आपने सत्ता में बैठकर के सोचा कि हम सरकार में हैं, 6 महीने स्थगित कर देंगे, विपक्ष के लोग थोड़ा शोर-शराबा करेंगे उसके बाद शांत हो जावेगें और हम लोगों की पुलिस प्रशासन के बल पर दबा लेंगे।आज होइकोर्ट ने उनके इस काले कानून को निरस्त कर दिया। सरकार फिर हाईकोर्ट गयी लेकिन हाईकोर्ट ने फिर अनुमति नहीं दी। अब आपको यह प्रयास है कि किस तरह से सुप्रीम कोर्ट से पंचायती राज चुनाव को टलवाये। आप सहकारी समितियों में प्रशासन बैठाना चाहते है और लोगों को नामित करना चाहते हैं। मान्यवर, हमारे साथियों ने जो कहा है मैं उस पर बल देता हूं।

श्री छोटे सिंह यादव-

माननीय अधिष्ठाता जी, मैं आपके माध्यम से माननीय सहकारिता मंत्री जी से एक बात पूछना चाहता हूं कि गन्ना समितियों अथवा सहकारी गन्ना समितियों अथवा गन्ना मिल अथवा गन्ना मिल संघ, इनके पदाधिकारियों का चुनाव कराने का आपने कब तक मन बनाया है और उस चुनाव में अध्यक्ष तक पहुचेंगे या सरकारी अधिकारी ही अध्यक्ष रहेगें। अगर अधिकारी ही रहेगे तो फिर चुनाव का कोई मतलब नहीं होता। उत्तर प्रदेश गन्ना संघ और फेडरेशन में अधिकारियों को अध्यक्ष बना रखा है। जिले की गन्ना सोसाइटियों में और जिले की गन्ना सहकारी मिलों में जिला मैजिस्ट्रेट को चेयरमैन बना रखा है। क्या माननीय मंत्री जी इस व्यवस्था को समाप्त कर इन संस्थाओं को चुने हुये जनप्रतिनिधियों के हवाले करेंगे?

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, इस संकल्प पर माननीय श्री राम औतार शाक्य, छोटे सिंह यादव, श्री जगदम्बिका पाल एवं माननीय सहकारिता मंत्री जी ने अपने विचार रखें मैं इन सभी लोगों का आभार व्यक्त करता हूं। माननीय मंत्री जी ने अपने भाषण में कहा कि आज हमने बहुत बड़े पैमाने पर समितियों का चुनाव करवाया। प्रदेश के इतिहास में शायद इतनी बड़ी बेईमानी सहकारी समितियों के चुनाव में नहीं हुई थी। तमाम ऐसे उदाहरण है जो सहकारी समितियों किसी भी तरह से अर्ह नहीं थी उनमें ऋण राहत का पैसा बिना किसानों के खातों में जमा किये हुए फर्जी तरीके से इन समितियों में जमा कर दिया गया। मेरे ही निर्वाचन क्षेत्र में चिन्तौरा है वहां पर सहकारी समितियों ने कास्तकारों को बिना ऋण दिए हुए जो पैसा पड़ा था उसको जमा कर दिया गया। प्रदेश में पहली बार साधन सहकारी समितियों में बड़े पैमाने पर संचालकों का नामिनेशन किया गया, मनोनीत किया गया दो दो लोगों को जो समिति के मेम्बर भी नहीं थे इस तरह से सारी लोकतांत्रिक व्यवस्था को, सहकारिता आंदोलन को तहस नहस करने का काम किया गया इसमें जो कारण लिखे हैं कि यह अध्यादेश क्यों लाया गया उसमें लिखा है कि अपरिहार्य कारणों से निर्वाचन समय से नहीं हो सका वह अपरिहार्य कारण क्या है यह जानना चाहता हूं। उनकी मंशा ठीक नहीं है यह चुनाव कराना नहीं चाहते है चुनाव कराएगे भी उसमें बड़े पैमाने पर अंधेरगर्दी करेंगे। यह सरकार बेईमानी पर टिकी है विधान सभा में किसी तरह से संख्या न होते हुए भी बेईमानी करके संख्या पूरी की गई। इनका शासन [x x x] पर आधारित है [x x x] पक्षपातपूर्ण थे। गुंडा होता था उसके साथ दूसरी व्यवस्था थी, महिलाओं के साथ दूसरी व्यवस्था थी उनके साथ अन्याय हुआ होता था इसी तरह से इनका राज्य पक्षपातपूर्ण है।

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

सहकारिता विभाग मे निर्वाचन में जिस तरह की बेईमानी की गई उसका उदाहरण नहीं मिलेगा इन शब्दों के साथ मैं अपने संकल्प पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं।

पटेल राम कुमार वर्मा-

सदस्यगण श्री लाल जी वर्मा, श्री राम औतार शाक्य, श्री छोटे सिंह यादव, श्री पाल साहब ने जो चिन्ता की है वह व्यर्थ है हमने चुनाव की 30 जून तारीख निर्धारित कर दी है। यह भ्रष्टाचार की बात करते हैं जैसा जिसका विचार होता है वह उसकी बातों मे परिलक्षित होता है। जितने निष्पक्षता के साथ चुनाव इस बार हुए शायद इसके पहले कभी नही हुए जब इनका कोई व्यक्ति चुनकर नही आया इनका खाता नहीं खुला इस कारण यह चिन्ता व्यक्त कर रहे है। यह संचालकों के नामिनेशन की बात कर रहे है यह तो विधि सम्मत व्यवस्था है इसका अधिनियम मे प्राविधान है उसके तहत यह किया गया। मैंने पहले ही सदन के समक्ष बता दिया कि अपरिहार्य कारणों से ऐसा करना पड़ा हमने सदन के समक्ष कुछ छिपाया नहीं है। चुनाव निर्धारित समय में निष्पक्षता से कराए जायेंगे। निश्चित रूप से लोकतांत्रिक मान्यताओं को बरकरार रखा जाएगा। यह सरकार की मंशा है।

श्री छोटे सिंह यादव-

मेरे प्रश्न का उत्तर नही आया।

श्री अधिष्ठाता-

वर्मा जी आप अपने संकल्प को वापस ले रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मंत्री जी ने सहकारिता चुनाव में घोर भ्रष्टाचार किया है। इनकी मंशा नही है कि ठीक ढंग से चुनाव कराएं। इसलिए मैं अपने संकल्प पर बल देता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

मैं प्रश्न उपस्थित कर रहा हूं।

प्रश्न यह है कि यह सदन उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश 2000 का अनुमोदन करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया एवं अस्वीकृत हुआ)

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपने प्रश्न उपस्थित किया उसमें कुछ लोगों ने हां कहा कुछ लोगों ने न कहा लेकिन कुछ लोगों ने न, हां कहा इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन), विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पर विचार किया जाय?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

खण्ड-2 से खण्ड-4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000

(जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् द्वारा पारित हुआ)।

उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 का अग्रतर संशोधन के लिए विधेयक

भारत गणराज्य के इक्यानवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1--(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अधिनियम 2000 कहा जायेगा।

(2) यह पहली जनवरी, 2000 को प्रवृत्त हुआ समझा जायेगा।

उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-11 सन् 1966 की धारा 29 का संशोधन

2--उत्तर प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1965 की, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, धारा 29 में,--

(क) उपधारा (3) में, प्रतिबन्धात्मक खण्ड में शब्द और अंक "31 दिसम्बर, 1999" के स्थान पर शब्द और अंक "30 जून, 2000" रख दिये जायेंगे।

(ख) उपधारा (7) में शब्द "अट्ठारह" माह प्रतिबन्धात्मक खण्ड को सम्मिलित करते हुए जहां कहीं भी आये हो, के स्थान पर शब्द "दो वर्ष" रख दिये जायेंगे।

वैधीकरण

3--मूल अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम की धारा 29 के अधीन नियुक्त प्रशासक या प्रशासक कमेटी, जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के ठीक पूर्व प्रबन्ध कमेटी के अधिकारों का प्रयोग और कर्तव्यों का पालन कर रही थी, इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम की धारा 29 के अधीन प्रशासन या प्रशासक कमेटी के रूप में विधिमान्यत: निरन्तर नियुक्त समझी जायगी और ऐसे प्रारम्भ को या उसके पश्चात् ऐसे प्रशासक या प्रशासक कमेटी द्वारा कृत कोई कार्य या कार्यवाही विधिमान्य समझी जायगी मानों इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम सभी सारवान समय पर प्रवृत्त था।

निरसन और अपवाद

4--(1) उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) अध्यादेश, 2000 एतद्द्वारा निरसित किया जाता है। उत्तर प्रदेश अध्यादेश संख्या 5 सन् 2000

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अध्यादेश द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के उपबन्धों के अधीन कृत कोई कार्य या कार्यवाही इस अधिनियम द्वारा यथासंशोधित मूल अधिनियम के तत्समान उपबन्धों के अधीन कृत कार्य या कार्यवाही के उपबन्ध सभी सारवान समय पर प्रवृत्त थे।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से 4 तक खण्ड-1, प्रस्तावना और शीर्षक इस विधेयक के अंग माना जाए।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

सहकारिता मंत्री (श्री "पटेल" राम कुमार वर्मा-

मान्यवर, आपकी अनुमति से मैं प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

श्री अधिष्ठाता-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 2000 जैसा उत्तर प्रदेश विधान परिषद द्वारा पारित हुआ, पारित किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव परिषद्।

डा0 सरजीत सिंह उप द्वारा प्रस्तुत महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर प्रस्तुत धन्यवाद पर चर्चा जारी।

श्री बुनियादी हुसैन अंसारी-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण एक जमाने से इस सदन में नहीं हुआ। हमने देखा कि वे आते हैं और चले जाते हैं लेकिन इस बार यह परम्परा बदल गयी। वह बहुत देर तक बैठे रहे, इसका कारण क्या है? मान्यवर, उनको बैठाने की सच्चाई यह है कि माननीय मुख्यमंत्री और महामहिम राज्यपाल जी में ठन गयी है और वह इस बात को लेकर कि धर्म विधेयक बिल पर सरकार चाहती थी कि वह दस्तखत कर दे लेकिन श्री राज्यपान जी ने दस्तखत नहीं किया। इसीलिए राज्यपाल जी को बिठाये रखा और विपक्ष की तरफ से मर्यादित आचरण किया गया। मान्यवर, मैं नेता विरोधी दल को बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने भ्रष्टाचार के ऊपर जो गुत्थी सुलझाने के लिए बहुत देर तक अपनी बात कही और कुछ आंकड़े उनके सामने रखे जिसके लिए मैं उन्हें बधाई देता हूं कि उन्हें ऐसे मुख्य मंत्री मिले जिन्होंने आंकड़ों को तो छोड़ दे उत्तर प्रदेश में जितने जिले है मुख्य मंत्री को उनके नाम भी नहीं मालूम है। मान्यवर, जिस मंत्रिमण्डन के वह मुख्य मंत्री जी पूछते हैं कि आपका क्या काम है, तब वह मंत्री उन्हें बताते है कि मैं आपके साथ अटैच राज्य मंत्री हूं।

...बनारस में इनके साथ सुबह से सर्किट हाउस इंचार्ज मौजूद था, बहुत देर बाद उससे यह पूछते है कि क्या काम हैं? इस अभिभाषण में जो बात कही गई है वह एक प्रेस कांफ्रेंस में डीजीपी ने कहा था कि पुलिस और कानून व्यवस्था में सुधार लाने की आवश्यकता है। यही बात राज्यपाल से अभिभाषण में कहलाई गई। पुलिस आयोग की रिपोर्ट में 14-15 वर्ष पहले सिफारिश की गई थी। धर्मवीर कमीशन की सिफारिश थी। यह बहुत पहले की बात है मैं इस सदन में मौजूद था। जो सिफारिशें थी उनको लागू नहीं किया गया। राज्यपाल महोदय ने उसको दोहराया भी है। यह सरकार पक्षपात कर रही है देहात और शहर में। अभिभाषण में 11 नगरों में पुलिस नीति की व्यवस्था के बारे में कहा गया है। हमें तो कहीं नही दिखता। न तो लखनऊ में, न इलाहाबाद में न वाराणसी में। यह [x x x] का पुलिन्दा है। यह कहते है कि पुलिस सुधार लाना चाहती है, तो मान्यवर, एक दरोगा गाली देकर बात करता है।

सीतापुर कोतवाली में जो घटना हुई वह किसी से छिपी नहीं है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि इस कानून के तहत खाली उत्तर प्रदेश में ऐसा हुआ कि अल्पसंख्यक बन्द हुए या दलित बन्द हुए। अगर यहां गुण्डा एक्ट लागू है जिसके तहत अल्पसंख्यक ही बन्द होते है दलित ही बंद होते है तो फिर भारतीय जनता पार्टी के कितने गुण्डों को जेल भेजा गया? सारे गुण्डे किसी न किसी मंत्री की शरण में रहते है। मैं आपके माध्यम से यह पूछना चाहता हूं कि डेढ़ महीने पहले जो वकीलों के साथ हुआ और जो वकीलों की हड़ताल हुई उसमें ना जाने कितने गरीबों को न्याय नही मिला। कचेहरियों के बन्द होने से कितने लोगो की जमानतें नही हो पाई, कितनों की जमीनों पर कब्जा हुआ उन्हें स्टे नहीं मिल पाया। माला कि यह सेन्ट्रल गवर्नमेन्ट का मामला है पर इस सरकार ने क्या किया इसमें? यहां भी इन्ही की सरकार है और वहां भी इन्ही की सरकार है। इस भारी भरकम मंत्रिमण्डल के नेता यहां कहो कि अपराध हो रहा है तो वह मुस्कराते रहते है, उनसे कहो हत्या हो रही है,.तो मुस्कराते है, डकैती हुई तो मुस्कराते रहते है। मेरी समझ में नही आता कि आप कब किस बात को सीरियसली लेंगे? मान्यवर, जब उत्तर प्रदेश में न्याय नहीं मिलेगा तो यह प्रदेश कैसे चलेगा? वकीलों की हडताल हुई, उनसे कहा जाता है कि डी0एम0 के यहां से प्रमाण-पत्र लाओ, यह

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

प्रमाण-पत्र लाओ। लेकिन कोई हल नहीं निकाल सके आप ला एण्ड आर्डर का बड़ा ढिंढोरा पीटा गया है इस अभिभाषण में। मैं पूंछना चाहता हूं कि बलिया में कुछ दिनों पहले एक पुलिस चौकी में एक व्यक्ति को दरोगा ने बुलाया और उसको यही इसी मंत्रिमण्डल के एक मंत्री के सामने गोली मार दी गई। दरोगा इन्ही मंत्री [x x x] के समाने रिवाल्वर लहराता हुआ आता है और उस व्यक्ति को गोली मार देता है और वह आदमी वहीं पर मर जाता है। अरे जरा शर्म खाओ। आप उस लाश पर हंस रहे हो।

अंग्रेजों का जुल्म सुना था और पढ़ा भी था परन्तु मैंने यह नहीं सुना था कि मंत्री जी बैठे हो और गोली मार दी जाय। यहां तक कि यदि एम0एल0ए0 के सामने ऐसी घटना हो जाती है तो लोग कहते है कि जब वह नहीं बचा पाये इनकी क्या औकात है? एक वरिष्ठ मंत्री के सामने गोली मार दी गयी तो फिर उसकी औकात क्या है, कई विधायकों को चोटें लगी और माननीय मंत्री जी को स्वयं कई झापड़ लगे परन्तु बदनामी की डर से वह बता नहीं पा रहे है। यह है आपका पुलिस प्रशासन और आप दुहाई दे रहे है कि ठीक चल रहा है। आपने कहा कि तेरहवी लोकसभा के चुनाव हमने निष्पक्ष करा दिये। यह बुनियाद हुसैन अंसारी नहीं कह रहा है, भारतीय जनता पाटी के अनेक विधायकों ने यह लिखकर दिया कि चुनाव में बेइमानी हुई है।

भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी प्रधानमंत्री के सामने रो पड़ा और उसने कहा कि बेइमानी हुई है। बी0जे0पी0 के लोगों ने स्वयं कहा कि प्रतापगढ़ और जौनपुर में बेइमानी हुई है, बी0जे0पी0 के प्रत्याशी से भी पड़े। वरिष्ठ मंत्री [x x x] घूम-घूम कर कह रहे है और अनौपचारिक बातों में भी उन्होंने कहा कि अटल बिहारी बाजपेयी जी को हराने के लिए षड़यंत्र किया गया ताकि किसी तरह से प्रधानमंत्री चुनाव हार जायं। फिर भी आप की रहे है कि चुनाव निष्पक्ष हुए। प्रधानमंत्री ने भी इस बात को स्वीकार किया है और इसी बेइमानी के कारण उत्तर प्रदेश सरकार की सबसे बड़ी कुर्सी पर बैठे मुख्य मंत्री कल्याण सिंह को उन्होंने हटाया। इसलिए हटाया कि उन्होंने बेइमानी करवायी थी। आप भी उसका ढिढ़ोरा पीट रहे है और राज्यपाल से कहलवा रहे है कि चुनाव निष्पक्ष हुए। अरे, यदि आपमें हिम्मत और साहस है तो ग्राम पंचायतों के चुनाव क्यों नहीं करवा रहे है इसमें आपकी हवा खराब हो रही है।

श्रीमत्, विद्युत सुधार के बारे में कहना चाहता हूं मैं कहता हूं कि पहले आप विद्युत मंत्री में सुधार कर दो तब विद्युत सुधार की बात करना एक मंत्रिमण्डल का सदस्य ऊर्जा मंत्री आपको भी नहीं बक्श रहा है। मैं आपका बहुत अदब करता हूं। बात यह है कि आप बोलते ही नही है लेकिन हम आपकी यह अदायगी पसन्द करते है, आपके मंत्री आपको भ्रष्टाचारी कह रहे है, विधायक मंत्री को भ्रष्टाचारी कह रहे है, राज्यमंत्री कहते है कि मंत्री भ्रष्टाचार कर रहे है और आपको अक्षम कहते है। माननीय मुख्य मंत्री जी पर उनको विश्वास नही है।

(श्री रंगनाथ जी के बैठकर कुछ कहने पर व्यवधान)

(व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, एक व्यवस्था का प्रश्न है....

(कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर व्यवधान)

गृह राज्य मंत्री (श्री रंगनाथ मिश्र)-

मान्यवर, यह अनरगल प्रयास कर रहे है और सदन का समय जाया कर रहे है। यह महामहीम राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा हो रही है या कुछ और?

(व्यवधान)

संस्थागत एवं व्यापार कर मंत्री (श्री अमरमणि)-

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मान्यवर, विपक्ष जो चाहे कह लें लेकिन बुनियाद हुसैन अन्सारी जी को भ्रष्टाचार के बारे में इस सदन में कहने का कोई कह नहीं है। इनसे बड़ा भ्रष्टाचार किसने किया होगा? मैं इन पर व्यक्तिगत रूप से आरोप नहीं लगाना चाहता। अगर मुझसे कहलवाना चाहते है तो मैं कह दूंगा।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

आप लोग कृपया बैठ जायें। यह उचित नहीं है।

श्री मुराद लारी-

जिस अपराधी के ऊपर प्रदेश द्वारा लाखों रूपये का इनाम हो उस अपराधी को मंत्री जी अपनी सरकारी गाड़ी में बैठकर घुमा रहे थे।

श्री अमर मणि-

यह लारी साहब बोल रहे है जो अभी पुलिस हिरासत से छूट कर आये है। "सूप बोले तो बोले, चलनी बोले जिसमें सत्तर छेद।"

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, तमाम संसदीय परम्पराओं का अनुपालन करते हुए आपने जितनी बार बैठने के लिये कहा मैं बैठ गया लेकिन मेरा व्यवस्था का प्रश्न अभी भी मौजूद है। मान्यवर, कल अध्यक्ष महोदय के कक्ष में आप भी मौजूद थे कुछ परम्पराओं का पालन करने की बात हुई थी और तदनुसार सदन उसी के अनुरूप चल रहा है। माननीय बुनियाद अंसारी जी बोल रहे थे, वरिष्ठ सदस्य हैं, मंत्री भी रह चुके है। हो सकता है कि किसी सदस्य को इनकी बात असंसदीय लग रही हो, आपत्तिजनक लग रही हो। माननीय सदस्यों को, मंत्री जी को मौका मिलेगा उसका उत्तर दे सकते है लेकिन बैठे बैठे बोल रहे है जैसे कि उनके थाने की कोई पुलिस चौकी हो। मान्यवर, जब कोई सदस्य बोल रहे हैं तो उनकी बात से सहमत न होने पर आपके माध्यम से उनसे वार्ता होगी या बीच में बैठे बैठे बोलेगें सीधे उनसे।

श्री अधिष्ठाता-

नहीं सीधे कोई वार्ता नहीं हो सकती है।

श्री रंगनाथ मिश्र-

मान्यवर, कम से कम संयम का प्रयोग तो वाणी में किया जाय अनर्गल के स्थान पर रचनात्मक बात कही जाय।

(व्यवधान)

श्री बी0 आर0 वर्मा-

मान्यवर, असंसदीय है, आक्षेपात्मक है, यह फैसला पीठ करेगी या बैठे हुए लोग करेंगे?

श्री अधिष्ठाता-

अंसारी जी अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, लाल बत्ती न जलायें। मुझे लाल रंग से डर लगता है। मान्यवर, लालू प्रसाद यादव को तो चारा घोटाले में बदनाम किया जा रहा है। यहां पर तो जानवरों की रकम खा गये। करोड़ों रूपये विश्व बैंक से आया था। आप कहें तो लिखकर दे दूंगा सरकार में हिम्मत हो तो जांच करवाये।

.....ऐसा नहीं है कि हम देख नहीं रहे है, देख नही रहे यह अलग बात है, हम अंधे नहीं है। हम जानते है कि सरकार में कितना दम है इसलिए कहना नहीं चाहते है। मैं कह रहा था कि विद्युत सुधार यह सरकार करना चाहती है इन्होंने सुधार की पहल की थी इसमें दो राय नहीं थी, बड़ी तेजी ऊर्जा मंत्री जी ने

देखाई। हम सुबह उठकर अखबार उठाते थे तो सबसे पहले वही पढ़ते थे लेकिन उसके बाद जब कर्मचारियों ने हड़ताल की तो उसके समने सरकार ने घुटने टें दिए, उसमें समझौता हुआ समझौता क्या हुआ इसके पूरे तथ्य नहीं है लेकिन इतना जरूर है कि 25,000 कोड़ रूपये का घाटा माननीय विद्युत अधिकारियों ने दिया, आई0 ए0 एस0 अधिकारियों ने दिखाया। उन्हीं आई0 ए0 एस0 अधिकारी जिन्होने घाटा किया उन्हीं को गदाधिकारी बनाया जा रहा है। हम यह जानते हुए कि 25 हजार करोड़ का घाटा जिन्होंने उत्ता प्रदेश को देया वह उत्पादन में सुधार करेंगे। जिन्होंने उत्पादन में 13,500 करोड़ का घाटा दिया उन्हीं आई0 ए0 एस0 अधिकारियों को आपने नियुक्त कर दिया इनको मोह भंग नहीं हुआ। यह आई0 ए0 एस0 अधिकारियों से व्यवस्था कराना चाहते है जिनको यह नहीं मालूम उत्पादन कैसे होता है, जिनको मालूम नहीं कि वितरण की व्यवस्था कैसे होनी चाहिए मुझे नहीं लगता उत्ता प्रदेश सरकार को 25 हजार करोड़ का घाटा हुआ, 13 हजार पांच सौ करोड़ का घाटा हुआ लगभग 38 हजार करोड़ का घाटा हुआ। उत्तर प्रदेश के किसानों की गाढ़ी कमाई इस तरह से जा रही है यह कह रहे है प्रदेश ठीक चल रहा है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

अभी तो शुरू कर रहा हूं। मैं कोशिश करूंगा आधे घंटे में समाप्त करने की। मान्यवर, बुनकर के बारे में कहना चाहूंगा उत्तर प्रदेश किसानों का देश है, बुनकरों की दस्तकारी सबसे बड़ी है कपड़ा उद्योग घर-घर में चलता है। हथकरघा उद्योग घरों में चल रहा है यह उद्योग दम तोड़ रहा है। इन्होंने दस हजार माफ करने की घोषणा की थी लेकिन वह भी नहीं किया। बुनकर कह रहा है कि हमें निर्धारित दर 16 करोड़ की, 160 रूपये एक.....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

वह बेईमान नहीं है जो बड़े है वह बेईमान है। राज्यमंत्री विद्युत छापा डलवाते है एक कैबिनेट मिनिस्टर के यहां और बताते हैं कि वरिष्ठ मंत्री बिजली की चोरी कर रहे हैं। इसमें आपने क्या किया, बतायें? मैं सदन के सामने रख रहा हूं फैसला आपके हाथ में है। वह उत्तर प्रदेश के बुनकर ईमानदार है यह राज्य मंत्री जो कह रहे है कि कैबिनेट मिनिस्टर बिजली चोरी से जलाते है, इनमें हिम्मत है उनके खिलाफ कार्यवाही करने की। इस प्रदेश को कहां ले जाना चाहते है? बेरोजगारी खत्म करने की बात हुई।

श्री अधिष्ठाता-

कृपया समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, ऋण का अनुपात 30 परसेन्ट उत्तर प्रदेश में आ गया है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ मान्यवर, कहा जाता है कि पद रिक्त होने पर कोई नियुक्ति नही की जाएगी वह उत्तर प्रदेश सरकार क फैसला है। और अगर तीन पद रिक्त होंगे तो दो पत्र पर नियुक्ति होगी इससे बेरोजगारी बढ़ेगी या चढ़ेगी मान्यवर, महिला डेरी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। महिलायें आदिकाल से....

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की योजना क्या है, कितना धन वह दे रही है....

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर, ऋण का अनपात 30 परसेन्ट उत्तर प्रदेश में आ गया है। बैंकों का नेशनलाइजेशन हुआ। मान्यवर, कहा जाता है कि पद रिक्त होने पर कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी यह उत्तर प्रदेश सरकार का फैसला है। और अगर तीन पद रिक्त होंगे तो पद पर नियुक्ति होगी इससे बेरोजगारी बढ़ेगी। मान्यवर, महिला डेरी पर प्रकाश डालना चाहता हूं। महिलायें आदिकाल में.....

श्री अधिष्ठाता-

अब कृपया समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

तो मैं यह कहना चाहता हूं कि सरकार की योजना क्या है, कितना धन वह दे रही है...

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी

मान्यवर, एक अन्तिम बात मैं कहना चाहता हूं कि जो स्वास्थ्य विभाग विदेशियों के कहने से पोलियो ड्राप पिला रहा है तो इसमें एक किसी जनपद में अस्पताल खोलने की कोई योजना का जिक्र कर देते। विकलांक के लिए अस्पताल तो नहीं बना लेकिन पोलियो ड्राप पिला दी गयी.....

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री बुनियाद हुसैन अंसारी-

मान्यवर,बुनकरों के लिए कोई योजना का जिक्र नहीं है इसमें जो कि जरुरी था। आपने जितना समय दिया है मैं इसके लिए आभार व्यक्त करता हूँ।

श्री प्रमोद कुमार

माननीय अधिष्ठाता महोदय,महामहिम श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर आपने मुझे विचार रखने का अवसर दिया इसके लिये आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर,कुछ बातें आपके माध्यम से सरकार तक तथा कुछ बातें सदन के लिए कहना चाहता हूँ। मान्यवर,राज्यपाल का अभिभाषण होता क्या है अगर इसे संसदीय भाषा में निरुपित करें तो सरकार की आगामी वर्ष के लिए रुप रेखा होती है। इसमें यह होता है कि सरकार क्या करने जा रही है। महामहित राज्यपाल जी का अभिभाषण स्पष्ट करता है कि सरकार की मंशा क्या है और अगर पूछा जाय तो सही बात यह है कि राज्यपाल का अभिभाषण आशा का संचार करता है, अंधेरे में दीपक के समान होता है जो कि रास्ता दिखाता है। मान्यवर,मैने पूरा राज्यपाल जी का अभिभाषण पढ़ा। मैं, उनका सम्मान करते हुए इतना ही कहना चाहूंगा कि इसमें निराशा में आशा का दीपक जलता हुआ नहीं दिखायी देता है। अगर कुल मिलाकर एक वाक्य में कहें तो वह यह है कि यह भरती हुई सरकार का डाइंग डिक्लेरेशन है। मान्यवर,आप कहे कि सरकार का पैमाना क्या होगा। मैं दो तीन बातें कहना चाहूंगा। जीवन सबको प्यारा होता है और मान्यवर,मौत से सबको डर लगता है और मौत को स्वयं अंगीकार करने के लिए जब आदमी उठता है जब उसे दुनिया से कोई आशा नहीं रह जाती है। माननीय मुख्यमंत्री जी पता नहीं आपकी सरकार को (X X) आती है कि नहीं लेकिन प्रदेश की जनता को आती है। आपकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

पहली सरकार है जिसके समय में दो-दो आत्मदाह हुए हैं तो यह सर्टिफिकेट आपकी सरकार है। मान्यवर इस सरकार को बने रहने को कोई अधिकार नहीं है। आप जीवन तो दे नहीं सकते हैं और मरने के लिए मजबूरन करते है...

एक सदस्य-

वी0 पी0 सिंह के समय क्या हुआ था बैठे बैठे बोले जाने पर।

श्री प्रमोद कुमार-

फिर बैठे-बैठे बोलने लगे। अभी आप नासमझ हो। अब आप दूसरा पैमाना ले लें। कहा गया कि औद्योगीकरण होगा और प्रदेश को विकास की ओर ले जायेगें। मैं,यह पूछना चाहता हूँ कि पैसा कहां से आयेगा ? आज ऋण जमा अनुपात में सरकार में गिरावट आयी है। महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत लग रहा है और आपकी सरकार में क्या स्थिति है? 89 में हमने 62/- रुपया छोड़ा था आज आप उसे 30/- तक ले आये हो। अगर यही पैमाना मान लें तो ऋण जमा अनुपात में यह असफलता की कहानी को बयान कर रहा है। तीसरा पैमाना विकास की गति का है। तो मैं यह पूछना चाहता हूँ कि आज उसकी दर क्या है? बंगाल में मध्य प्रदेश है वहां सर्वाधिक विकास की गति है। वहीं परिस्थितियां,वही हालत उत्तर प्रदेश की है लेकिन यहाँ पर 2. कुछ प्रतिशत हो गयी है...,

मान्यवर, 6 फीसदी 1989 में और वह घटकर 2 फीसदी आ जाय यानि एक तिहाई तो मैं यह कह सकता हूँ कि इस सरकार की विकास दर घटी है और वह विकास के प्रयास की कहानी अपने आप कह रही है। मान्यवर, अब कह देते हैं कि अमन चैन है और कानून व्यवस्था की हालत क्या है, और आज कौन सा वर्ग ऐसा है जो आन्दोलित नहीं है। वकीलों की हड़ताल चल रही है, इस सरकार की पुलिस निरंकुश है वह इस सरकार के नियंत्रण में नहीं है, इस सरकार पर से जनता का विश्वास उठ गया है वर्ना जो हड़ताल चली थी दिल्ली में, उत्तर प्रदेश में उसकी ज्वाला बढ़ती नजर आती है। मुख्य मंत्री जी अच्छा होता वकीलों से आप पहले बातचीत करते ताकि हजारों वादियो का हित सुरक्षित होता लेकिन ऐसा नहीं हुआ। छात्रों की क्या स्थिति है बलिया में जो घटना घटी उन छात्रों की आप पोस्टमार्टम रिपोर्ट मंगवाकर देख लीजियेगा। तीन छात्र मारे गये है यह थी नाट थी से नही मारे गये सब रिवाल्वर से मारे गये हैं। एक दरोगा के मामले में सब दरोगा एक हो गये और उनको सटाकर गोली मारी गयी। इस देश प्रदेश में किसी को सह अधिकार नहीं कि अगर वह मारे गये है तो वह साफ कहानी नजर आती है कि सरकार का पुलिस पर नियंत्रण नही रह गया है आज वकील डाक्टर छात्र कर्मचारी और मंत्री भी हड़ताल पर हैं। आपके मंत्री कामकाज नहीं संभाल रहे है आपके मंत्री कह रहे है कि मंत्रिमण्डल की बैठक में नहीं जायेंगे बहुत से मंत्री कहते है कि काम नहीं है। इनके मंत्री तो कहते है कि हम को मलाईदार विभाग नहीं दिया गया है इसलिये असंतुष्ट हैं।

(श्री रंगनाथ मिश्र के टोका टाकी करने पर)

मान्यवर, इनको रोक दें नहीं तो एक स्थिति ऐसी आ जायेगी कि हमको भी कुछ कहना पड़ेगा।

मान्यवर, एक मंत्री यहां पर बैठे हुए थे उनके पास बिजली विभाग था वह अपने मंत्री से लड़ गये और उन्होंने उनको निकलवा दिया और वह वन विभाग में पहुंच गये है और अब उनको डंडा दे दिया गया है। मान्यवर, इसी तरह से मैं कहना चाहता हूं कि इस प्रदेश सरकार में जब मंत्रियों का मुख्य मंत्री पर विश्वास नहीं, मैं स्पष्ट कर दूं कि इन मंत्रियों में इतना साहस नही है कि इस्तीफा देकर बाहर चले जायें।। यह सालिग्राम जायसवाल या चौधरी चरण सिंह नहीं है इनको तो मुख्य मंत्री जी आप डंडा मारकर निकालो तो भी यह मंत्रिमंडल से निकलने वाले नहीं है। क्योंकि चुनाव लड़ने के साहस इनमें नहीं है। आप जरा सा

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुस्कराइये और थोड़ा डंडा उठाइये आपको जो बनना था आप बन गये इसके आगे अब आपको कुछ मिलने वाला नहीं है या तो भाग्य था जो आप को मिल गया। इन मंत्रियों के पास कोई सहारा नहीं है पांच साल तक [x x x] घर में घुसे रहेंगे निकलने वाले नहीं है। इसलिये थोड़ा कुछ करिये कुछ कदम उठाइये।

जहां तक शिक्षा निति का सवाल है, शिक्षा का प्रचार प्रसार नही करेंगे शिक्षा के बारे में कोई कदम नहीं उठायेंगे चार-चार पांच-पांच साल में ग्रांट इन ऐड पर नही लेंगे तो इस तरह से शिक्षा विभाग चौपट कर रहे है केरल से तामिलनाड से मुकाबला कर लिजिये तो पता लगेगा कि आप कहां है कहा जाता है कि सूचना का अधिकार। सूचना का अधिकार दिया जायेगा हर मुख्य मंत्री घोषणा करता है अभिभाषण में भी बात आयी लेकिन उसका कार्यान्वयन होता नहीं दिखता आप कदम उठाइये अभी तो आप भूले नही होंगे भारतीय जनता पार्टी का सबसे बड़ा नारा स्वदेशी का था और उसके लिये जनता को आपने आंदोलित किया लेकिन स्वदेशी के नाम पर क्या कदम उठाया जो तनख्वाह आपको पहली तारीख को मिलती है आपके मंत्रियों को मिलती है उसका नाम क्या है? (1) यूनाइटेज प्राविंसेस पेंशन एण्ड पे

(टोकाटाकी से व्यवधान)

और इसके बाद है यूनाइटेड प्राविंसेस इंटर टेक्स तो जो आप पेंशन और वेतन लेते हैं उसका तो सुधार कर लें। आप स्वदेशी की बात करते हैं और उसमें प्राविधान नहीं करते तो आप में और दूसरे की सरकार में क्या अंतर है।

संसदीय कार्य, पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क मंत्री (हमकुम सिंह)-

जब आप तनख्वाह लेते थे तो वह कौन से ऐक्ट में लेते थे?

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, हमारे कहने में और करने में कोई अंतर नहीं है हम स्वीकार करते हैं, हम स्वदेशी का झूठा आडम्बर नहीं करते हैं। मान्यवर, पृष्ठ 11 पर मैं अपनी बात स्पष्ट करना चाहता हूं सार्वजनिक उपक्रम के बारे में राज्यपाल जी के अभिभाषण में दिया गया है मैं बहुत ही विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि सार्वजनिक उपक्रम में सुधार करने जा रहे है और घाटा बढ़कर 13 हजार करोड़ रूप का हो गया है आप अब बनाने जा रहे है एक आयोग विनिवेश आयोग उस विनिवेश को चलायेगा कौन और इसमें कौन सा सुधार करने जा रहे है? 40-50 लोगों को जो मंत्री नहीं थे आपके ऊपर दबाव था इसलिये उनको अध्यक्ष बना दिया और आपने उनको राज्य मंत्री और मंत्री का दर्जा दे दिया। पहले यह अध्यक्ष विभागीय सचिव होते थे जो एक ही तनख्वाह में काम करते थे अब इसका घाटा कम करने के बजाय आपने खर्चा बढ़ा दिया और अब यह तेरह हजार का घाटा बढ़कर 14 हजार करोड़ हो गया। एक दिन यह प्रश्न आया था कि जितना 40 वर्षो में खर्च नहीं बढ़ा उतना पिछले पांच वर्षो में, तीन वर्षो में इतना खर्च बढ़ गया आज आप की वित्तीय स्थिति कहां है यह आपकी सरकार की अक्षमता का सर्टिफिकेट है और अब मानकर चलिये कि आप अक्षम मुख्य मंत्री है और आपके अक्षम मंत्री यहां पर बैठे हुए है और इससे प्रदेश का भला होने वाला नहीं है और इस प्रदेश का भगवान ही मालिक है।

मान्यवर, बुनकरों की समस्या का जिक्र हुआ है। यह सरकार जब चुनाव लड़ रही थी, तब इसके सहयोगी दल ने वायदा किया था कि 10 हजार का कर्जा माफ करेगें। आज बुनकरों के यहां लगातार छापे डाले जा रहे है और बुनकरों पर वसूलि के लिये उत्पीड़न की कार्यवाही की जा रही है। इस सरकार की यह आदत है कि जब यह किसी और तरीके से नहीं जीत पाती तो साम्प्रदायिकता का सहारा लेती है। पहले गाय माता का नाम लिया और आज रोज 100 गायें प्लास्टिक थैले खाकर मर रही है और इस सरकार को प्लास्टिक थैले पर रोक लगाने से इनकार है। इस सरकार ने वायदा किया था कि मंदिर बनायेंगे। तमाम मंदिर मस्जिद की बातें कही गई, हजारों लोगों को लड़वाया गया और अब कहते है कि मंदिर हमको बनाना नहीं है। यह शुरू से धर्म का उपयोग राजनीति के लिये करते रहे है। यह धर्मस्थल विधेयक क्यों लाये,

इसलिये लाये क्योंकि सरकार की गिरती साख के पुन: बढ़ाने के लिए और इस प्रदेश को साम्प्रदायिकता की आग में झोकने के लिये। राज्यपाल जी का विश्वास इस सरकार पर नहीं है और वह इससे सहमत भी नही है।

चीनी मिलों की स्थिति को देखें, आज 720 करोड़ रूपया बकाया है और उसके लिये किसी मिल मालिक के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हो रही है। गन्ना किसानों पर जो बकाया है, उसके लिये किसानों को 14 दिन हवालात में रखा जा रहा है। इसी प्रकार क्षेत्रीय असंतुलन बढ़ता जा रहा है। 40 प्रतिशत आबादी पूर्वांचल में रहती है और पूर्वांचल की निधि 150 करोड़ की है, इसी प्रकार बुन्देलखण्ड की निधि मात्र 50 करोड़ की है, यह क्षेत्रीय असंतुलन की स्थिति है। माननीय मुख्य मंत्री जी मैं आपसे व्यक्तिगत रूप से जानना चाहूंगा कि 20 से 23 वर्षो बाद अमेरिका के राष्ट्रपति भारत आये और आपकी जो खुली उदारीकरण की व्यवस्था है, उसके बारे में बता दूंकि आन्ध्र प्रदेश जो बहुत छोटा सा प्रदेश है, उत्तर प्रदेश उससे आबादी में बहुत बड़ा प्रदेश है, संसाधनों में भी बड़ा है। आन्ध्र प्रदेश के मुख्य मंत्री ने बिल क्लिंटन से 400 करोड़ का पैकेज स्वीकार कराया। मै आपसे जानना चाहता हूं, आप पहले मुख्य मंत्री थे, जिन्हें बिल क्लिंटन से मुलाकात करने का पहला मौका मिला, लेकिन दुर्भाग्य कि आप उत्तर प्रदेश के लिये एक भी पैसा नहीं ला पाये। वह आये और ताजमहल देखकर जले गये, पर्यावरण की बैठक हुई, लेकिन मुख्य मंत्री जी आप उत्तर प्रदेश के हितों की रक्षा नहीं कर पाये। इसी प्रकार राजस्थान में पर्यटन के नाम पर 100 करोड़ का पैकेज मिला, लेकिन उत्तर प्रदेश के लिये कुछ नही ले पाये, यह दुर्भाग्य है।

अब बिजली की बात कहना चाहूंगा। यदि भ्रष्टाचार, चोरी का अगर कोई पर्याय है तो बिजली मंत्री जी आप और आपका विभाग है। मैं तो मुख्य मंत्री जी आपसे एक चीज कहूंगा कि जिस प्रकार हर गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार पद्मश्री, पद्मभूषण, पद्मविभूषण सम्मान घोषित करती है, उसी प्रकार यदि सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचारी की आप उपाधि दें और पूरा विपक्ष इस बात के लिए सहमत है कि [x x x x x x] को यह सम्मान दे दिया जाय तो किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी, यही इसके सर्वाधिक उपयुक्त पात्र हागें। वैसे मैं भ्रष्टाचार पर ज्यादा कुछ कहूंगा तो समस्या उत्पन्न हो जायेगी। जो बिजली आप डेढ़ रूपये में पैदा करते हैं, उसे आप एक पूंजीपति को साढ़े 3 और 4 रूपये में दें रहे हों, यह कांग्रेस ने कभी नहीं किया।

ऊर्जा मंत्री (श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल)-

मान्यवर, सदन में किसी का नाम लेकर कुछ बातें कहीं गयी है। मान्यवर, उचित समझता हूं कि उन बातों को कार्यवाही में न रखा जाए इन्हें निकलवा दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय प्रमोद तिवारी जी, मेरा अनुरोध है निहायत संसदीय परम्पराओं के अनुरूप है, यही बात चलती है लेकिन अपावश्यक रूप से कोई बात कही जाए जिससे सदन में अनावश्यक कोई उत्तेजना हो त जब तक कोई दस्तावेजी सबूत न हो तब तक किसी का नाम लेकर न कहा जाए तो उचित होगा।

श्री नरेश चन्द्र अग्रवाल-

मान्यवर, जो व्यक्तिगत नाम लिया गया, उन्हें निकाल दिया जाए।

श्री अधिष्ठाता-

हम देख लेंगे।

श्री लालजी वर्मा-

मान्यवर, उत्तर देने का अवसर हर मंत्री को प्राप्त है....

नोट- [x x x] यह अंश श्री अधिष्ठाता के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(व्यवधान)

श्री अधिष्ठाता-

माननीय मंत्री जी आप बैठें। यदि नाम लेकर अरोप लगायेगें तो दस्तावेजी सबूत पीठ के पास भेजें।

श्री हुकुम सिंह-

माननीय अधिष्ठाता जी, 289 (क) की ओर आपका ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। आप इसके अन्तर्गत कार्यवाही कर दें।

श्री अधिष्ठाता-

मैं उस नियम से भेज्ञ हूं इसलिए आपकी आपत्ति दर्ज करने से पहले व्यवस्था दे दी है। यदि नाम लेकर कोई आरोप, व्यक्तिगत आरोप लगाया जाए तो दस्तावेजी सबूत वाकायदा पीठ के पास भेजे अन्यथा मैं कार्यवाही से निकाल दूंगा।

श्री बी0 आर0 वर्मा-

माननीय सदस्य ने सुझाव रखा है कि यदि मुख्य मंत्री और सदन चाहता है तो एक विभूषण यहां पर शुरू हो सकता है। यह तो सदन के विचाराधीन है। मान्यवर, मैं चुनौती के साथ कहता हूं कि जिस तरह चाहें उस तरह से शुरू कर लें....

(कई सदस्यों के बोलने पर व्यवधान)

श्री प्रमोद कुमार- -

मान्यवर, मैं आप से कह रहा था, मैं चाहता हूं, मुख्य मंत्री जी इस बात की जांच करा लें कि एन0 एच0 पी0 सी0 नोयडा में गोयन का जी को, उनकी संस्था को बिजली उत्तर प्रदेश सरकार कितने रूपये में बेच रही है और कितने रूपये में वह बेच रहे हैं। मान्यवर, एक क्लाज की जांच हो जानी चाहिए उसने आश्वायन दिया था कि 4 वर्ष के अन्दर पावर हाऊस बनायेंगे यदि नहीं बनाया तो समझौता रद्द हो जायेगा। तो किन परिस्थितियों में उसने पावर नहीं बनाया और उस व्यक्ति को दोबारा यह कान्ट्रेक्ट दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

30 मिनट हो गये हैं, आप समाप्त करें।

श्री प्रमोद कुमार-

मान्यवर, आज अपराध नियंत्रण की बात कही जा रही है। अपराध नियंत्रण कैसे होगा जब ऊपर बैठे हुए लोग ही अपराधी हों। मान्यवर, साक्ष्य मांगा जा रहा है। मैं कहना चाहता हूं कि आप मंत्रा परिषद के मंत्रियों का व्योरा मांग लें। मेरा यह आरूप नहीं है, मैं सुझाव दे रहा हूं कि आप मंत्रियों का व्यौरा मांग लें और उसे सदन के पटल पर रख दें कि आपके मंत्रियों में कितने ऐसे है जिनका 302, 307और अपहरण जैसे गंभीर मुकदमों का इतिहास रहा है। मेरी जानकारी है कि डेढ़ दर्जन से ज्यादा मंत्री ऐसे है जिनका आपराधिक इतिहास रहा है। माननीय मुख्य मंत्री जी जब बोलेंगे तो जवाब दे देंगे। जहां अपराधियों की धर्मशाला हो वहां उत्तर प्रदेश की सुरक्षा अपराधियों से नहीं की जा सकती है। जिस प्रकार से भ्रष्टाचार इस सरकार में है और जिस प्रकार की निराशा इस अभिभाषण में हैं उसको देखते हुये मैं कहना चाहता हूं कि इस अभिभाषण में कोई भी घोषणा ऐसी नही है जिसका कोई ठोस आधार हो। यह अभिभाषण एक मुर्दा सरकार के डाइंग डिक्लेरेशन के अलावा कुछ नहीं है।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया। राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव माननीय सरजीत सिंह डंग ले रखा है, वह मेरे मित्र

भी है।

डा0 वकार अहमद शाह-

मान्यवर, जो सूची भेजी गयी है उसके अनुसार बुलवायें।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय गौरी शंकर जी आप बैठ जायं, मैं एक अनुरोध सभी माननीय सदस्यों से कर रहा हूं। माननीय सदस्यों ने अपने नाम लिखकर भेजे है और पार्टीज के सचेतक महोदय की तरफ से नाम भेजे गये है। अभी माननीय मुख्य मंत्री जी को उत्तर देना है। आप लोग या तो यह तय कर लें कि 2-2 मिनट में अपनी बात कहेंगे या इस तरह से लम्बा समय लेंगे तो अनेक माननीय सदस्य बोलने से वंचित रह जायेंगे। मेरी बाध्यता होगा कि मैं उनको अवसर नहीं दे पाऊंगा। इसलिये मेरा अनुरोध है कि बहुत संक्षेप में आप लोग 2-3 मिनट बोल लें।

श्री गौरी शंकर एडवोकेट-

यदि 2 मिनट बोलना है तो मैं बैठ जाऊंगा। मैं अनावश्यक रूप से समय नहीं लूंगा। परंपरा रही है कि माननीय सदस्यों को 10 मिनट और माननीय नेताओं को 20 मिनट बोलने का समय दिया जाता है। सन् 74 से लेकर आज 25 वर्ष हो गये है मुझे देखते हुये, जब भी अभिभाषण पर चर्चा होती है माननीय सदस्यों को 10 मिनट और माननीय नेतागण को 20 मिनट का समय दिया जाता है।

अभी बहुत सारे माननीय सदस्यगण ने बहुत सारी बातों का उल्लेख किया। मेरा मन करता था कि अभिभाषण पर जो चर्चा हो रही है उसमें बहुत सारी चीजों को कुछ इस तरह से पेश करे कि उन्हें लगे कि उनकी प्रशंसा हो रही है। नेता विरोधी दल ने जिन बातों की ओर ध्यान आकर्षित किया और कहा, काश, ये चीजें जिनका उल्लेख किया है, ये जोड़ दी गयी होती तो हम महामहिम राज्यपाल को धन्यवाद देते। डंग साहब ने धन्यवाद का प्रस्ताव रखा है, हमारे मित्र भी है। हम चाहते थे कि उनकी बात रह जाती लेकिन इसमें कुछ तो हो। माननीय मुख्य मंत्री जी, सीधे व सरल व्यक्ति लगते है, उनका बहुत लम्बा राजनैतिक जीवन है। मैं 20-25 साल से देख रहा हूं। मैं 1974 से सदस्य के रूप में, मंत्री के रूप में भी रह चुका हूं। मुझे तो उनके व्यक्तित्व में एक शेर याद आता है-

" कौम के गम में डिनर खाते है हुक्काम के साथ,
रेजे लीडर को बहुत मगर आराम के साथ "

आपने अभिभाषण के पृष्ठ-3 पर उल्लेख किया उत्तर प्रदेश श्रेष्ठ अभिशासन की ओर अग्रसर राज्य और शांति-व्यवस्था की स्थिति में गुणात्मक सुधार हुआ है। यह सत्य से परे है। अभी कितने दिन हुए जब राजभवन के सामने जेलर की हत्या हुई, बैंक डकैती हुई और नोटों को चादर में बांधकर मोटर साईकिल से लुटेरे भाग गये। गड्डियां गिरती हुई गयीं जिसे जनता ने उठाया। अभी बहुत दिन नहीं बीते हैं। इतने दिनों में ही यह काम देना कि शांति-व्यवस्था में गुणात्मक सुधार हुआ है सत्य से परे हैं। पृष्ठ-8 पर इस बात का जिक्र किया गया है कि विकेन्द्रीकरण एवं जन-सहभागिता का वर्ष 1999-2000 को घोषित किया गया है। इसके तहत 8 विभागों के कर्मियों को ग्राम पंचायतों के अधीन कार्य करने हेतु अन्तरित किया गया है। इससे ज्यादा कन्फ्यूजन और कोई हो नहीं सकता। लेखपान सिंचाई का काम कर रहा है। दाई का काम करने वाले अस्पताल का काम देख रहे है, खेती-बाड़ी से जुड़ा व्यक्ति शिक्षा के काम की निगरानी करेगा। मेरा अनुरोध है, पूर्व मुख्य मंत्री जी ने बिना सोचे-समझे जो कार्य किया, उस पर आप पुनर्विचार करने की कृपा करें। पृष्ठ-9 पर यह कहा गया है कि अब जिला योजना समिति के माध्यम से ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्र की योजनाओं का समन्वय कर जिला योजना बनवाये जाने का कार्य पूर्णत: जनपद स्तर पर कराया जा रहा है। साथ ही

जिला सेक्टर की योजनाओं के नियोजन, क्रियान्वयन एवं अनश्रवण हेतु जिला नियोजन एवं अनुश्रवण समिति भी कार्यरत रहेगी। इससे तो आपने बिल्कुल चौपट कर दिया। माननीय सदस्यगण जो विधायक हैं,उनको भी आपने निष्क्रिय कर दिया, वह एकदम से निष्प्रभावी हो गये और विधायकों की भागीदारी नगण्य हो गयी। विधायक केवल आमंत्रित सदस्य के रूप में चुपचाप बैठें रहें लकिन बोलने का अधिकार नहीं है। आप संवेदनशील मंत्री के रूप में जाने जाते रहे हैं और इस समय आप अनुभवी मुख्य मंत्री है आप इसको देखिये और विधायकों की जो आन्तरिक व्यवस्था है उसको समझकर उसका निदान करिये। आपने पृष्ठ-20 पर कहा है कि 1,000 किलोमीटर लम्बाई में नहर पटरियों का पक्का किया जा रहा है। मार्गों के अनुरक्षण हेतु 200 करोड़ रूपये प्रतिवर्ष की सड़क निधि की स्थापना की गयी है। " नावार्ड " वित्त पोषण के माध्यम से 82 सेतुओं के निर्माण की स्वीकृति प्रदान की जा चुकी है।

इन सारी चीजों का उल्लेख इसलिए किया ताकि शायद आपकी निगाह किसी दिन मैंगो बेल्ट पर पड़ जाए यहां के करोड़ों रूपए की विदेशी मुद्रा अर्जित होती है इसके जिए स्पेशल पैकेज की घोषणा की गई होती तो निश्चित रूप से धन्यवाद ज्ञापित करता। आपने नोयडा ग्रेटर नोयडा के मध्य 25 कि0मी0 एक्सप्रेस हाइवे का निर्माण कराने की बात की लेकिल लखनऊ हरदोई रोड की तरफ आपका ध्यान नहीं गया। लखनऊ के चारों तरफ की रोड अच्छी है लेकिन मैंगो बेल्ट एरिया में लखनऊ से हरदोई रोड जो संडीला, मलिहाबाद, रहीमाबाद को जोड़ता है इस ओर आपका ध्यान नहीं गया मुख्य मंत्री जी आप एक कार्यक्रम में मलिहाबाद गए थे जब आपका भ्रमण हुआ था उसके दूसरे दिन अखबारों को पढ़ा कि शायद आपका ध्यान इस ओर गया हो और आपने इसके लिए कोई घोषणा की हो। लखनऊ हरदोई रोड की स्थिति बहुत खराब है। मैं आपका ध्यान इस ओर आकृष्ट करना चाहूंगा कि जब आप जवाब दें तो इस ओर दो शब्द अवश्य कहें। इसी तरह से लखनऊ हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा घोषित किया गया एवं इसे निर्यात का प्रमुख केन्द्र बनाने हेतु यहां माल परिवहन स्टेशन की स्थापना विचाराधीन है इसको जल्द से जल्द बनवा दिया जाए जिससे मैंगो बेल्ट से जो आम जो विदेशों तक में जाता है वह जल्दी पहुंच सके एवं विदेशी मुद्रा की प्राप्ति हो सके। क्योंकि अभी आम 10-10,15,15 दिन रास्ते में ही पड़ा रहकर सड़ जाता है। 5.96 में कहा गया है कि एल0आर0आई से उत्तर प्रदेश की बात छेड़िये। वह यहां के बारे में इनकरेजमेंट नहीं है। उत्तर प्रदेश के लिए एन0आर0आई इण्डस्ट्री लगाने के लिए आता है तो वह जिस समय आता हे उनको यहां का वातावरण देखकर दुख अनुभव होता है। आपकी अध्यक्षता में जो परिषद बनी है वह अगर सही तरह से काम कर सकेगी तभी मैं अभिभाषण पर धन्यवाद दे सकूंगा। अन्यथा नेता विरोधी दल ने जो संशोधन प्रस्तुत किया है निश्चित रूप से हम लोग उनके साथ सम्बद्ध होंगे। लखनऊ, इलाहाबाद, गौतमबुद्ध नगर को स्मार्ट सिटी बनाने का निर्णय लिया गया है इसमें उत्तर प्रदेश के अन्य शहरों को शामिल किया जाए एवं उनको विकसित किया जाए। बालिकाओं की शिक्षा के बारे में कहा गया है ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया मलिहाबाद, मालू काकोरी के मेरे सहयोगी विधायक श्याम किशोर यादव जी का क्षेत्र व लखनऊ के दूसरे ब्लाक ऐसे है जो असेवित हैं यहां कन्या विद्यालय खोले जाएं। तब मै समझता हूं कि धन्यवाद दिया जाए।

आपने बुन्देल खण्ड विकास निधि की स्थापना कर दी, पूर्वांचल विकास निधि की स्थापना की, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लिए पैकेज की घोषणा कर दी आपने बाद में कहा है कि मध्यांचल विकास के लिए पैकेज बनाने का निर्णय लिया है वह पैकेज क्या है इसकी घोषणा कर दें। मध्यांचल विकास निधि की घोषणा आज की कर देंगे तो मैं समझता हूं हमारे साथी डा0 सुरजीत सिंह डंग और दूसरे साथी भी राहत महसूस करेंगे। वह सहयोग तो करेंगे क्योंकि उनकी मजबूरी है उनका दिन जानता है।

"न पूंछो क्या गुजरती है दिले खुद्दार पर अक्सर,
जब किसी नामेहर को मेहरबां कहना ही पड़ता है
हमारे सामने जिसने बहारें अंजुमन लटी

उसी को अब फरोगे अंजुमन कहना ही पड़ता है
यह दुनिया है यहां हर काम होता है करीने से
यहां पत्थर हो भी लाले गिरा कहना ही पड़ता है।
वफैजे मसलहत ऐसा भी होता है जमाने में,
कि रहजन को अमीरे करावां कहना ही पड़ता है।"

तो मान्यवर, आपकी मजबूरी हो सकती है लेकिन हमारी कोई मजबूरी नहीं, इसलिए हमारी आवाज को दबाना नहीं चाहिए। इन शब्दों के साथ मैं अपनी बात पर बल देते हुए माननीय नेता विरोधी दल ने जो बातें कहीं है उनसे मैं अपने आपको समबद्ध करते हुए अन्त में यही बात कहते हुए अपनी बात हो समाप्त करता हूं कि-

हमारी सदा को दबाना तो खैर मुमकिन है,
मगर हयात की तलवार कौन रोकेगा?
फसीले आतशो-आहत बहुत बुलन्द सही,
इस बदलते वक्त की रफ्तार कौन रोकेगा?
नए ख्याल की तलवार रोकने वालों,
नए आवाम की तलवार कौन रोकेगा?

श्री शिशु पाल सिंह यादव-

मान्यवर, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे बोलने का मौका दिया। मान्यवर,ए महामहिम राज्यपाल का जो अभिभाषण है उसके पृष्ठ-3 में पैरा-1,1 में कहा गया है कि श्रेष्ठ अभिशासन की सबसे पहली शर्त प्रदेश में उत्तम कानून-व्यवस्था स्थापित करना है। तो उत्तम कानून-व्यवस्था की दुहाई देने वाली यह सरकार जिसके करानामें में मैं उदाहरण सहित बताना चाहता हूं कि इस सरकार के जो मंत्री हैं उनके कारनामों के सम्बन्ध में हमारे पूर्व सदस्यों ने यहां बता दिया है। लेकिन जो एटा में प्रशासन की स्थिति है उसके सम्बन्ध में मैं बताना चाहता हूं कि एटा जनपद के जो एस0एस0पी0 हैं वह कितनी बुरी तरह से भ्रष्टाचार में डूबे हैं इसको मैं प्रमाण सहित यहां बताना चाहता हूं। मान्यवर, 19 फरवरी, 2000 की घटना है। एटा में, हमारे विधान सभा क्षेत्र में जाटवपुरा में 19 फरवरी को सुबह 8.00 बजे एक आम रास्ते को लेकर विवाद था उसने एक दलित महिला और उसके पांच वर्ष के बच्चे को दिन-दहाड़े मार दिया गया। मान्यवर, एटा जनपद की नगर पालिका के चेयरमैन और उसके चार साथी जो वहां मौजूद थे उन्होंने दिन दहाड़े उस दलित महिला को गोली से मार दिया जिससे आज भी वहां दहशत फैली है। इस घटना में मौके पर ऐ मुल्जिम भी पकड़ा गया लेकिन पुलिस इसको छिपाने के लिए उसी दिन चार एफ0आई0आर0 लिख दिया। इस घटना से वहां रास्ता जाम हो गया। बाकी दलित लोगों को वहां के चेयरमैन ने नोटिस देकर दबाना चाहता है और चेयरमैन का कहना है कि आप लोग कहें कि यह झूठा है अन्यथा इसके भयानक परिणाम आपको भुगतने होंगे। जो चार एफ0आई0आर0 लिखायी गयी हैं उनमें पहली एफ0आई0आर0 के अन्तर्गत मुकदमा धारा 104, 147, 140, 149, 302 के अन्तर्गत दर्ज किया गया है।

...मान्यवर 10 मिनट का समय दे दें मैं अपनी बात रख लूं। जिनका बच्चा मरा, जिनकी पत्नी मरी उनके खिलाफ, उस पति के खिलाफ पुलिस ने एफ0आई0आर0 दर्ज कर दी। इसलिए कर दी क्योंकि वे इस मामले को दबाना चाहते है। मैं केवल इतना कहना चाहता हूं कि इन पुलिस कप्तान के खिलाफ डी0आई0जी0, आगरा, आई0जी0जोन कानपुर और शैलजाकांत जी ने जो रिपोर्ट पेश की है उसको नेता सदन पटल पर रखवाकर जानकारी ले लें। दूध का दूध और पानी का पानी हो जायेगा। जो रिपार्ट आगरा से आई है उसका पत्रांक सी0ओ0ए0सी0ए0-3 2000/909 के माध्यम से 24.2 को और इस पर संस्तुति डी0आई0जी0,आगरा और आई0जी0 कानपुर में डी0जी0पी0 को प्रेषित कर दी। मैं सिर्फ इतनी जानकारी करना चाहता हूं कि इतनी सारी चीजे होने के बावजूद, इस कप्तान के खिलाफ इतने सबूत होने के बावजूद वह पूरे एटा शहर

को लूट कैसे रहा है? मेरे पास पूरे प्रमाण है। दो से तीन महीनों के इस कार्यकाल में दस कप्तान ने एस0ओ0 के प्रति अन्याय की हद कर दी है। इधर एक से तीन अप्रैल के मध्य स्थानान्तरण और कुल 150 स्थानान्तरण केवल पैसे के बल पर किये गये है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री शिशुपाल सिंह यादव-

बस समाप्त कर रहा हूं। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इन रिपोर्ट पर कोई कार्यवाही होगी? इनके प्रति जरूर कार्यवाही की जाय। यह सरकार कानून व्यवस्था की बड़ी दुहाई देती है। एक उदाहरण देता हूं, एक बच्चा सड़क पर पेशाब कर रहा था खड़े होकर, कुछ बुजुर्ग वहां से निकाले वे उसके पिता से शिकायत करने उसके घर गये तो उन्होंने देखा कि उसके पिता छत पर खड़े होकर पेशाब कर रहे थे। तो यह सरकार पूरी तरह ऊपर से नीचे तक भ्रष्ट है।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। महामहिम राज्यपाज जी का अभिभाषण किसी सरकार का नीतिगत दस्तावेज होता है।

श्री कुंवर रेवती रमण सिंह-

अधिष्ठाता महोदय, राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा का यह आज आखिरी दिन है। इसलिये मेरा आपसे आग्रह है कि माननीय सदस्यों को इस पर बोलने दें। किसी हड़बड़ी में इसे पास न करवायें। समय पर्याप्त है और माननीय मुख्य मंत्री जी भी बैठे हुए है। कोई जल्दी नहीं है।

श्री अधिष्ठाता-

चर्चा तो हो ही रही है। आखिर कहीं न कहीं तो समय सीमा निर्धारित करनी पड़ेगी।

श्री समरपाल सिंह-

उसका एक मार्ग-दर्शक दस्तावेज होता है। महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ा और पढ़ने के बाद बहुत निराशा होती है और लगा कि कहीं भी ऐसा नहीं है जिससे प्रदेश को विकास सम्भव हो सके। कहीं भी इस बात का नीतिगत उल्लेख नहीं है, जिससे किसान और कृषि का विकास हो सके और हमारा देश तथा प्रदेश खाद्यान्य के मामले में आत्म निर्भर हो सके। कहीं इस बात का नीतिगत उल्लेख नहीं है कि किसानों के विकास लिये कोई योजना इसमें हो और गिरती हुई कानून व्यवस्था के सुधार के लिये इसमें कोई व्यवस्था हो। अभिभाषण में स्वयं कहा गया है कि श्रेष्ठ अनुशासन की ओर अग्रसर है और कानून व्यवस्था को दुरस्त करने के लिये हमारी सरकार ने कठोर कानून बनाये है और कठोर कदम उठाने का निर्णय भी लिया है। आपने कठोर कदम लिये होंगे। एन0एस0ए0, गुण्डा ऐक्ट, गैंगस्टर ऐक्ट और फर्जी मुकदमें आपने कायम किए है परन्तु अपराधियों के खिलाफ नहीं बल्कि राजनैतिक द्वेश की भावना से और पूर्वाग्रसित होकर राजनैतिक और छात्र नेताओं तथा वकीलों पर लाठीचार्ज करके, उनका उत्पीड़न करके आपने फर्जी मुकदमें कायम करवाये है। कानून-व्यवस्था में लगातार गिरावट आ रही है। आज किसी नागरिक की जान-माल सुरक्षित नहीं है। अपराधों की बाढ़ सी आ गई है। आये दिन हत्यायें, लूट डकैती आदि चीजें हो रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद से सहारनपुर तक अपहरण ने उद्योग रूप धारण कर लिया है। इस अपहरण उद्योग में अपराधियों के साथ पुलिस तथा नेताओं की सांठ-गांठ है। तीन लोगों की सांठ-गांठ से यह फल-फूल रहा है जिनके पास थोड़ा बहुत पैसा है तो उन्होने मार्निंग वाक बंद कर दिया है कहीं कोई उनका

अपहरण न कर लें। सरकार ने जो कदम उठाये, उससे अपराधियों के हौसले बढ़ गये है। खुले आम अपराधी घुम रहे है। मुजफ्फरनगर और मेरठ में इन दो जिलों में एक साल के अन्दर डेढ़ सौ अपहरण की घटनायें हुई है और किसी अपराधी को सजा देने में यह सरकार सफल नहीं हो पायी है।

श्रीमन्, महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण में यह भी कहा गया है कि विवेचना के लिये एक अलग से बिंग बना दिया गया है। बहुत अच्छी बात है। यह अच्छा होता अगर आप इसे जुडीसियरी के अंतर्गत कर देते। आपने उसी एस0ओ0 के अंडर में उसे कर दिया। अब वह निष्पक्ष कैसे हो पायेगा। महामहिम राज्यपाल जी ने कहा कि हमारा प्रदेश कृषि प्रधान देश है और 75 प्रतिशत लोग कृषि पर निर्भर है। चाहे किसान हो, मजदूर हो परन्तु अभिभाषण में कहीं भी इस बात का उल्लेख नहीं है जिससे कृषि को बढ़ावा दिया जा सके।

मान्यवर, माननीय कृषि मंत्री जी बैठे है, आज किसानों की सबसे बड़ी समस्या है कि उनको उनकी फसल का लाभकारी मूल्य नहीं मिल रहा है। किसानों को उनकी फसल का लाभकारी मूल्य दिलाने के लिये कोई योजना बनाने में, कृषि नीति बनाने में, घोषित करने में यह नाकाम रहे है। इन्होंने इस बात का प्रयास नहीं किया कि किसान को उसकी फसल का वाजिब दाम मिले। गेहु का समर्थन मूल्य 550 रूपये से 580 रूपये कर दिया। कितना बढ़ाया है 30 रूपये और दूसरी चीजों का दाम कितना बढ़ गया। बस का किराया, खाद के दाम, कीटनाशक दवाइयों के दाम कितने बढ़ गये। किसान के इस्तेमाल में आने वाली वस्तुओं के दाम इतने बढ़ गये और किसान को उसकी फसल के दाम बढ़े नहीं मिल रहे है। इतने दिन गरीब किसानों के बारे में बात करते हैं गन्ने के ऊपर कितनी चर्चा हुई। माननीय मंत्री जी ज्यादा दूर जाने की आवश्यकता नहीं है। उत्तर प्रदेश के यमुना नदी पार करके हरियाणा के अन्दर देखिये 110 रूपये नकद किसान को मिल रहा है और हमारे यहां 85 रूपये मिल रहा है वह भी समय से भुगतान नही हो रहा है। कब होगा अभी 765 करोड़ इसी सत्र का बाकी है। आपने कहा कि हम शीरा डिकन्ट्रोल करके चीनी मिल को फायदा देंगे ताकि किसानों को उसके गन्ने का सही मूल्य मिल सके। आपने इस तरीके से चीनी मिल मालिकों की तिजोरी भरने का काम किया है। मान्यवर, आप स्वयं विद्वान हैं। आपने देखा होगा कि इन्होंने विद्युत सुधार अधिनियम इस साल पास किया लेकिन नतीजा क्या हुआ? आपने यू0पी0एस0ई0बी0 बन्द कर दिया निगम बना दिये लेकिन फायदा क्या हुआ? आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज बिजली कहीं आ नहीं रही है। एक टेप माननीय ऊर्जा मंत्री जी का कहते-कहते घिस गया कि हम दस घन्टे बिजली ग्रामीण क्षेत्रों में दे रहे है लेकिन मान्यवर, आपको स्वयं जानकारी होगी कि आज ग्रामीण क्षेत्रों में 2-3 घंटे से ज्यादा बिजली नहीं आती है बोर्ड परीक्षाएं चल रही है और 40 लाख ये ज्यादा विद्यार्थी परीक्षा दे रहे हैं उनको परीक्षा की तैयारी करने के जिये कबजली की आवश्यकता होती है, किसान को सिंचाई के निये फसल की मड़ाई के जिये बिजली की आवश्यकता है लेकिन बिजली के अभाव में न विद्यार्थी पढ़ पा रहे हैं न किसान अपना काम कर पा रहा है। यह सरकार ग्रामीण क्षेत्र में बिजली देने में नाकामयाब रही है। आपने सत्त का विकेनद्रीकरण किया, उसमें 8 विभाग ग्रामीण अंचल को सौंप दिये। हमने पिछले सत्र में इस ओर इंगित किया था कि सरकारी नलकूप ग्राम पंचायत को सौंप देंगे तो वह चल नहीं पायेंगे।

मान्यवर, 90 प्रतिशत से ज्यादा सरकारी नलकूप आज के दिन बन्द पड़े हैं। आपको पता है जल सरकारी नलकूप से कौन लेगा? सीमान्त कृषक, गरीब कृषक, लघु सीमान्त कृषक जिनके पास प्राइवेट ट्यूबबैल नहीं है जो अपना ट्येबबैल नहीं लगा सकते है, जिनके निजी नलकेप नहीं है जो सरकारी ट्यूबबैल पर निर्भर करते है। आपने 16 हजार नलकूपं ग्राम पंचायतों को देकर 16 हेक्टेयर भूमि सिंचित होती थी का नुकसान किया। आज गरीब किसान भुखमरी के कगार पर आ गया है उसकी फसल खेती सब बेकार हो गई

है। आपके सींचपाल भी नहीं है जो यह देखा करते थे कि कितना क्षेत्र सींचा गया है किस नहर से? कितना गन्ना बोया गया है, कितनी सिंचाई की आवश्यकता है आपने उस सींचपाल को बहुउद्देशीय कर्मचारी बना दिया है। अधिष्ठाता महोदय, आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आपने आदेश कर दिया कि इतनी सिंचाई का टैक्स देते थे उससे 10 प्रतिशत और बढ़ाकर किसानों को दे दिया। हो सकता है कि इस साल किसान ने गन्ना न बोया हो, सिंचाई ही न की हो। आपकी नहरों में पानी नहीं पहुंच रहा है और आप 10 प्रतिशत बढ़ाकर सिंचाई कर ले रहे है। यमुना नहर के अन्दर पानी फीडर कैनाल के अन्दर नहीं आ रहा है तो रजबहा में आने का सवाल ही नहीं उठता। आपने टैक्स 10 प्रतिशत बढ़ाकर दे दिया है।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, मैं समाप्ति की ओर हूं। आज हालत यह है कि हजारों करोड़ रूपये लोगों के चीनी मिल ऊपर बाकी है। यह सब इसलिये हैं क्योंकि सरकार उनकी बड़ी हिमायती है।

उनके खिलाफ कोई कार्यवाही नही कर रहे हैं लेकिन किसानों का पैसा चाहे आबपासी का हो चाहे खाद का पैसा हो चाहे बीज का पैसा हो अगर दो-तीन हजार रूपया भी बाकी है तो भी उनको जेल में बन्द किया जा रहा है। किसानों को इस तरह से परेशान किया जा रहा है। आलू हमारे प्रदेश की प्रमुख फसल है। आलू किसानों की दुर्दशा हो रही है। मान्यवर, किसानों का समर्थन मूल्य निर्धारण करने की सभी सदस्यों ने मांग की। सरकार ने समर्थन मूल्य तय नहीं किया। कोल्ड स्टोरेज के मालिकों को कर मुक्त कर दिया गया। अब हालत यह है कि कोल्ड स्टोरेज में आलू जो खेतों में लाया जा रहा है उसमें घाटा हो रहा है। मान्यवर 85 परसेंट लोग खेती पर निर्भर है जिस प्रदेश के लोगों को 85 में 75 परसेन्ट घाटा होगा तो कैसे चलेगा? मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में क्षेत्रीय असंतुलन दूर करने की बात कही गई है प्रमोद कुमार जी अभी कह रहे थे कि पूर्वांचल निधि के नाम पर 150 करोड़ रूपया दिया गया है और 50 करोड़ बुंदेलखंड के लिए दिया गया है लेकिन मान्यवर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों ने ऐसी कौन सी खता कर दी, ऐसा कौन सा अपराध कर दिया कि पश्चिमांचल के जिए, पश्चिम उत्तर प्रदेश के विकास के लिए एक नया पैसा नही दिया गया।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर एक घोषणा की गई कि मेरठ के अंदर कृषि विद्यालय स्थापित किया जाएगा। उस पर करीब 400 करोड़ क खर्चा आएगा। इस साल दस करोड़ रूपया मिला है तो इस हिसाब से यह चालीस साल में बनकर तैयार होगा तो क्या इतने समय बाद यह विश्वविद्यालय बन पाएगा। सरकार द्वारा कागजी घोषणाएं की जा रही हैं। एक विश्व पैकेज की घोषणा सरकार ने की लेकिन चाहे नहर की पटरी पक्की करने की बात हो चाहे रेवेन्यू बेंच की बात हो यह सरकार कुछ नहीं कर रहीं। इसलिए मैं कह रहा था कि पश्चिम उत्ता प्रदेश के लोगों ने क्या खता कर दी कि एक नये पैसे की घोषणा नहीं की। आपने 200 करोड़ सड़क निधि की घोषणा की मेरी समझ में नहीं आता है सड़क निधि का पैसा इंजीनियर्स की जेब में चला गया यह सरकार कहती है कि गड्ढा मुक्त सड़के बनायेंगे लेकिन कोई सड़कें गड्ढा मुक्त नहीं हुई है। किसी सड़क की कोई मरम्मत नहीं कराई गई है।

श्री अधिष्ठाता-

समाप्त करें

श्री समरपान सिंह-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण यह सरकारी दस्तावेज है इसको देखने से निराशा हाथ लगती है। केन्द्रीय सहभागिता की बात करते है लेकिन पंचायतों के चुनाव नहीं कराते रहे है जबकि संविधान में स्पष्ट लिखा है कि इसको टालना नहीं चाहिए, उच्च न्यायालय ने कहा है कि चुनाव करायें, लेकिन यह पंचायतों के चुनाव नहीं करा रहे है, सोच रहे है कि सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाए, यह लोकतंत्र का गला घोंट रहे है। संसदीय परम्पराओं को नहीं मान रहे है।

श्री अधिष्ठाता-

अब समाप्त करें।

श्री समरपाल सिंह-

इन्ही शब्दों के साथ मैं डंग साकब द्वारा जो प्रस्ताव रखा गया है उसका विरोध करता हूं और जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है उसका समर्थन करता हूं।

श्री सुभाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर मैं आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल महोदय के अभिभाषण पर जारी चर्चा में हिस्सा लेने की अनुज्ञा प्रदान की है। महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण प्रदेश सरकार की नीतियों का वक्तव्य होता है। सरकार के कार्यक्रमों का दस्तावेज होता है। मैंने इसी ख्याल से महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण को आद्योपांत पढ़ा और इस पुस्तिका में यह तलाशने का प्रयास किया कि इस वर्ष उत्तर प्रदेश की सरकार प्रदेश की जनता को कौन-कौन से नये कार्यक्रम और कौन सी नयी दिशा देने जा रही है।

श्रीमन्, मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि आद्योपरान्त महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण को पढ़ने के बाद निराशा ही हाथ लगी, कोई उत्साहजनक चीज हाथ नहीं आयी। मान्यवर, मैं महामहिम राज्यपाल जी का पूरा आदर और सम्मान करते हुए यह कहना चाहता हूं कि अभिभाषण में प्रदेश की सरकार ले किस मुद्दे पर पहले जोर दिया है वह है श्रेष्ठ अभिशासन की ओर अग्रसर उत्ता प्रदेश, तो मैं यह चाहता हूं कि प्रदेश की सरकार ने जो सर्वप्रथम संकल्प लिया है श्रेष्ठ अभिशासन की स्थापना का तो इसको स्थापित करने के लिए प्रदेश सरकार ने अब तक क्या-क्या उपाय किये है इस पर विचार करने की आवश्यकता है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं कि आज हम लोग नयी सहस्त्राब्दि में प्रवेश कर चुके है और आपके कयादम मे जनता ने उम्मीद लगायी थी कि विधि व्यवस्था के मामल में प्रदेश में कुछ नयापन आयेगा। अभी तक श्रेष्ठ अभिशासन के मामले में इस सूबे की जो राजधानी लखनऊ में अपराध की क्या स्थिति रही है? जो बीता हुआ साल हैं उसमें केवल लखनऊ के अन्दर अपराध का ग्राफ रहा है हर अड़तालीस घंटे में एक हत्या और हर एक हफ्ते में एक करोड़ दहेज हत्या। मान्यवर, 1999 में माननीय गृह मंत्री भारत सरकार ने लोग सभा में इस बात को स्वीकार किया था कि हत्याओं और अपहरण के मामले में उत्तर प्रदेश अव्वल नम्बर है। 1999 में 8303 हत्याएं हुई, 4369 अपहरण हुए जो कि देश में एक कीर्तिमान है और यह है आपका श्रेष्ठ अभिशासन। इस पर गम्भीरतापूर्वक विचार करने की आवश्यकता है। श्रेष्ठ अभिशासन को स्थापित करने के लिए प्रशासनिक अधिकारियों की अहम भूमिका होती है। माननीयं मुख्य मंत्री जी के पदारूढ़ होने के बाद दिसम्बर महीने की दो तारीख से लेकर 19 तारीख तक की बात है। श्रेष्ठ अभिशासन की स्थापना में जिसकी सबसे पहली बड़ी जिम्मेदारी है उन प्रशासनिक अधिकारियों के साथ कैया सलूक किया गया। दो दिसम्बर को 4 जिलाधिकारियों सहित 9 आई0ए0एस0 का तबादला किया गया। 6 दिसम्बर को सत जिलाधिकारी, 9 पुलिस अधीक्षक सहित 69 अधिकारियों के तबादले, 9 दिसम्बर को 12 आई0ए0एस0 सहित 17 अधिकारियों के तबादले, 10 दिसम्बर को 15 आई0ए0एस0 तथा 25 पुलिस अधिकारी, 13 दिसम्बर को पांच पुलिय अधिकारी, 15 दिसम्बरा को 31 पुलिस अधिकारी तथा 19 दिसम्बर को 10 वरिष्ठ आई0ए0एस0 तथा 7 आई0पी0एस0 अधिकारियों के

तबादले किये गये। दस तरह से एक महीने में 189 अधिकारियों के तबादले हुए। इसमें आधा दर्जन ऐसे पुजिस अधिकारी है जिन्हें एक हफ्ते के अन्दर पुन: उसी जगह पर तैनात किया गया। यह सब तबादले राजनीति से प्रेरित होकर किये गये है। हमारे जनपद के भी पुलिस अधीक्षक का तबादला किया गया और पुन: उन्हें वापस कर देवरिया में तैनात किया गया। देवरिया जनपद के पुलिस अधीक्षक स्थानान्तरण के बाद कार्य मुक्त होकर तैनाती स्थान के लिए रवाना हो गये थे किन्तु उन्हे रास्ते में से ही पुन: देवरिया में ही स्थापित कर दिया गया।

श्रीमन् इस तरह की जो कार्य प्रणाली है इससे मुझे विश्वास नहीं होता है कि माननीय मुख्य मंत्री जी जिनके प्रति बड़ा सम्मान और आदर मेरे हृदय में है, आज की सबसे बड़ी चुनौती का सामना कर पाने में सफल हो पायेंगे। प्रदेश को आप श्रेष्ठ अभिशासन दे पायेंगे। साम्प्रदायिक सद्भाव की बात है, धर्मस्थल विधेयक लाने की आवश्यकता क्या थी? मान्यवर, प्रदेश को जो सार्वजनिक भूमि है उस पर नाजायज अतिक्रमण को रोकने के लिए जब पूर्व से ही बहुत सारे कानून बने हुए है तब इस विधेयक को लाने की क्या आवश्यकता थी?

मान्यवर, सरकार धर्मस्थल विधेयक को राजनीति मकसद से ही लाया गया जो प्रदेश में साम्प्रदायिक सद्भाव के ताने बाने को कमजोर बनाने वाला है। इस पर सरकार को पुर्नविचार करना चाहिये।

मान्यवर, आपने वित्तीय स्थिति में व्यापक सुधार लाने का दावा किया है कि अभिभाषण में अनुत्पादक व्ययों में कमी करने की घोषणा की है। आपका जो मंत्रिमंडल है वह 91 लोगों का है। कितना वेतन यात्रा भत्ता टेलीफोन सुरक्षा आदि पर व्यय किया गया है। विगत एक वर्ष में मंत्रिमंडल पर 500 करोड़ रू0 खर्च आया है। इनके रखरखाव और उनकी हिफाजत पर राजकीय कोष का बेपनाह धन खर्च हो रहा है। आपने एक श्वेत पत्र विगत 1998 में जारी किया है। एक वर्ष में कर राजस्व आपको 7 हजार करोड़ रू0 मिला है और अधिकारियों एवं कर्मचारियों के पेंशन एवं बेतन पर 11 हजार करोड रू0 का खर्च आया है। कहां आपका वित्तीय अनुशासन है? माननीय मुख्य मंत्री जी जो आपने संकल्प लिया है वह कार्य रूप ग्रहण करे इस पर आपको गंभीरता से विचार करने की आवश्यकता है। विधान सभा की संख्या का 10 प्रतिशत मंत्रिमंडल की सख्या नहीं रखेंगे तो वित्तीय अनुशासन कहां से आयेगा विकास में? जनसहभागिता की बात इसमें कही गयी है। किसी भी जिले में अभी तक जिला योजना समितियां गठित नहीं की गयी, जिन्हें जिले की विकास योजनाएं बनाना है और आप प्रदेश का बजट लेकर आ गये अभी किसी जिले में योजना परिव्यय स्वीकृत नहीं हुआ और प्रदेश का बजट सदन में प्रस्तुत कर दिया गया। इससे बड़ा अनियमित कार्य क्या हो सकता है? माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय के पश्चात भी पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग से परामर्श करके आप घोषित नहीं कर रहे हैं कहां से होगी जनसहभागिता?

मान्यवर, आप पहले ऐसे शानदार मुख्य मंत्री जिनके कार्य काल में महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में इस प्रदेश के कृषि उत्पादन में विकास का लक्ष्य नहीं निर्धारित किया गया है। यह पहली घटना है। मैं आपके संज्ञान में लाना चाहता हूं कि आठवीं पंचवर्षीय योजना के समापन में जब उत्तर प्रदेश के विकास दर का लक्ष्य निर्धारित था 6 प्रतिशत लेकिन उपलब्धि रही 2.9 प्रतिशत। इस बार तो अभिभाषण में उत्तर प्रदेश सरकार ने विकास दर निर्धारित ही नहीं किया। जब सरकार अपना लक्ष्य की निर्धारित नहीं करेगी तो उसको पाने का प्रयास क्या करेगी।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, नेताओं के जिए जा समय निर्धारित किया गया है वही समय हमें दे दें। मान्यवर, कृषि

उत्पादन प्रदेश में कैसे बढ़ेगा? यह पहली सरकार है, जब किसी नई सिंचाई परियोजना की घोषणा आपने नहीं की, आज नहरे जर्जर हो गयी है उनमें सिन्ट भर गयी है उसकी सफाई के जिए कोई बजट नहीं है। आपने जो राजकीय नलकूप ग्राम पंचायतों को हस्तान्तरित किये हैं, 28 हजार नलकूप बन्द हो गये है। श्रीमन्,जो चीनी मिल उत्तर प्रदेश में है उसमें सबसे बूरी स्थिति पूर्वांचल के चीनी मिलों की है जनता की अपेक्षा थी कि पूर्वी उत्तर प्रदेश में जो जर्जर चीनी मिले है जिनमें अधिकांश स्वाधीनता के पूर्व की है उनके सुद्ढ़ीकरण, विस्तारीकरण की योजना सरकार बनायेगी। पूर्वांचल की अर्थव्यवस्था में चीनी उद्योग का बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। आपसे उम्मीद थी कि इन जर्जर चीनी मिलों के सुदृढ़ीकरण और विस्तारहीकरण के लिए कोई योजना बनायेंगे लेकिन ऐसा नहीं हुआ।

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करें, समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, माननीय मुख्य मंत्री जी, आपने घोषणा किया है-स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना की। हम आपके संज्ञान में लाना चाहते हैं कि आपके प्रशासनिक अधिकारियों ने कैसे इसको रोजगारपरक बनाया है। रोजगार योजना में पहले मा0 कन्याण सिंह जी की बनाई हुई रोजगार छतरी योजना को आपने खत्म कर दिया और उसकी जगह इसको लाये है। इस योजना के अन्तर्गत 22 लाख गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों को आप 5 वर्ष में रोजगार देगें। प्रदेश के जगभग 47 प्रतिशत गरीबी रेखा के नीचे हैं तो 5 लोगों के एक परिवार के आधार पर 1 करोड़ 50 लाख परिवार गरीबी रेखा के नीचे हुए। इस तरह से एक करोड़ 50 लाख लोगों को किस रफ्तार से गरीबी की रेखा के नीचे 1 करोड़ 50 लाख परिवारों को रोजगार देने में आपको 34 साल लगेंगे। जब आप 34 साल तक मुख्य मंत्री रहेंगे तब जाकर उनको रोजगार मिल पायेगा बशर्ते आज की जनसंख्या रोक रखा जाय तब 34 साल में गरीबी रेखा के नीचे के वर्तमान परिवार को रोजगार दे पायेंगे। आज 16 करोड की आबादी हो गयी है।

श्री अधिष्ठाता-

श्रीवास्तव जी, अब समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, आपकी बड़ी अनुकम्पा मेरे ऊपर है। मैं मात्र दो मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूं।

श्री अधिष्ठाता-

माननीय श्रीवास्तव जी, आप बहुत विद्वान सदस्य हैं, इसमें कोई संशय नहीं है, लेकिन समय की बंदिश है, आप कृपया समाप्त करें।

श्री सुबाष चन्द्र श्रीवास्तव-

मान्यवर, मैं माननीय मुख्य मंत्री जी को केवल याद दिलाना चाहता हूं। औद्योगिक क्षेत्र में विकास की बात कही गई है, सन् 1998 में 183 इच्छा पत्र प्राप्त हुये और 13 आशय पत्र प्राप्त हुये, लेकिन एक भी उद्यमी उत्तर प्रदेश में नहीं आया। आज क्षेत्रीय विषमता बढ़ती जा रही है और सबसे घोर उपेक्षा पूर्वांचन की हो रही है। पूर्वांचल में 38 प्रतिशत आबादी है और आप ने पूर्वांचल विकास के लिए केवल 150 करोड़ रूपये दिया है, जबकि उतरांचल में मात्र 4 प्रतिशत आबादी के जिये 1135 करोड़ रूपया दिया गया है, यह क्षेत्रीय विषमता बढ़ाने वाली नीति आपकी है। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यदि आप उत्तर प्रदेश का कायाकल्प करना चाहते हैं तो इस पर पुनर्विचार करे। आपके द्वारा आने वाले दिनों के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किये गये हैं, उन्हें यदि प्राप्त करना है तो कृपया इन बातों पर पुन: विचार कर निर्णय लें, धन्यवाद।

श्री राम ललित चौधरी-

मान्यवर, हम लोगों को भी समय सीमा बता दें।

श्री अधिष्ठाता-

आप जो मेरे पास लिखकर भेजे थे, वह आप जानते हैं,इसलिये मैंने आपके साथियों से विचार-विमर्श करके निर्णय लिया है। माननीस स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके दल के नेता है, वह उसके बाद भाषण करेगें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मैं राज्यपाल के अभिभाषण पर, नेता विरोधी दल द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर समर्थन में बोलने के लिये खड़ा हुआ हूं। मान्यवर, वर्तमान उत्तर प्रदेश सरकार ने महामहिम राज्यपाल का जो दस्तावेज इस सदन में रखा है, मैं अपने अनुभवों के आधार पर कह सकता हूं कि पिछले आजादी के 52 सालों में इससे ज्यादा निराशाजनक प्रदेश को पीछे ले जाने वाला कोई दूसरा दस्तावेज नहीं था। यह सरकार हर मोर्चे पर असफल रही है, न तो पहले, न भविष्य में कभी संभवत: इस तरह की कोई सरकार इस प्रदेश में बनेगी जो इस दस्तावेज से खुलासा होता है। माननीय अधिष्ठाता महोदय, कानून व्यवस्था की बात इस अभिभाषण में बड़े जोर-शोर से कही गई है कि हम बहुत चुस्त दुरूस्त कानून व्यवस्था इस प्रदेश को देगें। यह मैं नहीं कह रहा हूं, पुलिस के अभिलेखों में दर्ज है कि लगभग 2 दर्जन मंत्री माफिया गिरोह के सरगना इस सरकार के मंत्रिमंडल में हैं।

-------- और जब दो दर्जन मंत्री माफिया गिरोह के सरगना हो सकते हैं, मंत्री की हैसियत से हों तो कानून-व्यवस्था की क्या हालत होगी, मान्यवर, आप इसका अन्दाजा लगा सकते हैं। जो लोग पुलिस को देखकर भागा करते थे, आज पुलिस उनको सलाम करती है। इससे बड़ा प्रदेश का और दुर्भाग्य हो नहीं सकता है।

(इस समय 4 बजे श्री अध्यक्ष पुन: पीठासीन हुए)

माननीय अध्यक्ष महोदय, यह सरकार जब से बनी है, जो संगीन अपराध है बलात्कार डकैती के राहजनी के, अपहरण के उसमें इतनी ज्यादा वृद्धि हुई है सम्भवत: उत्तर प्रदेश पूरे देश में नम्बर एक का प्रदेश बन गया इन अपराधों में और एक तरफ आप अपने दस्तावेज में कहते है कि हम कानून-व्यवस्था को चुस्त-दुरूस्त कर रहे है। मान्यवर, इससे बड़ा मजाक तो और कुछ हो नहीं सकता। आप अपने दामन में झांक कर देखें कि स्थिति क्या है? जब लखनऊ में ही कोई आदमी सुरक्षित नहीं है तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्थिति क्या हो रही होगी इसका अन्दाजा आप लगा सकते हैं। माननीय अध्यक्ष जी, इस सरकार ने कहा है कि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को रोकने के लिए हमने धर्म विधेयक विनियमन कानून को यहां लगाया है, उनकी दलील है कि नेपाल के बार्डर पर बड़े पैमाने पर भूमि अधिग्रहीत करके नाजायज काम कर रहे है। मान्यवर, मुख्य मंत्री को आईपीसी, सीआरपीसी में इतने अधिकार प्राप्त है और आपको कोई बिल यहां लाने की आवश्यकता नहीं है यदि आवश्यकता थी तो इस प्रदेश में चूंकि हर मोर्चे पर असफल हो चुके है, तो यह जनता का ध्यान बांटने के लिए किया है। इस प्रदेश में एक विभाजन का काम करने के लिए, एक साम्प्रदायिक सौहार्द जो बना था, उसको नष्ट करने के लिए आप यह बिल इस सदन में लाए। मैं आपने आग्रह करूंगा कि ऐसा कोई कार्य न करें जिससे इस प्रदेश का विकास बाधित हो। आपने बाबरी मस्जिद का किस्सा देख लिया है। उससे इस प्रदेश का इतना नुकसान हुआ, केवल नुकसान ही नहीं हुआ पूरे अन्तर्राष्ट्रीय जगत में जो हमें ख्याति प्राप्त थी उसको भी विनष्ट करने का काम किया है। मान्यवर, मैं आग्रह करूंगा कि इस पर पुनर्विचार का लें और इसीलिए मान्यवर, राज्यपाल ने उसमें अपने हस्ताक्षर न करके महामहिम राष्ट्रपति जी को भेज दिया। इसलिए आप ऐसी चीज न करें जिससे प्रदेश की शान्ति व्यवस्था खण्डित हो और प्रदेश का विकास बाधित हो।

मान्यवर, इसी के साथ-साथ महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण में यह भी कहा गया कि हमने इस प्रदेश को नयी दिशा दी है, नई आर्थिक नीति लागू किया है। माननीय मुख्य मंत्री जी, अगर आप आंकड़े देखें तो वे कुछ और ही दर्शाते है। आपको मुख्यमंत्री बने सम्भवत: 4 महीने हुए हैं, 4 महीने के पूर्व पूरे प्रदेश में क्या व्यवस्था थी, आपकी ही सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, गठगन्धन की, तनख्वाह बंट

रही थी, विकास का कार्य हो रहा था लकिन मान्यवर, आज क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति में पूरा प्रदेश दिवालियां हो चुका है और ऐसा दीवालिया हो गया है कि आज 68 हजार करोड़ का आपके ऊपर ऋण हो गया है। जब से आपकी सरकार बनी, गठबन्धन की सरकार बनी है, तब से 10-12 हजार करोड़ रूपये प्रति वर्ष का कर्जा बढ़ रहा है। जो अनप्रोडक्टिव खर्च है उनमें लगातार बढ़ोत्तरी होती जा रही है।-----

जो आज नान प्लान खर्च है वह लगातार बढ़ रहा है और प्लान का खर्च लगातार घट रहा है। एक रूपये में 15 पैसे केवल विकास के कार्यों पर खर्च हो रहा है। जो बजट पिछले साल पास किया गया है उस बजट का धन आज तक विभागों को नही मिल पाया है क्योंकि कोषागारों पर रोक लगी हुयी है कि चेकों का भुगतान न किया जाय। इतनी ही नहीं जो सरकारी कर्मचारी हैं उनके जी0पी0एफ0 और प्रोविडेंट फंड और पेंशन का पैसा उनको नहीं मिल पा रहा है। आज इतनी खस्ताहालत हमारे प्रदेश की हो गयी है जितनी पहले कभी नहीं रही है। इसका कारण जो भी हो उसको आपको देखना चाहिये। आज भारत की विकास दर 5.6 प्रतिशत है। पहले प्रदेश की विकास दर 2.7 प्रतिशत थी लेकिन वह घटकर आज 1 प्रतिशत रह गयी है। बिहार के बाद पूरे भारत में हम सबसे पिछड़े हैं। आप कहते है कि हमारा उत्तरोत्तर विकास हो रहा है। आप बतायें कि कहां पर पूंजी निवेश हो रहा है केवल पूंजी निवेश कागज पर हो रहा है। अगर धरातल पर जाकर हकीकत देखें तो ग्रेटर नोयडा और नोयडा को छोड़कर प्रदेश में किसी अंचल में एक पैसे का पूंजी निवेश नहीं हुआ है।

मैंने मुख्य सचिव का बयान पढ़ा था। आंध्र प्रदेश इन्फारमेशन टेक्नालाजी में बहुत आगे है वह निर्यात करता है और हम दूसरे नंबर पर हैं। कर्नाटक के बाद हम दूसरे नंबर पर है। आपकी सरकार इतनी अक्षम सरकार है कि वह अपनी बात नहीं कह पाती है। आंध्र प्रदेश में 500 करोड़ का निर्यात होता है वहां अमेरिका का राष्ट्रपति जाता है और हमारे प्रदेश में कोई आने के लिए तैयार नहीं है। यह इन्फारमेशन टेक्नालाजी का जमाना है। आप जिस पद्धति से प्रदेश को चला रहे है वह 50 साल पुरानी पद्धति है। यदि जिलाधिकारियों से वीडियों फोन कांफेसिंग से आप रोजना आंकड़े प्राप्त नही कर सकते तो प्रदेश आगे नहीं जा सकेगा। आपको यदि यह पता नहीं चलेगा कि विकास की योजनाओं में कहां कितना कितना धन खर्च हो रहा है तो प्रदेश तरक्की नहीं कर सकता। वही पुरानी पद्धति ढाक के तीन पात से आप प्रदेश को चला रहें हैं। दुनिया कहां से कहां जा रही है और हमारा प्रदेश कहां जा रहा है? आज देखें कि जबसे यह सरकार बनी है तब से जिला योजना नहीं बन पायी है और बजट जो यहां प्रस्तुत किया गया वह बजट कहां पर खर्च होगा? आजतक माननीय संसदीय कार्य मंत्री वक्तव्य नहीं दे पाये हैं कि नियोजित और विकेन्द्रीकृत विकास कैसे होगा? आज बड़े बड़े बोर्डर लगे हैं जिनमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश को औद्योगिक प्रदेश बना रहे है। आपने 16 चीनी मिलें, एसटीसी की कताई मिलें बेच दी और जो सहकारिता की चीनी मिले है उनको आप बेचने जा रहे है।

....तो बजाय प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने के, उद्योग शून्य प्रदेश बना रहे हैं। आप जानते हैं कि इलाहाबाद की मेजा और बलिया की रसड़ा कताई मिल इन दोनों के लिए आपकी अध्यक्षता में कई बार मीटिंग हुई, उसके लिए बाजार से ऋण लेकर 3500 करोड़ रूपया इकट्ठा किया गया। यह किया गया कि सरकार पर कोई व्यय-भार नहीं होगा और यह मिलें चलायी जायेंगी। आपने आदेश कर दिया कि इनको बेच दिया जाय। आई0डी0बी0आई0 ने रिपोर्ट दी कि यह बॉयबेल यूनिट है फायदे में चल सकती है। आप कर्म हम लोगों से भी बात कर लो। आप उद्योग मंत्री थे तब आपने इने मिलों को खुलवाने का काम किया था और आज मुख्य मंत्री है तो बेंचने का काम कर रहे हैं।

मान्यवर, मैं सिंचाई की बात कहना चाहता हूं कि प्रदेश की किसी नहर की सफाई नहीं हो रही है। टेल तक पानी नही गया, रजबहों तक नही गया। करछना, बारा तथा मेजा की नहरों में पानी नहीं गया

पानी तब गया जब सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं रही। सींचपाल का पद आपने खत्म कर दिया। अब इसका इन्द्राज भी लेखपाल करता है। लेखपाल इन्द्राज कर लेता कि फलाने काश्तकार ने इतनी सिंचाई की।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, महात्मा गांधी ने कहा था कि किसी मंजिल को पाने के लिए रास्ता पवित्र होना चाहिए। लेकिन मान्यवर, इस सरकार की नींव ही गड़बड़ है। सरकार तो आपने बना लिया, दल बदलुओं को इकट्ठा करके आपने सरकार बनाया। जब आपके मंजिल का रास्ता की गड़बड़ है तो उसका नतीजा गड़गड़ ही होगा। माननीय मुख्य मंत्री जी सरकार चलाइये लेकिन आने वाला समय आपको माफ नहीं करेगा। धन्यवाद।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, विनम्र प्रार्थना यह है कि सदस्य संख्या के आधार पर इन चर्चाओं का समय निर्धारित कर दें। यह परम्परा रही है।

श्री अध्यक्ष-

परम्परा तो यह भी रही है कि संगत बातों पर चर्चा करेंगे अनावश्यक बातें नहीं करेंगे। परम्परायें अब खत्म हो रही है। अभी विपक्ष के माननीय पाल जी और मौर्य जी बोलेंगे। माननीय राम जग जी एक दल के नेता है। पहले इन 3 नेताओं को अवसर दूंगा। सत्ता पक्ष से अभी कोई नही बोला है। ठीक 4 बजकर 40 मिनट से माननीय मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। माननीय मौर्य जी, आप समाजवादी पार्टी के बाद सबसे बड़े दल के नेता है तो मुख्य मंत्री जी के बोलने के ठीक पूर्व आपको अवसर दूंगा। माननीय जगदम्बिका पाल जी आप संक्षेप में अपनी बात रखें।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष महोदय मैं आपका बहुत आभारी हूं। मैं उन बातों की पुनरावृत्ति नहीं करूंगा जो बात माननीय सदस्य और नेतागण कह चुके हैं। केवल मुख्य बातों की तरफ आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी और इस सरकार का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूं। श्रीमन्, आज यह मौजूदा सरकार की नीतियों और भविष्य की योजताओं का दस्तावेज श्री राज्यपाल के अभिभाषण के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। मैं उसकी वानगी के सम्बन्ध में दो शब्द कहना चाहता हूं। आजादी के बाद यह पहली बार विडम्बना हुआ है कि किसी राजनीतिक दल में अपने किसी ऐसे नेता का मुख्य मंत्री के पद पर चयन नहीं किया जो उस दल का डॉयनॉमिक लीडर हो, जो प्रदेश को कोई दिशा दें सके और गुणात्मक परिवर्तन कर सके। श्रीमन्, आज तक जितनी भी सरकारें बनी होंगी, हमेशा प्रयास रहा होगा कि डॉयनॉमिक और वरिष्ठ लीडर ही मुख्य मंत्री हो।

....लेकिन आज मुख्य मंत्री जी का सौभाग्य है कि मुख्य मंत्री उस श्रेणी में नहीं आते हैं। कलराज मिश्र जी नाराज न हो जाएं इसलिए टंडन जी को मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया, टंडन न नाराज हो जाएं इसलिए कलराज जी को मुख्य मंत्री नहीं बनाया गया आपको हार्मलेस क्रीचर समझकर इस पद पर सुशोभित किया गया। अध्यक्ष महोदय, कदाचित आप सबसे उपयुक्त व्यक्ति थे इस पद के लिए लेकिन सदन कौन चलाता व भारतीय जनता पार्टी की सरकार 2000 तक चलती रहे इसलिए उस योग्यता के नाते आप इस पद पर नहीं जा सके। स्टाम्प गैप अरेंजमेंट के रूप में मुख्य मंत्री जी की नियुक्ति की गई है। किसी समय मुख्य मंत्री जी कहते हैं कि हमारे खिलाफ जो साजिश हो रही थी वह विफल हो गई है।

आज आपके बारे में दो धारणाऐ बनी है अगर इस सरकार की छवि बनानी है तो उनको खत्म करना पड़ेगा। आप एक कमजोर मुख्य मंत्री के रूप में जाने जाते है मैं सौ उदाहरण नहीं दूंगा एक दो उदाहरण देना चाहता हूं। आपने बहराइच के जिलाधिकारी का स्थानान्तरण किया उनको लखनऊ स्पेशल सेक्रेट्री बना दिया गया। जो डी0 एम0.बहराइच बने थे उनका स्थानान्तरण बस्ती कर दिया एवं स्पेशल सेक्रेट्री

लखनऊ को पुन: उनके पद पर स्थापित कर दिया। पूरे प्रदेश में यह धारणा है कि डी0एम0, एस0पी0 को दो विधायक शिकायत कर दें और दूसरे दिन उनका ट्रांसफर मुख्य मंत्री सचिवालय से लेकर आ जाए। पूरे प्रदेश में ब्यूरोक्रेसी में यह धारणा बन गई है। आज लिलों में प्रशासन ठप्प है। यह सरकारें स्थानान्तरण के लिए बनी है? सत्र चल रहा है प्रमुख सचिव के ट्रांसफर हो रहे है मैं 20-25 साल से इस सदन का सदस्य हूं कभी सत्र के दौरान ट्रांसफर नहीं होते थे आज यह हो रहा है। सत्र के पूर्व अधिकारी विदेश में थे बजट से सम्बंधित कोई जानकारी मांगी जाती तो वित्त विभाग में अधिकारी उपलब्ध नहीं थे आप पूरे प्रदेश को बताऐ कि आप दबा ाव में काम करने वाले मुख्य मंत्री नहीं हैं। स्टाप गैस अरेंजमेंट के रूप में आप काम करेंगे तो आर्थिक स्थिति कैसे ठीक होगी। पिछले साल सी0डी0 रेशियो 29 था इस साल घटकर यह 27 रह गया यह चिन्ता का विषय है। आप प्रदेश को उद्योग प्रदेश बनाने का दावा कर रहे है दूसरी तरफ सी0डी0 रेशियो निरन्तर घटता जा रहा है। कल्याण सिंह जी ने कहा था कि सी0डी0 रेशियो बढ़ाने के लिए लखनऊ में एक बड़ा बैंक सरकार स्थापित करेगी हमने उनसे कहा कि लखनऊ में स्थापित करने से यह सी0डी0 रेशियो नहीं बढ़ेगा। इसको बढ़ाने के लिए टास्क फोर्स का गठन करें। हमारी सरकार ने तहसील स्तर तक एस0डी0एम0 की अध्यक्षता में टास्क फोर्स का गठन किया था तब जाकर सी0डी0 रेशियो 54 प्रतिशत हुआ था।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें।

श्री जगदम्बिका पाल-

आज प्रदेश की स्थिति क्या है? आज हमारे शहर के अध्यक्ष हैं अनूप खरे उनके भाई का अपहरण हुआ उसके लिए मुख्य मंत्री जी के पास पूरा शिष्ट मंडल आया लेकिल आज तक उनके भाई का पता नहीं चला है।

तो कानून व्यवस्था की यह बानगी है। आज उत्तर प्रदेश में मुख्य मंत्री जी यदि कुछ करना चाहते हैं तो उद्योग लगाने की बात करें, इसी प्रकार उत्तर प्रदेश में लोगों को रोजगार देने के लिए कुछ काम करे जिससे जो नारा दिया गया है-हर हाथ को काम और हर खेत को पानी देंगे, वह नारा साकार हो सके।

मान्यवर, आज सरकार ने हर चीज पर टैक्स बढ़ा दिया। मान्यवर, चाहे शिक्षा को ले लें तो छात्रों की फीस बढ़ा दी गयी है, बिजली की दरें बढ़ा दी गयी है, रोडवेज में किराया बढ़ा दिया गया है, इस तरह सभी चीजों में टैक्स के रूप में बढ़ोत्तरी कर दी गयी है। इससे स्पष्ट होता है कि यह सरकार किसी का कल्याण नहीं करने वाली है। मुख्यमंत्री जी आपको सौभाग्य मिला है कि उत्तर प्रदेश में कुछ करें इसलिए मैं चाहूंगा कि आप प्रदेश के विकास के लिए कुछ सार्थक काम करें।

* श्री राम जग-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर कटौती प्रस्ताव के पक्ष में बोलने का समय दिया।

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण किसी सरकार की नीति सम्बन्धी वक्तव्य होता है। आज राज्यपाल जी ने जो अभिभाषण पेश किया उसकी पूरी पुस्तक पढ़ने के बाद स्पष्ट होता है कि सरकार के पास न तो किसानों के विकास के लिए कोई आर्थिक नीति है और न ही उद्योग विकास के लिए कोई नीति है तथा न शिक्षा के विकास के लिए कोई नीति है, न प्रदेश की गरीब जनता को चिकित्सा सुविधा देने सम्बन्धी ही कोई नीति है। मान्यवर, मेरा कहना है कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में अब तक सबसे कमजोर यह सरकार है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आयी है तब से सार्वजनिक क्षेत्र के जो उद्योग है, पब्लिक सेक्टर के जो उद्योग है उन्हें तोड़ने का काम यह सरकार कर रही है और उनका निजीकरण कर रही हैं।

मान्यवर, इस सरकार ने उत्तर प्रदेश में एक भी कारखाना खोलने का काम नहीं किया है। इसके विपरीत सरकार ने सभी निगमों को बेचने का काम किया है। अपट्रान कारखाने को, सूती उद्योग को, बिजली

---

* वक्ता ने भाषण का पुनर्वीक्षण नहीं किया।

बोर्ड को, निजी हाथों में बेचने का काम इस सरकार ने किया है। मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार शुद्ध रूप से बहुराष्ट्रीय कम्पनियों, अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अमेरिका के दबाव में आकर जनता के ऊपर चौतरफा हमला कर रही है। मान्यवर, आज उत्तर प्रदेश सरकार शिक्षा के क्षेत्र में स्कूल नहीं खोलेंगे और राष्ट्रीय विद्यालय खोलने के लिए इनके पास कोई योजना नहीं है। मान्यवर, जो वित्त विहीन स्कूल है वहां गरीब जनता के बच्चे पढ़ते है उनसे यह सरकार मनमाने रग से फीस बढ़ाकर वसूल कर रही है और गरीब छात्रों का उत्पीड़न कर रही है जिससे कि गरीब छात्र शिक्षा प्राप्त न कर सके। मान्यवर, यह पहली सरकार है जो अनुसूचित जातियों के छात्रों के फीस बढ़ा दिया है। कक्षा-9 से 12 तक हर जाति के छात्रों की फीस बढ़ा दी गयी है। मैं पूछना चाहता हूं कि यह सरकार आखिकार छात्रों को क्या सुविधा दे रही है? मान्यवर, उत्तर प्रदेश सरकार की मंशा है कि गरीब किसान का बेटा यहां शिक्षा न प्राप्त कर सके और इसीलिए यह सरकार शिक्षा का बाजारीकरण कर रही है जिससे कि शिक्षा का विकास न हो।

...यह सरकार शिक्षा के विकास को रोकने का काम कर रही है। उद्योगों के मामले में पूरा प्रदेश शून्य हो रहा है। केवल एक काम कर रही है और वह है जनता की कमाई से बने कराखानों को बन्द कराने का काम कर रही है, उनको मिट्टी के भाव बेचने का काम कर रही है। कृषि के क्षेत्र में बिजली नहीं दी जा रही है। अभी हमारे विद्युत मंत्री बैठे थे अभी नहीं है। इसकी वजह से गेहूं के उत्पादन में गिरावट आई है। जहां रहां बसात हो गई है वहां जरूर फसल अच्छी हो रही है। विदेशी कम्पनियों के दबाव में आकर बिजली बोर्ड को तोड़ दिया गया। इसलिए तोड़ा गया ताकि किसानों को बिजली मंहगी मिले। पूरे प्रदेश में जंगल राज है। कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज ही नहीं रह गई है। पूरे प्रदेश में अपराधियों का साम्राज्य है। पूरे प्रदेश में अनुसूचित जातियों जनजातियों पर अत्याचार बढ़ रहा है, जुल्म बढ़ रहे हैं।

पूरे प्रदेश में खेतिहर मजदूर जो हैं जिनकी वजह से ही उत्पादन बढ़ता है उनको उनकी मेहनत के हिसाब से पैसा नही दिया जा रहा है। उनका जब कभी कोई आन्दोलन होता है, प्रदर्शन होता है तो पुलिस प्रशासन की मदद से उसे दबा दिया जाता है। उनको दैनिक मजदूरी भी ठीक से नही मिल पा रही है। पट्टे का काम भी आज निजी कम्पनियों से कराया जा रहा है। तो मान्यवर, मेरा यह कहना है कि इस सरकार के शासन काल में श्रम की प्रधानता नहीं है। यहां लूटने वालों का सम्मान किया जाता है। हर क्षेत्र को प्राइवेट सेक्टर को बेचने का काम कर रही है यह प्रदेश सरकार। इस सरकार को प्रदेश की जनता माफ नही करेगी। यह साबित भी हो रहा है। लोक सभा के चुनाव में सारी स्थिति स्पष्ट हो गई। ये बड़े पैमाने पर हारे है। यह सरकार पंचायतों का चुनाव समय से नही करा रही है। हाई कोर्ट के फैसले को नही मान रही है। कर्मचारियों के साथ अन्याय कर रही है। उनके पक्ष में हाई कोर्ट के फैसले की अवमानना कर रही है।

उत्तर प्रदेश की यह सरकार मजदूर विरोधी नीतियों पर चल रही है, किसान विरोधी नीतियों पर चल रही है। अन्त में मैं इस सरकार के मुखिया माननीय मुख्य मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश के इतिहास में सबसे ज्यादा किसान विरोधी नीति इस सरकार द्वारा अपनाई गई है। अनुसूचित जातियों के मामले में सही रवैया नहीं अपनाया जा रहा है। इस सरकार ने प्राविधिक स्कूलों के शिक्षको के बेतन पर रोक लगा रखी है। अनुसूचित जाति के लोगों के प्रति भेद-भाव क्यों किया जा रहा है? जनता इस सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। इन्ही शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

माननीय श्री मौर्य जी आप अपनी बात 15 मिनट में समाप्त कर दीजियेगा।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपने मुझे महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर बोलने का मौका दिया, इसके लिये मैं आपका आभारी हूं। वैसे तो मैं अपनी बात संक्षेप में कहूंगा और निर्धारित समय में अपनी बात समाप्त करने

का प्रयास करूंगा। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव रखा है, उस पर बल देते हुए कहना चाहता हूं कि महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण की जो यह पुस्तिका है, यह [x x x] का पुलिन्दा है और कपोल कल्पना से ज्यादा कुछ नही है। इसमें जिक्र किया गया है श्रेष्ठ अभिशासन का परन्तु आज ठीक उसका उल्टा हो रहा है। पूरे प्रदेश में जंगल राज है और कानून-व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। माफिया राज है और अराजक तत्वों के हैसले बुलन्द हो रहे है और पूरा प्रदेश भयाक्रान्त है। अपराधों में दिन दूनी रात चौगुनी वृद्धि हो रही है। थानों पर रिपोर्ट दर्ज न करके उसे कम करके दिखाये जाने की साजिश की जा रही है लेकिल सच तो सामने आ ही जाता है। कानून-व्यवस्था का अनुमान तो इसी बात से लगाया जा सकता है कि एक साल के अन्दर मुजफ्फरनगर में 382 हत्यायें होती है और मेरठ में 340 हत्यायें होती है।

मान्यवर, पूरे विश्व में सबसे ज्यादा हत्यायें मैक्सिको में होती है परन्तु मुजफ्फरनगर नें उसे भी मात दे दी है। हत्याओं के मामले में हमारा प्रदेश दूसरे स्थान पर आता है। आज चाहे शासन हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, सब बेलगाम हो गये हैं। मैं आपका ध्यान मऊ के सोरहूं पुलिस चौकी, सहादत गंज गांव की ओर ले जाना चाहता हूं। 4 अप्रैल को आन्दोलनकारी यह मांग कर रहे थे कि शराब के ठेके को यहां से हटाया जाय परन्तु रात के 12 बजे से रात के दो बजे तक उन पर लाठी-चार्ज हुआ, गोलियां चलाई गई, केवला देवी 65 साल की आयु वाली महिला की मृत्यु हो गई। जिलाधिकारी ने आश्वासन दिया था कि 31 मार्च तक हम इसे हटा देंगे। जब वहां पंर आन्दोलनकारी आमरण अनशन करते है तो उनके ऊपर गोलियां चलाई जाती है। पुलिस वाले लूट-पाट करते है और चालीस घरों के ताले को तोड़ती है और उनका सामान लूट लेते है। यह बात स्वामी प्रसाद मौर्य तथा बहुजन समाज पार्टी नहीं कर रही है। बल्कि यह उनकी भारतीय जनता पार्टी के नेता और मऊ विधान सभा क्षेत्र के प्रत्याशी रहे विजय प्रताप सिंह ने कहा है कि यह घटना प्रशासन की लापरवाही और पुलिस की लापरवाही के परिणाम है। मान्यवर, भारतीय जनता पार्टी की महिला मोर्चे की जिले की अध्यक्ष हैं श्रीमती शकुन्तला गुप्ता और इसी की संघर्ष समिति की जो अध्यक्ष है श्रीमती सुशीला सोनकर, जो हमारे माननीय राज्य मंत्री है उनकी सभी बहिन है, गिरफ्तार है। मान्यवर, कानून व्यवस्था यहीं देख लें कि जबकि सत्ता पक्ष बी0जे0पी0 का प्रत्याशी खुद कह रहा है कि यह शासन, प्रशासन, पुलिस के निकम्मेपन से हुआ है।

भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चे की अध्यक्ष भी गिरफ्तार है और संघर्ष समिति की जो अध्यक्ष है सुशीला सोनकर माननीय राज्य मंत्री की बहिन है वह भी गिरफ्तार हैं। खुली किताब के रूप में इसको प्रदर्शित करता है मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि आज जब जन प्रतिनिधि ही सुरक्षित नहीं हैं तो आम लोग सुरक्षित क्या होंगे। इसी सदन के माननीय सदस्य श्री शिवचरन प्रजापति जी के साथ जो बदसलूकी पुलिस के लोगों ने की है वह आपके सामने बात आई। जिस तरीके से उनको बेइज्जत किया गया। उनकी अपनी गाड़ी होते हुए भी उनके खुले ट्रक में टहलाने का काम किया गया। यह इस बात को दर्शाता है कि आज यहां का जो पुलिस प्रशासन है शासन प्रशासन है वह जन प्रतिनिधियों को ही नहीं बख्श रहा है तो आम लोगों को क्या बख्शेगा? इसी से मान्यवर, अन्दाजा लगाया जा सकता है कि आज अपराधों को छिपाने की एक बहुत बड़ी साजिश चल रही है। जो अपराध हो रहे हैं उसका 1/10 अपराध ही पंजीकृत किया जा रहा है। 90 प्रतिशत अपराध पुलिस थाने में दर्ज नहीं किया जा रहा है। एक सोची समझी रणनीति के तहत उस पर पर्दा डालने का काम किया जा रहा है पूरे प्रदेश के बारे में बतायेंगे तो समय बहुत लग जायेगा।

माननीय अध्यक्ष महोदय आपके समक्ष दो वारदातों के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं कि जो आपके

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

क्षेत्र से संबंधित है। लाल चन्द्र नदियानी थाना थरूई 22 मार्च को उसके घर में दस्तक होती है और 8-10 लोग जो गांव में डकैती डालने का काम करते हैं उसको जान से मारने के लिये फायर करते हैं वह किसी तरह से बच गया और एस0पी0, एस0एस0पी0, आई0जी0, डी0आई0जी0 सभी लोगों के यहां उसने आवेदन पत्र किया कि एफ0आई0आर0 उसकी दर्ज करवाई जाय लेकिन उसकी रिपोर्ट नही लिखी गई। इस तरीके से मैं मिसाल देना चाहता हूं कि उसी इलाहाबाद जनपद के शिव श्याम चमार ग्राम रामचन्दरपुर थाना मेजा इलाहाबाद को 11 तारीख को 11 बजे दिन में वहीं के कुछ दर्जन गुन्डों ने धावा बोलकर उसका घर लूटते हैं, पुलिस से मिलकर उसके घर को ध्वस्त कर देते है उसका घर गिरवा देते हैं। वह रिपोर्ट लिखाने के लिए एस0पी0, एस0एस0पी0, आई0जी0,डी0आई0जी0 से मिलता है लेकिन उसकी एफ0आई0आर0 नहीं लिखी जाती है। मैंने यह मिसाल दी आपके जिले की कुछ घटनाओं की। मान्यवर, उत्तर प्रदेश में इस तरीके से प्रत्येक जनपद में प्रत्येक दिन आज दर्जनों अपराध हो रहे हैं लेकिन उनको छिपाया जा रहा है, उनकी रिपोर्ट नही लिखी जा रही है नहीं तो लिख जाने से अपराधों की संख्या बढ़ जायेगी और वे अपराध प्रदर्शित हो जायेंगे। इस तरीके से एक सोची समझी रणनीति के तहत इन्हें छिपाया जा रहा है।

.....रामगोपाल चमार की बात बताता हूं जालौन में रहता है 600 रूपया मजदूरी का बकाया था और मजदूरी करने नहीं गया वहां के जमींदार ने जबरिया मजदूरी न करने के एवज में उसके लड़के की हत्या कर दी। उसमें नामजद एफ0आई0आर0 दर्ज कराई, बड़ी मुश्किल से तो एफ0आई0आर0 दर्ज हुई लेकिन अभियुक्त को गिरफ्तार नहीं किया गया, यह है कानून व्यवस्था, यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं।

मान्यवर आज पूरे प्रदेश में इस तरह से हाहाकार मचा हुआ है। गरीब, मजदूर दलित समाज के लोग बिल्कुल असुरक्षित हैं। इसी तरह से मऊ चौबेपुर काण्ड को ले लें पुलिस की बर्बरता का यह मिसाल रहा है। मान्यवर, दूध की रखवाली कभी बिल्ली नहीं कर सकती है। जब डकैत माफिया लोग सरकार में मंत्री बनेगे तो कानून की रक्षा कभी नही कर सकते है। मान्यवर अब मैं आता हूं इस प्रदेश की वित्तीय व्यवस्था के ऊपर यह सरकार वित्तीय व्यवस्था को सुधारने की बात करती है लेकिन मैं कहना चाहता हूं इसी सरकार के एक वरिष्ठ मंत्री, इस सरकार के एक कैबिनेट मंत्री ने एक साल में 78 लाख रूपया भत्ते के रूप में लिया है। जब एक मंत्री 78 लाख रूपया भत्ते के रूप में लेगा तो कैसे वित्तीय व्यवस्था सुधरेगी?

माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में जो आज लुटेरों का मंत्रिमंडल बन गया है प्रदेश की गाढ़ी कमाई का एक-एक पैसा जब मंत्री 78 लाख के भत्ते के रूप में लेंगे तो क्या प्रदेश दिवालिया नहीं होगा। कर्मचारियों को वेतन नहीं मिला है, डाक्टरों को वेतन नहीं मिल पा रहा है? अध्यापकों को वेतन नहीं मिल पा रहा है? जी0पी0एफ0 पर रोक लगी है बूढ़े मां बाप के इलाज के लिए पैसा नहीं निकाल सकते हैं। मान्यवर, मैं कह देना चाहता हूं यह सरकार वित्तीय व्यवस्था के मामले में चरमरा गई है। 68 हजार करोड़ रूपया खर्जा हो चुका है हजारों रूपयों का लाखों रूपयों का वित्तीय घाटा चल रहा है इस दिवालिया सरकार के मंत्री बस एक फार्मूले पर चल रहे हैं:-

"राम नाम की लूट है लूट सके तो लूट
अंत काल पछताएगा कुर्सी जाएगी टूट "।।

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहें। 15 मिनट हो गए हैं लाल बत्ती जलाए हुए।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, ख़त्म कर रहा हूं। -

(डा0 अरविन्द जैन के कुछ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

डा0 जैन आप अनावश्यक बोलते हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, किसी हिरोइन ने कहा है:- " मैं क्या करूं राम मुझे बुड्ढा मिल गया " यह कहते है "क्या करूं राम बुद्धू मिल गया ", मान्यवर, यह शिक्षा बढ़ोत्तरी की बात करते हैं इंटर कालेज में हाई स्कूल में फीस पॉच गुनी कर दी है।

...तो इस तरह में शिक्षा को रोकले की साजिश की जा रही है। झोपड़ी में रहने वाला, गरीब आदमी हलवाहे का बच्चा न पढ़ सके इसलिए यह साजिश की जा रही है। चिकित्या व्यवस्था की इसमें बात कही गयी। मान्यवर, मैं यह कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश द्वारा संचालित जो 6 राजकीय मेडिकल कालेज है-आगरा मेरठ, लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद और झांसी इसको स्वायत्तशासी समितियों को सौंपने की कार्यवाही की जा रही है।

मान्यवर, जहां पर दो रूपये की पर्ची कटवाकर एक गरीब, मजदूर और रिक्शा चलाने वाला व्यक्ति अपना इलाज करा लेता था यह स्वायत्त शासी समिति को चले जायेंगे तो यह नर्सिंग होम की तरह काम करने लगेंगे। जो गरीब व्यक्ति का वहां पर ईलाज मिल जाता था तो वह इलाज के आभाव में भर जायेंगे। मान्यवर, कृषि मंत्री जी यहां पर बैठे है आपने कहा कि हमले बड़ी सुविधाएं दी है। केन्द्र में भी आपकी सरकार है जब उनके निर्देशों के मुताबिक आप फसल बीमा योजना नहीं लागू कर रहे है तो कैसे किसानों का कल्याण होगा? मान्यवर, यह जो महामहिम राज्यपाल का अभिभाषण है यह [x x x] पुलिन्दा है और सिर्फ एक कपोल कल्पना है और इससे गरीब, मजदूर और किसान का भला होने वाला नहीं है। जब आपका धर्म असफल हो गया तो आपने एक बीच का रास्ता निकाला। साम्प्रदायिक तनाव का सहारा लेकर धर्म स्थल विधेयक का नाटक रचा है। अरे पचास सालों में इसकी आवश्यकता नहीं पड़ी तो फिर आज इसकी आवश्यकता क्यों पड़ गयी? आज आप इसके माध्यम से जो अल्पसंख्यक है उनके मन में भय पैदा करना चाहते है और मनुवाद का डंडा चलाना चाहते है ताकि भय पैदा किया जा सके। जो डंग साहब बैठे है, मुस्लिम है, ईसाई है, बौद्ध है, जैन हैं इनके अधिकारों का हनन करना चाहते हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब आप समाप्त करें। बीस मिनट हो गये हैं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, आपके निर्देशानुसार अंत में केवल इतना चाहूंगा कि यह नेता विरोधी दल द्वारा जो संशोधन का प्रस्ताव रखा गया है मैं उसका समर्थन करता हूं। कि यह अभिभाषण [x x x] का पुलिन्दा है, धोखा है इसलिए मैं धन्यवाद तो नहीं दे सकता हूं लेकिन अच्छे काम करेंगे ताक अगले वर्ष इस विषय में सोंच सकता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, नेता बहुजन ने तो मुख्य मंत्री को एक साल के लिए अभयदान दे दिया लेकिन उनकी पार्टी ने यह नहीं किया कि उनको एम0एल0सी0 बनायेंगे या नहीं, मुख्य मंत्री ने तो कहा कि अगर मुख्य मंत्री रखना है तो एम0एल0सी0 बनायेंगे।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं नेता प्रतिपक्ष द्वारा रखे गये संशोधन प्रस्ताव पर बल देता हूं और अपनी बात खत्म करता हूं।

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

मुख्य मंत्री (श्री राम प्रकाश)-

आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं बहुत आभारी हूं कि आपने महामहिम राज्यपाल जी के प्रति धन्वाद के प्रस्ताव पर उसका समर्थन करने के लिए मुझे अवसर प्रदान किया। मान्यवर, माननीय नेता विपक्ष ने बहुत विस्तार से इस सम्बोधन के बारे में अपने विचार व्यक्त किये, मैं उनका आभारी हूं। अनेक विषयों पर बहुत शांतिपूर्ण तरीके से अपने सुझाव दिये है और भी माननीय सदस्यों ने, नेताओं ने और हमारी ओर से भी माननीय सदस्यों ने बहुत महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं। मैं सभी को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि शासन उन सब बातों पर गम्भीरता से विचार करेगा और उसमें से जो सही मार्गदर्शन होगा उसको प्राप्त करने की कोशिश की जायेगी।

श्रीमन् मैं पहली बार सदन में बोल रहा हूं और मुझ पर मौनी बाबा होने का आरोप लगाया गया लेकिन बहुत दिन बाद मैं इस सदन में आया हूं जिस सदन का अनुभव है वहां पर अनुशासन हीनता करने का माननीय सदस्यों को निष्कासित कर दिया जाता था। मैं आज देखता रहा, कैसे सदन चलता रहा, खैर ठीक है जो भी स्थिति है। अनेक वर्षो के बाद यह परिस्थिति आई है। मैं यह कहना चाहता हूं कि मैं किसी माननीय सदस्य या माननीय दल पर कोई आरोप नहीं लगाना चाहता। आज मैं केवल अपने प्रदेश की स्थिति के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। जो विचार प्रकट हुआ वह हमारे शासन की कमियां है उन कमियों को हम जानते है और हमारे और आपके इधर और उधर के सबको मिलकर यह दायित्व है कि इस प्रदेश को अपना पुराना गौरव प्रदान करें और यह दलीय संघर्ष से नहीं होगा अगर होगा तो सामूहिक चिन्तन से होगा। यदि हम मार्ग निकाल सके तो उसमें परिवर्तन आ सकता है। आलोचना प्रत्यालोचना से केवल राजनीति का ही हम पेट भरते है प्रदेश की समस्याओं को सुलझाने का रास्ता नहीं निकालते।

....श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की हालत क्यों बिगड़ी? पहले मैं आर्थिक विषय ले रहा हूं जब हम आजाद हुये थे तो उत्तर प्रदेश सारे हिन्दुस्तान में तीसरे नं0 पर था, पर कैपिटा इनकम और आर्थिक समृद्धि में और देश भर में सामान्य स्टेटस में, लेकिन धीरे-धीरे पीछे हटते-हटते आज वह बिल्कुल आखिरी स्थान पर खड़ा है। यह हमारी सबकी जिम्मेदारी है, इसको सोचना है कि क्यों ऐसा है। पहली पंचवर्षीय योजना में रेट आफ ग्रोथ 2-3 प्रतिशत के बीच में रही। किसी ने कहा कि आज रेट आफ ग्रोथ 1 प्रतिशत है, हालांकि यह सही नही है, मेरी जानकारी के हिसाब से 2-3.6 प्रतिशत है। लेकिन जो भी है, मैं आकड़ों के कंटेस्ट में नहीं जाना चाहता लेकिन 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं तक यह प्रदेश पिछड़ता चला गया। उस समय कांग्रेस का शासन बना रहा, मजबूत शासन था, मजबूत मुख्य मंत्री ले लेकिन हमारा रेट आफ ग्रोथ नही बढ़ सका और धीरे-धीरे हम बहुत पीछे पहुंच गये। पहली बार पांचवी पंचवर्षीय योजना में परिवर्तन आया और उत्तर प्रदेश में रेट आफ ग्रोथ देश के बराबर किया। क्यों हुआ, यह जमाना था जनता पार्टी का, उस समय कांग्रेस का शासन हटा।

मैं पार्टी को महत्व नहीं देता। परिवर्तन आया, हो सकता है, इमरजेंसी का भी उसमें लाभ मिला हो, लेकिन उस पंचवर्षीय योजना में पहली बार उत्तर प्रदेश का रेट आफ ग्रोथ देश के बराबर पहुंच गया। उस समय क्यों पहुंच गया और उसके बाद फिर डाउन हुये और छठी-सातवीं पंचवर्षीय योजना में फिर वही स्थिति में आ गये तो यह सब चिन्तन का विषय है कि कैसे उत्तर प्रदेश ठीक होगा? अगर हम कुछ कर सकते हैं तो करें, केवल सत्ता पर रहने से कोई लाभ नहीं है। मैंने इस बारे में बहुत सोचा, मुझे लगा कि पैसे का उतना महत्व नही रहा। पैसे का महत्व इस मायने में रहा कि 3-4 पंचवर्षीय योजनाओं में सेन्ट्रल इन्वेस्टमेंट दूसरे प्रदेशों में होता रहा। प्रधानमंत्री उत्तर प्रदेश के और योजना जो हो, वह कोई साउथ में, कोई वेस्ट में,

---

*** वक्ता ने भाषण का पुर्नवीक्षण नहीं किया।**

कोई ईस्ट में जा रही है। उत्तर प्रदेश में तीसरी पंचवर्षीय योजना में केवल 4.2 प्रतिशत इन्वेस्टमेंट हुआ। जबकि उत्तर प्रदेश की आबादी 16 प्रतिशत है तो स्वाभाविक रूप से इस प्रदेश को पिछड़ना था। इसलिये हमारे प्रदेश के नेता माननीय अटल बिहारी बाजपेयी जो इस समय केन्द्र में शासन में हैं, मैंने उनसे कहा कि जो अन्याय हमारे प्रति हुआ है, अब तो उसका लिहाज कीजिये, उस अन्याय को समाप्त कीजिये और उत्तर प्रदेश को आगे बढ़ाइये। मुझे खुशी है कि उन्होंने हमारी बात को गंभीरता से लिया इसी कारण से हमारा शासन चल रहा है। मान्यवर, यह तो एक आम बात कही जाती है कि बड़ा गड़बड़ है, सब चला गया, कुछ बचा नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि जब से मैंने दायित्व संभाला अभी मै आकड़े ले रहा था कि कितना इन्वेस्टमेंट उद्योगों में हुआ है तो मालूम पड़ा कि नवम्बर-दिसम्बर में दो महीनों में 3 हजार करोड़ का इन्वेस्टमेंट उद्योगों में हुआ है। जबकि पहले के 10 महीनों मात्र 2 हजार करोड़ हुआ था।.....

....लोगों को आशा जगी कि एक नया माहौल आया है, शायद कानून-व्यवस्था ठीक हो जाये, ब्यूरोक्रेसी के लोग संवेदनशील हो जाय, एक आशा जगी। लेकिन काम हो पायेगा या नहीं, हम नहीं जानते लेकिन आशा जगने में ही लोगों ने एक दम इन्वेस्टमेंट करने की इच्छा व्यक्त की और हमारे उस साल का इन्वेस्टमेंट 5 हजार करोड़ रूपया हो गया जो कि हिन्दुस्तान में दूसरे या तीसरे नम्बर पर है। यह कहना कि कुछ नहीं हो रहा है, ठीक नहीं है। पार्टी स्तर पर आलोचना कर लीजिए, उसकी परवाह नहीं है। आपका न्यायोचित अधिकार है कि गल्तियों को पकट करें, बतायें। अगर हम अपने प्रदेश को ठीक कर सकते हैं तो करने के लिए मिलकर काम करें और मेरे साथ वार्ता होगी तो कभी वह भेद अनुभव नहीं करेंगे, मैं एक साथ मिलना चाहता हूं।

जहां तक प्रदेश का सवाल है। मैंने भ्रष्टाचार पर जोर दिया, कानून व्यवस्था पर जोर दिया। आप कह सकते है कि हम सफल नहीं हुये। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर डेवलेपमेंट नहीं हुआ, आर्थिक प्रगति नही हुई तो उसका सबसे बड़ा कारण पैसा नहीं है, सबसे बड़ा कारण है भ्रष्टाचार, जिसके कारण कोई व्यक्ति इन्वेस्टमेंट के लिए नही आना चाहता। जैसे ही मेरी सरकार बनी। हमारे पास देशभर से फोन आने शुरू हो गये, विदेशों से फोन आने शुरू हो गये कि आप जरा लॉ-एण्ड-आर्डर को ठीक कर दीजिए। अपने ब्यूरोक्रेसी को संवेदनशीन बना दीजिए, जितना रूपया चाहिए, हम इन्वेस्टमेंट करने के लिए तैयार है क्योंकि उत्तर प्रदेश हमारा प्रदेश है उसको हम बनाना चाहते है, आप जरा शासन को ठीक करिये। उत्तर प्रदेश तो बड़ा समृद्ध प्रदेश है। हमारे पास सबसे बड़े बुद्धिमान लोग हैं, कभी-कभी बुद्धि का दुरूपयोग क्राइम में हो जाती है लेकिन हमारे यहां बुद्धिमान लोग हैं। दुनिया भर में हमारे नौजवान साइंस में प्रोग्रेस कर रहे है। अमेरिका में जाईये वहां पूछिये वह बतायेंगे कि उत्तर प्रदेश का जो विद्यार्थी आता है वह टाप करता है, आगे निकलता है। यह हमारी श्रेष्ठता है। इसको आप स्वीकार करिये और इसके आधार पर परिवर्तन लाईये। जहां तक वर्तमान स्थिति का सवाल है,मैं आपसे कहना चाहता हूं कि उद्योग को बढ़ाने के लिए वातावरण बना रहे है। जो मैंने आंकड़े दिये हैं वह कोई खास आंकड़े नहीं है। जहां तक साफ्टवेयर का सवाल है। हिन्दुस्तान में साफ्टवेयर में मुकाबला करने वाला एक ही प्रदेश है। हमारा उनका साफ्टवेयर का एक्सपोर्ट है। हमारे जो नौजवान साफ्टवेयर में लगे हुये हैं उनकी मेहनत है और इसलिए हमारा साफ्टवेयर एक्सपोर्ट अच्छा हो रहा है। यह 2-3 साल की प्रगति है अगर इस क्षेत्र में हम बढ़ना चाहेंगे तो हिन्दुस्तान के सारे प्रदेशों से आगे निकलकर दुनिया में अपनी मार्केट बना सकते हैं।•आज खेती में क्या हो रहा है? रिकार्ड प्रोडक्शन है, कमजोर मुख्य मंत्री, रिकार्ड प्रोडक्शन। भगवान की कृपा है। आलू को देखिये, रिकार्ड प्रोडक्शन हुआ। समस्या आती है निकल जाती है। तो इसलिए श्रीमन् मैं कहना चाहता हूं कि कम से कम यह तो मानिये कि ऐसा मुख्य मंत्री मिला है जिसकी भगवान सहायता करना चाहता है।.....

आप कहते हैं कि कमजोर मुख्य मंत्री है, मेरा कहना है कि कमजोर मुख्य मंत्री लोकप्रिय होता है क्योंकि आपके काम कर देता है। लेकिन अगर वह गलत काम करने से डरता है तो ऐसा कमजोर मुख्य मंत्री बड़े काम का है। वाटर का क्या हुआ? कितनी दौड़ लगी, मैं तो चूप बैठा रहा और सारा मामला ठीक हो गया। श्रीमन् बिजली व्यवस्था को सुधारने के लिये हमने निर्णय लिया। लोगों ने सोचा कि कमजोर मुख्य मंत्री

है मान जायेगा। हड़ताल हुयी, सब कुछ हुआ, और जैसा पिछली बार हड़ताल तोड़ने के लिये लोगों को घरों से निकाला गया, बच्चों को परेशान किया गया लेकिन मैं तो बैठा इतना ही कहता रहा कि कोई ऐसा काम नहीं होगा जिससे किसी का परिवार डिस्टर्ब हो। अपने काम में दृढ़ रहा, हमें अन्याय और अत्याचार नहीं करना है और वह हड़ताल समाप्त हो गयी। तो मेरी कार्यशैली भिन्न है।

श्रीमन्, मैं यह कहना चाहता हूं कि स्ट्रेंथ होनी चाहिये। अनेक काम ऐसे है जो स्ट्रेंथ चाहते हैं, मजबूती चाहते है और उन कामों पर दृढ़ रहना चाहिये और अनेक काम ऐसे है जिनमें उदार होना पड़ता है, यह राजनीतिक तकाज़ा है। धर्म स्थल विधेयक को ले ले, उधर बैठे हुए माननीय नेतागण सब खिलाफ है, खिलाफ हो तो मुझे कोई एतराज नहीं है क्योंकि उनकी जिम्मेदारी नहीं है इस समय मेरी जिम्मेदारी है कि इस प्रदेश की सीमायें सुरक्षित रहे। बाई चांस आप आयेगें तो आपकी जिम्मेदारी हो जायेगी। कई प्रदेशों ने इस विधेयक को पास किया है अपने प्रदेशों की स्थिति के अनुसार उन प्रदेशों में कांग्रेस शासन है, कम्युनिस्ट शासन है। तो मैं किसी की आलोचना नहीं करता, हमारी ड्यूटी है, मुझे ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश में आई0एस0आई0 की एक्टिविटीज का भारी खतरा है, आप माने या न मानें। यह प्रचार का विषय नहीं है। अगर खतरा है और हम संज्ञान में लें और अपने बार्डर की सुरक्षा न करें तो हमसे ज्यादा मुर्ख कोई और नहीं कहा जायेगा। इसलिये हमने कह दिया कि आप पालीटिकल विरोध करके लाभ उठाइये हम जब तक प्रदेश का शासन संभाल रहे है तब तक वापस नहीं होगा।

(मेजों की थपथपाहट।)

मुझे पूरा भरोसा है कि आप इसमें हमारा साथ देंगे चाहे बोलते रहे खिलाफ। मैं अनुभव कर रहा हूं कि आई0एस0आई0 एक्टीविटीज के लिये नेपाल बार्डर पर बहुत कठोर कदम उठाने पड़ेगे चाहे दुनिया चिल्लाये। हमको अपने प्रदेश का मस्तक ऊंचा रखना है नीचे नहीं होने देना है। अभी एक बात आ रही है पंचायतों के चुनाव के बारे में। पंचायतों के चुनाव को लेकर हमारी बहुत आलोचना हो रही है।

...कोर्ट भी हमारे खिलाफ रहा उसके लिए आगे अदालत में जा रहे है। मैं आपके संज्ञान के लिए कहना चाहता हूं कि मैने यह कदम क्यों उठाया हांलांकि तैयारी कर ली है अगर आवश्यक हुआ तो चुनाव कराए जाएंगे। इस समय विद्यार्थियों के इम्तहाल चल रहे हैं, आगे वर्षाकाल आने वाला है इसीलिए अक्टूबर में चुनाव कराने का निर्णय लिया वर्षाकाल निकल जाएगा आराम से चुनाव हो जायंगे।

दो चुनाव हम पर लादे गए है एक जनवरी में एक इस समय इसको एक करने की जरूरत है नहीं तो हर पांच साल बाद दो बार चुनाव होंगे और गलत समय में होंगे, गलत महीने में होंगे हम तो जा नहीं पाए हाई कोर्ट में बहॅस के लिए वकील समझ नहीं पाए कि क्या कहना चाहिए। अगर न्यायालय द्वारा कहा जाएगा तो चुनाव तुरन्त कराएंगे। लेकिन आज चुनाव होंगे तो गलत समय चुनाव होंगे। यह मजबूरी में करना पड़ेगा। जैसे ही मैं आया गन्ने की समस्या आ गई हरियाणा प्रदेश में 115 रूपए प्रति कुन्तल कर दिया गया अब हमने कहा क्या किया जाए मिल्स में पे करने की क्षमता नहीं है दाम बढ़ाना जरूरी है किसानों का सवाल है तो पांच रूपए प्रति कुंतल दाम बढ़ा दिए और यह निश्चय किया कि मिल्स को इसके लिए समर्थ बनाया जाए कि यह अधिक पे कर सके इसके जिए शीरा नीति में परिवर्तन किया यह जानते हुए भी कि इससे फैट्रियों को नुकसान होगा फिर भी किसानों के हित में यह काम उठाया सुगर मिल चल निकली किसानों का भुगतान होने लगा कुछ लोग गड़बड़ी कर रहे है उनके खिलाफ कार्यवाही की जाएगी। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि गन्ना किसानों का विषय ऐसा है कि इसमें और अधिक दाम बढ़ने चाहिए किसानों को अच्छा भुगतान होना चाहिए।

श्री समर पाल सिंह-

जब मुख्य मंत्री जी महसूस कर रहें कि गन्ने के दाम बढ़ने चाहिए तो इसको बढ़ा दें।

श्री राम प्रकाश-

दो दो मिलकर चार होते हैं। बिजली के रिफार्म का प्रश्न आया। तो हमने कहा कि बिजली का रिफार्म हम कर रहे है तो पहले यह इन्तजाम करें कि काम में बिजली के घंटे बढ़ाए जाएं। अगर आप गांव में अधिक बिजली दे सकते है तो रिफार्म करें।

तो मुझे सम्भावना नहीं थी लेकिन जब यह आश्वासन हो गया कि गांवों में बिजली आपूर्ति के घन्टे बढ़ाये जाएंगे तो रीफार्म की लडाई शुरू किया और आप-हम मिलकर ऐसी परिस्थति पैदा कर सकते हैं कि गांवों में बिजली जाय चूंकि बिजली की कमी नहीं है। इसलिए हम प्रबंध कर रहे हैं कि बिजली का उत्पादन बढ़े। मान्यवर, पांच सौ करोड़ रूपये का सवाल है जिससे गांवों में 3-4 घन्टे बिजली बढ़ा देंगे। ऐसी व्यवस्था हम कर रहे है।

मान्यवर, वर्ल्ड बैंक और सेंन्ट्रल से बैंक में हमारा जो आदर का स्थान बना है जिससे रीफार्म करते है तो वह अधिक पैसा हमें देने के लिए उतावले है। मान्यवर, आप देखें कितनी बड़ी कमी आई है कि पांचवे कमीशन को स्वीकार करते ही 1996 से उसे लागू कर दिया और पांच हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ। जब हमने देखा कि क्या स्थिति है तो पता चल रहा है कि 1998-99 में आठ हजार करोड़ रूपये का घाटा हुआ। रेवेन्यू इनकम रेवेन्यू व्यय में आठ हजार करोड़ रूपये का अन्तर हुआ।

अब कोशिश कर रहे है कि यह घाटा और भी कम हो जाय, हमने कोशिश किया कि 11वां वित्त आयोग यहां आये हमने उससे बातचीत किया और आप देखें कि 1952 से लेकर आज तक हमारे प्रदेश के साथ अन्याय हुआ इसलिए हमने कहा कि अब आप हमारी सहायता करें। तो खुशी की बात है कि शायद पाँच सौ करोड़ रूपये इस साल मिलेगा। इस प्रकार हमने पावर के सम्बन्ध में रिफार्म किये है और बर्ल्ड बैंक से करार किया है, वह तैयार हुए है और हमें पैसा देंगे इसी प्रकार सेन्ट्रल बैंक भी तैयार हो गया और अनपरा परियोजना के लिए तीन करोड़ रूपया मिलेगा तथा वर्ल्ड बैंक से 11 सौ करोड़ रूपये मिलने की आशा है। मान्यवर, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि आप लोग निराशा की बात त करें चूंकि उत्तर प्रदेश को हमें आगे बढ़ाना है और आगे बढ़ाने से हमको कोई रोक नही सकता है। मान्यवर, हम समझते है कि परिवर्तन में कुछ लम्बा समय लगे लेकिन अधिकारी घबड़ा रहे है तथा छापा मार कर कोई पब्लिसिटी नहीं किया है। लाकन मैं बताना चाहता हूं कि गलत काम हमारे हाथों से नहीं निकल पायेगा। इसलिए मैं कह रहा हूं कि हमारे प्रदेश में और हमारे प्रदेश की जनता में बड़ी क्षमता है।

इस साल 500 करोड़ बढ़ा, रेवेन्यू में 1100 करोड़ बढ़ा है। मेरा कहना है पब्लिक में ठीक इमेज बने। मैं आमदनी बढ़ने के लिए प्रस्ताव लाऊंगा कि कैसे आमदनी बढ़े? जनता बहुत पैसा देती है। मैंने जनता से अपील की है कि भ्रष्टाचारियों से सांठ-गांठ मत कीजिए। यदि अधिकारी भ्रष्ट है तो जनता ही उनको ठीक कर सकती है। श्रीमन् बेरोजगारी के लिए बहुत से विषय है और उन पर काफी चर्चा हो चुकी है। कोई खास बात नहीं है इसमें।

श्री अम्बिका चौधरी-

बेरोजगारी सबसे खास बात है।

श्री राम प्रकाश-

मैं भी मानता हूं कि भ्रष्टाचार के बाद बेरोजगारी की समस्या सबसे बड़ी समस्या है। इस समस्या से नौजवान ही निपट सकते है। वे ही लड़गे। मैंने नौजवानों से अपील की है कि वे बेरोजगारी और भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े मैं उनका साथ दूगा। अभी स्वर्ण जयन्ती में केवल 22 लाख परिवारों को राहत दी जा रही है। (व्यवधान) दिया जा रहा है।

(हंसी)

अगर आशा की किरण छोटी सी भी नजर आती है तो उसे पकड़ना चाहिए। वह रास्ता बन्द है

लेकिन बेरोजगारी से निपटने के लिए प्रयास हो रहे है। व्यक्ति आइडेन्टीफाई किये जा रहे है। नौकरी तो नहीं हो पायेगी। बहुत बेकार सेना है। काम नहीं है। बड़े-बड़े अफसरों के पास डिपार्टमेंट नही है आप समझते है यह नहीं होना चाहिए और फिर भी हो रहा है।

(हंसी)

श्रीमन् मैं अनुरोध करना चाहता हूं सदन के सभी सदस्यों से कि रोजगार देने वाली योजनाओं को बढ़ाने में सहयोग दें। यह योजनायें नौजवानों के हितों को सुधारने वाली योजनायें है। जो भ्रष्टाचार का जहर घुला हुआ है उसको रोकने का दायित्व इन नौजवानों पर है। इसको हमें पूरा करना है। एक ग्रुप बना 40 हजार प्रति व्यक्ति दो ग्रुप बने 4 लाख हो गया। सब्सिडी है वह खाना चाहे बैंक का कर्मचारी। ठीक बातबोलते रहें। धीरे धीरे सारा वातावरण बदलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं धन्यवाद के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

...सभी माननीय नेताओं और सदस्यों के प्रति हार्दिक शुभकामनायें व्यक्त करते हुए धन्यवाद के प्रस्ताव का समर्थन करता हूं।

कुंवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं मुख्य मंत्री जी को बधाई दूंगा कि बहुत सालों के बाद इतना विद्वतापूर्ण भाषण विधान सभा में सुनने को मिला। सम्भवत: सभी साथियो को इतना विद्वतापूर्ण भाषण सालों के बाद सुनने को मिला होगा, इसके लिये मुख्य मंत्री जी को बधाई देता हूं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी को इस बात के लिये धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने अपने आप कहा उद्योगपति यहां पर उद्योग लगाना चाहते है बशर्ते कि यहां पर कानून-व्यवस्था ठीक हो जाय और अधिकारी संवेदनशील हो जाय। साथ ही साथ भ्रष्टाचार की बात को रखते हुए भी उन्होने इस कमी को स्वीकार किया। वित्तीय आर्थिक संकट भी है। सभी चीजों को स्वीकारते हुए उन्होने स्पष्ट बात की। इस स्पष्ट वार्ता के लिये मुख्य मंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं।

श्री जगदम्बिका पाल-

माननीय अध्यक्ष जी, कदाचित यह सम्पूर्ण सदन इस बात में सहमत होगा कि माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में भ्रष्टाचार पर बहुत जोर दिया लेकिन माननीय मुख्य मंत्री जी ने इस बात का उल्लेख नहीं किया कि आज उत्तर प्रदेश में उच्च स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के जो कार्यवाही चल रही है, विजीलेन्स की जांच चल रही है और इस पांच महीनों में किसके खिलाफ कार्यवाही की। दूसरा यह कि माननीय नेता प्रतिपक्ष तथा अन्य नेताओं ने तथा सदस्यों ने जो विचार यहां पर रखे, उनका कोई भी उत्तर माननीय मुख्य मंत्री जी ने नही दिया।

नेता विरोधी दल (श्री धनीराम वर्मा)-

माननीय अध्यक्ष जी, महामहिम राज्यपाल जी अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर जो संशोधन का प्रस्ताव मैंने रखा था, उस पर पक्ष और विपक्ष के बहुत से माननीय सदस्यों ने अपने विचार रखे, श्रीमन्, किसी न किसी रूप में हमारी बात की पुष्टि उनके भाषण में होती है। यह बात दूसरी है कि सत्ता पक्ष में बैठने के कारण उन्हें कहना पड़ता है कि हमारी सरकार बहुत अच्छी है और संशोधन के प्रस्ताव पर कोई बल नहीं है। मैं बात को बढ़ाना नहीं चाहता हूं और उससे कोई फायदा नहीं है, इसलिये भी नहीं है कि सारे अभिभाषण में जो संशोधन रखे गये उसके संबंध में माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोई भी ऐसा विचार व्यक्त नहीं किया है,

जिसमें यह झलक मिलती हो कि उसमें कोई न कोई सुधार होगा और उन कमियों को दूर किया जायेगा। श्रीमन् केवल अपने उद्बोधन में माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने सीधे और सौम्य बात कही, कमजोरी की बात कही। यह सही है कि कमजोर के प्रति दयाभाव होता ही है।

श्री धनी राम वर्मा-

...और यह माननीय मुख्य मंत्री जी ने स्वयं कबूल किया है। यह शाश्वत सत्य भी है और प्रकृति का नियम भी है। श्रीमन्, मैं अपने संशोधन प्रस्ताव पर बल देते हुए माननीय मुख्य मंत्री जी यह अनुरोध करना चाहता हूं कि जो अपहरण का व्यापार फलफूल रहा है और सत्ता पक्ष में बैठे हुए कुछ लोगों को, सब नहीं कुछ ही लोग है जो आपराधिक प्रवृत्ति वाले है जो अपहरण जैसी घटनाओं में स्वयं लिप्त है। हमने अपने संशोधन भाषण के समय कहा था कि कानपुर के एक व्यापारी गोपाल सर्राफ का अपहरण जब वे दुकान से आ रहे थे, हो गया था और मैंने अनुरोध किया था कि किसी तरीके से इस सम्बन्ध में पता लगाया जाय, पुलिस सक्रिय हो। लेकिन पुलिस निष्क्रिय है और इसलिये है कि उसमें सत्ता पक्ष में बैठे हुए दो लोगों का हाथ है। मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से अनुरोध करना चाहता हूं कि पुलिस अगर अक्षम है तो इस प्रकारण की जांच सी0बी0आई0 से करवा ली जाय और दोषी लोगों को दंडित करवाया जाय।

दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूं श्रीमन् कि माननीय मुख्य मंत्री जी द्वारा यह उद्घोषणा करनी चाहिए थी कि माननीय विधायकों का जो अपमान होता है, उस अपमान को भविष्य में नहीं होने दिया जायेगा। चाहे शिवचरन प्रजापति हों, नन्द राम जी हों, राधे श्याम जैसवार हों या कोई भी माननीय सदस्य हों। मान्यवर, जब विधायकों का अपमान होगा इस तरीके से तो आम आदमी जो प्रदेश की जनता है उसके बारे में क्या कहा जाय। निश्चित तरीके से प्रदेश में एक ऐसी स्थिति आ जायेगी जिससे कोई उबर नहीं पायेगा। जब विधायका, विधायक स्वयं अपमानित होगा तो कोई अपमान से बच नहीं पायेगा। श्रीमन्, ज्यादा बात न बढ़ाते हुए मैं यह कहना चाहता हूं कि जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सबूत सहित आपकी पीठ को जो भी कागजात मैंने दिये है उन सब पर कार्यवाही की जाय जो भ्रष्टाचार के प्रकरण सबूत सहित आपकी पीठ को जो भी कागजात मैंने दिये है उन सब पर कार्यवाही की जाय और अगर वह सिद्ध पाये जायं तो श्रीमन् उस पर कार्यवाही की जाय। उसको रद्दी की टोकरी में न डाल दिया जाय। मुझे विश्वास था कि माननीय मुख्य मंत्री जी इस तरह की घोषणा अवश्य आज अपने उद्बोधन में करते लेकिन उन्होने नहीं किया। श्रीमन् मैं अपने इस संशोधन के प्रस्ताव पर बल देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं।

श्री अध्यक्ष-

डंग साहब कुछ कहना चाहते हैं?

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, मैं कुछ कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी बात तो हो गई है, अब बार-बार नहीं।

श्री स्वामी प्रसाद मौर्य-

मान्यवर, लेकिन मैं आपके माध्यम से माननीय मुख्य मंत्री जी से पूँछना चाहता हूं कि अगर आई0एस0आई0 का आतंक तेज हुआ है तो क्या उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था उस पर अंकुश लगाने में समर्थ नहीं है। क्या धर्मस्थल विधेयक को माननीय मुख्य मंत्री वापस लेंगे?

(व्यवधान)

यह स्पस्टीकरण नहीं दे रहे है, धर्मस्थल विधेयक से साम्प्रदायिक सौहार्द बिगड़ रहा है, यह हठवादिता बनाये है इसलिए मैं और मेरा दल सदन का त्याग करता है।

(श्री स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने दल के सदस्यों के साथ सदन का त्याग किया)

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद के प्रस्ताव पर, प्रस्ताव प्रस्तुत करते समय मुझे ऐसी कल्पना नहीं थी कि प्रस्ताव पर संशोधन प्रस्तुत करते-करते इस माननीय विधान सभा को त्याग कर मौर्य जी चले जाएंगे। आलोचना करने के बाद सत्य को सुनने का साहस नहीं जुटा पाएंगे, ऐसी कल्पना मेरी नहीं थी। मान्यवर, आज इस प्रस्ताव पर माननीय विधान सभा को निर्णय लेना है। मैंने माननीय नेता प्रतिपक्ष को सुना, माननीय नेता सदन के बहुमूल्य शब्दों को सुना, मैं कहना चाहता हूं कि यह सच है कि जो कम बोलते हैं वह कीमती बोलते हैं। मैं अन्य दलों के नेताओं माननीय मौर्य जी, माननीय समरपाल जी, माननीय रामजग जी मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के रामजग जी मैं बहुत विद्वान और योग्य मानता हूं, और पाल जी की योग्यता के क्या कहने, यह तो रातों रात मुख्य मंत्री बन जाते हैं और दूसरी रात को नहीं रहते हैं, यह दुर्भाग्य हो गया कि सर्वोच्च न्यायालय ने भी उनको मुख्य मंत्री नहीं माना, जिससे इनको बड़ी निराशा हुई, लेकिन लगता है कि उनकी बुनियाद कमजोर है सुनने का साहस नहीं जुटा पाए, सुनना चाहिए था। मैं तो मानता हूं आलोचना दो प्रकार की होती है एक तो रचनात्मक आलोचना होती है, उसका स्वागत है कमियां होगी, पहले भी कमियां रही होंगी आज भी है, कल की सरकारों में भी कमियां होंगी, लेकिन रचनात्मक सुझाव देना विपक्ष की भूमिका होनी चाहिए। बहुत से माननीय सदस्यों ने सुझाव दिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि मेलजोल करें इस प्रदेश की गरिमा और गौरव को बढ़ायें। लेकिन कुछ लोग जिनकी आदत है, आलोचना करने के लिए आलोचना करते है। मान्यवर प्रलाप, प्रहसन और तीसरा शब्द प्रमोद, पर्यायवाची बन चुके है। कांग्रेस पार्टी को 1989 के बाद इस प्रदेश ने सेवा का अवसर नहीं दिया। जैसी स्थिति राजनैतिक इस प्रदेश की है उससे लगता है कि प्रदेश की जनता 20 साल तक कांग्रेस को अवसर देने वाली नहीं है। तो ऐसे दुखी और निराश व्यक्ति के मुंह से ऐसे शब्द निकलें तो इसमें आश्चर्य नहीं है। उनको कुछ कहना है, सुर्खियों में बने रहना है। दो बातें सदन में खड़े होकर कहनी है शायद वह भूल जाते हैं कि जिन मंत्रियों को जांच कराने की बात वह कर रहे है, मैं स्पष्ट कह देना चाहता हूं प्रमोद जी, आप उपस्थित नहीं है, मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि आपकी सम्पत्ति की भी जांच हो जाती तो सारी वास्तविकता सामने आ जाती।

(मेजे थपथपाई गई)

भ्रष्टाचार इस प्रदेश में किसने शुरू किया। साम्प्रदायवाद किसने शुरू किया, जातिवाद इस प्रदेश में किसने शुरू किया, भाषा और वर्ग के नाम पर प्रदेश को बांटा किसने? इन सबकी गंगोत्री कांग्रेस है, देश की जनता और प्रदेश की जनता ने इस तथ्य को समझा इसलिए कांग्रेस को सेवा के अधिकार से वंचित कर दिया। समाजवादी पार्टी के माननीय सदस्यों ने इन्होंने न्याय और व्यवस्था के बारे में बड़ी गुहार लगायी है। मान्यवर, नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन रहा उनका विद्वतापूर्ण भाषण मैंने सुना। उन्होने कई विषयों पर अपनी बात कही है। भ्रष्टाचार के बारे में डकैती उन्मूलन होना चाहिए, जमुना के बीहड़ों का समतलीकरण हो जाना चाहिए, उद्योग बढ़ाने चाहिए, शिक्षा के क्षेत्र में आपने कुछ नहीं किया है। मैं विनम्र निवेदन करना चाहता हूं कि आपको इस प्रदेश की जनता ने दो-दो बार अवसर दिया था और मैं आज तक सुनता आया था कि जनता की स्मरण शक्ति कमजोर है, लेकिन मुझे लगता है कि नेताओं की स्मरण शक्ति कमजोर होती जा रही है।

यह न्याय व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था की बात करते है। शिक्षा जैसे पवित्र क्षेत्र में नकल का प्रादुर्भाव कराने वाले शिक्षा पद्धति को किस प्रकार उन्नत कर सकेंगे, कैसे सार्थक भूमि का निभा पायेंगे यह विश्वास कोई नहीं कर सकता है। इसकी भी कल्पना कर लेते कि नकल करने वाला अब अध्यापक बनेगा तो वह कैसे पढ़ा पायेगा?

अब मान्यवर, मैं कुछ घटनाओं की तरफ आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहूंगा। बानगी दे रहा हूं। पुलिस ने एक व्यक्ति को बन्द करके पीटा, मैं अखबार का नाम भी दे दूंगा प्रदेश में डकैती लूट हत्या दंगा की घटनाओं में अभूतपूर्व वृद्धि, यह 25 जनवरी, 90 का है। फरवरी, 90 प्रदेश में हर रोज होती है 20 हत्याएं, अगस्त,90 फतेहपुर में अनुसूचित जाति के लोगो को जिन्दा जलाने पर लोक सभा में हंगामा, 26 अप्रैल, 90 को इटावा में कबूली गांव में अनुसूचित जाति के लोग डर से भाग रहे है-----

(व्यवधान)

23 जून, 90 अनुसूचित जाति की महिलाओं को नंगा करके पीटा गया....

(व्यवधान)

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

[x x x x x]

(व्यवधान)

श्री अध्यक्ष-

यह लिखा नहीं जायेगा।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

12 जून, 90 काकोरी में अनुसूचित जाति के बच्चों को बर्बरतापूर्ण ढंग से पीटा गया। यह पुलिस उत्पीड़न का एक और नमूना था। 12 जुलाई, 90 पत्रकारो को पीटा....

श्री अध्यक्ष-

कृपया संक्षिप्त करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

20 जुलाई, 90 मुलायम सिंह के इलाके में नाबालिग अनुसूचित जाति की लड़की के साथ हफ्ते भर बलात्कार किया गया और मर जाने पर लाश खेत में गाड़ दी गयी। तो इन्होंने छोड़ा किसी को नहीं। यही नहीं धार्मिक कृत्य करने वाली ननो के साथ बलात्कार किया गया....

मुजफ्फरनगर की घटना को पर्वतीय अंचल के लोग भूल नही सकते हैं। 28 जून, 1991 को बांदा जिले में सामूहिक बलात्कार, 4 जून,1991 को सोनभद्र के फैक्ट्री में 6 लोगों की हत्या कर दी गयी और मान्यवर, अंतिम कृत्य क्या किया कि जिनके साथ बैठकर सरकार बनाई थी 3 जून, 1995 को साथ के लोगों ने 7 विधायकों को उठा लिया यहीं गेस्ट हाउस से और यह कानून व्यवस्था की बात करते हैं। मैं तो केवल उनकी स्मरण शक्ति ठीक करने के लिए याद दिलाना चाहता हूं कि मित्रों तुमने क्या किया है, तुमसे लाख गुना बेहतर यह सरकार चल रही है, कानून व्यवस्था की स्थिति तुमसे लाख गुना बेहतर है।

बहुजन समाज पार्टी के लोगों के बारे में क्या कहूं ये भी कानून व्यवस्था की बात करते है जब हमारे थे साथ ये तब तक इनकी सद्बुद्धि बनी हुई थी। जब ये गेस्ट हाउस में पीट रहे थे तब इनको भारतीय जनता पार्टी के लोग याद आ रहे थे और आज जब प्रतिपक्ष में बैठे हैं तो भूल गये हैं। हरिजनों को उत्पीड़न करने की कार्यवाही किसके कार्यकाल में हुई थी और आज शांति व्यवस्था में वे सुर से सुर मिलाकर सरकार की आलोचना करने का कार्य कर रहे है। असल में उनके नेता के मुख्य मंत्री के मन में एक संकल्प था

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

(टोकाटाकी से व्यवधान)

वह साधारण विधायक बनकर नहीं बैठना चाहती थी उनका तो हाल था कि " बरहुं शम्भु न तो रहऊ कुंवारी " यानि रहूंगी तो मुख्य मत्री नही तो कुछ भी नहीं रहूंगी।

बहुजन समाज पार्टी के साथियों के जिनके नीतिगत विचार मिलते थे और जो चुनाव नहीं होने देना चाहते थे ऐस बहुजन समाज पार्टी के लोग उनको छोड़कर हमारे साथ आकर बैठ गये।

(श्री राम जग द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, मैं रामजग जी का बड़ा सम्मान करता हूं उनकी बुद्धि की नकेल कलकत्ता में रहती है और ये यहां पड़े रह जाते हैं। धर्मस्थल विधेयक के बारे में आज के समाचार-पत्र में पश्चिम बंगाल के मुख्य मंत्री जी ने कहा है-मदरसों में आई0एस0आई की बढ़ती हुई गतिविधि से मैं बहुत चिन्तित हूं। भाई जी कहां सुर से सुर मिलाते रहते हो?

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर सदन में घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया)

श्री अध्यक्ष-

कृपया शान्त रहिये।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्यों द्वारा सत्ता पक्ष की ओर इशारा करके जोर-जोर से अपनी बात कहने के प्रयास में घोर व्यवधान जारी रहा)

माननीय संसदस कार्य मंत्री, आप प्रस्ताव लाइये, मैं माननीय सदस्य को इंगित करता हूं। इस तरह से गालीगलौज होगी, यह कौन सा तरीका है। मैं आपकी उत्तेजना धर्मस्थन बिल पर तो समझ सकता हूं, लेकिन विपक्ष के लोग इस तरह शोर न मचायें, यह बात समझ में नही आती।

(समाजवादी पार्टी के कई सदस्य अपने-अपने स्थानों से खड़े होकर सदन के वेल में आकर जोर-जोर से अपनी बात कहने का प्रयास करने लगे जिससे घोर व्यवधान उत्पन्न हो गया।)

श्री वसीम अहमद, सदस्य विधान सभा के निलम्बन का प्रस्ताव

पंजीयन, मनोरंजनकर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूं कि उत्तर प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली, 1958 के नियम 299 (2) के अन्तर्गत माननीय सदस्य श्री वसीम अहमद को सदन की सेवा से निलम्बित किया जाय।

(सदन में निरन्तर घोर व्यवधान बना रहा)

श्री अध्यक्ष-

मै सदन की कार्यवाही को 6 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित करता हूं।

(व्यवधान के कारण श्री अध्यक्ष ने 5 बजकर 55 मिनट पर सदन की कार्यवाही 6 बजकर 15 मिनट तक के लिए स्थगित कर दी। 6 बजकर 15 मिनट पर सदन की कार्यवाही श्री अध्यक्ष के सभापतित्व में पुन: आरम्भ हुई)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव (क्रमागत)

(समाजवादी पार्टी के सदस्यों द्वारा अपने-अपने आसन पर खड़े होकर बोलने तथा श्री भोनू राम सोनकर

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

के सदन के बेल में आकर बोलने से निरन्तर व्यवधान बना रहा)

डा0 वकार अहमद-

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष-

आप अपने स्थान पर चलिये।

डा0 वकार अहमद-

[X X X X X]

श्री अम्बिका चौधरी-

[X X X X X]

श्री अध्यक्ष-

यह कोई तरीका नहीं है, यह कुछ नहीं लिखा जा रहा है।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मुझे अपनी बात को स्पष्ट करने दीजिये।

डा0 वकार अहमद-

[X X X X X]

कुंवर रेवती रमण सिंह-

मान्यवर, मुझे यह कहना है कि...

श्री अध्यक्ष-

पहले माननीय सदस्य अपने आसन पर बैठ जायं।

(श्री भोनूराम सोनकर सदन के बेल से अपने आसन पर चले गये)

कुवर रेवती रमण सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी इस सदन में यह बात कई बार कही गयी है और यहां पर तय हो चुका है कि कोई आरोप प्रत्यारोप लगाने के पहले, सबूत के साथ ही आरोप लगाया जाय। आज माननीय डंग साहब ने जिस तरह से बात कही की आईएस0आई0 के एजेंट मदरसों में रहते हैं वह उचित नहीं है। मैंने अपने भाषण में कहा था कि समाजवादी पार्टी आई0एस0आई के सख्त खिलाफ है और वह चाहती है कि उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जाय लेकिन एक जाति विशेष को कलंकित न किया जाय। डंग साहब बता दें कि कितने मदरसों में आई0एस0आई0 एजेंट पकड़े गये है? आप पूरे सदन को सबूत के साथ बताने का कष्ट करें मैं आपसे आग्रह करूंगा कि आप उत्तेजना में न आयें।

श्री अध्यक्ष-

इस प्रकार की उत्तेजना मैं पैदा कर रहा हूं या उत्तेजना उधर से पैदा हो रही है। मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता हूं।

श्री बाबूराम यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक निवेदन करना चाहता हूं कि सदन का वातावरण माननीय मुख्य मंत्री जी ने अपने भाषण में इतना बढ़िया बनाया इतनी सहृदयता स्नेह फैलाया कि सारी सदन एक रस हो गया। मैं आप पर आरोप नहीं लगा रहा हूं लेकिन आपने लोगों को खुश करने के लिये, आप इतने बुद्धिमान है और आप इतनी जल्दी गुस्से में आ जाते हैं।

श्री अध्यक्ष-

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उस समय कैसा हो गया था, सदन का वातावरण कैसा हो गया था, मैं उन शब्दों को कहना नहीं चाहता हूं जिनको मैंने सुना है। जिन शब्दों का प्रयोग डंग साहब ने किया उन शब्दों से कही बढ़कर वसीम साहब ने प्रयोग किया।

श्री बाबूराम यादव-

जो वातावरण सदन में सहृदयतापूर्ण था उसमें व्यवधान पैदा हुआ। आक्षेप डंग साहब की ओर से लगा, हमारी तरफ से नहीं लगा, मान्यवर, आपको गुस्सा आ गया। आप तो समुद्र है और आप इस सदन के जो चोटी के विद्वान हैं उनमें से आप हैं।

.....तो मान्यवर [x x x] यह सदन आपकks प्रतिष्ठापूर्वक सम्मान देता है। इधर के माननीय सदस्य, उधर के माननीय सदस्य, कोई ऐसा सदस्य नहीं है दोनों पक्षों में जो आपका कतई अ०मानना करता है। लेकिन आज के इस परिदृष्य को देखने के बाद माननीय मुख्य मंत्री जी इस सदन के नेता है, माननीय नेता विपक्ष का नम्बर उनके बाद है लेकिन उससे भी बड़ा आपको मानते है। मान्यवर, हमारा इतना बड़ा दल है, 5 मिनट नहीं दिया गया बोलने के लिए लेकिन हमने क्षोभ नहीं दिखाया।

(सत्तापक्ष द्वारा टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप लोग शान्त रहें।

श्री बाबूराम यादव-

मैं तो चाहता हूं कि यह सदन बड़े स्नेह और प्रेम से चले। कोई किसी की जागीर नहीं लेने आया है। आपको सरकार चलानी है, आप सरकार चलायेंगे। हमें सरकार की आलोचना करनी है हम आलोचना करेंगे। हम लोग व्यक्तिगत दुश्मन नहीं है (सत्ता पक्ष द्वारा संवैधानिक मर्यादा का पालन करें, कहने पर) पहले आप लोग करिये फिर शिक्षा दीजिए। डंग साहब की भाषा को देखिये। इतने कटु शब्दों का प्रयोग और इस तरह से कहना जिसका कोई आधार नहीं। तब इधर भी बातें कही गयी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी आपकी है, आप बड़े दल हैं, आपकी जिम्मेदारी ज्यादा है, हमारी कम है और जो कमजोर होता है उसे गुस्सा ज्यादा आता है। हो सकता है कि विपक्ष कमजोर हो तभी तो आप सत्ता में हैं, अगर हम जोरदार होते तो आप इधर बैठे होते और हम उधर बैठे होते। माननीय अध्यक्ष जी, मैं बहुत विनम्रतापूर्वक कहना चाहता हूं कि आप समुद्र की तरह गम्भीर होकर सदन चलाइये आपकी बड़ी कृपा होगी। किसी एक जाति के सदस्य को जो अल्पसंख्यक है उसको इस तरह से प्रताड़ित और सदन में अपमानित किया जायेगा, यह अच्छी चीज नहीं है और उचित परम्परा भी नहीं है। हमारी प्रार्थना है कि आपकी गम्भीरता ही इस सदन की सहृदयता बनेगी। अगर आपने गम्भीरता छोड़ी तो इस सदन का वातावरण कटु होगा और इतना कटु होगा कि आपको भी दिक्कत होगी, हमको भी दिक्कत होगी और उधर बैठे है, उनको भी दिक्कत होगी। सबसे बड़ी जिम्मेदारी अध्यक्ष महोदय की है और अध्यक्ष महोदय में हमारा विश्वास है, हम उनका सम्मान करते है।

श्री तारकेश्वर प्रसाद शुक्ल-

यहां सिक्ख को गद्दार कहा गया। सिक्ख भी अल्पसंख्यक है।

श्री अध्यक्ष-

शुक्ला जी, आप बैठिये। देखिये सदन में काक् प्रहार में तीव्रता शब्दों में कटुता यह सब कोई नई बात नहीं है। विपक्ष भी सत्ता पर बड़े कड़ुवे-कड़ूवे शब्दों के साथ प्रहार करता है। सत्ता पक्ष भी सुनता है लेकिन जब बहुत ज्यादा उत्तेजना हो जाय तो कोई न कोई नियंत्रण रखने वाला व्यक्ति होगा। वहीं पर अध्यक्ष

नोट- [x x x] यह अंश श्री अध्यक्ष के आदेशानुसार कार्यवाही से निकाल दिया गया।

की भूमिका आती है वरना अध्यक्ष सामान्यत: मौन रहता है। मैंने देखा कि कटुता बढ़ रही है, किसी एक नाम को लेकर आप अपने स्थान पर बैठिये। माननीय वसीम अहमद जिन शब्दों का प्रयोग करते रहे वह कौन सी गरिमा और कौन सी गम्भीरता है?

मैं शांति के लिए प्रयास कर रहा हूं, प्रयास सफल नहीं हो रहा है। अध्यक्ष के मन में क्या है क्या आप पूरी तरह से सुनेंगे नहीं? इस सदन में बहुत सी बातें ऐसी कहीं गई उसका ठोस आधार तुरन्त नहीं रहता है कभी कभी निराधार बातें कही गई लेकिन संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि अगर कोई अपनी बात कहता है तो उसको सुने उसके बाद नियम के अनुसार प्रश्न आता है और उसका विनिश्चय हो जाता है। बिना अध्यक्ष पीठ को सम्बोधित करते हुए आपस में सम्बोधित करते रहना और एक दूसरे सदस्यों को ऐसी बातें कहना जो उचित न हों तो सदन कैसे चलेगा? अनेक बाते आदेश में कही जाती है उसका आधार कभी कभी नहीं होता है लेकिन संसदीय लोकतंत्र का तकाजा है कि एक दूसरे की बात सुन जी जाएं। अम्बिका चौधरी जी कुछ कहना चाहते थे मैंने कहा डंग साहब अपनी बात समाप्त कर लें उसके बाद आप बोल लें। मैंने तीन बार डा0 डंग से कहा कि आप संक्षेप में अपनी बात कहें उन्होंने कहा भी कि समाप्त कर रहा हूं।

जितना ज्यादा गम्भीर आरोप होगा उतना ही गम्भीर वातावरण बनाने की आवश्यकता है। उत्तेजना गम्भीरता को नष्ट कर देती है। उत्तेजना कभी कभी विवेक को प्रभावित कर देती है। मेरा अनुरोध है कि डाक्टर डंग अपनी बात समाप्त करें। मैं वसीम अहमद से जरूर कहूंगा कि वह थोड़ा ज्यादा संयम रखें। मैंने संसदीय कार्यमंत्री से उनको इंगित करने के लिए कहा और उन्होंने प्रस्ताव भी ला दिया। मैं नेता विपक्ष से पूछूंगा कि वह क्या कहना चाहते है इस बारे में डा0 अहमद डंग साहब के भाषण के बाद आपको सुन लेंगे। मैं रोज सबको अपनी बात कहने का अवसर देने का प्रयास करता हूं। रोज नियमों को शिथिल करता हूं।

डा0 वकार अहमद शाह-

मैं बहराइच जिले में रहता हूं जो नेपाल से मिला। मैं मुसलमान हूं। मान्यवर वह मुसलमान कभी हो ही नही सकता है जो देशद्रोही हो। आप ऐसे मदरसों के नाम बता दें जहां आई0एस0आई0 की गतिविधियां चल रही हो मैं उसको सबसे पहले ध्वस्त करूंगा। उसमें हमारे साथी हमारे साथ होंगे। मान्यवर, आप एक भी नाम दे दें। सरकार ने मदरसों पर इतना बड़ा चार्ज लगाया है। मुसलमानों ने आजादी की लड़ाई में अपनी जाने दी है। आजादी की लड़ाई में हमारे बुजुर्गो ने खून बहाया है। हमारे उलेमाओं ने वतन के लिए खून दिया है। जिनका आजादी की लड़ाई में कोई रिकार्ड नहीं है। ऐसी बात करते इनको शर्म से डूब मरना चाहिए।

श्री अध्यक्ष-

यही बात जब डाक्टर डंग अपनी बात समाप्त करते उसके बाद आ जाती। यही परम्परा है। अगर कोई बेबुनियाद बात करता है तो उसका संज्ञान सदन नहीं लेता है। संसदीय लोकतंत्र में सबको अपनी बात कहने का अधिकार होता है।

श्री जगदम्बिका पाल-

मान्यवर, मैं भी संसदीय परम्परा का छोटा सा सेवक हूं। इतना लम्बा भाषण मुख्य मंत्री के उत्तर के बाद नही होता है।

(श्री जटाशंकर सिंह के खड़े होने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपको अनुमति नहीं दे रहा हूं।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

मान्यवर, बात को मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि मै भी अल्पसंख्यक समुदाय से हूं और अल्पसंख्यक

हूं। मेरा निवेदन है कि कोई अरोप मेरी तरफ से नहीं लगा था और माननीय सदस्य उत्तेजना में आ गये।

श्री अध्यक्ष-

डंग जी अब आप अपनी बात समाप्त करें।

डा0 सरजीत सिंह डंग-

ठीक है, मैं केवल एक बात कहना चाहता हूं अगर समाजवादी पार्टी की सरकार के समय में रोज 20 हत्यायें हो रही थी तो बहुजन समाज पार्टी के समय में 30 हत्यायें हो रही थी जिसके मेरे पास प्रमाण है।

मान्यवर, अल्पसंख्यकों के बारे में यहां चर्चा छिड़ी तो मैं बताना चाहता हूं इस सरकार ने अल्पसंख्यक छात्रों की छात्र वृत्ति क्या दूनी नहीं किया है, इससे क्या कोई इनकार कर सकता है? मदरसों में जो शिक्षा दी जा रही थी उसे क्या आधुनिकी शिक्षा से नही जोड़ा है, हज यात्रा का क्या सरलीकरण नहीं किया है, इससे क्या कोई इनकार कर सकता है? इसलिए प्रतिपक्ष और सत्ता पक्ष में कोई गलत फहमी नही चाहिए कि यदि इस देश में कोई मुसलमान देश भक्त है या कोई हिन्दू देश भक्त है तो सभी का सम्मान होना चाहिए इस तरह सिख जो देश भक्त है उनकी पूजा होनी चाहिए और पारसी जो देश भक्त है उनकी इज्जत होनी चाहिए। लेकिन किसी जाति या मजहब का कोई व्यक्ति यदि राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में लिप्त है तो मैं कहना चाहूंगा कि उसकी दोनों पक्षों की ओर से भर्त्सना होनी चाहिए।

मान्यवर, अन्त में मैं एक शेर कहना चाहता हूं-

"मेहरवां अपने गिरेवां में झांक लें, भूल से ही,
फिर ऊपर न उठेगी कभी नज़र आपकी।"

इन शब्दों के साथ मैं अपने धन्यवाद के प्रस्ताव पर धन्यवाद ज्ञापित करता हूं और इस धन्यवाद प्रस्ताव का जोरदार समर्थन करता हूं। इसके साथ ही माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो संशोधन का प्रस्ताव प्रस्तुत किया है उसे वापस ले लें तो अच्छा होगा।

श्री राम तेज यादव एडवोकेट-

(व्यवधान) मान्यवर, बहराइच जनपद के वकील बाहर बैठे है उनको किसी से नहीं मिलने दिया जा रहा है जिस पर मैं आपकी व्यवस्था चाहता हूं चूंकि आप हमारे संरक्षक हैं इसलिए उन पांच सौ वकीलों की बात कहना चाहता हूं जो बाहर बैठे है, वे आपसे और मुख्य मंत्री जी से तथा राजस्व मंत्री जी से मिलना चाहते हैं। (व्यवधान) मान्यवर, इनके सम्बन्ध में एक बार फिर आपने नियम-311 में अनुमति भी दिया था लेकिन फिर भी उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और उन्हें विधान सभा के सामने भी नहीं बैठने दिया जा रहा है। वह आपसे बात करना चाहते हैं। दो महीने से वकीलों की हड़ताल चल रही है।

वहां के वकीलों ली वेदना इसलिए सुना रहा हूं ताकि आप व्यक्तिगत रूचि लेकर समस्या का निदान कराने की कृपा करें।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, आपकी अनुमति हो तो मैं डंग साहब की शेर के जवाब में अपनी शेर कह दूं।

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप बैठ जाय, मैंने संसदीय कार्य मंत्री जी को बुला लिया हैं।

श्री अम्बिका चौधरी-

मान्यवर, दो मिनट का समय दें।

"ताजीम लाजिमी है बडों की मगर जनाब

इतना न झुकिये आप कि दस्तार गिर पड़े।
ताकत का अपनी आपको एहसास ही नहीं
गर फेर लो नजर तो ये सरकार गिर पड़े।"

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता विपक्ष आप महामहिम राज्यपाल के अभिभाषण पर दिये गये संशोधन पर बल देते हैं या नहीं।

श्री वसीम अहमद स0 वि0स के निलम्बन वापसी का प्रस्ताव

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

श्रीमन् जो वातावरण कटु हो गया था वह समाप्त हो गया है। उत्तेजनावश किसी माननीय सदस्य ने कोई बात कह दी तो आपसे अनुरोध कर लिया गया है कि आवेश में न आये।

श्री श्याम देव राय चौधरी-

जो गलत आचरण माननीय सदस्य ने किया है वे उसके लिए खेद व्यक्त करेंगे या नहीं?

'श्री अध्यक्ष-

मैंने पहले ही उनको चेतावनी दे दी है तो उन्हें कहने की आवश्यकता नहीं है।

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (हुकुम सिंह)-

माननीय अध्यक्ष, जी आपने मुझे इंगित किया और मैंने आपके निर्देशानुसार प्रस्ताव पस्तुत किया। मै अपेक्षा करता था कि क्षेष्ठ संसदीय परम्पराओं में माननीय सदस्य सदन में खेद व्यक्त करते। परन्तु यदि नहीं किया फिर भी जैसा प्रतपिक्ष ने अपेक्षा की है आपकी अपेक्षा के अनुरूप प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसको वापस लेनें की अनुमति मांगी है।

(निलम्बन प्रस्ताव वापसी की सदन द्वारा प्राप्त हुई)

श्री राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद का प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

आप अपने संशोधन पर बल दे रहे है या नही?

नेता विरोधी दल (श्री धनी राम वर्मा)-

मैं बल दे रहा हूं।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए धन्यवाद के प्रस्ताव पर नेता प्रतिपक्ष द्वारा जो संशोधन प्रस्तुत किया गया है, उसे यह सदन स्वीकार करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

इसके अतिरिक्त अन्य संशोधन भी जो उपस्थित किये हुये माने गये हैं, अस्वीकृत समझे जायेंगे।

प्रश्न यह है कि यह सदन श्री राज्यपाल के अभिभाषण के लिए जो उन्होंने राज्य विधान मण्डल के एक साथ समवेत दोनों सदनों के समक्ष दिनांक 23 मार्च, 2000 को दिया है, कृतज्ञतापूर्वक धन्यवाद प्रकट करता है।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ।)

जिला नियोजन समितियों का गठन न होने, तथा प्रदेश सरकार के दोषपूर्ण नियोजन के कारण प्रदेश में क्षेत्रीय असंतुलन की विस्फोटक स्थिति विषयक श्री अम्बरीय कुमार, कुंवर रेवती रमण सिंह, श्री जगदम्बिका पाल एवम् श्री प्रमोद कुमार द्वारा नियम 311 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

श्री अध्यक्ष-

वक्तव्य की प्रतियां वितरित कर दी जायं।

(प्रतियां वितरित कर दी गई)

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

विधान के अनुच्छेद 243 जेड दी.....

श्री अध्यक्ष-

यदि आप लोगों की अनुमति हो तो इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाय।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया है)

श्री हुकुम सिंह-

[मैं परिकल्पित प्रत्येक जनपद के लिये जिला योजना समिति के गठन, उसके कृत्य कार्यक्षेत्र, आदि के संबंध में उत्तर प्रदेश जिला योजना समिति अधिनियम 1999 में व्यवस्था की गई। इस अधिनियम में संवैधानिक बाध्यताओं के रहते मा0 विधायकों को जिला योजना समिति में स्थायी आमंत्रित के रूप में रखा गया था। समय समय पर मा0 विधायकों द्वारा सरकार का ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित किया जाता रहा है कि विकास कार्यो में मा0 विधायकों की सशक्त भूमिका होनी चाहिये

जिला योजनाओं के संबंध में अधिनियम से पूर्व की व्यवस्था को पुनर्जीवित करने का निर्णय लिया गया है। इस प्रकार पूर्व व्यवस्था के अनुसार जिला स्तर पर जिला नियोजन एवं अनुश्रण समिति, जिसमें मा0 सांसद एवं मा0 विधायक सदस्य है, पूर्ववत कार्य करती रहेगी और यह समिति उन विकास कार्यों पर निर्णय लेने के लिये अधिकृत होगी जिनके वित्त पोषण का उत्तरदायित्व राज्य सरकार का है अर्थात राज्य सरकार द्वारा जिन्हें वार्षिक वित्तीय विवरण में सम्मिलित कर वित्त पोषित किया जा रहा है।]

जनपद फिरोजाबाद की कोतवाली टुण्डला अंतर्गत निरन्तर बढ़ते अपराधों तथा कोतवाल द्वारा की जा रही अनियमितताओं/भ्रष्टाचार के संबंध में श्री शिव सिंह द्वारा दी गयी सूचना।

श्री शिव सिंह चक-

मा0 अध्यक्ष जी मैं आपकी अनुमति से कोतवाली टुण्डला जिला फिरोजाबाद में कार्यरत कोतवाल के काले कारनामों तथा भ्रष्ट आचरण के बारे में बताना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना प्राप्त हो गयी है। मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को उसकी प्रति पहुंच जायेगी मैं आपकी सूचना पर शासन का ध्यान आकर्षित कर रहा हूं कि जो भी आवश्यक कार्यवाही इस पर समझी जाय वह कर दी जाय।

श्री शिव सिंह चक-

मान्यवर मैं कुछ बात इसमें कहना चाहता हूं।

श्री अध्यक्ष-

आपने उसमें सामान्यत: भ्रष्टाचार और अपराध की बात कही है उसके एक पैराग्राफ में अपनी व्यक्तिगत समस्या रखी है। व्यक्तिगत समस्या के बारे में आप कहें।

श्री शिव सिंह चक-

मान्यवर थाना टुण्डला में कार्यरत सब इंसपेक्टर की हत्या हुई और यह हत्या कोतवाली टुण्डला में कार्यरत कोतवाल के कारण हुई क्योंकि लाईन पार टुण्डला की कालोनी में अवैध धन्धा वर्षो से चल रहा था जिसकी सम्पूर्ण जानकारी थाना प्रभारी टुण्डला को थी। श्री भूपेन्द्र गौतम को उनकी हत्या के एक दिन

नोट-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पूर्व ही हल्का इंचार्ज बनाया गया तथा वहां चल रहे अवैध धन्धों के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं दी गयी। क्योंकि इसमें कोतवाल स्वयं लिप्त थे बर्बरतापूर्वक श्री भूपेन्द्र सिंह की हत्या कर दी गयी और आज भी वहां पर कोबरा गैंग सक्रिय है और इस गैंग के किसी सदस्य को पकड़ा नहीं गया है और वह खुलेआम घूम रहे हैं। एक घटना और हुई।। थाना टुण्डला के अंतर्गत टुण्डली के जाट समाज के दो ग्रुपों में झगड़ा हुआ जिसमें तीन लोग मारे गये यह घटना भी कोतवाल के निष्क्रियता के कारण हुई।

श्री अध्यक्ष-

आप अपनी व्यक्तिगत समस्या के बारे में कहें।

श्री शिव सिंह चक-

एक दिन में एक सड़क का शिलान्यास करने जा रहा था तो कुछ लोगों ने मेरे ऊपर प्राणघातक हमला किया और उसकी रिपोर्ट टुण्डला थाने में दर्ज है लेकिन आज तक कोई भी व्यक्ति नहीं पकड़ा गया। बडे खेद का विषय है कि टुण्डला में आये दिन ऐसी घटनायें हो रही है। लेकिन कोतवाल टुण्डला के कानों में जूं नहीं रेंगी। मैं आपके माध्यम से मा0 सदन को बता देना चाहता हूं कि टुण्डला मे कार्यरत कोतवाल को तत्काल निलम्बित किया जाय। मेरे साथ जो घटना घटित हुई है उसके दोषियों को तत्काल गिरफ्तार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं शासन का ध्यान आपकी सूचना आकृष्ट कर रहा हूं। दूसरी सूचना श्री दद्दू प्रसाद की है वह तो वहिर्गमन करके चले गये है।

श्री बाबू राम यादव-

मान्यवर सत्ता पक्ष के मा0 सदस्य के साथ इस तरह की घटना घटित हुई है। हम चाह रहे थे कि उनका इस विषय में कुछ बयान आ जाता।

श्री अध्यक्ष-

मैंने शासन का ध्यान आकृष्ट कर दिया है।

नियम 51 के अन्तर्गत सूचनायें

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 7 अप्रैल, 2000 को नियम-51 के अन्तर्गत कुल 31 सूचनाएं प्राप्त हुई। पहली सूचना डा0 लक्ष्मीकान्त बाजपेई की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दूसरी सूचना श्री राम औतार शाक्य की वक्तव्य हेतु स्वीकृत, तीसरी सूचना श्री राम विशुन आजाद की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, चौथी सूचना श्री कैलाश सिंह राजपूत की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, पांचवी सूचना श्री प्रमोद कुमार की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, छठी सूचना श्री रूप चौधरी की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, सातवीं सूचना श्री दद्दू प्रसाद की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, आठवीं सूचना डा0 वकार अहमद शाह की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, नवीं सूचना श्री संजय गर्ग की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, दसवीं सूचना श्री सुरेश कुमार श्रीवास्तव की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, ग्यारहवी सूचना श्री सूरेश चन्द्र आर्य की केवल वक्तव्य हेतु स्वीकृत, बारहवीं सूचना डा0 कौशल किशोर की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, तेरहवीं सूचना श्री नरेन्द्र सिंह शिशौदिया की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, चौदहवी सूचना श्री पूर्णमासी पंकज की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, पन्द्रहवी सूचना श्री महेन्द्र प्रसाद निषाद की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सोलहवी सूचना श्री लाल जी वर्मा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, सत्रहवीं सूचना श्री रघुवर दयाल वर्मा की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत, अट्ठारहवीं सूचना डा0 सरजीत सिंह डंग की ध्यानाकर्षण

हेतु स्वीकृत, उन्नीसवीं सूचना श्री बीरेन्द्र सिंह सोलंकी की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत और बीसवीं सूचना श्री बचन राम की ध्यानाकर्षण हेतु स्वीकृत की गई। शेष माननीय सदस्यों श्री विजय कुमार, श्री कौकब हमीद, श्री विजय पाल सिंह, श्री वसीम अहमद, श्री राम प्यारे सिंह श्री रामनक्षत्र, श्री जय प्रकाश, श्री अम्बरीष कुमार, श्री समरपाल सिंह, श्री उबैदुर्रहमान, श्री महेन्द्र कुमार बाल्मीकी तथा श्री तेजमान सिंह की सूचनाएं अस्वीकृत हुई।

सैनिक स्कूल, सरोजनी नगर लखनऊ के शिक्षकों अवकाश प्राप्त शिक्षकों,कर्मचारियों का जनवरी, 1997 के पश्चात वेतन एवं पेंशन पुनरीक्षण न किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अम्बरीष कुमार व अन्य द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का वक्तव्य

पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल सरोजनी नगर, लखनऊ के शिक्षकों/कर्मचारियों....

श्री अम्बरीष कुमार-

मान्यवर, मैं इस पर एक स्पष्टीकरण चाहता हूं माननीय मंत्री जी ने अपने वक्तव्य में दिया है कि सैनिक स्कूल सरोजनी नगर द्वारा उक्त शासनादेशों का संज्ञान के प्रधानाचार्य द्वारा नहीं लिया गया। आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि प्रधानाचार्य द्वारा संज्ञान न लिये जाने के कारण सरकार क्या कार्यवाही करेगी?

श्री हुकुम सिंह-

हमने स्वीकार किया है कि प्रधानाचार्य द्वारा संज्ञान न लेने के कारण यह स्थिति हुई है। आप इसको ठीक से पढ़ ले सब स्पष्ट हो जायेगा। हम कार्यवाही करेंगे उनके संज्ञान न लेने के कारण।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है मा0 मंत्री जी, इसको पढ़ा हुआ मान लेते हैं।

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[पंचम वेतन आयोग की संस्तुतियों के आधार पर दिनांक 1-1-1996 से वेतन, पेंशन पुनरीक्षण किये जाने का प्रकरण वित्त (पद नाम एवं दण्ड निर्धारण) विभाग में विचाराधीन है शीघ्र ही निर्णय लिये जाने की आशा है। जहां तक उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल के शिक्षकों/कर्मचारियों को 1-1-97 के बाद मंहगाई भत्ते की कोई अतिरिक्त किश्त न मिलने का प्रश्न है। इस संबंध में वस्तु स्थिति यह है कि उत्तर प्रदेश शासन द्वारा समय-समय पर जो महगाई भत्ते की अतिरिक्त किश्त स्वीकृत की जाती है और इस संबंध में जो भी शासनादेश वित्त विभाग द्वारा जारी किये जाते हैं वह स्वतः ही उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल में लागू हो जाते हैं। ऐसे अधिकारी/कर्मचारी जिनके वेतनमानों का दिनांक 1-1-96 से पुनरीक्षण नहीं हुआ है उनके मामले में वित्त विभाग द्वारा शासनादेश संख्या-वे0आ01-271/दस-42 (एम)/97, दिनांक 2-6-1998 निर्गत कर मंहगाई भत्ता स्वीकृत किया गया है और बाद में इसी संबंध में वित्त विभाग के शासनादेश संख्या-वे0आ0-1-691/दस-99-42(एम)/टी0सी0 दिनांक 13-12-1999 द्वारा स्पष्टीकरण भी जारी किया गया है। नियम-51 द्वारा दी गयी सूचना के अन्तर्गत बतायी स्थिति उत्पन्न होने का कारण प्रधानाचार्य, उत्तर प्रदेश सैनिक स्कूल-सरोजनी नगर द्वारा उक्त शासनादेशों का संज्ञान न लेना है।]

मेरठ महानगर में छात्रों तथा वकीलों पर पुलिस द्वारा बर्बरतापूर्वक लाठीचार्ज किये जाने तथा पुलिस की निरंकुशता से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में डा0 लक्ष्मी कान्त बाजपेयी द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)

माननीय सदस्य द्वारा विधान सभा में नियम-51 के अन्तर्गत यह सूचना दी गयी कि....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[पुलिस ने दिनांक 14 मार्च, 2000 को छात्रों पर तथा 15 मार्च, 2000 को वकीलों पर मेरठ महानगर में जमकर अकारण लाठी चार्ज किया, जीप द्वारा मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र अमित चौधरी को कुचल दिये जाने से उत्पन्न उत्तेजना के कारण पुलिस ने बर्बरतापूर्वक लाठी चार्ज किया, उप कुलपति जी से शिष्टाचार के अनुसार व्यवहार नहीं किया, मेरठ सहकारी आवास समिति की जांच के दौरान जमकर लाठीचाजा किया, प्रेस फोटोग्राफरों से मोबाइलफोन/कैमरा छीन लिया, उक्त घटनाओं में 18 छात्र तथा 2 वकील घायल हुए।

वस्तुस्थिति इस प्रकार है कि मेरठ में दिनांक 13-3-2000 को जीप संख्या डी0एल0-5सी-6603 द्वारा दो स्कूटरों को दुर्घटनाग्रस्त कर दिया गया था जिनमें एक स्कूटर पर सवार मेरठ विश्वविद्यालय के छात्र अमित पुत्र श्री विजेन्द्र की मौके पर मृत्यु हो गयी थी। सूचना पर पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची तथा जीप व उसमें बैठे 3 व्यक्तियों को हिरासत में ले लिया जो शराब पीये हुए थे। जीप चालक मौके से भागने में सफल हो गया। घटना के सम्बन्ध में थाना लालकुर्ती, मेरठ पर मु0अ0सं0 96/2000 धारा 279/338/427/304ए भा0द0वि0 पंजीयन किया गया दिनांक 16-3-2000 को जीप चालक राजीव कुमार को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया।

दिनांक 14-3-2000 को मेरठ विश्वविद्यालय के 200 छात्र थाना लालकुर्ती पर पहुंचे जिन्होंने दुर्घटना करने वाली सीज-शुदा जीप को क्षति पहुचायी और उसे पलटकर आग लगाने का प्रयास किया। उन्होंने थाने पर पथराव भी किया जिसमें उपनिरीक्षक अनूप सिंह एव कान्स्टेबिल चरण सिंह को चोटें आयीं। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके छात्रों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया गया और मौके से 13 छात्रों को गरफ्तार किया गया। इस सम्बन्ध में थाना लालकुर्ती.व, मेरठ पर मु0अ0सं0-97/2000 धारा 147/148/353/341/342/323/427 भा0द0वि0 का अभियोग पंजीकृत किया गया।

छात्रों की गिरफ्तारी के विरोध में विश्वविद्यालय के 100 छात्रो द्वारा मेरठ-गढ़ मार्ग पर यातायात जाम किया गया। पुलिस के पहुंचने पर छात्रों द्वारा पथराव किया गया जिसके सम्बन्ध में थाना मेडिकल पर मु0अ0सं051/2000 धारा 147/336/341/186 भा0द0वि0 एवं 7 क्रिमिनल लॉ अमेन्डमेंट एक्ट पंजीकृत किया गया।

उक्त सम्पूर्ण प्रकरण की मेजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।

दूसरा प्रकरण इस प्रकार है कि थाना सिविल लाइन्स, मेरठ के क्षेत्रान्तर्गत साकेत हाऊसिंग सोसाइटी की जांच हेतु दिनांक 15/3/2000 को हाउसिंग बोर्ड के सहायक आवास आयुक्त द्वारा संकेत स्पोट्स क्लब में एक बैठक आहूत की गयी थी जिसमें प्रथम पक्ष के श्री एम0पी0 सिंह आदि तथा द्वितीय पक्ष के श्री अनिल यादव उपस्थित थे। उक्त जांच श्री अनिल यादव की शिकायत पर प्रारम्भ हुई थी। बैठक के सम्बन्ध में पुलिस को पूर्व सूचना नहीं दी गयी थी। बैठक में दोनों पक्षों में लड़ाई-झगड़ा व मारपीट हुयी जिसकी सूचना मिलने पर स्थानीय पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची और 3 व्यक्तियों को पकड़ कर थाना सिविल लाइन्स ले आयी। कुछ समय बाद लगभग 100 व्यक्तियों का समूह नारेबाजी करता हुआ थाने में आ गया, वहां पर एम0पी0सिंह तथा उसके साथियों को देखकर उनकी गिरफ्तारी की मांग करने लगा। भीड ने थाने में उपस्थित पुलिस कर्मियों के साथ दुर्व्यवहार एवं हाथापाई की, सरकारी सम्पत्ति को क्षति पहुचाई तथा

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

थाने पर बाहर से पथराव भी किया। पुलिस द्वारा हल्का बल प्रयोग करके भीड़ को हटा दिया गया। तत्पश्चात वकीलों द्वारा कचहरी परिसर में आकर बैठक की गयी और कचहरी परिसर में आये पुलिस कर्मियों से दुर्व्यव्यवहार किया गया।

साकेट स्पोर्ट्स काम्प्लेक्स में हुई घटना के सम्बन्ध में श्री एम0पी0 सिंह द्वारा मु0अ0सं0-110/2000 धारा 147/323/506 भा0दं0वि0 बनाम 7 नामजद व अन्य अभियुक्त पंजीकृत कराया गया, उसके क्रम में श्री अनिल यादव द्वारा मु0अ0सं0-110बी/2000 धारा 147/148/307/504/323 भा0दं0वि0 पंजीकृत कराया गया. उक्त दोनो के क्रम में दैनिक अमर उजाला के प्रेस रिपोर्टर श्री अमित कौशिक द्वारा भी एम0पी0 सिंह तथा उनके दोनों साथियों के विरूद्ध मु0अ0सं0-110ए/2000 धारा 394ए//397 भा0दं0वि0 पंजीकृतत कराया गया। मु0अ0सं0-110ए/2000 धारा 394/397 भा0दं0वि0की विवेचना से लूट का आरोप सही नहीं पाया गया। तीनों पक्षों के बीच समझौता होने पर, पुलिस द्वारा श्री एम0पी0सिंह तथा 3 अन्य गिरफ्तार व्यक्तियो को थाने से ही जमानत पर रिहा कर दिया गया। इस मामले की भी मैजिस्टीरियल जांच प्रचलित है।]

प्रदेश में खाद्य एवं आपूर्ति विभाग द्वारा आवश्यक वस्तु वितरण प्रक्रिया मनमाने तौर पर चलाये जाने तथा जनपद फैजाबाद में मिल्कीपुर के उप जिलाधिकारी व जिलापूर्ति अधिकारी द्वारा की जा रही मनमानी के सम्बन्ध में श्री राम चन्द्र द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्यमंत्री का केवल वक्तव्य

पंजीयन मनोरंजन कर, स्टाम्प एवे न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

शासन स्तर से जनपद फैजाबाद को बी0पी0एल0 योजना के अन्तर्गत 966 मीट्रिक टन गेहू....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[442 मीट्रिक टन चावल एवं 653 मीट्रिक टन चीनी तथा 1883 किलो लीटर मिट्टी का तेल का मासिक आवंटन किया गया है। जनपद-फैजाबाद में गरीबी रेखा से नीचे के (बी0पी0एल0) उपभोक्ताओं के 1,40,800 राशन कार्डो का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष्य 1,40,800 कार्ड वितरित कराये गये हैं। शहरी क्षेत्र की 98 व ग्रामीण क्षेत्र की 757 उचित दर की दुकानों के माध्यम से गेहूँ/चावल/चीनी/मिट्टी के तेल का वितरण कराया जा रहा है।

जहां तक हाट गोदाम हर्टिनगंज को हटाये जाने का प्रश्न है इस संबंध में जांचोपरान्त उक्त गोदाम व गोदाम प्रभारी को हटाने के संबंध में कार्यवाही संभागीय खाद्य नियंत्रक, फैजाबाद संभाग-फैजाबाद के स्तर से की जा रही है। थोक मिट्टी तेल विक्रेताओं के यहां से जो भी मिट्टी का तेल प्राप्त होता है विगत माह के अवशेष स्टाक को जोड़कर नियमानुसार मासिक आवंटन विकास खंडवार करके किया गया है और तदनुसार वितरण सुनिश्चित किया जा रहा है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्र का मासिक आवंटन निम्न प्रकार किया गया है-

क्षेत्र का नाम	मासिक आवंटन (मात्रा कुन्तल/के0एल0 में)			
	गेहूं (कु0)	चावल (कु0)	चीनी (कु0)	मिट्टी तेल
1. फैजाबाद न0पा0 1	300.20	136.00	1824	345
2. अयोध्या न0पा0 1			500	125
3. भदरसा टा0ए0	81.20	37.10	118	25
4. बीकापुर टा0ए0	40.20	18.50	90	18

5. गोसाईगंज टा0ए0	75.60	34.60	150	44
6. रूदौली न0 पा0 1	117.10	53.70	305	60
7. मयाबाजार ब्लाक	1146.40	3523.40	308	115
8. पूराबाजार ब्लाक	869.00	397.80	308	120
9. सोहावल ब्लाक	817.50	374.00	346	120
10. मसौधा ब्लाक	652.90	298.90	332	120
11. मिल्कीपुर ब्लाक	1192.60	546.00	310	112
12.अमानीगंज ब्लाक	861.00	394.30	306	115
13. हरिंग्टीनगंज ब्लाक	843.50	386.00	266	105
14. बीकापुर ब्लाक	661.30	302.50	300	115
15. तारून ब्लाक	707.00	323.90	350	116
16. रूदौली ब्लाक	559.10	256.30	319	115
17. मवई ब्लाक			200	85
18. पूरेडलई ब्लाक	735.40	337.00	198	30
योग:-9660.00	4420.00	6530	1885	

मिट्टी के तेल की कालाबाजारी न हो इसलिए शासन द्वारा निर्धारित थ्री स्टेज चेकिंग की व्यवस्था की गई है। ग्राम सभा बार/शहरी क्षेत्रावार आवंटन व वितरण को पारदर्शी बनाने के लिये विकास खंडवार गेहूँ/चावल/चीनी/मिट्टी का तेल की आवंटन सूची विकास खंडों को उपलब्ध करायी जाती है। विकास खंडों के माध्यम से ग्राम प्रधान/स्थानीय नागरिको को आवंटन सूची उपलब्ध कराये जाने का प्राविधान है। इसके अतिरिक्त वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाने के लिये आवंटन की सूची समाचार पत्रों व जन प्रतिनिधियों को भी उपलब्ध कराने के लिए सहायक सूचना निदेशक, फैजाबाद को भी निर्देशित किया गया है। शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में उपभोक्ताओं को नियमित रूप से आवश्यक वस्तुयें उपलब्ध कराये जाने हेतु समय-समय पर आकस्मिक जांच कराये जाने पर अप्रैल, 99 से मार्च, 2000 तक 145 छापों में 16 विभिन्न दुकानदारों के विरूद्ध प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी और दो व्यक्तियों को मौके पर गिरफ्तार कराया गया। 63 दुकानें निलम्बित की गई और 31 दुकानें निरस्त की गयी है। जनपद में रू0 93,000 की विभिन्न आवश्यक वस्तुएं पकड़ी गयी जिसे शासन के पक्ष में जब्त कर लिया गया है तथा 68,150 रूपये दंड स्वरूप प्रतिभूति की धनराशि भी शासन के पक्ष में जब्त की गयी है।

जहां तक श्रीमती आरती शर्मा सरकारी सस्ता गल्ला विक्रेता वार्ड दालमंडी के उत्पीड़न का प्रश्न है। इस संबंध में अवगत कराना है कि श्रीमती आरती शर्मा के पति श्री निर्मल कुमार शर्मा लेवी चीनी के कोटेदार थे जिनकी मृत्यु 1-5-94 को हो चुकी है। श्री शर्मा अपने कार्यकाल के दौरान रू0 3,88,274 का गबन करके लेवी चीनी का उठान/आपूर्ति अवैधानिक ढंग से किया था और उनके द्वारा प्राइवेट चेकों के माध्यम से चीनी की निकासी की गयी थी लेकिन उन चेकों की धनराशि पी0सी0एफ0 खाते में जमा नहीं की गई इन तथ्यों के आधार पर जिला प्रबन्धक, पी0सी0एफ0 द्वारा श्रीमती आरती शर्मा का कोटा निरस्त करने एवं गबन की धनराशि की वसूली करने की संस्तुति जिला पूर्ति अधिकारी से की गई थी जिसपर जिला पूर्ति अधिकारी द्वारा दिनांक 18-12-99 को श्रीमती आरती शर्मा उचित विक्रेता दालमंडी की दुकान निलम्बित करते हुए एक सप्ताह में अपने बचाव में लिखित अथवा मौखिक तथ्य प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गय। इस प्रकार श्रीमती शर्मा का कोई उत्पीड़न नहीं किया जा रहा है बल्कि शासकीय धन के गबन के आरोप में इनकी

नोट- [ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दुकान निलम्बित की गयी है।]

जनपद मथुरा में गोबर्धन नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा की जा रही अनियमितताओं एवं मनमानी से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार पोइया द्वारा नियम 51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर संसदीय कार्य मंत्री का केवल वक्तव्य

पंजीयन, मनोरंजन कर, स्टाम्प एवं न्यायालय शुल्क संसदीय कार्य मंत्री (श्री हुकुम सिंह)-

माननीय सदस्य विधान सभा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गयी सूचना प्रस्तुत करते हुये उल्लेख किया गया है कि उत्तर प्रदेश को मथुरा शासन स्थित गोबर्धन....

(सदन की सहमति से वक्तव्य पढ़ा हुआ माना गया)

[नगर पंचायत अध्यक्ष द्वारा जानबूझ कर अनियमिततायें किये जाने, नियम विरूद्ध तथा शासनादेशों का खुला उल्लंघन किया जा रहा है, मथुरा जिलाधिकारी द्वारा अपने पत्रांक 747 दिनांक 21-4-2000 तथा पत्रांक 1586 दिनांक 27-9-99 द्वारा अपनी आख्या कार्यवाही हेतु शासन को लिखा जिस पर कोई कार्यवाही नही हुई उसके पश्चात भी समय-समय पर शासन की ओर से जिला प्रशासन एवं आयुक्त आगरा मण्डल आगरा को भी निर्देश जारी किये गये, यही नहीं नियम-301 के अन्तर्गत विधान सभा प्रकरण को उठाया गया जिसमें गम्भीर रूप से भ्रष्टाचार को प्रकाश मे लाया गया, साथ ही सभासदों द्वारा नगर पंचायत गोवर्धन अध्यक्ष के विरूद्ध तथ्यों को उजागर किया परन्तु कोई कार्यवाही नहीं हुई, यही नहीं गोबर्धन में प्रवेश कर वाहनों से चारों दिशाओं में प्रवेश पर लिया जा रहा है, अड्डा पार्किंग ठेकों शासनादेशों को ताक पर रख कर दिनांक 25-3-2000 को पुन: कर दिये गये है, सड़क पर अवरोध एंव डंडों के बल पर किया जा रहा है यही हाल दुर्दशाओं का चारों ओर है। तीर्थयात्री प्रभावित हो रहे है, तमाम आख्या शासन को भेजी जानी है, जिलाधिकारी मथुरा दबाए बैठे है, भ्रष्टाचारियों पर नियंत्रण न होने पर शासन के धन का दुरूपयोग करने वालों का हौसला बुलन्द है।

उक्त के सम्बन्ध में जिलाधिकारी, मथुरा से सूचना प्राप्त की गयी जिसके अनुसार अध्यक्ष नगर पंचायत गोबर्धन श्रीमती सरोज शर्मा को शासन के पत्र सं0131 एम0एल0ए0/9-1-9-67च/96 दिनांक 27-1-2000 द्वारा कारण बताओं नोटिस दी गयी थी। अध्यक्ष नगर पंचायत द्वारा प्रेषित कारण बताओं नोटिस का उत्तर व उस पर प्राप्त जिलाधिकारी की आख्या का परीक्षण किया जा रहा है। जांच आख्या के परीक्षणोपरान्त अध्यक्ष, नगर पंचायत गोबर्धन के विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

अड्डा पार्किंग ठेकों के सम्बन्ध में जिलाधिकारी मथुरा द्वारा यह सूचना उपलब्ध करायी गयी है कि जिलाधिकारी मथुरा के पत्र दिनांक 24-3-2000 द्वारा वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु ठेका पार्किंग की नीलामी शासनादेश सं0 1321/9/9/98/9ज/98 दिनांक 18-7-1998 में वर्णित नियमों का अनुपालन कराते हुए कराने के निर्देश उप जिलाधिकारी मथुरा को दिये गये। उप जिलाधिकारी मथुरा की उपस्थिति में दिनांक 25-3-2000 को नगर पंचायत गोबर्धन की पार्किंग ठेका रू0 20,00,000/- में सवोच्च बोली पर श्री कमल सिंह पुत्र श्री अमर सिंह निवासी डींग अड्डा, गोबर्धन के नाम हुआ किन्तु निर्धारित अवधि में 1/4 भाग जमा न करने के कारण ठेकेदार की जमानत धनराशि रूपये 50,000/- जब्त करते हुये ठेका नीलाम हेतु तिथि 7-4-2000 नियत की गयी है।]

श्री अध्यक्ष-

अब हम उठते हैं। 10 तारीख को 11.00 बजे फिर बैठेंगे।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 6 बजकर 50 मिनट पर सोमवार दिनांक 10 अप्रैल 2000 अगले दिन के 11 बजे तक के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ:

राजेन्द्र प्रसाद पाण्डेय,
सचिव, विधान सभा,
उत्तर प्रदेश।

नोट - [x x x] यह अंश पढ़ा हुआ माना जाय ।

दिनांक 7 अप्रैल, 2000

नत्थी 'क'

(देखिये अल्प सूचित प्र0स0-2 का उत्तर पीछे पृष्ठ ----------पर)

अनुपूरक सामग्री-1

वर्ष 1987-90 में लाभ अंकित करने वाले निगमों की सूची

(लाख रूपये में)

क्र सं0	निगम का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	उ0प्र0 राज्य विद्युत परिषद	24784.00	2126.00	-17577.90	10001.00
2.	उ0प्र0 वन निगम	3398.51	4189.70	4628.41	3502.05
3.	औद्योगिक विकास निगम	13.99	17.94	731.78	619.54
4.	उ0प्र0 जल विद्युत निगम	39.48	56.86	146.23	288.72
5.	उ0प्र0 सेतु निगम	226.00	344.00	316.00	258.00
6.	उ0प्र0 राज्य भण्डारण निगम	284.84	547.44	206.04	224.68
7.	यू0पी0 एग्रो इंडस्ट्रियल कारपो0	40.35	-366.90	-329.48	146.9
8.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण निगम	50.69	70.93	98.89	144.81
9.	उ0प्र0 भूमि सुधार निगम	-7.84	4.26	4.20	101.09
10.	उ0प्र0 पर्यटन विकास निगम	279.62	44.60	51.59	90.93
11.	उ0प्र0 पुलिस आवास निगम	56.31	71.73	76.32	81.33
12.	राज्य कर्मचारी कल्याण निगम	-52.65	-31.25	54.68	74.99
13.	उ0प्र0 राजकीय निर्माण निगम	68.18	-195.90	149.01	64.97
14.	गढ़वाल मण्डल विकास निगम	-355.88	33.27	-88.16	56.53
15.	उ0प्र0 आवास विकास परिषद	22.50	25.64	24.30	49.52
16.	पिछड़ा वर्ग वित्त एवं वि0नि0	-9.83	44.09	-18.86	42.51
17.	कुमायूं मण्डल विकास निगम	4.08	8.08	28.00	89.17
18.	उ0प्र0 राज्य चर्म विकास निगम	-69.07	11.15	15.54	33.74
19.	उ0प्र0 मत्स्य विकास निगम	-14.96	3.48	21.51	23.75
20.	अल्प संख्यक वित्तीय एवं वि0	4.64	31.93	13.05	20.50
21.	उ0प्र0 (पश्चिम)गन्ना बीज वि0	15.40	15.47	18.40	18.87
22.	उ0प्र0 विद्युत उत्पादन निगम	-47.71	6.13	10.60	18.22
23.	अनुसूचित जाति विकास निगम	14.19	-72.65	8.70	8.76
24.	उ0प्र0 (रूहेलखण्ड) गन्ना बीज वि0	8.10	13.50	7.17	3.41
25.	उ0प्र0 (मध्य) गन्ना बीज वि0	-0.64	9.85	11.32	0.60
26.	यू0पी0 इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन	1.52	0.20	0.24	1.89
27.	उ0प्र0 (पूर्व) गन्ना बीज वि0 नि0	0.40	0.45	0.54	0.21
	योग	28736.89	7010.12	-11390.44	15943.97

स्रोत: वर्ष 97 = 98 के फ्लैश रिजल्ट हेतु निगमों द्वारा भेजे गये अनंतिम आंकड़ों के आधार पर।

अनुपूरक सामग्री-2

वर्ष 1997-98 में हानि वहन करने वाले निगमों की सूची

(लाख रूपये में)

क्र सं0	निगम का नाम	1994-95	1995-96	1996-97	1997-98
1.	उ0प्र0 वक्फ विकास निगम	-0.42	0.77	4.09	-3.85
2.	पंचायतीराज वित्त एवं वि0नि0	-15.43	-14.30	-11.93	-16.46
3.	यू0पी0 पोल्ट्री एण्ड लाइवस्टाक एवं0	-4.66	-9.74	-15.77	-20.09
4	उ0प्र0 महिला कल्याण निगम	0.72	-19.16	-14.11	-20.39
5.	डेवलपमेन्ट सिस्टम्स कारपो0	-3.98	0.26	-11.90	-20.83
6.	यू0पी0 हिल इलेक्ट्रानिक्स कारपो0	-35.19	-45.50	-36.59	-41.56
7.	तराई अनूसूचित जनजाति वि0नि0	-52.89	-10.92	-48.98	-36.55
8.	उ0प्र0 समाज कल्याण निर्माण नि0	136.41	84.59	11.17	-84.95
9.	उ0प्र0 पशुधन उद्योग निगम	-48.03	-69.73	-101.35	-101.35
10.	उ0प्र0 निर्यात निगम	-64.09	11.24	15.03	125.12
11.	राज्य खाद्य, आवश्यक वस्तु नि0	-452.48	-341.64	-375.75	-133.28
12.	उ0प्र0 लघु उद्योग निगम	-254.56	94.64	-41.17	-243.85
13.	यू0पी0 प्रोजेक्ट्स एण्ड ट्ट्रवे0 कारपो0	-198.71	-181.50	-66.07	-230.29
14.	आई0टी0 आर0सी0	-332.92	-367.20	-193.19	-494.61
15.	राज्य खनिज विकास निगम	-120.16	-231.09	-775.69	-333.20
16.	यू0पी0 हथकरघा निगम लि0	-291.97	-648.36	-743.48	-1085.41
17.	उ0प्र0 राज्य वस्त्र निगम	-1778.23	-5005.15	-2633.38	-2128.95
18.	पिकप	553.67	236.63	-2142.63	-2417.22
19.	उ0प्र0 जल निगम	-2383.00	-4013.00	-5236.00	4200.00
20.	राज्य सड़क परिवहन निगम	-3562.40	-4137.33	-4313.81	-4497.33
21.	उ0प्र0 राज्य सीमेन्ट निगम	-5735.34	-4533.76	-6702.71	-6702.71
22.	उ0प्र0 वित्तीय निगम	-1041.42	3093.37	-15628.59	-11520.40
23.	उ0प्र0 राज्य चीनी निगम	-4241.63	-12100.98	-13590.43	-15355.62
	योग	-23431.74	-23501.32	-53202.99	-53364.11
	कुल योग	3305.15	-21491.70	-69593.43	-34420.14

वर्ष 1996-97 की सूचना दोहराई गई है।

स्रोत:- वर्ष 97-98 के फ्लेश रिजल्ट हेतु निगमों द्वारा भेजे गये अनंतिम आंकड़ों के आधार पर।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ख'

(देखिये अता0 प्र0सं0-58 का उत्तर पीछे--------पर)

महाप्रबंधक, लेखा के अधीन 10 हजार से अधिक के बकायेदारों की खण्डवार सूची संलग्नक-1

क्रम सं0	खण्ड का नाम	उपभोक्ता की संख्या
1-	वि0न0वि0ख0- हुसैनगंज	6884
2-	वि0न0वि0ख0- रेजीडेन्सी	13880
3-	वि0न0वि0ख0- चौक	10976
4-	वि0न0वि0ख0- अलीगंज	8132
5-	वि0न0वि0ख0- गोमतीनगर	621
6-	वि0न0वि0ख0- इन्द्रानगर	7659
7-	वि0न0वि0ख0- खुर्रमनगर	3940
8-	वि0न0वि0ख0- ऐशबाग	4980
9-	वि0न0वि0ख0- आलमबाग	4320
10-	वि0न0वि0ख0- कानपुर रोड	2351
11-	वि0न0वि0ख0- सेस	7925
	कुल योग	71668

महाप्रबंधक, लेखा के अधीन धारा-3 एवं धारा-5 के भेजे गये नोटिसों की सूची संलग्नक-2

क्रम सं0	खण्ड का नाम	धारा-3	धारा-5
1-	वि0न0वि0ख0- हुसैनगंज	876	02
2-	वि0न0वि0ख0- रेजीडेन्सी	1136	14
3-	वि0न0वि0ख0- चौक	1162	66
4-	वि0न0वि0ख0- अलीगंज	2425	167
5-	वि0न0वि0ख0- गोमतीनगर	595	45
6-	वि0न0वि0ख0- इन्द्रानगर	600	42
7-	वि0न0वि0ख0- खुर्रमनगर	1240	410
8-	वि0न0वि0ख0- ऐशबाग	1902	125
9-	वि0न0वि0ख0- आलमबाग	2965	249
10-	वि0न0वि0ख0- कानपुर रोड	736	81
11-	वि0न0वि0ख0- सेस	967	--
	कुल योग	14604	1201

उत्तर प्रदेश विधान सभा

नत्थी 'ग'

(देखिये अता0प्र0सं0-160 का उत्तर पीछे पृष्ठ..... पर।)

220 के0वी0 सब-स्टेशन आजमगढ़ पर के0वी0 लालगंज पर 1.6.99 से 28.6.99 को दी गई विद्युत आपूर्ति का विवरण।

दिनांक	वे का	शट डाउन			ब्रेक डाउन			कटौती			विद्युत आपूर्ति की बंदी	विद्युत आपूर्ति दी गयी
		से	तक	अवधि	से	तक	अवधि	से	तक	अवधि		
1.6.99	132 केवी लालगंज	-	-	-	-	-	-	0.00	0.40	0.05	6.40	17.20
								18.55	24.00	5.05		
2.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	0.55	0.55	0.55	23.05
3.6.99	"	-	-	-	-	-	-	19.25	24.00	4.35	4.35	19.25
4.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	2.50	2.50	8.40	15.20
								18.10	24.00	5.50		
5.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	1.10	1.10		
								18.10	24.00	5.50	7.00	17.00
6.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	0.40	0.40	6.25	17.35
								18.15	24.00	5.45		
7.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	0.10	0.10	4.20	19.40
								18.50	23.00	4.10		
8.6.99	"	-	-	-	-	-	-	15.40	24.00	8.20	8.20	15.40
9.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	2.50	2.50		
								5.30	6.30	1.00	10.50	13.10
								16.55	23.55	7.00		
10.6.99	"	-	-	-	-	-	-	19.15	23.50	4.35	4.35	19.25
11.6.99	"	-	-	-	-	-	-	19.30	22.40	3.10	3.10	20.50
12.6.99	"	-	-	-	-	-	-	18.45	24.00	5.15	5.15	18.45
13.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	0.15	0.15	4.00	20.00
								19.55	23.40	3.45		
14.6.99	"	-	-	-	-	-	-	19.25	23.40	4.15	4.15	19.45
15.6.99	"	-	-	-	-	-	-	17.10	24.00	6.50	6.50	17.10

उत्तर प्रदेश विधान सभा

दिनांक	बे का नाम	शट डाउन			ब्रेक डाउन			कटौती			विद्युत आपूर्ति की बंदी	विद्युत आपूर्ति दी गयी
		से	तक	अवधि	से	तक	अवधि	से	तक	अवधि		
1.6.99	1.32 केवी	-	-	-	-	-	-	0.00	0.05	0.05		
	लालगंज							18.55	24.00	5.05	5.10	18.50
7.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	2.20	2.20	7.30	16.30
18.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	24.00	18.50	24.00	5.10
								5.10	7.25	2.15	10.30	13.30
								19.15	24.00	4.50		
19.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.00	2.30	2.30	8.15	15.45
								18.15	24.00	5.45		
20.6.99	"	-	-	-	-	-	-	18.15	23.15	5.00	5.00	19.00
21.6.99	"	-	-	-	-	-	-	6.15	8.50	2.35		
								17.55	18.30	0.35	6.28	17.32
								20.22	23.40	3.18		
22.6.99	"	-	-	-	8.15	12.50	4.35	19.30	23.50	4.20	8.55	15.05
23.6.99	"	-	-	-	--	-	-	19.35	23.20	3.45	3.45	20.15
24.6.99	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
25.6.99	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
26.6.99	"	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24.00
27.6.99	"	-	-	-	-	-	-	0.10	0.25	0.15	4.20	19.40
								18.55	23.00	4.05		
28.6.99	"	-	-	-	-	-	-	19.55	24.00	4.05	4.05	19.55
											योग:- 522.12	18.30

पी० एस० यू० पी०–एल० 251 विधान सभा (467)–14-11-02–813 प्रतियां (डी०टी०पी०) ।

उत्तर प्रदेश विधान सभा

उत्तर प्रदेश विधान सभा